प्रकृति से उत्प्रेरित . हरित भविष्य के लिए अभिप्रेरित

30वीं वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

विज़न

भारत और विदेश में विद्युत एवं उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की प्रत्येक आयामीय श्रृंखला में एक अग्रणी संस्थागत भागीदार बनना।

मिशन

पीएफसी सर्वाधिक अधिमान्य वित्तीय संस्थान होगा और इसके लिए उसका साध्य है दक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से एकीकृत स्रोतीकरण तथा सेवा प्रदान करने के साथ–साथ वहनीय और प्रतियोगी उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करना, भारतीय विद्युत क्षेत्र में होने वाले सुधारों में अपनी भागीदारी करना और अपने स्टेकधारकों का मूल्य संवर्धन करना; भारत एवं विदेश में विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यक्षम निवेश को बढ़ावा देना।

हम यह लक्ष्य सिद्धि कर सकेंगे क्योंकि हम एक ऊर्जस्वित, समंजनीय, अग्रदृष्टा, विश्वस्त, सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन हैं, अपने स्टेकधारकों हितों के प्रति संवेदनशील हैं, अपने कार्यों में पारदर्शिता एवं एकनिष्ठा के कारण सदा–सर्वदा लाभप्रद एवं चिरस्थायी हैं।

विषय–सूची

अध्यक्ष का वक्तव्य	8–14
निदेशकों का प्रोफाइल	15–17
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	18–76
प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	77–83
निगमित शासन पर रिपोर्ट	84–99
निगमित शासन पर प्रमाण–पत्र	100
व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	101–112
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	113–117
तुलन–पत्र	120–121
लाभ और हानि लेखा	122–184
नकदी प्रवाह विवरण	185–186
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	187–193
गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट	194
सी एंड एजी की टिप्पणियां	195–196
समेकित तुलन–पत्र	197–198
समेकित लाभ और हानि लेखा	199–273
समेकित नकदी प्रवाह विवरण	274–275
समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	276–280
समेकित वित्तीय विवरणों पर सी एंड एजी की टिप्पणियां	281–282

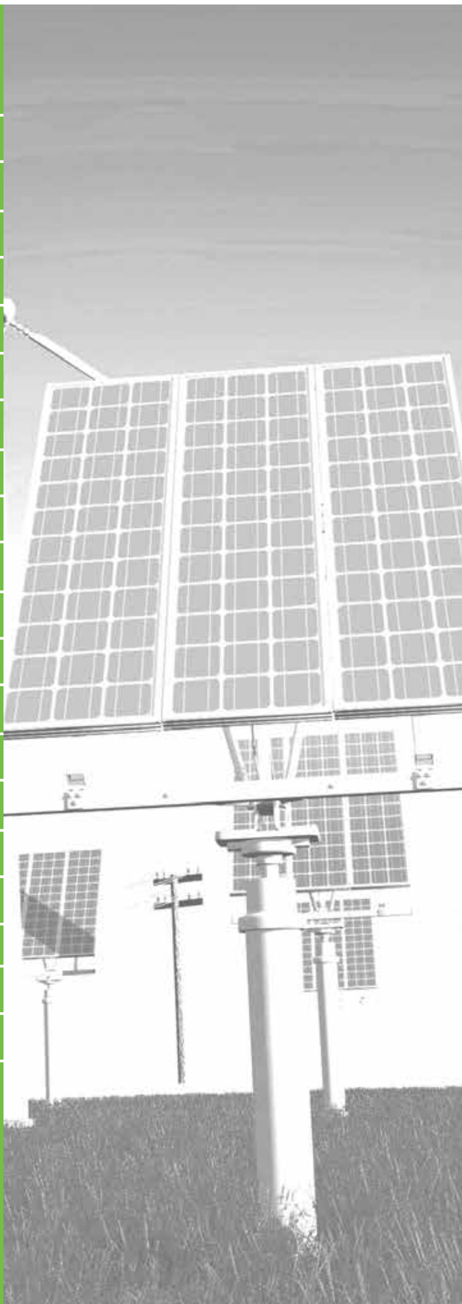

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

'ऊर्जानिधि',
1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली–110001, दूरभाष सं.: (91)(11) 23456000
वेबसाइटः http://www.pfcindia.com

सहायक कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीईएल)

पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसिस लिमिटेड (पीएफसीसीएएस)

पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (पीईसीएपी) विघटन की कगार पर

छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

घोघरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड

उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड

साखीगोपाल पावर कंपनी लिमिटेड

तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड

ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड

देवघर इंफ्रा लिमिटेड

बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड

मेदिनीपुर–जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड*

कोहिमा–मरियानी ट्रांसमिशन लिमिटेड*

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*

बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*

साउथ–सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*

मोहिंदरगढ़–भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड*

*पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी, पीएफसी की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी

शेयर निम्नलिखित में सूचीबद्ध हैं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

न्यासी

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजीटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपोजीटरी सर्विसिस (इंडिया) लिमिटेड

कंपनी सचिव

श्री मनोहर बलवानी

लेखापरीक्षक

मैसर्स एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
मैसर्स के. बी. चांदना एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

रजिस्ट्रार तथा शेयर हस्तांतरण एजेंट

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
''कार्वी हाउस'',
46, एवेन्यू 4,
गली सं. 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद 500034, भारत
दूरभाष सं.: 91 40 23312454 टॉल फ्री: 1800 4258282
फैक्सः 91 40 23311968 ईमेलः support@karvy.com
वेबसाइटः www.karvycomputershare.com

बैंकर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईडीबीआई बैंक

कार्य–निष्पादन एक दृष्टि में

	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
I	**संसाधन**					
	(वर्ष के अंत में) (₹ करोड़ में)					
	इक्विटी पूंजी	1320	1320	1320	1320	**1320**
	भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सब्सिडी निधि	376	146	124	111	**107**
	संचित कोष और अधिशेष निधियां	19388	22734	26055	30899	**34446**
	ऋण:					
(I)	विदेशी मुद्रा ऋण (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	5590	8424	8926	9731	**10776**
(II)	बॉण्ड	83920	105334	126505	159393	**171137**
(III)	दीर्घावधि रुपया ऋण	16545	17005	22470	14585	**11000**
(Iv)	अल्पावधि रुपया ऋण	4071	8820	1314	4064	**7572**
II	**वित्तीय प्रचालन**					
	(वर्ष के दौरान) (₹ करोड़ में)					
	स्वीकृत ऋण तथा अनुदान	59429	75147	60729	60784	**65042**
	संवितरित ऋण तथा अनुदान	39818	45151	47162	44691	**46588**
	पीएफसी को ऋणकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान	9257	14929	18822	16284	**25826**
	पीएफसी द्वारा ऋणदाताओं को पुनर्भुगतान	14296	11304	22231	34188	**52735**
III	**कार्य परिणाम**					
	(वर्ष के दौरान) (₹ करोड़ में)					
	कुल आय	13037	17273	21538	24907	**27564**
	कुल व्यय	8933	11306	13979	16529	**18504**
	कर पूर्व लाभ	4104	5967	7558	8378	**9060**
	कर व्यय	1073	1547	2141	2419	**2947**
	लाभ पश्चात कर	3032	4420	5418	5959	**6113**
IV	**कार्मिकों की संख्या**	379	427	446	450	**467**

वित्तीय आकर्षण

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार

11%
₹ 27,564 करोड़
करोड़ कुल आय

13%
₹ 11,168 करोड़
निवल ब्याज आय

3%
₹ 6113 करोड़
निवल लाभ

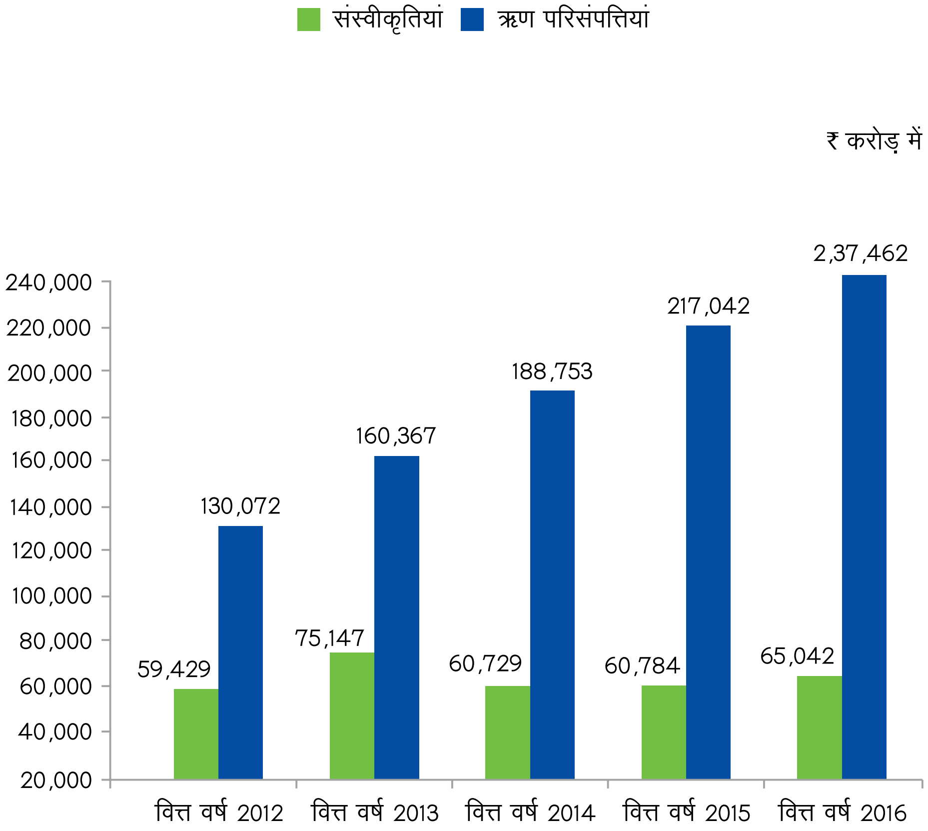

संवितरण–ऋणकर्ता के अनुसार

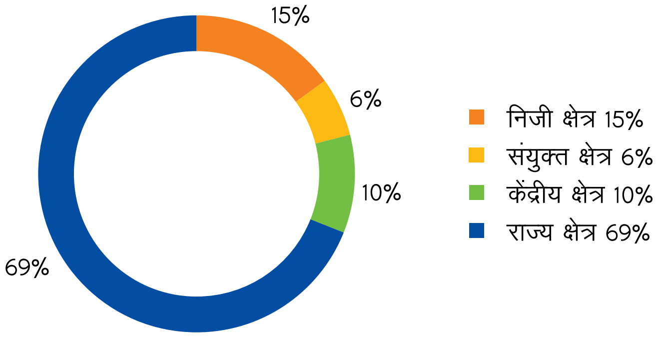

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार

10%
₹ 32,046 करोड़
निवल मूल्य

3%
₹ 46.31
प्रति शेयर अर्जन

9%
₹ 2,37,462 करोड़
ऋण परिसंपत्तियां

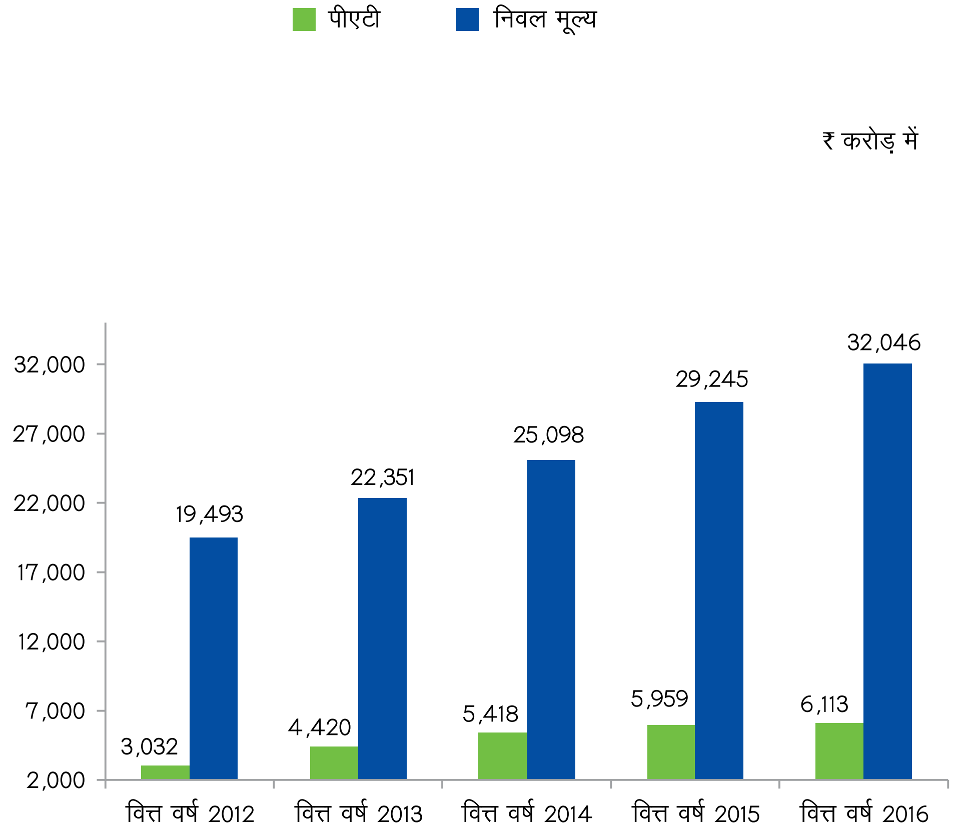

वितरण–क्षेत्रवार

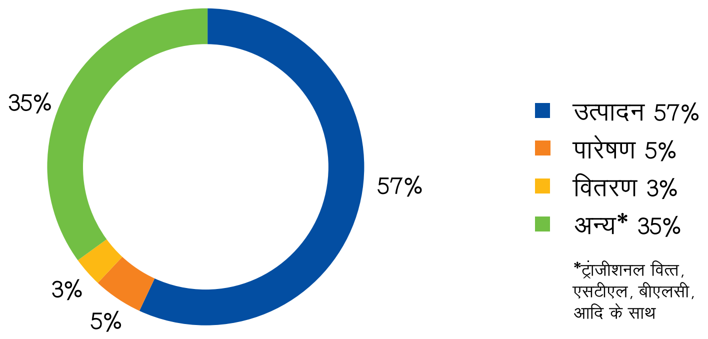

अध्यक्ष का वक्तव्य

"यह वार्षिक आम बैठक (एजीएम) एक विशेष बैठक है क्योंकि इस वर्ष हमारी कंपनी ने जुलाई 1986 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक 30 वर्ष का गौरवपूर्ण कार्यकाल पूरा किया है। आपकी कंपनी इन तीन दशकों में इस प्रकार आगे बढ़ी है कि इसे देश में एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में मान्यता मिली है, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।"

एम. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

देवियो और सज्जनो,

आपकी कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। यह वार्षिक आम बैठक (एजीएम) एक विशेष बैठक है क्योंकि इस वर्ष हमारी कंपनी ने जुलाई 1986 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक 30 वर्ष का गौरवपूर्ण कार्यकाल पूरा किया है।

आपकी कंपनी इन तीन दशकों में इस प्रकार आगे बढ़ी है कि इसे देश में एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में मान्यता मिली है, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। अन्य कीर्तिमानों के साथ–साथ आपकी कंपनी 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य (सभी संचित निधियों) के आधार पर देश में प्रचालनरत सबसे बड़ी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में उभरकर सामने आई है। आपकी कंपनी को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के सर्वे, 2016 के अनुसार देश में प्रचालनरत 298 सीपीएसई में पांचवें

सबसे अधिक लाभ कमाने वाले सीपीएसई का दर्जा भी दिया गया है।

आपकी कंपनी ने भारतीय विद्युत क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद भी बेहतर वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन जारी रखा है। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप सभी के साथ आज हमारी कुछ उपलब्धियों को साझा करूंगा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपकी कंपनी को भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित किए गए समझौता–ज्ञापन (एमओयू) लक्ष्यों की तुलना में आपकी कंपनी के निष्पादन के आधार पर भारत सरकार (जीओआई) द्वारा ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्रदान किए जाने की संभावना है।

अर्थव्यवस्था

भारत की प्रगति की गाथा यथावत बनी हुई है और भारत ने इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्ष 2013–14 में 6.6% और वर्ष 2014–15 में 7.2% की तुलना में वर्ष 2015–16 में अनुमानतः 7.6% की वृद्धि दर्ज की है। चौथी तिमाही के मजबूत आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में गति पकड़ रही है।

यद्यपि अपने विकास की प्रबल संभावना और सामर्थ्य की तुलना में कम वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक उदीयमान स्तंभ बना हुआ है। तथापि इसने सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के अपने टैग को बनाए रखा है और वर्ष 2015–16 की चौथी तिमाही में 7.9% की जीडीपी वृद्धि दर्शाई है, जो इसी अवधि के दौरान चीनी अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल की गई 6.8% की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है।

केंद्रीय बजट 2016–17 में घरेलू मांग को बढ़ावा देने और आर्थिक भरपाई में सहयोग करने के प्रयोजन से अवसंरचना क्षेत्र के लिए लगभग कुल ₹2.21 लाख करोड़ का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया। सेंट्रल बैंक ने जनवरी 2015 से 150 बीपीएस तक की कटौती कर अपने रेपो रेट को 6.5% तक घटा दिया है, जो पिछले पांच वर्षों की तुलना में सबसे कम स्तर है।

सरकार के राजकोष की स्थिति भी बेहतर है। भारत सरकार ने वर्ष 2015–16 में, (आरई चरण) पर 3.9% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त किया है और वर्ष 2016–17 में इसका लक्ष्य राजकोषीय घाटे को 3.5% तक नीचे लाना है। 15 जुलाई 2016 की स्थिति के अनुसार, 363 बिलियन डॉलर के साथ भारत के विदेशी विनिमय (फोरेक्स) की स्थिति भी काफी सहज है। चालू खाता घाटा भी वर्ष 2014–15 में 1.3% की तुलना में घटकर वर्ष 2015–16 में जीडीपी के 1.1% के समतुल्य हो गया है।

विद्युत क्षेत्र का परिदृश्य

भारतीय विद्युत क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों के दौरान लगभग 46500 मेगावाट की महत्वपूर्ण क्षमता अभिवृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय विद्युत क्षेत्र में वर्ष 2015–16 के दौरान 2.1% का अब तक का सबसे कम ऊर्जा घाटा देखा गया। कोयला आपूर्ति के परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और वर्ष 2014–15 में 6.9% की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान कोयला उत्पादन में 8.6% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यहां तक कि वर्ष के दौरान कोयले की कमी के कारण एक भी उत्पादन स्टेशन का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ। वर्ष 2016–17 में आर्थिक रिकवरी में गति आने के साथ–साथ विद्युत की मांग भी बढ़ने की उम्मीद है।

पारेषण क्षमता के क्षेत्र में, वर्ष के दौरान, लगभग 28114 सर्किट किलोमीटर पारेषण क्षमता जोड़ी गई। इसके अलावा वर्ष के दौरान लगभग ₹1 लाख करोड़ की परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गई। वर्ष के दौरान, 62,849 एमवीए पारेषण क्षमता भी बढ़ाई गई।

भारत सरकार ने सभी को 24 घंटे (24×7) विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु संगत राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से प्रयास शुरू किए हैं। सभी के लिए विद्युत (पीएफए) दस्तावेजों में प्रचालनात्मक दक्षता और सुधार संबंधी उपायों के साथ–साथ उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षमताओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। 25 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने पहले से ही पीएफए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और 3 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने पीएफए दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया है तथा दो राज्य इन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2019 तक 24×7 पीएफए का लक्ष्य रखा है।

भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी जोर दे रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पांच गुणा से अधिक की वृद्धि के लिए योजना बनाई है और 100 गीगावाट सौर क्षमता तथा 60 मेगावाट पवन क्षमता के साथ इसे 175 गीगावाट तक लाने का लक्ष्य रखा है। 20,000 मेगावाट की क्षमता के साथ 20 राज्यों में 33 सौर पार्कों की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक योजना में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए लगभग ₹10,000 करोड़ का योजनागत परिव्यय रखा गया है।

वितरण क्षेत्र में सुधार की दिशा में भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कायाकल्प के लिए नवंबर 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) शुरू की। यद्यपि यह योजना

स्वैच्छिक है, फिर भी 19 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने इसमें शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसमें से 13 राज्यों ने योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ पहले से ही समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब तक (अर्थात 11 जुलाई 2016 तक) लगभग ₹1.66 लाख करोड़ मूल्य के यूडीएवाई बॉण्ड जारी किए जा चुके हैं और इस वर्ष (अर्थात वित्तीय वर्ष 2016–17) में लगभग ₹50,000 करोड़ के और बॉण्ड जारी किए जाने की संभावना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों द्वारा 30 सितंबर 2015 को विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बकाया ऋण के 50% का अधिग्रहण करने के लिए मौजूदा समय–सीमा बढ़ाने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया है। यह समय–सीमा पहले निर्धारित की गई 31 मार्च 2016 की अवधि से एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।

सरकार ने 4 'ई' अर्थात सभी के लिए विद्युत, वहनीय टैरिफ सुनिश्चित करने के लिए दक्षता, संधारणीय भविष्य के लिए पर्यावरण, निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापार की सहूलियत और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए यूडीएवाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनवरी 2016 में राष्ट्रीय टैरिफ नीति में भी संशोधन किया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में स्मार्ट मीटर लगाना ''दिन का समय'' और नेट मीटरिंग, भारत भर में पारेषण लाइनों का निर्माण, 2022 तक सौर ऊर्जा से 8% का पीआरओ, नई कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की अनिवार्य बाध्यता, 2022 तक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से छूट के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के जरिए जल–विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धी बोली परियोजनाओं में घरेलू शुल्कों, उद्ग्रहणों, उपकरों और करों में किसी भी परिवर्तन के लिए छूट तथा बहु–राज्य बिक्री में टैरिफ निर्धारण प्राधिकारी को लेकर स्पष्ट निर्देश शामिल हैं।

₹1,41,317 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ वितरण क्षेत्र में सुधार को ध्यान में रखते हुए दो नई योजनाएं तैयार की गई और उन्हें अनुमोदित किया गया। ये योजनाएं हैं: शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), जिनका कार्यान्वयन भली–भांति चल रहा है। आईपीडीएस योजना के अंतर्गत उप–पारेषण और वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बेहतर उपभोक्ता सेवाओं आदि के लिए स्मार्ट मीटरिंग, टैंपर प्रूफ मीटरिंग, भूमिगत केबलिंग, जीआईएस सब–स्टेशन, आईटी कार्यान्वयन शामिल हैं। दूसरी ओर, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 18,452 गांवों के विद्युतीकरण, फीडरों के पृथक्करण, किसानों के लिए पर्याप्त विद्युत की उपलब्धता, ऑफग्रिड और माइक्रोग्रिड आदि के जरिए दूरस्थ गांवों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

मैं आशान्वित हूँ कि भारत सरकार के उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप आगे चलकर भारतीय विद्युत क्षेत्र का संधारणीय विकास सुनिश्चित होगा।

निष्पादन संबंधी विशेषताएं

विद्युत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बावजूद भी आपकी कंपनी ने बेहतर एवं सुदृढ़ प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन प्रदर्शित किया है। आपकी कंपनी ने राज्य, केंद्रीय, निजी और संयुक्त क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ₹65,042 करोड़ की राशि के ऋण स्वीकृत किए। इसी अवधि के दौरान ₹46,588 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया। इस प्रकार 31 मार्च 2016 की स्थिति के

श्री एम. के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी श्री एम. वेंकैया नायडू, माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री से 'इंडिया प्राइड पीएसयू अवॉर्ड 2015–16' प्राप्त करते हुए

अनुसार संचित रूप से ₹5,27,600 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई और ₹3,92,557 करोड़ की राशि संचित रूप से संवितरित की गई। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों का मूल्य ₹2,37,462 करोड़ रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि दर्ज की गई।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बेहतर वृद्धि दर्शाना जारी रखा। कुल राजस्व में 11% की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹24,862 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015–16 में ₹27,474 करोड़ हो गया है। कर पूर्व लाभ में 8% की वृद्धि हुई है और यह ₹8,378 करोड़ से बढ़कर ₹9,061 करोड़ हो गया है, जबकि कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 3% की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹5,959 करोड़ से बढ़कर ₹6,113 करोड़ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कंपनी के निवल मूल्य में भी 10% की वृद्धि हुई है और यह वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹29,245 करोड़ की तुलना में ₹32,046 करोड़ हो गया है।

श्री एम. के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी ''कॉर्पोरेट गवर्नेंस'' की श्रेणी में श्री टी. एन. आर. राव, पूर्व सचिव, पैट्रोलियम मंत्रालय तथा श्री भास्कर चैटर्जी, पूर्व सचिव, डीपीई, भारत सरकार से 'आईसीसी पीएसई एक्सीलेंस अवॉर्ड' प्राप्त करते हुए।

अन्य व्यापारिक उपलब्धियां

1. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)–पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा अब तक 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 54 ग्राहकों को 96 कार्यों के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पीएफसीसीएल की कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष 2014–15 में लगभग ₹37 करोड़ की तुलना में ₹60 करोड़ रही और वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पीएफसीसीएल द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹21.70 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में ₹37 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया गया।

2. पीएफसीग्रीनएनर्जीलिमिटेड (पीएफसीजीईएल)–पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी

पीएफसीजीईएल द्वारा क्रमशः ₹800 करोड़ और ₹275 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में लगभग ₹718 करोड़ की ऋण स्वीकृतियां और ₹275 करोड़ के संवितरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पीएफसीजीईएल ने आपकी कंपनी के साथ एक समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे और लक्ष्यों को प्राप्त किया था। इसके परिणामस्वरूप यह एमओयू के लक्ष्यों के तहत आवश्यक उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

3. पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिस लिमिटेड (पीएफसी सीएएसएल) – पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिस लिमिटेड (पीएफसी सीएएसएल) ने अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ पवन, ताप, विद्युत क्षेत्र और पारेषण क्षेत्र में ऋण सिंडिकेशन सेवाएं प्रदान कीं। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ऋण सिंडिकेशन सेवाओं से पीएफसी सीएएसएल की कुल आय ₹3.15 करोड़ और कर पश्चात् निवल लाभ ₹1.33 करोड़ और निवल लाभ ₹1.85 करोड़ रहा।

आपकी कंपनी ने विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से अनुरोध किया था कि पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिस लिमिटेड (पीएफसी सीएएसएल) का पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) के साथ विलय के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाए, जो अभी अनुमोदनाधीन है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं के लिए पीएफसी द्वारा सहायता

1. एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)

आईपीडीएस के अंतर्गत, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 तक 3,375 कस्बों के लिए संचित रूप से ₹23,016 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹19,748 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। आईपीडीएस के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कस्बों के लिए लाभार्थी विद्युत कंपनियों को आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹327 करोड़ की राशि संवितरित की है।

आर–एपीडीआरपी (आईपीडीएस में विलय के बाद)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 तक सभी पात्र 1,405 कस्बों की पार्ट–ए (आईटी) योजनाएं स्वीकृत कीं, 72 कस्बों के पार्ट–ए (एससीएडीए) योजनाएं स्वीकृत कीं और 1,239 कस्बों के लिए पार्ट–बी योजनाएं स्वीकृत कीं। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत संचित रूप से ₹38,514 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 1,222 कस्बों में इसके कार्यान्वयन की घोषणा कर दी गई है, जिसमें से 16 राज्यों ने अपने सभी कस्बों में इसके कार्यान्वयन की घोषणा की है। पात्र कस्बों में एटी एवं सी हानियों को 15% से नीचे लाने और वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और उसमें सुधार लाने के लिए संचित रूप से 1,217 कस्बों में कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है।

2. **अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी)**

आपकी कंपनी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास के लिए नोडल एजेंसी है। देश भर के विभिन्न स्थानों में ऐसी 16 यूएमपीपी की पहचान की गई है। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी द्वारा यूएमपीपी के विकास हेतु 19 विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) स्थापित किए गए हैं। वर्ष के दौरान, एक यूएमपीपी की स्थापना की गई अर्थात बिहार यूएमपीपी के लिए बिहार मेगा पावर लिमिटेड की स्थापना की गई। इसके अलावा तीन अवसंरचना एसपीवी अर्थात देवघर यूएमपीपी के लिए देवघर इंफ्रा लिमिटेड, बिहार यूएमपीपी के लिए बिहार इंफ्रा लिमिटेड, तिलैया यूएमपीपी के लिए झारखंड इंफ्रा लिमिटेड की स्थापना की गई। 19 एसपीवी में से 4 एसपीवी सफल बोलीदाताओं को पहले ही हस्तांतरित किए जा चुके हैं। आपकी कंपनी ने विशेषज्ञ समिति द्वारा मामला–2 (यूएमपीपी) के लिए मानक बोली दस्तावेजों (एसबीबी) की समीक्षा और उन्हें अंतिम रूप देने में सहयोग प्रदान किया है।

3. **स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपी)**

आपकी कंपनी स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में भी कार्य करती है। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, आईटीपी के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में 21 विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) की स्थापना की गई। इन 21 एसपीवी में से 12 एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा विद्युत मंत्रालय ने पीएफसीसीएल को टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के जरिए कार्यान्वित की जाने वाली 3 नई आईटीपी के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में नियुक्त किया है।

4. **इसके अलावा आपकी कंपनी ने निम्नलिखित के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है :**

(I) उपभोक्ताओं के लिए बिजली की 24×7 आपूर्ति के अंतर्गत पीएफए दस्तावेजों का विकास और उन्हें अंतिम रूप देना।

(II) यूडीएवाई तैयार करने और इसके कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने में सक्रिय सहयोग देना।

(III) विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की तृतीय और चतुर्थ वार्षिक एकीकृत रेटिंग जारी करना।

अन्य पहलें

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने सीएसआर कार्यकलापों के लिए ठीक पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के 2% की दर से लगभग ₹146 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है।

जिस समुदाय के बीच कंपनी अपना व्यावसायिक प्रचालन कर रही है, उसके एक रचनात्मक भागीदार के रूप में आपकी कंपनी भारतीय जिलों में माइक्रो सोलर पीवी प्लांटों की स्थापना कर स्वच्छ और विश्वसनीय विद्युत के प्रावधान और प्रायोजन सहायता के जरिए शिक्षा, कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, खेल–कूद, वनीकरण आदि जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर अपने निगमित सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ठोस कार्रवाई करती रही है।

आपकी कंपनी ने भारत सरकार के ''स्वच्छ भारत अभियान'' मिशन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में 9200 शौचालयों के निर्माण हेतु निधियां उपलब्ध कराई थीं। इसी प्रकार ''स्वच्छ विद्यालय अभियान'' के रूप में 2000 प्रतिभागियों के लिए सीआईपीईटी के जरिए समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के सुविधाविहीन/बेरोजगार युवाओं के लिए व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित करने हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

निगमित शासन

आपकी कंपनी का निगमित शासन संबंधी सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि सुशासन की अवधारणा सर्वोच्च स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही, सैद्धांतिक व्यापार प्रक्रियाओं, कानूनों के अक्षरशः अनुपालन, पर्याप्त प्रकटन, निगमित निष्पक्षता, सामाजिक जवाबदेही और प्रति संवेदनशीलता तथा संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के अनुपालन में निहित होती है, जिससे कि शेयरधारकों की अपेक्षाओं और सामाजिक सरोकारों को पूरा किया जा सके। आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, सूचीकरण करार और डीपीई के दिशा–निर्देशों में किए गए उल्लेखानुसार निगमित शासन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करती आ रही है और इसने अपने निगमित ढांचे, व्यापार संचालन और प्रकटन संबंधी प्रक्रियाओं के अनुरूप अपने निगमित शासन सिद्धांत का संरेखण किया है।

कार्यनीति

भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि का मिशन तैयार किया है और इसलिए सौर तथा गैर सौर ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं के लिए सरकार बहुत से प्रोत्साहनों का प्रस्ताव दे रही है। टैरिफ नीति में किए गए संशोधन में मार्च 2022 तक सौर ऊर्जा से 8% की नवीकरणीय क्रय बाध्यता और नई कोयला आधारित ताप–विद्युत परियोजनाओं का विकास करने वाले विकासकर्ताओं के लिए एक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बाध्यता शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार का ध्यान बढ़ने से इस क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षक अवसर पैदा हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग ₹6 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। आपकी कंपनी ने इस व्यापारिक अवसर की महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी अपनी व्यापारिक वृद्धि में तेजी लाने के प्रयोजन से बाजार में उपलब्ध ऋण के पुनर्वित्तपोषण संबंधी अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। आपकी कंपनी बोली प्रक्रिया के जरिए अधिनिर्णित निजी क्षेत्र की पारेषण परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उद्यमों (पीएसयू) द्वारा बनाए गए संयुक्त उद्यमों की पारेषण परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता देना चाहती है। आपकी कंपनी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) को भी भविष्य में अन्य अवसर के रूप में देखती है। जैसे ही प्रस्तावित यूएमपीपी की बोली प्रक्रिया पूरी हो जाती है, आपकी कंपनी इन बड़ी परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने की इच्छुक है।

संधारणीय वृद्धि के लिए जिन क्षेत्रों में आपकी कंपनी संभावनाएं तलाश रही हैं, उनमें नवीकरणीय ऊर्जा उपस्करों के विनिर्माताओं, उपस्करों के बकाया कल–पुर्जो के विनिर्माण, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं, विद्युत क्षेत्र के पश्चवर्ती संपर्क क्षेत्र जैसे एल एन जी टर्मिनलों की स्थापना, गैस पाइपिंग, समर्पित फ्रेट कोरिडोर, बंदरगाह आदि शामिल हैं। भारत सरकार विद्युत क्षेत्र में बहुत–सी इक्विटी निधियों की भी परिकल्पना कर रही है। आपकी कंपनी इन इक्विटी निधियों में भी निवेश के लिए अवसर तलाश करेगी।

श्री एम.के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी विद्युत क्षेत्र में पीएफसी के उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री पीयूष गोयल केंद्रीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से फेसिलिटेशन प्रमाण–पत्र एवं ट्रॉफी ग्रहण करते हुए ।

आपकी कंपनी भारतीय विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से भारत सरकार के विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रहेगी। आपकी कंपनी विद्युत क्षेत्र में भारत सरकार के ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले निधि आधारित और शुल्क आधारित, दोनों तरह के विविध व्यापारिक अवसरों का भी लाभ उठाएगी। इस प्रकार से आपकी कंपनी भारतीय विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से भारत सरकार के विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रहेगी।

स्वीकारोक्ति

इस अवसर पर मैं अपने सभी सम्मानित शेयरधारकों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे प्रति विश्वास प्रकट किया है। मैं तहेदिल से माननीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय के अधिकारी, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नीति आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी), सांविधिक लेखापरीक्षक, रजिस्ट्रार, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और केंद्र तथा राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा हमें दिए गए निरंतर सहयोग के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में हमारे भागीदारों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे भावी प्रयासों में भी लगातार अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

अंत में, मैं अपनी कंपनी के सभी कार्मिकों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूंगा और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिनके निरंतर और अथक प्रयासों के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता था।

एम.के. गोयल

(एम के गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 00239813

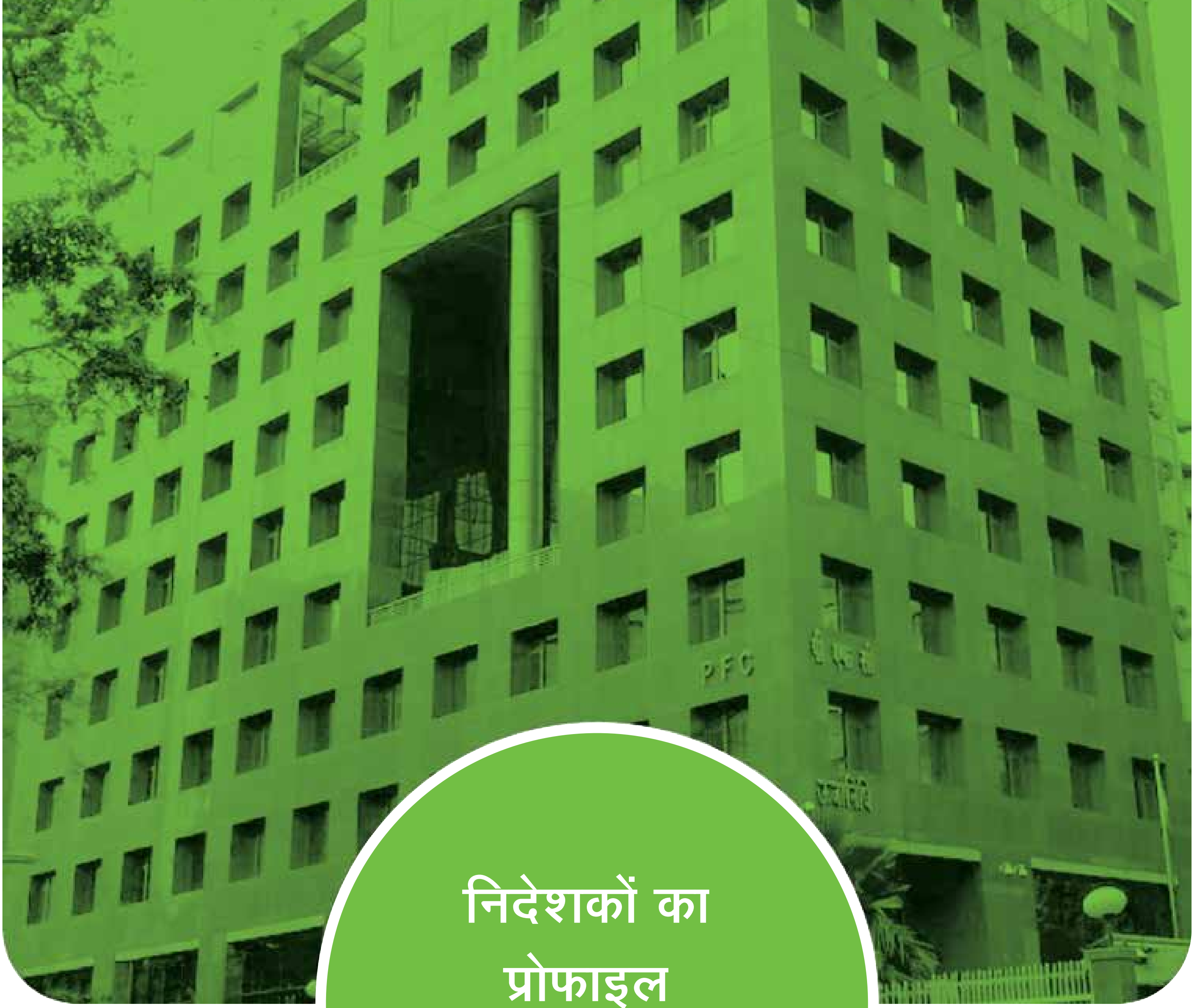

निदेशकों का प्रोफाइल

निदेशकों का प्रोफाइल

श्री एम. के. गोयल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन सं. 00239813

59 वर्षीय श्री मुकेश कुमार गोयल, पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। सीएमडी के रूप में वे कंपनी के प्रमुख हैं तथा कंपनी के सभी कार्यकलापों के लिए अपना कार्यनितिक मार्गदर्शन और दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

श्री गोयल कानपुर विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी में स्नातक हैं और विद्युत इंजीनियरी में उनकी विशेषज्ञता है। श्री गोयल को केंद्रीय क्षेत्र के अग्रणी सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसयू) में विद्युत के विविध क्षेत्रों का 36 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्हें विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण का 27 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है, जिसमें से 9 वर्ष का अनुभव बोर्ड स्तर पर कार्य करने का है। उनके पास पीएफसी में योगदान करने से पहले एनएचपीसी में विद्युत उत्पादन का भी करीब 9 वर्ष का अनुभव है।

उनके नेतृत्व में, पीएफसी ने बेहतर वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन के साथ लगातार व्यापार वृद्धि और लाभप्रदता दर्शायी है। इसके परिणामस्वरूप पीएफसी 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्यों के निवल आधार पर देश का सबसे बड़ा एनबीएफसी है तथा डीपीई के सर्वेक्षण के अनुसार पांचवां सबसे बड़ा लाभ कमाने वाला पीएसयू है। इन्होंने वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समझौता–ज्ञापन के सभी लक्ष्यों को हासिल किया है, जो पीएफसी को लगातार दूसरे साल उच्चतम समझौता–ज्ञापन स्कोर अर्थात 1.00 प्राप्त करने के लिए पात्र बनाता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए भी पीएफसी को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्रदान किए जाने की संभावना है। उन्होंने बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से पीएफसी में भारत सरकार द्वारा अपनी शेयर धारिता के 5% विनिवेश के लिए रोड शो का भी नेतृत्व किया, जिसे बाजार की अस्थिर स्थितियों के बावजूद भी अपार सफलता मिली और 2.34 से भी अधिक बार तक उसे सब्स्क्राइब किया गया।

वे भारत सरकार के विभिन्न विद्युत क्षेत्रों में सुधार की पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं जिसमें सभी के लिए 24×7 बिजली की आपूर्ति, डिस्कॉम की वार्षिक रेटिंग कार्रवाई, हाल ही में लांच कि गई एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, वे भारत सरकार की योजनाओं जैसे यूएमपीपी, आईटीपी तथा यूएमपीपी बोली दस्तावेजों का अवलोकन तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण में भी काफी सक्रिय रहे हैं।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार श्री एम. के. गोयल के पास कंपनी के 12389 इक्विटी शेयर थे।

श्री आर. नागराजन

निदेशक (वित्त)

डीआईएन सं. 00701892

59 वर्षीय श्री राधाकृष्णन नागराजन, वाणिज्य में स्नातक हैं और अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लागत लेखाकार और इंडियन एसोसिएशन ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य हैं। श्री नागराजन को आंध्रा बैंक और पीएफसी में विभिन्न पदों पर काम करते हुए तीन दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने 1995 में पीएफसी में कार्यभार ग्रहण किया था और जुलाई, 2009 में कंपनी के निदेशक बोर्ड में शामिल होने से पहले जनवरी, 2008 तक कार्यपालक निदेशक (वित्त) के पद पर कार्य कर रहे थे।

श्री नागराजन आरंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ), संसाधनों का दोहन, बैंकिंग, राजकोष, संवितरण, वसूली, आंतरिक लेखापरीक्षा, पावर एक्सचेंज, परिसंपत्ति देयता और जोखिम प्रबंधन, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, पीएसयू ईटीएफ, बिक्री के लिए ऑफर आदि से संबंधित विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलाप देखते रहे हैं। निदेशक (वित्त) के रूप में वे कंपनी के वित्त प्रभाग के सभी कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार हैं।

वे परियोजना निगरानी सोसाइटी के अध्यक्ष और विश्व ऊर्जा परिषद के कोषाध्यक्ष भी हैं।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार श्री नागराजन के पास कंपनी के 26869 इक्विटी शेयर थे।

श्री ए. के. अग्रवाल

निदेशक (परियोजना)

डीआईएन सं. 01987101

59 वर्षीय श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने एमएनआरईसी, इलाहाबाद से बी. ई. (इलेक्ट्रिकल) आनर्स की डिग्री प्राप्त की है। निदेशक (परियोजना) के रूप में वे राज्य और निजी क्षेत्र में वित्तीय प्रस्तावों के मूल्यांकन, मंजूरी और संवितरण के लिए जिम्मेदार हैं। वे नवीकरणीय ऊर्जा, इंधन स्रोत विकास और उपस्कर विनिर्माण के क्षेत्र में नए व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने और पीएफसी के मौजूदा कारोबार को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

श्री अग्रवाल ने बीएचईएल और पीएफसी में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए विद्युत क्षेत्र में 37 वर्षों से भी अधिक समय तक कार्य किया है। बीएचईएल में वे उत्तर भारत में विभिन्न परियोजना स्थलों पर थर्मल पावर प्लांटों की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। श्री अग्रवाल पीएफसी में विभिन्न पदों पर लगभग 24 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं और वे परियोजना मूल्यांकन, संस्था मूल्यांकन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निधियन, संस्वीकृति और संवितरण लक्ष्यों के निर्धारण और उनकी उपलब्धि के क्षेत्र में उनके समन्वय संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वे नामिती निदेशक के रूप में पीटीसी के बोर्ड में भी शामिल हैं।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार श्री अग्रवाल के पास कंपनी के 25859 इक्विटी शेयर थे।

श्री डी. रवि

निदेशक (वाणिज्यिक)

डीआईएन सं. 00038452

58 वर्षीय श्री डी. रवि व्यापार प्रबंधन में डिप्लोमा के साथ बी. ई. (इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग) हैं। निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में, वे पीएफसी के वाणिज्यिक विभाग के लिए उत्तरदायी हैं।

श्री डी. रवि ने पीएफसी में 1993 में अपनी सेवाएं प्रारंभ कीं। इससे पहले वे लगभग 13 वर्ष तक एनएचपीसी में कार्यरत थे। पीएफसी में उन्होंने उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के परियोजना मूल्यांकन संबंधी कार्य संभाला हुआ था। उन्होंने कॉर्पोरेशन के परियोजना प्रभाग के लिए आईएसओ प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी स्वीकार की। इसके अलावा, उन्होंने विद्युत मंत्रालय के साथ राज्य क्षेत्र की वितरण कंपनियों की एकीकृत रेटिंग के समन्वय संबंधी कार्य भी किए हैं।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार श्री डी. रवि के पास कंपनी के 1000 इक्विटी शेयर थे।

डॉ. अरुण कुमार वर्मा

सरकारी नामिती निदेशक

डीआईएन सं. 02190047

57 वर्षीय डॉ. अरुण कुमार वर्मा वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वितरण) के पद पर कार्यरत हैं। वे गुजरात कैडर के भारतीय वन सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। उनके पास आदिवासी विकास नीति में डॉक्टरेट की डिग्री, भौतिकी और वानिकी में विज्ञान की परास्नातक डिग्री और आईआईएम बैंगलोर से लोक नीति एवं प्रबंधन में परास्नातक डिप्लोमा है।

इसके अलावा उन्हें लोक प्रशासन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, ऊर्जा प्रबंधन, सुदूर संवेदन, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन आदि के विभिन्न क्षेत्रों में ख्यातिलब्ध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से प्रशिक्षण दिया गया है। डॉ. वर्मा को 30 वर्ष से अधिक अवधि का सुदीर्घ अनुभव है। उनके विशिष्ट कार्यक्षेत्रों और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र, आदिवासी प्रबंधन, पर्यावरण और वन प्रबंधन आदि शामिल हैं। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें ''राष्ट्रीय गौरव'' पुरस्कार प्रदान किया गया है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार डॉ. अरुण कुमार वर्मा के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

श्री योगेश चंद गर्ग

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन सं. 01768635

52 वर्षीय श्री योगेश चंद गर्ग वाणिज्य में स्नातक (ऑनर्स) हैं और उन्होंने विधि में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं। 29 वर्ष के अपने व्यवसायिक कार्यकाल में उन्होंने लेखापरीक्षा, वित्त, आयकर, सेवा कर और अन्य वित्तीय विधियों से जुड़े मामलों में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सोसाइटियों और व्यापार स्थापना के अन्य फोरमों को परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं।

श्री गर्ग आईसीएआई के सीआईआरसी की गाजियाबाद शाखा के कार्यपालक सदस्य थे और उन्होंने टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वे परामर्शदाता, सलाहकार, लेखापरीक्षक और कार्यपालक समितियों के सदस्य के रूप में बहुत सी धर्मार्थ सोसाइटियों, गैर–सरकारी संगठनों से भी जुड़े हैं।

श्री गर्ग ने विभिन्न व्यावसायिक चर्चाओं में भाग लिया और व्यवसायिक कौशल तथा ज्ञान के विकास के लिए आयोजित सम्मेलनों और सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा योगदान दिया।

श्री गर्ग को वित्तीय और परामर्श सेवा क्षेत्र का बेहतर और व्यापक अनुभव प्राप्त है तथा उन्होंने अच्छी निगमित शासन प्रक्रियाओं पर भी काम किया है। इस प्रकार वे निदेशक मंडल की चर्चाओं को ज्ञानवर्धक बनाते हैं। वे लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, शेयरधारक/निवेशकों की शिकायत समिति और मानव संसाधन समिति के अध्यक्ष और जोखिम प्रबंधन समिति तथा केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के आईपीओ में निवेश के लिए निदेशकों की समिति के सदस्य हैं।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार श्री योगेश चन्द गर्ग के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2015–2016

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस निगम लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के कार्य–निष्पादन पर 30वीं रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक रिपोर्ट, सचिवालय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

1.0 वित्तीय और प्रचालनात्मक विशेषताएं

(क) लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015.16	2014.15
कर पूर्व लाभ	9060.66	8378.23
घटाएं : आयकर हेतु प्रावधान (चालू वर्ष)	2822.26	2502.42
घटाएं : आयकर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्ष)	12.11	0.46
घटाएं : आस्थगित कर देयता	112.81	(83.98)
कर पश्चात लाभ	**6113.48**	**5959.33**
आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viiक) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु आरक्षित निधि	429.21	387.49
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष रूप से सृजित और अनुरक्षित निधि	2004.16	1850.10
डिबेंचर मोचन हेतु संचित कोष	316.27	310.20
अंतरिम लाभांश	1755.66	1122.04
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	79.20	79.20
अंतरिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	356.74	224.10
अंतिम लाभांश पर प्रस्तावित निगमित लाभांश कर	16.12	16.12
संचित कोष में स्थानांतरित	1101.00	596.00
तुलन–पत्र में अग्रेनीत शेष	55.12	1374.08

(ख) लैंडिंग ऑपरेशन (आरएपीडीआरपी/आईपीडीएस को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015.16	2014.15
संस्वीकृति	65042	60784
संवितरण	46588	44691

(ग) एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) प्रचालन (आर–एपीडीआरपी योजना में समाहित)

1. आर–एपीडीआरपी

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणकर्ताओं द्वारा प्राप्त रकम तथा भारत सरकार को देय		आर–एपीडीआरपी अनुदान		भारत सरकार को देय रकम (आवधि जमा पर अर्जित ब्याज)	
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान
आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार का ऋण						
प्रारंभिक शेष	7687.84	7315.85	–	–	–	–
अवधि के दौरान परिवर्धन	667.82	578.47	667.82	578.47	–	–
अवधि के दौरान वसूली/रिफंड/परिवर्तन	(125.21)	(206.48)	(667.82)	(578.47)	–	–
अंतिम शेष	**8230.45**	**7687.84**	–	–	–	–

2. आईपीडीएस

(₹ करोड़ में)

विवरण	पात्र कंपनियों को दिए गए भारत सरकार के अनुदान की राशि		आईपीडीएस अनुदान		भारत सरकार को देय रकम (आवधि जमा पर अर्जित ब्याज)	
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान
प्रारंभिक शेष	–	–	50.00	–	0.01	–
अवधि के दौरान परिवर्धन	358.70	–	308.70	50.00	2.14	0.01
अवधि के दौरान वसूली/रिफंड/परिवर्तन	–	–	358.70	–	(2.15)	–
अंतिम शेष	**358.70**	**–**	**–**	**50.00**	**–**	**0.01**

सुश्री उमा भारती, माननीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्री एवं डॉ. रामप्रताप, माननीय जल संसाधन मंत्री, राजस्थान सरकार ''बेस्ट पावर फाइनेंसिग कंपनी'' की श्रेणी में पीएफसी को ''सीबीआईपी अवॉर्ड 2016'' देते हुए। यह अवार्ड श्री आर. नागराजन, निदेशक (वित्त) पीएफसी एवं श्री डी. रवि, निदेशक (वाणिज्यिक) पीएफसी ने ग्रहण किया।

2.0 वित्तीय निष्पादन

2.1 राजस्व

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा ऐतिहासिक रूप से हासिल की गई कुल आय ₹27,564.31 करोड़ है जो गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में कमाए गए ₹24,907.85 करोड़ की तुलना में 10.67% अधिक है। इस वर्ष प्रचालन आय ₹24,862.37 करोड़ से बढ़कर ₹27,473.65 करोड़ हो गई है जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.50% अधिक है।

2.2 व्यय

पिछले वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान ₹16,529.62 करोड़ के व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल व्यय ₹ 18,503.65 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बॉण्ड जारी करने में किए गए व्यय सहित वित्तीय प्रभार पिछले वर्ष 2014–15 में ₹ 15,470.63 करोड़ की तुलना में ₹16,507.25 करोड़ रहा। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 में 93.59% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में 89.21% हो गया है। कार्मिक लाभ और अन्य प्रशासनिक व्यय कुल व्यय का क्रमशः 0.49% तथा 0.27% रहा जो पिछले वर्ष 0.52% तथा 0.0.05% थे।

2.3 लाभ

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹5,959.33 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में ₹6,113.48 करोड़ का सर्वाधिक निवल लाभ अर्जित किया है। इस प्रकार इसमें 2.59% की वृद्धि दर्ज की गई।

2.4 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 1,320.04 करोड़ थी। इसमें ₹ 10 के अंकित मूल्य वाले 1,32,00,40,704 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिसमें से भारत सरकार के पास 67.80% प्रदत्त शेयर पूंजी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तथापि भारत सरकार (जीओआई) ने बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) मार्ग के जरिए कंपनी में अपनी 5% शेयरधारिता को ऑफलोड किया।

श्री एम. के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी निदेशकों एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को अंतिम लाभांश चैक प्रस्तुत करते हुए।

2.5 लाभांश

आपके निदेशकों ने चुकाए जाने वाले ₹1,320.04 करोड के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर ₹13.30 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश (प्रथम एवं द्वितीय) के अलावा ₹ 0.60 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कुल लाभांश गत वर्ष ₹9.10 प्रति इक्विटी शेयर की तुलना में इस वर्ष ₹13.90 प्रति इक्विटी शेयर है। अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश की राशि ₹1,834.86 करोड़ हो गई जो कर पश्चात लाभ का 30.01% है तथा पिछले वर्ष लाभांश की राशि ₹1201.24 करोड़ थी जो कर पश्चात लाभ का 20.16% था।

श्री आर. नागराजन, निदेशक (वित्त) एवं श्री डी. रवि, निदेशक (वाणिज्यिक) ''प्रचालन निष्पादन उत्कृष्टता'' की श्रेणी में श्री टी. एन. आर. राव, पूर्व सचिव, पैट्रोलियम मंत्रालय, श्री भास्कर चैटर्जी, पूर्व सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार एवं आदित्य अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय वाणिज्यिक प्रकोष्ठ से 'आईसीसी पीएसई उत्कृष्ट अवॉर्ड ग्रहण करते हुए।

3.0 प्रचालनात्मक निष्पादन

आपकी कंपनी ने राज्य, केंद्र निजी तथा संयुक्त क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 65,042 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है। जिसमें ₹46,588 करोड़ की राशि उसी अवधि में संवितरित कर दी गई! इसके साथ 31 मार्च, 2016 को संचित रूप से मंजूर की गई कुल राशि ₹5,27,600 करोड़ हैं, तथा ₹3,92,557 करोड़ की राशि संवितरित की गई।

उपर्युक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, आईपीडीएस योजना (आर–एपीडीआरपी योजना इसमें समाहित) के अंतर्गत ₹19,747 करोड़ की राशि मंजूर की गई जिसमें ₹995 करोड़ उसी अवधि में संवितरित कर दिए गए।

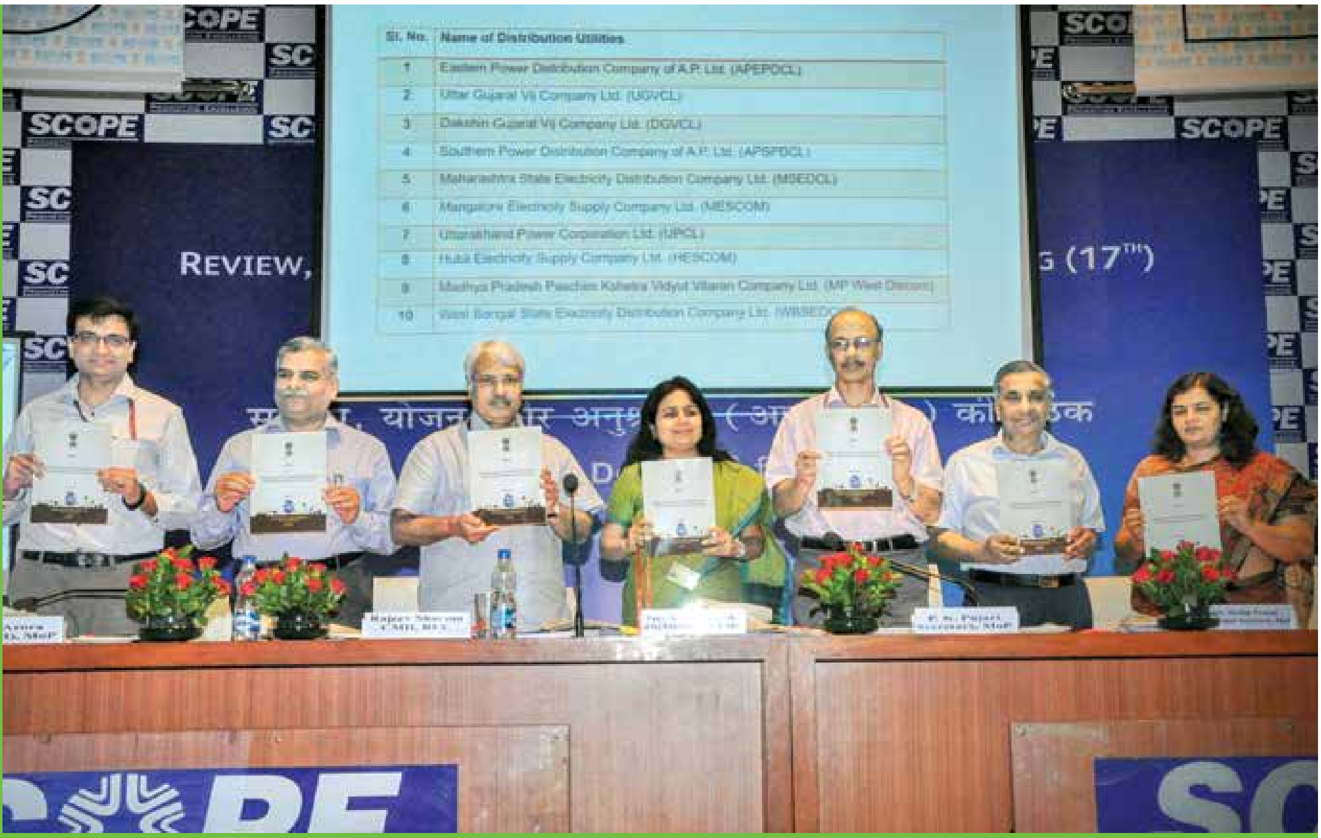

श्री पी. के. पुजारी, सचिव (विद्युत) ने 11 जुलाई, 2016 को विद्युत संवितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ आयोजित समीक्षा योजना एवं निगरानी बैठक के दौरान पांच सालों (वित्तीय वर्ष 2010 से वित्तीय वर्ष 2014 तक) में एटी एवं सी हानियां कम करने वाले 10 चयनित डिस्कॉमों के प्रचालनगत अध्ययन की रिपोर्ट प्रकाशित की। यह अध्ययन विद्युत मंत्रालय की ओर से पीएफसी द्वारा किया गया।

3.1 वित्तीय सहायता (आर–एपीडीआरपी/आईपीडीएस को छोड़कर)

3.1.1 क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2015–16		मार्च, 2016 तक संचित राशि	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
राज्य क्षेत्र	45794	32354	367532	282059
केंद्रीय क्षेत्र	6179	4660	43108	37394
निजी क्षेत्र	8403	6920	88922	53485
संयुक्त क्षेत्र	4665	2653	28038	19618
जोड़	**65042**	**46588**	**527600**	**392557**

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 2×260 मेगावाट छाबड़ा सुपर क्रिटिकल टीपीपी

3.1.2 विषय–वार

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2015–16		मार्च, 2016 तक संचित राशि	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
ताप–विद्युत उत्पादन	32397	22690	272185	202079
जल–विद्युत उत्पादन	2335	1708	49152	32731
पावन एवं सौर, बायोगैस और बायोमास	1782	1168	5534	3831
ताप–विद्युत केंद्रों और जल विद्युत–परियोजनाओं का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	1721	810	13712	9729
पारेषण	6050	2160	49455	28408
संवितरण	4513	1546	27298	16489
अल्पावधि ऋण	4206	4102	48742	48162
परिवर्ती वित्त	11064	10535	45532	42032
अन्य*	974	1868	15989	9096
जोड़	65042	46588	527600	392557

*अन्य में, नियामक परिसंपत्तियों का निधियन, क्रेताओं की ऋण सीमा, उपस्कर विनिर्माण ऋण, ईधन संसाधन विकास, बॉण्डों के मोचन (रिडेंपशन) के लिए ऋण, कम्प्यूटराइजेशन, परियोजना समाधान, पीएक्सआई के जरिए विद्युत क्रय, प्राप्त होने वाली धनराशियों के सापेक्ष ऋण, अध्ययन, बिल में छूट, अध्ययन, पूर्व–निवेश निधि, विकेंद्रीकृत प्रबंध, तकनीकी सहायता परियोजना आदि शामिल हैं।

3.2 आईपीडीएस के अंतर्गत वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2015–16		मार्च, 2016 तक संचित राशि	
	संस्वीकृत परियोजना लागत	संवितरण (दावे भेजे गए)	संस्वीकृत परियोजना लागत	संवितरण (दावे भेजे गए)
आर–एपीडीआरपी				
भाग क (आईटी)	–62	111	5410	2793
भाग क (स्काडा)	0	26	1556	461
भाग ख	–667	531	31548	5352
जोड़	**–729***	**668**	**38514**	**8606**
आईपीडीएस				
आईपीडीएस	19747	327	23016	327
जोड़	**19018**	**995**	**61530**	**8933**

*2015–16 में हुई नकारात्मक स्वीकृति ऋणों का रद्दीकरण दर्शाती है।

जून 2016 को श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 16 गोवा में विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान अर्बन ज्योति अभियान (ऊर्जा) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पारसेकर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री उपेंद्र त्रिपाठी और पीएफसी से सुश्री राधिका झा, कार्यपालक निदेशक (आईपीडीएस) भी समारोह में उपस्थित थे।

4.0 वसूली

आपकी कंपनी अपने मूलधन, ब्याज आदि की बकाया राशि की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। रुपए सावधि ऋणों के अंतर्गत मूलधन, ब्याज आदि, बिल डिस्काउंटिंग, कार्यशील पूंजी, लीज फाइनेंस, विदेशी मुद्रा ऋणों, उपस्कर वित्त पोषण एवं गारंटी फीस की इस वर्ष वसूल की जाने वाली ₹54,864.56 करोड़ की राशि में से वास्तविक रूप से ₹51,847.74 करोड़ की राशि वसूल की गई, जो 94.50% (पिछले वर्ष 96.14%) की समग्र वसूली दर है।

कंपनी ने लागू प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार वर्ष के दौरान गैर–निष्पादक ऋण परिसंपत्तियों में ₹ 984.63 करोड़ की वृद्धि की गई है। कंपनी ने वर्ष 2015–16 तक अपने वार्षिक लेखाओं में ऋण परिसंपत्तियों की तुलना में गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए ₹ 1458.09 करोड़ की कुल राशि का प्रावधान किया है। एनपीए के लिए प्रावधान करने के पश्चात निवल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) का स्तर ₹ 6061.17 करोड़ रिकॉर्ड किया गया है जो 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों का 2.55% है।

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को मानक परिसंपत्तियों तथा बकाया मानक परिसंपत्तियों के लिए क्रमशः ₹ 597.41 करोड़ तथा ₹1129.20 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे बफर प्रावधान उपलब्ध कराकर पीएफसी का तुलन–पत्र सुदृढ़ होगा और आपकी कंपनी में निवेशकों, नियामकों और अन्य शेयरधारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा।

5.0 पुनर्गठित ऋण

वर्ष 2015–16 के दौरान पुनर्गठित ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़ में)

विवरण		वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2014–15
पुनर्गठित मानक ऋण	ऋणकर्ताओं की संख्या	5	6
	बकाया राशि	14192.68	7082.71
पुनर्गठित उप मानक ऋण	ऋणकर्ताओं की संख्या	–	1
	बकाया राशि	–	386.23
पुनर्गठित संदिग्ध ऋण	ऋणकर्ताओं की संख्या	–	–
	बकाया राशि	–	–
जोड़	**ऋणकर्ताओं की संख्या**	**5**	**7**
	बकाया राशि	**14192.68**	**7468.94**

6.0 ऋण

आपकी कंपनी एक गैर–जमाकर्ता एनबीएफसी है और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, इसने कोई भी सार्वजनिक राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

6.1 घरेलू बाजार से ऋण

घरेलू बाजार से मुख्य ऋण निम्नलिखित हैं : (₹ करोड़ में)

क. सं.	स्रोत	राशि
1.	वाणिज्यिक कागजात	24677.68
2.	बॉण्डस – निजी स्थानन (टैक्स योग्य)	23287.00
3.	बॉण्डस – निजी स्थानन (टैक्स रहित)	300.00
4.	आवधिक ऋण	12650.75
	जोड़	**60915.43**

कंपनी कंपनी ने 6 सीरीज अर्थात 1ए, 1बी, 2ए, 2बी, 3ए और 3बी के रूप में कर मुक्त बॉण्ड ट्रेंच–1 के पब्लिक इश्यू द्वारा ₹ 700 करोड़ के संसाधन जुटाए हैं, जिनके लिए क्रमश: 10 वर्ष की अवधि में 7.11%, 10 वर्ष की अवधि में 7.36%, 15 वर्ष की अवधि में 7.27%, 15 वर्ष की अवधि में 7.52%, 20 वर्ष की अवधि में 7.35%, 20 वर्ष की अवधि में 7.60% की ब्याज दर निर्धारित की गई है। बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध कर मुक्त बॉण्डों के उपर्युक्त पब्लिक इश्यू के आबंटन की तारीख 17 अक्टूबर, 2015 थी। उपर्युक्त पब्लिक इश्यू से जुटाई गई निधियों का सदुपयोग इश्यू के उद्देश्यों के अनुसार किया गया।

6.2 बाह्य ऋण

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, आपकी कंपनी ने सिंडिकेटिड ऋण के जरिए 360 मिलियन यूएस डॉलर का बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) जुटाया है, इसके विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़)	आहरण की तारीख	अवधि	परिपक्वता की तारीख	फिक्स्ड / फ्लोटिंग
1	120 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर 14,556 जेपीवाई का सिंडिकेटिड ऋण (एसएलएन XVIII)	786.14	06 नवंबर, 2015	5 वर्ष	06 नवंबर, 2020	फ्लोटिंग
2	120 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर 14,556 जेपीवाई का सिंडिकेटिड ऋण (एसएलएन XVIII)	786.14	06 नवंबर, 2015	6 वर्ष	08 नवंबर, 2021	फ्लोटिंग
3	120 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर 14,556 जेपीवाई का सिंडिकेटिड ऋण (एसएलएन XVIII)	786.14	06 नवंबर, 2015	7 वर्ष	04 नवंबर, 2022	फ्लोटिंग

6.3 नकदी क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट सुविधाएं

अपने दिन प्रतिदिन के प्रचालनों के लिए आपकी कंपनी ने निधि आधारित संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग के लिए आपकी कंपनी ने विवेकपूर्ण कार्यनीतियों का अनुपालन जारी रखा। किसी भी वित्तीय तरलता को हैज करने के लिए या उस कठिनाई को दूर करने के लिए अल्पकालिक निधियन हेतु विभिन्न अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ 31 मार्च, 2016 को ₹ 9720 करोड़ तक की बड़ी क्रेडिट लाइनें बनाए रखी गई, जिसके लिए सदुपयोग की सीमाओं के मद में कोई प्रतिबद्धता प्रभार लागू नहीं होता है।

7.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय का विवरण

7.1 ऊर्जा संरक्षण/ प्रौद्योगिकी आमेलन

चूंकि आपकी कंपनी के पास अपनी कोई विनिर्माणकारी सुविधा नहीं हैं इसलिए ऊर्जा संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी आमेलन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है।

7.2 विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, ₹ 262.29 करोड़ की विदेशी विनिमय व्यय ऋण सेवाओं, वित्तीय एवं अन्य शुल्कों तथा प्रशिक्षण खर्चों हेतु किया गया। वित्त वर्ष 2015–16 के लिए विदेशी विनिमय उपार्जन शून्य था।

8.0 क्रेडिट रेटिंग

अंतरराष्ट्रीय

31.03.2016 के दौरान कंपनी को दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग प्रदान की गई, जो निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
1.	फिच रेटिंग	बीबीबी–	स्थायी
2.	स्टैंडर्ड एंड पुअर (एस एंड पी)	बीबीबी–	स्थायी
3.	मूडीज़	बीएए–3	सकारात्मक (अप्रैल 2015 में आउटलुक स्थायी से सकारात्मक में परिवर्तित हो गया)

घरेलू

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा सुपुर्द किया गया तथा रेटिंग का माइग्रेशन निम्नलिखित हैं:–

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	इकरा	इकरा एएए	इकरा ए1+
3.	केयर	केयर एएए	केयर ए1+

वर्ष के दौरान कोई भी रेटिंग माइग्रेशन नहीं हुआ।

आरआरवीयूएनएल का 2×660 मेगावाट सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल टीपीपी

9.0 जोखिम प्रबंधन

9.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और निदेशक वित्त की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) गठित की गई है। एएलसीओ तरलता और ब्याज दर से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है और एएलसीओ की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर नजर रखती है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचा (फ्रेमवर्क) में परिसंपत्ति प्राप्ति और ऋण संबंधी सेवा बाध्यताओं के दीर्घकालिक तरलता प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। ऐसा विश्लेषण आगामी 10 वर्षों के लिए वार्षिक बकेट में हर माह किया जाता है और इसका प्रयोग समय, मात्रा और ऋण प्रोफाइल की परिपक्वता, नई परिसंपत्तियों का सृजन और समयावधि (अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक) के संदर्भ में परिसंपत्तियों और देयताएं के मिश्रण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए किया जाता है जहां एक ओर तरलता जोखिम की निगरानी तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से की जा रही है, वहीं दूसरी ओर ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता संबंधी अंतराल विवरण के विश्लेषण, ब्याज दर के परिवर्तन पर जोखिम से अर्जन (ईएआर) के मूल्यांकन और निर्धारित तथा फ्लोटिंग ब्याज दरों के मिश्रण से परिसंपत्तियों और देयताएं का सृजन कर किया जा रहा है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों व देयताएं की कुछ मदों का परिपक्वता प्रोफाइल नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित तुलन–पत्र पर आधारित परिसंपत्तियों व देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न							
विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2020–21 के बाद	जोड़
अग्रिम (रुपए ऋण परिसंपत्तियां)	34,052	17,506	18,905	19,472	21,789	1,26,897	**2,38,621**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	35	5	0	0	144	116	**300**
निवेश (निवल प्रावधान)	411	0	0	0	0	2,266	**2,677**
विदेशी मुद्रा देयताएं	2,078	1,223	21	1,690	2,892	2,872	**10,776**
ऋण (रुपए देयताएं)	34,206	28,704	26,997	21,601	14,712	63,859	**1,90,079**

9.2 विदेश मुद्रा जोखिम प्रबंध

आपकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा ऋणों से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति बनाई है। कंपनी ने मुद्रा वायदा, विकल्प, मुख्य विनिमय (स्वाप), ब्याज दर स्वाप और वायदा दर करारों जैसे विभिन्न लिखतों के माध्यम से मुद्रा विनिमय के लिए विनिमय दर एवं ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए कई संव्यवहार किए हैं।

31 मार्च, 2016, को कुल विदेशी मुद्रा देयताएं 1021 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 61,102 मिलियन जापानी येन और 17 मिलियन यूरो की हैं। समग्र आधार पर मुद्रा विनिमय दर जोखिम को संव्यवहार लिखतों के माध्यम से और विदेशी मुद्रा में ऋण देकर क्रमशः 5% की सीमा तक प्रतिभूत किया गया है।

उत्तराखंड में अलकनंदा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 330 मेगावाट श्रीनगर एचईपी का एक दृश्य

9.3 एकीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन प्रभावशाली ढंग से सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। इस संबंध में आपकी कंपनी ने विभिन्न जोखिमों की निगरानी करने, विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों और पद्धतियों की जांच करने और प्रचालनों के दौरान होने वाले जोखिमों के नियंत्रण के उपाय करने के लिए निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया था। इसकी सुविधा के लिए कंपनी ने एकीकृत उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति (आईआरएम नीति) बनाई है।

कंपनी ने ऐसे 21 जोखिमों (8 मात्रा निर्धारणीय जोखिम और 13 मात्रा अनिर्धारणीय जोखिम) का अभिनिर्धारण किया है जिससे कंपनी की लाभप्रदता/कारोबार प्रभावित हो सकता है। आईआरएम नीति को कार्यान्वित करने के लिए निदेशकों की जोखिम प्रबंध समिति ने जोखिम प्रबंध अनुपालन समिति का गठन किया और पहचान किए गए जोखिमों की मॉनीटरिंग के लिए एक पृथक सीआरएम (पूर्ववर्ती सीआरए यूनिट) गठित की। सीआरएम यूनिट समय–समय पर पहचान किए गए जोखिमों की लगातार निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि जोखिमों का उन्मूलन समय पर किया जाता है।

10.0 अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी) और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपी)

10.1 यूएमपीपी

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपकी कंपनी को लगभग 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के विकास हेतु 'नोडल एजेंसी' के रूप में नामित किया गया है। ऐसी सोलह अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की पहचान की गई है जिन्हें मध्य प्रदेश (सासन), गुजरात (मुंद्रा), आंध्र प्रदेश (कृष्णापट्टनम), झारखंड (तिलैया), छत्तीसगढ़ (सर्गुजा), कर्नाटक, महाराष्ट्र (मुंगे), तमिलनाडु (चेय्यूर), उड़ीसा (सुंदरगढ़), बिहार (बांका), उत्तर प्रदेश, ओडिशा में दो अतिरिक्त यूएमपीपी और दो यूएमपीपी तमिलनाडु, गुजरात और झारखंड (देवघर) में यूएमपीपी के रूप में स्थापित किया जाना है।

यूएमपीपी एक सुविधा प्रदाता के रुप में विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर इन यूएमपीपी के विकास हेतु भारत सरकार की एक पहल है जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) इस पहल का एक तकनीकी भागीदार है। 31 मार्च 2016 तक आपकी कंपनी द्वारा 19 विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) की स्थापना की गई है, जिसमें से 14 एसपीवी का उपयोग इन परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु आरंभिक स्थल निरीक्षण संबंधी आवश्यक कार्य के लिए किया गया। इन एसपीवी को कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए टैरिफ आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को हस्तांतरित किया जाएगा। पीएफसी के द्वारा दो अतिरिक्त एसपीवी चेय्यूर यूएमपीपी के लिए जमीन के लिए तथा उड़ीसा यूएमपीपी के कोल ब्लॉक के लिए स्थापित किया गया है। इन परियोजनाओं से विद्युत के खरीदारों को इन एसपीवी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा ।

वर्ष के दौरान, पीएफसी ने 09 जुलाई, 2015 को बिहार यूएमपीपी के लिए बिहार मेगा पावर लिमिटेड के नाम से एक प्रचालित एसपीवी को सम्मिलित किया। इसके अलावा, तीन इंफ्रा एसपीवी जिनमें देवघर यूएमपीपी के लिए देवघर इंफ्रा लिमिटेड, बिहार यूएमपीपी के लिए बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड जिसे 30 जून, 2015 को सम्मिलित किया गया तथा तिलैया यूएमपीपी के लिए झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड जिसे 10 दिसंबर, 2015 को सम्मिलित किया गया।

नीचे दर्शाए अनुसार इन 19 (उन्नीस) एसपीवी में से 4 (चार) सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं:

क्र. सं.	एसपीवी का नाम	सफल बोलीदाता	हस्तांतरण की तारीख
1	कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड	द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	22 अप्रैल 2007
2	सासन पावर लिमिटेड	रिलायंस पावर लिमिटेड	7 अगस्त 2007
3	कोस्टल आंध्रा पावर लिमिटेड	रिलायंस पावर लिमिटेड	29 जनवरी 2008
4	झारखंड इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड*	रिलायंस पावर लिमिटेड	7 अगस्त 2009

*रिलायंस पावर लिमिटेड/झारखंड इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल) ने 28 अप्रैल, 2015 को विद्युत क्रय करार (पीपीए) का बर्खास्तगी नोटिस जारी किया है। खरीदारों ने बर्खास्तगी को स्वीकार कर लिया है जिसके बाद जेआईपीएल को पीएफसी के द्वारा पुनर्बोली के लिए स्वीकार किया जाएगा।

10.2 आईटीपी

विद्युत मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की सहभागिता से पारेषण प्रणाली के विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु भी टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया शुरु की है।

इस पहल का उद्देश्य भारत में पारेषण क्षमता का विकास और आरंभिक सर्वेक्षण कार्य, मार्ग की पहचान, सर्वेक्षण रिपोर्ट की तैयारी, सब–स्टेशनों, यदि कोई हैं, के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करने, वन स्वीकृति, यदि आवश्यक है, प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने और बोली प्रक्रिया संचालित आदि करने के लिए आरंभिक कार्य पूर्ण होने पर ऐसी परियोजनाओं के विकास के पश्चात संभावित निवेशकों की तलाश करना है।

मार्च 2016 तक स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए अब तक 21 (इक्कीस) विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) की स्थापना की गई है। इसमें से 2 पीएफसी द्वारा और अन्य 19 (उन्नीस) पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी द्वारा स्थापित किए गए हैं। इन 21 एसपीवी में से बोकारो–कोडर्मा मैथोन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का दिसंबर 2010 में परिसमापन कर दिया गया तथा 12 (बारह) एसपीवी 31 मार्च, 2016 तक सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रकिया के द्वारा शामिल की जाने वाली तीन नई स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में नियुक्त किया है। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने इन परियोजनाओं तथा शुरुआती बोली प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार तीन एसपीवी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया है :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एसपीवी	स्थापना की तारीख	वर्तमान स्थिति
1.	आईएसटीएस के एक भाग के रूप में गुड़गांव तथा पलवल क्षेत्र में नए 400 केवी जीआईएस सब–स्टेशन का निर्माण	गुड़गांव–पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड	26.10.2015	एलओआई सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किए गए।
2.	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना (एनईआरएसएस VI)	कोहिमा–मरियानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	22.01.2016	बोली प्रकिया होने वाली है।
3.	पूर्वी क्षेत्र में 765 केवी प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना (ईआरएसएस XVIII)	मेदिनीपुर–जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	22.01.2016	आरएफक्यू संशोधित स्कोप के साथ पुनः जारी होनी है।

वर्ष के दौरान 09 अक्टूबर, 2015 को टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए सफल बोलीदाताओं को अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए पत्र (एलओआई) और वरोरा–कुर्नुल ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए 29 फरवरी, 2016 को अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं। इसके अलावा 29 नवंबर, 2015 को तीन एसपीवी अर्थात छत्तीसगढ़–डब्ल्यूआर ट्रांसमिशन लिमिटेड, सिपत ट्रांसमिशन लिमिटेड और रायपुर–राजनांदगांव– वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड को सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किया गया। एक अन्य एसपीवी अर्थात ओड़ीशा जेनरेशन फेज–।। ट्रांसमिशन लिमिटेड को 08 अप्रैल, 2016 को हस्तांतरित किया गया।

बीजीएनटीसीएल के मामले में एनटीसीएल और एस्सार पावर लिमिटेड (झारखंड) के बीच पीपीए में विवाद से सम्बंधित मुद्दों के कारण सीईए की सलाह पर ''उत्तर क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना– XXXIII'' नामक पारेषण परियोजना के लिए बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीजीएनटीसीएल) नामक एसपीवी के लिए बोली प्रक्रिया स्थगित रखी गई है। इसके अलावा ''उत्तर क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना– XXXV'' (एसपीवी –मोहिंदरगढ़ – भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड) को टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के जरिए डी नोटिफाई किया गया और परियोजना का कार्यान्वयन विनियमित टैरिफ व्यवस्था के तहत काफी कम अवधि वाली समय अनुसूची में सीटीयू के जरिए किया जाएगा।

11.0 एकीकृत विद्युत विकास योजना (पुनर्गठित–त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) को आमेलित करने के बाद)

शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में आईटीडीएस नामक एक सुधार कार्यक्रम शुरु किया है, जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(I) शहरी क्षेत्रों में वितरण नेटवर्कों तथा उप–पारेषण का सुदृढ़ीकरणय

(II) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग

(III) आर–एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित परिव्यय को आईपीडीएस के लिए आगे ले जाकर 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय

योजनाओं के लिए आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत वितरण क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सक्षम बनाना और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण ।

पूर्ववर्ती आर–एपीडीआरपी योजना को नई शुरु की गई आईपीडीएस योजना में आमेलित कर दिया गया है।

उपर्युक्त घटकों (I) और (II) के लिए ₹ 32,612 करोड़ का अनुमानित

परिव्यय रखा गया है, जिसमें कार्यान्वयन की पूरी अवधि के दौरान भारत सरकार की ओर से ₹ 25,354 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है।

सीसीईए द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार ₹ 2,727 करोड़ की बजटीय सहायता सहित ₹ 44,011 करोड़ की आर–एपीडीआरपी योजना लागत को आईपीडीएस की नई योजना के लिए आगे ले जाया जाएगा, जो घटकों (I) और (II) के लिए यथानिर्धारित परिव्यय के अलावा होगा ।

आईपीडीएस

- वित्तीय वर्ष 2015–16 तक आपकी कंपनी ने 3486 कस्बों के लिए संचित रूप से ₹ 23,016 करोड़ ऋण की राशि स्वीकृत की है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹ 19747 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है।

श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंटीग्रेटिड पावर डेवेलपमेंट स्कीम के भाग के रूप में राज्य विद्युत वितरण कंपनियों में नियुक्त किए जाने वाले नए भर्ती किए गए शहरी विद्युत अभियंताओं के साथ।

- आपकी कंपनी ने आईपीडीएस के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कस्बों के लिए लाभार्थी बिजली कंपनियों को 31 मार्च, 2016 तक ₹ 327 करोड़ की राशि स्वीकृत भी कर दी है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार आईपीडीएस के अंतर्गत संचित रूप से ₹ 327 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।

आर–एपीडीआरपी

- आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 तक संचित रूप से सभी पात्र 1,405 कस्बों के लिए भाग–क (आईटी) योजनाओं, भाग–क (स्काडा) योजनाओं और 1,239 कस्बों के लिए भाग–ख योजनाओं को स्वीकृत किया है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत संचित रूप से ₹ 38514 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

- आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2016 तक राज्य क्षेत्र की बिजली कंपनियों को रुपया 668 करोड़ की राशि संवितरित भी की है 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत संचित रूप से ₹ 8,606 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।

कार्यान्वयन की प्रगति

आईपीडीएस

आईपीडीएस के अंतर्गत प्रयोजना प्रबंधन एजेंसी की नियुक्ति 59 कंपनियों में से 38 में कर दी गई है और 59 कंपनियों में से 31 कंपनियों में टीपीए पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

आर–एपीडीआरपी

अब तक किए गए उपायों से 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 21 राज्यों में से संचित रूप से 20 राज्यों में डेटा केंद्रों की स्थापना कर दी गई है। इसके अलावा 26 राज्यों के 1,222 कस्बों इसका कार्यान्वयन शुरु कर दिया गया है अर्थात आंध्र प्रदेश–75, तेलंगाना–38, बिहार–65 , छत्तीसगढ़–20, गोवा–2, गुजरात–84, हरियाणा– 3, हिमाचल प्रदेश–14, जम्मू और कश्मीर–9, झारखंड–25, कर्नाटक–98, केरल–43, महाराष्ट्र–128, मध्य प्रदेश–83, पंजाब–47, राजस्थान–6, सिक्किम–2 , तमिलनाडु–89, उत्तर प्रदेश–168, उत्तराखंड–31, पश्चिम बंगाल–61, असम–64, मणिपुर–12, मेघालय–5, मिजोरम–1 और त्रिपुरा–16। ऐसे कस्बों में सभी व्यापार प्रक्रिया सॉफ्टवेयर मॉड्यूल प्रचालनरत हैं और प्रणली की सहायता से ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।

आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत बिजली कंपनियों ने ₹ 1,177 करोड़ के काउंटरपार्ट निधियन के लिए समझौता किया है। इसके साथ ही संचित रूप से ₹ 16,188 करोड़ की राशियों के लिए काउंटरपार्ट निधियन किया गया है, जिसमें से ₹ 4,773 करोड़ पीएफसी से लिया गया है। वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और उसमें सुधार के लिए तथा एटी और सी हानियों को 15 अथवा उससे नीचे लाने के लिए संचित रूप से 1,217 कस्बों में इसका कार्यान्वयन शुरु कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान, 25 कस्बों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 7 राज्यों में एससीएडीए कार्यान्वयन एजेंसियों को भी विद्युत कंपनियों ने नियुक्त किया है। समग्र रूप में एससीएडीए कार्यान्वयन एजेंसियां 20 राज्यों में 72 कस्बों हेतु नियुक्त की जा चुकी हैं और आरएपीडीआरपी के अंतर्गत 45 एससीएडीए नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की गई है।

क्षमता निर्माण और आवश्यकताओं को स्वीकार करने तथा प्रौद्योगिकी, समकालीन ज्ञान और कौशल के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए आपकी कंपनी में 500 कार्यदिवसों के लक्ष्य की तुलना में 519 कार्यदिवसों के लिए सबसे ज्यादा खराब हालत वाली विद्युत वितरण कंपनियों के कार्मिकों को समवर्ती मानव संसाधन क्षमता निर्माण– मास्टर प्रशिक्षण (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

प्रशासनिक और अन्य उपायों के साथ–साथ विभिन्न कस्बों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की स्थापना और भाग–ख परियाजनाओं के पूरा होने से आगामी 1–5 वर्षो में विद्युत कंपनियों में आरएपीडीआरपी कस्बों में एटी और सी हानियों में कमी देखने को मिलेगी। इस प्रकार आपकी कंपनी वितरण कंपनियों की भी वित्तीय हालत सुधारेगी, जिसके परिणामस्वरूप पारेषण और विद्युत उत्पादन कंपनियों की माली हालत और राज्य विद्युत क्षेत्र में ऐसे ऋणकर्ताओं के लिए आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

12.0 सुधार और पुनर्गठन की दिशा में पहलें

आर–एपीडीआरपी का प्रभाव मूल्यांकन : 14 राज्यों के 76 कस्बों में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया एवं जहां बहुत से कस्बों को गो–लाइव घोषित किया गया। अध्ययन से यह पता चला कि स्थापित की गई आईटीप्रणाली के परिणामस्वरूप ए टी और सी हानि पॉकेट की पहचान की गई, जिससे विश्वसनीयता का परिशुद्ध मापन किया जा सका, वेब सेवा सहायता और उपभोक्ताओं के लिए बहु भुगतान विकल्प के अलावा एकल खिड़की कस्टमर केयर सेंटर स्थापित किए जा सकें।

10 डिस्कॉमों का अध्ययन किया गया, जहां पिछले 5 वर्षो के दौरान एटी और सी हानियों में कमी हुई थी। समिति ने एटी और सी हानियों को कम करने के लिए इन कंपनियों द्वारा अपनाए गए विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी और वाणिज्यिक हस्तक्षेपों (उपायों) के बारे में जानकारी दी।

एनआईसी द्वारा विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) के अंतर्गत शहरी वितरण निगरानी प्रणाली के लिए डाटा और गो–लाइव कस्बों में आर–एपीडीआरपी के सभी 11 केवी फीडरों से प्राप्त फीडर डाटा उपर्युक्त पोर्टल पर क्रमबद्ध ढंग से डाला जा रहा है।

आर–एपीडीआरपी के लिए विद्युत प्रणाली विश्वसनीयता डाटा एसएआईएफआई/एसएआईडीआई रिपोर्टो के रूप में संकलित की जा रही है, कार्यान्वयन शुरु होने के बाद की रिपोर्टो (डी1 से डी5) के आधार पर एटी और सी हानियों को कम करने के लिए विद्युत कंपनियों द्वारा आगामी आवश्यक प्रशासनिक उपाय करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कार्यान्वयन शुरु होने के पश्चात मानदंडों के लिए वेब विश्लेषण सुविधा के साथ आईपीडीएस पोर्टल को सुदृढ़ किया गया : अब इसमें 5 गो–लाइव मानदंड शामिल हैं अर्थात एटी और सी हानियों को कम करना, उपभोक्ता शिकायत निवारण, नए कनेक्शन देना, उच्च हानि वाले फीडर और विद्युत विश्वसनीयता सूचकांक (एसएआईएफ/एसएआईडीआई) के साथ–साथ उनका ग्राफीय वेब विश्लेषण।

विद्युत कंपनियों का श्रेणीकरण

फंडिंग के उद्देश्य से आपकी कंपनी राज्य की विद्युत कंपनियों, को ए+, ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों का श्रेणीकरण (द्विवार्षिक) इनके प्रचालन एवं वित्तीय निष्पादन जिसमें नियामक वातावरण लेखापरीक्षा आदि शामिल है, सहित विशेष मानदंडों के आधार पर किया जाता है। राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के (एसईबी/एकीकृत प्रचालन सहित कंपनियां भी शामिल हैं), पीएफसी की श्रेणीकरण नीति में विद्युत मंत्रालयों की एकीकृत रेटिंग को अपनाने का प्रावधान किया गया है। यह श्रेणीकरण पीएफसी को ऋण सीमाओं का विनिर्धारण करने और राज्य विद्युत कंपनियों को दी जाने वाली क्रेडिट सीमा व ऋण की कीमत निर्धारित करने में समर्थ बनाता है। 26 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार 105 विद्युत कंपनियों की श्रेणियां बनाई गई जिनमें से 33 को ''ए+'' श्रेणी में रखा गया, 34 को ''ए'' श्रेणी में 31 को ''बी'' श्रेणी में और 7 को ''सी'' श्रेणी में रखा गया।

राज्य विद्युत संस्थाओं की तिमाही और वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट

आपकी कंपनी राज्य विद्युत कंपनियों के निष्पादन की तिमाही आधार पर एक पेज की रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है। रिपोर्ट में महत्वपूर्ण प्रचालन एवं वित्तीय निष्पादन मानदंड, सुधार की स्थिति, विद्युत अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन की स्थिति, निष्पादन में सुधार के चिंताजनक क्षेत्रों और स्थितियों को शामिल किया जाता है। यह रिपोर्ट विद्युत क्षेत्र के स्टेकहोल्डरों को भेजी जाती है। इस रिपोर्ट को राज्य की विद्युत कंपनियों (एसपीयू) द्वारा एक उपयोगी टूल के रूप में माना जाता है क्योंकि वे दूसरी कंपनियों के साथ अपनी कंपनी के निष्पादन की तुलना कर सकती हैं और इस क्षेत्र के संपूर्ण सुधार हेतु मध्यावधि सुधारात्मक उपाय कर सकती हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पीएफसी ने तिमाही जनवरी–मार्च में 41, अप्रैल से जून 2015 में 40 जुलाई–सितंबर 2015 में 40 एवं अक्टूबर–दिसंबर 2015 में 40 विद्युत संस्थाएं थीं, के लिए निष्पादन रिर्पोट जारी की।

पीएफसी राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों (एसपीयू) के निष्पादन पर वार्षिक आधार पर भी एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 के लिए राज्य क्षेत्र की 97 विद्युत कंपनियों को शामिल करते हुए उनके निष्पादन पर रिपोर्ट का 12वां संस्करण जुलाई 2015 में विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लिए राज्य क्षेत्र की 100 विद्युत कंपनियों को शामिल करते हुए उनके निष्पादन पर रिपोर्ट का 13वां संस्करण जुलाई 2016 में विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। यह रिपोर्ट प्रमुख वित्तीय और प्रचालनात्मक मानदंडों पर राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के निष्पादन का एक व्यापक अध्ययन है। रिपोर्ट में प्रमुख निष्पादन मानदंड अर्थात लाभप्रदता, आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूली (रुपए/किलोवाट घंटा) के बीच अंतर, निवल मूल्य, नियोजित पूंजी, प्राप्त होने वाली राशियों, देय राशियों, क्षमता (मेगावाट), उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच), एटी एवं सी हानियों का प्रतिशत (%) आदि और कंपनी, राज्य, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र में खपत के पैटर्न का विश्लेषण शामिल हैं।

पीएफसी द्वारा वित्तपोषित डब्लूयूपीपीटीसीएल का ग्रेटर नोएडा सब–स्टेशन 765वी–500एमवीए सिंगल फैज ट्रांसफॉर्मर

24X7 सभी के लिए विद्युत (पीएफए)

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने सभी के लिए 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास शुरु किया था। इस प्रयोजन से विद्युत मंत्रालय के निदेशानुसार पीएफसी द्वारा लगाए गए परामर्शदाताओं को एक राज्य विशिष्ट रोडमैप तैयार करना आवश्यक है। इसके अलावा विद्युत मंत्रालय ने एक केंद्रीय समिति का भी गठन किया था, जिसमें राज्य विशिष्ट रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराने हेतु कोयला मंत्रालय, एमएनआरई, बीईई, सीईए, पीएफसी, आरईसी, पीजीसीआईएल सदस्य के रूप में शामिल हैं।

पीएफसी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश , असम , बिहार, छत्तीसगढ, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय , मिजोरम, नागालैंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडीशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्यों के लिए 'सभी के लिए विद्युत' दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के कार्य में लगा हुआ है। ये पीएफए दस्तावेज विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट के साथ–साथ सभी के लिए विद्युत पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।

13.0 नीतिगत पहलें

आपकी कंपनी अपनी उधार एवं प्रचालन नीतियों/दिशा–निर्देशों/ उत्पादों को बाजार की अपेक्षाओं और निगम के उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए इनकी सतत समीक्षा और संशोधन करती है।

वर्ष 2015–16 के दौरान पीएफसी ने अपनी नीतियों/दिशा–निर्देशों/ उत्पादों को ऋणकर्ता की दृष्टि से अधिक अनुकूल बनाने के प्रयोजन से ऋण के पुनर्वित्तपोषण और निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए ग्रिड से जुड़ी सोलर पीवी परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराने के संदर्भ में समीक्षा की है।

राजस्थान में मित्रवायु (सोम) प्राइवेट लिमिटेड का 90 मेगावाट विंड पावर प्लांट

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने सावधि ऋण और अल्पकालिक ऋण के संदर्भ में ब्याज दरों की समीक्षा की और उन्हें संशोधित किया। इस संदर्भ में वित्तीय वर्ष के दौरान सावधि ऋणों के लिए ब्याज दरों को दो बार संशोधित किया गया और ये विभिन्न प्रकार के ऋणकर्ताओं के 60 बीपीएस से लेकर 125 बीपीएस की रेंज में हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष के दौरान अल्पकालिक ऋणों के लिए ब्याज दरों को 100 बीपीएस तक घटाया गया। ब्याज दरों में ये कमी इसलिए की गई ताकि कंपनी का कारोबार बनाए रखा जा सके और इन्हें बाजार के अनुरूप किया जा सके।

वित्तीय प्रभारों/ शुल्कों की भी समीक्षा की गई और उन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया। इस संदर्भ में पीएफसी की नीति में संशोधन किया गया, जिससे कि पीएफसी सिंडिकेटेड वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा कर सके और संबंधित शुल्कों/प्रभारों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा वित्तपोषण के लिए शुल्क और अन्य वित्तीय प्रभार भी लागू किए गए हैं।

बाजार में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के साथ–साथ वित्तीय वर्ष में मौजूदा मुद्रा स्फीति, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रमुख नीतिगत दरों में उतार–चढ़ाव आदि जैसे घटकों के परिणामस्वरूप ब्याज दरों को लेकर चिंताओं के बावजूद भी पीएफसी अपने व्यापार विकास और लाभप्रदता के लक्ष्यों को संतुलित बनाए रखने में सफल रहा।

14.0 नवीकरणीय ऊर्जा

विद्युत अवसंरचना के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो स्थायी आर्थिक विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं। भारतीय विद्युत क्षेत्र महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसके फलस्वरूप उद्योग जगत का दृष्टिकोण पुनः परिभाषित हो रहा है। स्थायी आर्थिक विकास से भारत में विद्युत की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार ने 'सभी के लिए विद्युत' जैसी पहलों पर जोर दिया है, जिसके फलस्वरूप देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ग्रिड संबद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता के क्षेत्र में एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। यह जहां एक ओर सरकार की स्थायी विकास की सूची का समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधान के एक अभिन्न अंग के रूप में भी उभरकर सामने आया है और ऊर्जा अभिगम के लिए एक अनिवार्य क्षेत्र बन गया है। यह महसूस किया गया है कि आनेवाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने में नवीरकणीय ऊर्जा क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदार भूमिका अदा करनी होगी और इसे ऊर्जा आयोजना प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में काम करना होगा।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार देश की सकल संस्थापित

विद्युत उत्पादन क्षमता 298 गीगावाट रही। इसमें 42752 मेगावाट (ग्रिड संबद्ध) की संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल है और यह कुल संस्थापित क्षमता के लगभग 14.34% के समतुल्य है। इसमें 26769 मेगावाट पवन ऊर्जा, 4273 मेगावाट लघु जल विद्युत ऊर्जा, 6762 मेगावाट सौर ऊर्जा, 4831 मेगावाट बायोमास और सह उत्पादन तथा 115 मेगावाट अपशिष्ट पदार्थो से तैयार ऊर्जा शामिल है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षो के दौरान आमूल–चूल परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन मुख्यतया सौर ऊर्जा के योगदान को बढ़ाने के लिए त्वरित और महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ नीतिगत ढांचे में देखने को मिले हैं। भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने का निश्चय किया है। इसमें पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 5 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन शामिल है।

आंध्र प्रदेश पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का श्री दामोदरम संजीवाह टीपीएस (2×800 मेगावाट)

15.0 विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत व्यापार को बढ़ावा देना

वित्तीय वर्ष 2008–09 में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत एक्सचेंज की स्थापना के लिए अपनी अनुमति प्रदान की थी। आज की तारीख तक दो विद्युत एक्सचेंज अर्थात पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पीएक्सआईएल) और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि. (आईईएक्स) प्रचालनरत हैं। विद्युत की ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में इन पावर एक्सचेंज की राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है। पावर एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत की खरीद–फरोख्त (ट्रेडिंग) से निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र के विकास में तेजी आई है क्योंकि यह क्रेता और विक्रेता के लिए एक मुक्त और पारदर्शी तंत्र के रूप में कार्य करता है और संभावित निवेशकों को निवेश के लिए संकेत उपलब्ध कराता है। इसके अलावा इन एक्सचेंज की उपस्थिति से उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाएगा।

पीएफसी ने एनएसई और एनसीडीईएक्स द्वारा संवर्धित पावर एक्सचेंज इंडिया लि. में इक्विटी अंशदान के लिए ₹ 3.22 करोड़ (31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त इक्विटी का 6.64%) का अंशदान किया है।

16.0 इक्विटी वित्त–पोषण

इक्विटी निवेश कारोबार को आमतौर पर ऋण कारोबार का ही तर्कसंगत विस्तार माना जाता है। पीएफसी इक्विटी निवेश के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है जिससे यह इस क्षेत्र में अपने 25 वर्ष के व्यापक अनुभव का लाभ उठा सके जो उसने विद्युत क्षेत्र में ऋण वित्तपोषण के प्रचालन के दौरान प्राप्त किया है। पीएफसी का उद्देश्य आकर्षक विद्युत परियोजनाओं की इक्विटी में निवेश करने के लिए अपनी वित्तीय स्थिति, ऋण देने की वृहत क्षमता और विद्युत क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाना है। कुछ समय पश्चात पीएफसी विद्युत परिसंपत्तियों के लिए एक इक्विटी पोर्टफोलियो सृजित करने

का प्रस्ताव करती है जो लाभांश और/अथवा पूंजी वृद्दि के रुप में लगातार अभिलाभ प्रदान कर सके। पीएफसी ने आरबीआई से विद्युत परियोजनाओं की इक्विटी में किसी एकल कंपनी में अपने निवल मूल्य के 0.5% से 5% की रेंज में निवेश के लिए अनुमति प्राप्त की है। तथापि पीएफसी ने अब तक इस नीति के अंतर्गत कोई निवेश नहीं किया है।

17.0 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेश के विवरण

आपकी कंपनी एक गैर–वित्तीय बैंकिंग कंपनी होने के नाते वित्तपोषण कंपनियों के कारोबार में लगी हुई है और इस प्रकार इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के संगत प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए निवेश के विवरण निम्नानुसार हैं :

- पीएफसी ने बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड, देवघर इंफ्रा लिमिटेड, बिहार मेगा पावर लिमिटेड और झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड में से प्रत्येक में ₹ 5 लाख और समेकित रूप से ₹ 20 लाख का निवेश किया था।
- ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल), जो पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी और पावर ग्रिड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें ₹99.00 करोड़ की शेयर अनुप्रयोग धनराशि आबंटन के लिए लंबित है। आबंटन के लिए लंबित अनुप्रयोग धनराशि पीएफसी को वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 25.04.2016 को पूरी तरह से आबंटित की गई।
- पीएफसी ने 10.95% प्रतिमाह की कूपन दर से वार्षिक रूप से देय देना बैंक के अपरिवर्तनीय सतत ऋण बॉण्ड (सीरीज–IV) के अनुरूप अतिरिक्त टियर–I बेसिल–III में समेकित रूप से ₹ 1000 करोड़ जिसमें प्रत्येक ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य पर 10000 बॉण्ड में निवेश किया है।
- पीएफसी ने 10.95% प्रतिमाह की कूपन दर से वार्षिक रूप से देय आंध्रा बैंक के अपरिवर्तनीय सतत ऋण बॉण्ड (सीरीज–II) के अनुरूप अतिरिक्त टियर–I बेसिल–III में समेकित रूप से ₹800 करोड़ जिसमें प्रत्येक 10 लाख रुपए के अंकित मूल्य पर 10000 बॉण्ड में निवेश किया है।

अप्रैल, 2016 में पीएफसी ने भारत सरकार के निर्णय के अनुसार ₹ 21.75 प्रति इक्विटी शेयर के आधारभूत मूल्य पर ओएफएस मार्ग के जरिए एनएचपीसी के 26,05,42,051 इक्विटी शेयरों में निवेश किया है। एनएचपीसी लिमिटेड में कुल निवेश का मूल्य ₹ 567.50 करोड़ है, जिसमें सभी सांविधिक और अन्य व्यय शामिल हैं।

जून, 2016 में पीएफसी ने श्री माहेश्वरम जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसएमएचपीसीएल) के एक ऋणदाता होने के नाते समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 30.11.2006 के शपथ विलेख और एसएमएचपीसीएल के प्रमोटरों द्वारा पीएफसी के पक्ष में प्लेज किए गए शेयरों को फिर से जारी कर दिनांक 29.09.2006 के अधीनस्थ ऋण करार के अनुसार और उप ऋणों को इक्विटी शेयरों के रूप में आंशिक रूप से परिवर्तित कर अपने कानूनी अधिकारों का प्रवर्तन किया है। प्लेज किए गए शेयरों को फिर से जारी करने और उप ऋणों को शेयरों के रूप में आंशिक परिवर्तन से एसएमएचपीसीएल में पीएफसी की कुल शेयरधारिता 13,18,46,779 हो गई है। जिसमें प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो एसएमएचपीसीएल की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 23.23% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

18.0 सहायक कंपनियां

परामर्श सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, कंसोर्टियम लैंडिंग, इक्विटी वित्त पोषण आदि के क्षेत्रों में अतिरिक्त कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा आज की तारीख तक अपने पूर्ण स्वामित्व वाली निम्नलिखित सहायक कंपनियों की स्थापना है:

i. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

ii. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीएल)

iii. पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसिस लिमिटेड (पीएफसीसीएएस)

iv. पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजरी (प्राइवेट) लिमिटेड (पीईसीएपी) – समापन की स्थिति में

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आपकी कंपनी को विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) के जरिए अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास को सुकर बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है और कंपनी ने निम्नलिखित सहायक कंपनियों की स्थापना की है।

i. छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड

ii. कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

iii. कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

iv. कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

v. घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड

vi. उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड

vii. साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड

viii. तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

ix. देवघर मेगा पावर लिमिटेड

x. चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड

xi. उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड

xii. देवघर इंफ्रा लिमिटेड

xiii. बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड

xiv. बिहार मेगा पावर लिमिटेड

xv. झारखंड मेगा पावर लिमिटेड

xvi. वरोरा–कुर्नुल ट्रांसमिशन लिमिटेड (06 जुलाई 2016 को हस्तांतरित)*

xvii. मेदिनीपुर–जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड*

xviii. गुड़गांव–पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड (14 जुलाई 2016 को हस्तांतरित)

xix. कोहिमा–मरियानी ट्रांसमिशन लिमिटेड*

xx. टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*

xxi. बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*

xxii. दक्षिण–केंद्रीय पूर्वी दिल्ली ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*

xxiii. मोहिंदरगढ़–भिवानी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*

xxiv. ओडिशा जेनरेशन पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (08 अप्रैल 2016 को हस्तांतरित)*

*पीएफसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की सहायक कंपनियां जो ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए स्थापित की गई हैं।

18.1 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

आपकी कंपनी अपनी सलाहकारी सेवा समूह (सीएसजी) के माध्यम से ही विद्युत क्षेत्र को अक्टूबर, 1999 से ही परामर्शी सहायता उपलब्ध करा रही है। सीएजी कंपनी के अनुभव को बल प्रदान करके, इस समूह द्वारा दी गई सेवाओं की प्रशंसा करके तथा विद्युत क्षेत्र को सुधारने में ऐसी सेवाओं की क्षमता को पहचानकर आपकी कंपनी ने इन सेवाओं को विशेष समर्पित व्यवसाय उद्यम के तहत आयोजित करने का फैसला लिया है। विद्युत क्षेत्र को व्यावसायिक परामर्श सहायता प्रदान करने और विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए ऐसी सेवाओं की क्षमता को मान्यता देने के उद्देश्य से आपकी कंपनी ने 25 मार्च, 2008 को आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लि. (पीएफसीसीएल) का गठन किया, जिससे कि इसे अपने कार्यकलापों में अपेक्षित स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान किया जा सके। पीएफसीसीएल को विद्युत क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देने, संगठित करने और संचालित करने का अधिदेश दिया गया और वर्तमान में यह अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के विकास से संबंधित कार्य भी कर रही है। पीएफसीसीएल को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए विकासकर्ताओं के चयन हेतु ''बोली प्रक्रिया समन्वयक'' (बीपीसी) के रूप में नामित किया गया है।

पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तावित सेवाएं मुख्य रूप से इन क्षेत्रों से हैः–

- विद्युत अधिनियम 2003 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले सुधार, पुनर्गठन और नियामक पहलू जैसे मुद्दों पर परामर्शी सेवाएं
- विद्युत क्षेत्र के विभिन्न अनुभागों के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया
- परियोजना गठन / योजना / विकास / विशेष अध्ययन, कार्यान्वयन निगरानी, दक्षता सुधार परियोजनाएं
- मानव संसाधन प्रबंधन कौशल
- संप्रेषण, सूचना प्रसार तथा प्रतिपुष्टि
- संगठन निष्पादन सुधार योजनाओं की तैयारी
- विद्युत क्षेत्र हेतु समझौते से संबंधित सेवाएं
- वित्तीय प्रबंधन, संसाधन लामबंदी, लेखा प्रणाली आदि
- कोयला ब्लॉक विकास
- नवीकरणीय तथा गैर–पारंपरिक ऊर्जा परियोजना विकास
- वितरण प्रणाली सुधार योजना के लिए सलाहकारी सेवाएं

ग्राहक आधारित

अब तक, पीएफसीसीएल द्वारा 23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में फैले 54 ग्राहकों तक परामर्शी सहायता सर्विस पहुंचाई है जिनके नाम अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पुदुच्चेरी, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल हैं । अब तक पूरे किए गए कुल असाइनमेंटों की संख्या 96 है। ग्राहकों के विवरण निम्नानुसार हैं:–

ग्राहक	सं.
राज्य विद्युत संस्थाएं	29
लाइसेंस/आईपीपी	9
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	7
राज्य सरकारें	5
नियामक आयोग	3
केंद्र सरकार विभाग/मंत्रालय	1
कुल	**54**

पीएफसीसीएल को अक्टूबर 2014 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ऊर्जा विभाग द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (टीबीसीबी) के जरिए पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पैकेज ''बी'' (दक्षिण–मध्य पूर्व) के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके लिए पीएफसीसीएल द्वारा साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एससीईडीपीटीएल) नामक एक विशेष प्रयोजनीय कंपनी (एसपीवी) का गठन कर दिया गया है। तत्पश्चात इस पारेषण परियोजना के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) ने पीएफसीसीएल को सूचित किया है कि टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (टीबीसीबी) के जरिए पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पैकेज ''बी'' (दक्षिण–मध्य पूर्व) के संदर्भ में पीएससीसीएल के स्तर पर अब कोई आगामी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के निर्णय के अनुसार एसपीवी को बंद करने और साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एससीईडीपीटीएल) नामक एक विशेष प्रयोजनीय कंपनी (एसपीवी) का नाम कंपनियों के रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटाने के लिए दिल्ली और हरियाणा की सरकारों को सूचना दी गई है और इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, पीएफसीसीएल की प्रचालनगत आय ₹60.26 करोड़ थी जबकि वित्त वर्ष 2014–15 में यह ₹37.41 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, पीएफसीसीएल द्वारा कमाया गया निवल लाभ ₹37.06 करोड़ रहा जोकि पिछले वित्त वर्ष में ₹21.70 करोड़ था।

18.2 पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजेल)

पीएफसी जीईएल 30 मार्च, 2011 को एक पूर्ण स्वायत्त वाली सहायक कंपनी के रूप में हरित (नवीकरणीय एवं गैर–पारंपरिक) ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने हेतु वित्त पोषण करने एवं वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। 31 मार्च, 2016 को पीएफसी जीईएल लिमिटेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹1200 करोड़ है और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹300 करोड़ जिसमें ₹ 10 मूल्य के ₹10 करोड़ इक्विटी शेयर तथा ₹10 मूल्य के ₹20 करोड़ पूर्णतः परिवर्तनीय प्राथमिकता शेयर शामिल हैं।

पीएफसी जीईएल ने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान अपनी वृद्धि जारी रखी है। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कुल राजस्व में 15% की वृद्धि हुई जो ₹33.65 करोड़ से बढ़कर ₹38.71 करोड़ हो गई है। वित्त वर्ष 2015–16 में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 16% की वृद्धि के साथ ₹28.30 करोड़ से बढ़कर ₹32.95 करोड़ हो गई है तथा कर पश्चात लाभ (पीएटी) 20% की वृद्धि के साथ ₹18.91 करोड़ से बढ़कर ₹22.60 करोड़ हो गई है।

पीएफसी जीईएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से लगभग 173 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि करने में सहायता मिलेगी। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, कंपनी ने क्रमशः ₹554.78 करोड़ का आबंटन तथा ₹71.76 करोड़ का संवितरण किया है। ₹554.78 करोड़ के कुल स्वीकृत राशि में से 44% (₹246.11 करोड़) राशि राज्य क्षेत्र की विद्युत परियेाजनाओं के लिए स्वीकृत की गई और 56% (₹308.67 करोड़) राशि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई। कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार संचित रूप से क्रमशः ₹806.85 करोड़ की स्वीकृति और ₹97.13 करोड़ का संवितरण किया गया। कंपनी लगातार नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार और विविधीकरण करती रही है और पवन, सौर तथा लघु जल विद्युत क्षेत्र में बेहतर निष्पादन किया है।

पीएफसी जीईएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतें के माध्यम से लगभग 400 मेगावाट की क्षमता निर्माण करने में सहायता मिलेगी। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, कंपनी ने क्रमशः ₹717.70 करोड़ का आबंटन तथा ₹275.37 करोड़ का संवितरण किया है। ₹ 717.70 करोड़ के कुल स्वीकृत राशि में से 4.63% (₹33.21 करोड़) राशि राज्य क्षेत्र की विद्युत परियेाजनाओं के लिए स्वीकृत की गई और 95.37% (₹684.49 करोड़) राशि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई। कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार संचित रूप से क्रमशः ₹1524.55 करोड़ की स्वीकृति और ₹370.50 करोड़ का संवितरण किया गया। कंपनी लगातार नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार और विविधीकरण करती रही है और पवन, सौर तथा लघु जल विद्युत क्षेत्र में बेहतर निष्पादन किया है। इसके अलावा, वर्ष 2015–16 में कंपनी का निवल मूल्य 7% बढ़कर 2014–15 में ₹330 करोड़ की तुलना में ₹352 करोड़ हो गया है तथा 31 मार्च, 2016 के अनुसार ऋण परिसंपत्तियां (निवल) 300% बढ़कर ₹356.88 करोड़ हो गया जो 31 मार्च, 2015 को ₹89.17 करोड़ था। 31 मार्च, 2016 को कुल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) शून्य हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पीएफसी जीईएल ने पीएफसी के साथ एक समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे और इसने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया था, तदनुसार यह समझौता–ज्ञापन के लक्ष्यों के तहत यथावश्यक उत्कृष्ट रेटिंग के लिए पात्र हैं। पीएफसी जीईएल ने क्रमशः ₹800 करोड़ और ₹275 करोड़ के स्वीकृति और संवितरण लक्ष्यों की तुलना में क्रमशः ₹717.70 करोड़ और ₹275.37 करोड़ के लक्ष्य प्राप्त किए थे।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पीएफसी जीईएल ने 'स्वच्छ भारत कोष' में ₹31.06 लाख सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरादायित्व) के लिए दे दिया।

चूंकि कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे पवन, सौर, बायोमास, जल विद्युत आदि के लिए समर्पित है अतः इससे अपेक्षा की जाती है कि यह बाजार में उपलब्ध समर्पित हरित निधियों का दोहन करे। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान इस कंपनी को कई विदेशी/भारतीय कंपनियों ने अपनी तरफ से हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए निधि आबंटित करने का प्रस्ताव रखा। हरित ऊर्जा के लिए समर्पित निधियों के प्रवाह से कंपनी इस स्थिति में है कि वह भविष्य में प्रतियोगी ब्याज दरों पर ज्यादा ऋण दे सकेंगी।

18.3 पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड (पीएफसीसीएएस)

पीएफसीसीएएस आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में 18 जुलाई, 2011 को स्थापना की गई ताकि सिंडिकेशन सेवाओं सहित वित्तीय सलाहकार सेवाओं की क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। कंपनी की प्राधिकृत पूंजी ₹1 करोड़ है तथा कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹0.10 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, पीएफसी सीएएस चार विभिन्न प्रकार की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं जैसे ताप–विद्युत, जल विद्युत तथा

वायु आदि के सिंडिकेशन प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही कर रही है। पीएफसी सीएएस की प्रचालन से कुल आय ₹3.15 करोड़ है जबकि कंपनी का कर पश्चात लाभ ₹3.15 करोड़ है।

इसके अलावा पीएफसी के निदेशक मंडल ने को हुई बैठक में पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड (पीएफसीसीएल) के पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) के साथ विलय को नियामक और अन्य अनुपालन की शर्त के अध्यधीन मंजूर कर लिया है। तदनुसार, कंपनी ने विद्युत मंत्रालय को उपर्युक्त विलय के अनुमोदन के लिए एक पत्र लिखा है जो अनुमोदनाधीन है।

18.4 पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)

पीईसीएपी, आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी व्यापारिक प्रस्तावों के अभाव में कोई भी कारोबार करने में सफल नहीं रही है, जबकि पीएफसी द्वारा इसका अधिग्रहण भी कर लिया गया था और तदनुसार विद्युत मंत्रालय से इस कंपनी को समाप्त करने और कंपनियों के पंजीयक के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटवाने के लिए अनुमोदन मांगा गया है, जो अभी तक विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

19.0 संयुक्त उद्यम, एसोसिएट कंपनियां और अन्य प्रमुख निवेश (31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार)

19.1 नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स)

पावर एक्सचेंज के माध्यम से अल्पकालिक ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2008–09 के दौरान आपकी कंपनी ने एनटीपीसी, एनएचपीसी और टीसीएस के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स) को बढ़ावा दिया। आपकी कंपनी इक्विटी अंशदान के लिए ₹2.19 करोड़ (31 मार्च, 2016 तक प्रदत्त इक्विटी का 16.66% होने के नाते) का सहयोग दिया है। एनटीपीसी और एनएचपीसी ने संयुक्त उद्यम कंपनी से अलग होने का इरादा व्यक्त कर चुके हैं तथा मार्च 2014 में एनपीईएक्स के प्रोमोटर समूह (जीओपी) की अनुशंसाओं पर आधारित एनपीईएक्स के निदेशक मंडल ने एनपीईएक्स को स्वैच्छिक रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। एनपीईएक्स के स्वैच्छिक रूप से बंद होने की प्रकिया चल रही है तथा इसके खाते परिसमापन के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं।

19.2 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिस लिमिटेड

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिस लिमिटेड (ईईएसएल) को 10 दिसंबर, 2009 को स्थापित किया गया। ईईएसएल को भारत और विदेश दोनों में ही एनर्जी एफिशिएंसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक कंपनी द्वारा 25% की समान इक्विटी सहभागिता के साथ पावर ग्रिड, एनटीपीसी, आरईसी और पीएफसी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रोत्साहित किया गया। यह उन्नत ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के प्रमुख कार्यान्वयन स्तंभों में से एक है। तथापि वर्ष के दौरान ईईएसएल ने प्रत्येक प्रमोटर से 25% की दर से बकाया ₹ 100 करोड़ के अतिरिक्त इक्विटी अंशदान करने का अनुरोध किया था और पीजीसीआईएल को छोड़कर सभी प्रमोटरों ने ईईएसएल में ₹ 25 करोड़ के अतिरिक्त इक्विटी पूंजी का अंशदान किया था। पीजीसीआईएल ने वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ईईएसएल में अतिरिक्त इक्विटी अंशदान करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। इसके अलावा पीएफसी ने भी शेयर अनुप्रयोग धनराशि के लंबित आबंटन के रूप में ईईएसएल की इक्विटी शेयरपूंजी में ₹ 99 करोड़ का अतिरिक्त अंशदान किया है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में पीएफसी की हिस्सेदारी 28.79% थी। ईईएसएल ने वर्ष के लिए ₹ 32.88 करोड़ (अनंतिम) का कर पश्चात लाभ रिपोर्ट किया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में ईईएसएल को भुगतान किए गए ₹ 99 करोड़ की शेयर अनुप्रयोग धनराशि की तुलना में शेयरों का आबंटन 25 अप्रैल, 2016 को किया गया।

19.3 पीटीसी इंडिया लिमिटेड

पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) को पावर ग्रिड एनटीपीसी, एनएचपीसी और पीएफसी द्वारा संयुक्त रूप से प्रोत्साहित किया गया। आपकी कंपनी ने ₹12 हजार करोड़ का निवेश किया है जो पीटीसी की कुल इक्विटी का 4.05% है। पीटीसी भारत में पावर ट्रेडिंग सामाधान उपलब्ध कराने वाली एक अग्रणी कंपनी है। भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी की शुरुआत की है, जिसका प्राथमिक ध्यान देश में वाणिज्यिक रूप से अधिक सक्रिय विद्युत बाजार का विकास करना है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पीटीसी ने 42372 कंपनियां ट्रेडिंग वाल्यूम के साथ अपना नेतृत्व का स्थान बरकरार रखा है। पीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 233.61 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ दर्ज कराया है।

19.4 पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड

पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) भारत का पहला संस्थागत रूप में संवर्धित पावर एक्सचेंज है जो भारतीय विद्युत बाजार का कायाकल्प करने के लिए नवाचारी और विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराता है। पीएक्सआईएल विद्युत के कारोबार के लिए राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करता है और विद्युत कारोबार तथा पारेषण स्वीकृति से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। इसके साथ–साथ यह पारदर्शी, तटस्थ और दक्ष इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है। पीएक्सआईएल बहुत से उत्पाद जैसे डे अहेड, डे अहेड कंटिंजेंसी, एनीडे, इंट्राडे और साप्ताहिक संविदा आदि प्रस्तावित करता है। पीएक्सआईएल नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। आपकी कंपनी ने इस एक्सचेंज में ₹3.22 करोड़ का इक्विटी निवेश किया है, जो 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार पीएक्सआईएल की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 6.64% के बराबर है।

श्री डी. आर. सरीन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एएलआईएमसीओ) एवं श्री आर. मुराहरी, महाप्रबंधक (सीएसआर) पीएफ़सी, ने श्री एम.के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी, श्री डी. रवि निदेशक (वाणिज्यिक), श्री जी. एस. घई, कार्यपालक निदेशक (सीएसआर) पीएफसी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया। पीएफसी मुंबई एवं उपनगरीय क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को आर्टिफिशयल लिंब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ''हाई एंड प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक आर्टिफिशल लिंब्स'' उपलब्ध करवा रहा है।

20.0 भारत सरकार के साथ समझौता–ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2004–05 को छोड़कर वित्तीय वर्ष 1993–94 से आपकी कंपनी को भारत सरकार द्वारा ''उत्कृष्ट रेटिंग'' प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए भी आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट रेटिंग' मिलने की पूरी संभावना है।

21.0 राष्ट्रपति के निदेश

कंपनी को वर्ष 2015–16 के दौरान तथा पिछले 3 वित्तीय वर्षों में राष्ट्रपति का कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

22.0 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति का मार्गदर्शी सिद्धांत ''सशक्तिकरण के माध्यम से प्रभाव'' के रूप में है, जहां सशक्तिकरण भविष्य को आज अर्थात वर्तमान में भविष्य को सुदृढ़ करने की एक प्रक्रिया है ताकि जोखिम को न्यूनतम किया जा सके, मूल्य सृजन किया जा सके और निश्चित ही उसका अनुभव किया जा सके। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते हैं कि हमारी सीएसआर पहलों से जुड़े समुदाय भी अपने जीवन में निश्चिंतता का अनुभव अवश्य करें। आपकी कंपनी के सीएसआर कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रमुख रूप से शामिल हैं। ज्ञान क्षेत्र में होने के नाते आपकी कंपनी द्वारा एक विषय–वस्तु के रूप में शिक्षा का चयन किया गया है। इसी प्रकर स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना इस बात का प्रमाण है कि स्वास्थ्य सामाजिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व–अर्हता अर्थात शर्त है। पर्यावरण के प्रति हमारी चिंता हमारे उस विश्वास के अनुरूप है कि इस वैश्विक चिंता के लिए हमार ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है जिससे कि एक स्थायी और उत्पादक माहौल निर्मित और सुनिश्चित किया जा सके। इन विषय वस्तुओं की स्थापना सभी भौगोलिक क्षेत्रों में इन्हें अपनाने अथवा इनका अनुकूलन करने के लिए की जाती है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने स्वच्छ भारत स्वछ विद्यालय योजना के अंतर्गत आंध्रप्रदेश एवं राजस्थान के विद्यालयों में 9200 शौचालयों के लिए फंड उपलब्ध करवाया वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी के लिए ठीक तीन पिछले वर्षों के दौरान अर्जित किए गए कंपनी के 2% निवल लाभ की दर से 145.79 करोड़ रुपए (गत वर्ष 117.49 करोड़) का सीएसआर बजट अनुमोदित किया गया। 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 195.523 करोड़ रुपए (3.39 करोड़ का प्रशासनिक व्यय भी शामिल) की राशि सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च किए।

पीएफसी का 31वां स्थापना दिवस.... इस अवसर पर एक काव्य सम्मेलन आयोजित किया गया ।

23.0 प्रशिक्षण एवं विकास

मानव संसाधन विकास पहलें

आपकी कंपनी कार्मिक विकास एव कंपनी क्षमता पर जोर देती है आपकी कंपनी प्रशिक्षण की एक सतत् प्रक्रिया के रूप में आवश्यकता पर पुनर्विचार करती है तथा कार्मकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में हो रहे अद्यतन विकास से अवगत रहने का अवसर प्रदान करती है। इसी के साथ, प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए वरिष्ठ एक्जिक्यूटिव्स को भारत तथा विदेशों में प्राथमिक प्रबंधन संस्थान के माध्यम से प्रगतिशील प्रबंधन तकनीकों में एक्सपोजर दिया जाता है। इसे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अनुमान लगाने की कंपनी की एक वार्षिक प्रशिक्षण योजना है। कम्प्यूटरीकृत प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से सभी स्तर के कार्मिकों को आवश्यक व्यवसायिक कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी ने 32 स्थानीय स्तर पर (इन हाउस) किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुल 1754 जन–दिवस प्राप्त किया गया था जिसमें 1053 इन हाउस कार्यक्रमों के द्वारा तथा 638 अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी अपने मानव संसाधन के कौशल विकास को उन्नत करने पर बहुत जो देती है। यह कॉर्पोरेट जगत में अपनाई जाने वाली मौजूदा सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुरूप अपनी प्रतिक्रियाएं तैयार करती हैं। यह अन्य रणनीतिक हस्तक्षेपों के अलावा मानव संसाधन प्रबंधन का प्रभावी नेतृत्व करती है, जिससे उच्च स्तर की उत्पादकता सुनिश्चित होती है।

आपकी कंपनी कार्मिकों और प्रबंधन के बीच बड़े सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए कार्मिक प्रतिनिधि से नियमित रूप से संपर्क बनाए रहते हैं। सकारात्मक कार्य संस्कृति के कारण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक भी कार्यदिवस का नुकसान नहीं हुआ।

कल्याणकारी उपाय

आपकी कंपनी समावेशी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्मिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उत्तम प्रबंधन पद्धतियों का पालन करती है। कंपनी मुक्त द्वार नीति का पालन करती है जिससे कार्मिक उच्च प्रबंधन तक पहुंच बनाकर कंपनी के प्रबंधन और प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यबल की प्रतिबद्धता, कल्याणकारी उपायों के एक प्रभावशाली पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित होती है जिसमें विस्तृत बीमा, चिकित्सकीय सुविधाएं और अन्य सुख–सुविधाएं शामिल हैं, जो बदले में एक स्वस्थ कार्यबल का सृजन करती हैं। आपकी कंपनी उन गिने चुने संगठनों में से एक है जो सेवानिवृत कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सहयोगात्मक सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सकीय फण्ड ट्रस्ट का निर्माण करते है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कार्मिकों के कल्याण के लिए बहुत से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए। आपकी कंपनी ने टीम भावना को बनाने तथा सुसंगत कार्य संस्कृति के निर्माण हेतु स्पोर्ट ईवेंट भी आयोजित किए।

कंपनी की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण

आपकी कंपनी अपने सामाजिक दायित्व के अंग के तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को आरक्षण दिए जाने हेतु सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशा–निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के सभी प्रयास करती है। उठाए गए कदमों में अपेक्षित आरक्षण और विभिन्न निदेशों के अंतर्गत छूट शामिल हैं।

वर्ष 2015–16 में कुल 34 नए कार्मिकों की भर्ती की गई जिसमें से 17.65% अनुसूचित जाति (6), 5.88% अनुसूचित जनजाति (2), 5.88% पीडब्ल्यूडी (2) और 11.76% अन्य पिछड़ा वर्ग (4) के हैं।

महिला कार्मिकों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी अपनी महिला कार्मिकों को उन्नति के समान अवसर प्रदान करती है और आज कंपनी प्रमुख कार्यकारी क्षेत्रों की अध्यक्षता कर रही महिलाओं पर गर्व कर सकती है। कंपनी द्वारा लिंग के आधार पर कार्मिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। महिला कार्मिक कुल कार्यबल के 20.13% का प्रतिनिधित्व करती हैं।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कार्य स्थल पर महिला कार्मिकों का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम 2013 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

24.0 निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, यह पुष्टि की जाती है कि:–

(क) वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया था और वास्तविक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

(ख) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्त वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि की सष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया गया है।

(घ) वार्षिक लेखे एक अनवरत कंपनी के रूप में तैयार किए गए हैं।

(ड.) कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया है, जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत हैं।

(च) कंपनी ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और इस प्रकार तैयार की गई प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत हैं।

25.0 सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए मैसर्स एम के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और मैसर्स के. बी. चंद्रा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और किसी अर्हता के बिना अपनी रिपोर्ट दी है।

सचिवालीय लेखापरीक्षक

कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को कंपनी के सचिवालीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए इसके लिए सचिवालीय लेखापरीक्षक के अवलोकन और उन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ की प्रतिलिपि के साथ अवलोकनों के संबंध में प्रबंधन के उत्तर की प्रतिलिपि इसके अनुबंध में संलग्न है।

26.0 भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत अपनी टिप्पणियां दी हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां और उनके संबंध में प्रबंधन के उत्तर इस अनुबंध के साथ संलग्न हैं।

27.0 वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता संबंधी विवरण

कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक अर्थात मैसर्स बंसल सिन्हा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता को तिमाही आधार पर प्रमाणित करता है।

इसके अलावा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक अर्थात मैसर्स एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एंड मैसर्स के. वी. चंद्रा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है और कंपनी में आंतरिक नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत थे। कंपनी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड स्थापित किए गए हैं।

28.0 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत पारिश्रमिक के विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को अपने निदेशक की तुलना में मध्यम स्तर के कार्मिकों के मेहतनाने के अनुपात का प्रकटन करना और निदेशकों की रिपोर्ट में समय–समय पर यथा विहित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कार्मिकों के विवरण देना आवश्यक है।

तथापि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 05 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी गई है। अतः इसके विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किए गए हैं।

29.0 डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी)

कंपनी द्वारा विभिन्न सीरीज के बॉण्डों के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर न्यासियों के विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

30.0 अदावित राशि का मोचन (रिडेम्पशन) और स्थिति

बॉण्ड

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार बॉण्डों की अदावित/बकाया राशि (मूलधन+ब्याज) ₹11.88 करोड़ थी। पिछले वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आईईपीएफ को हस्तांतरित बॉण्ड की दावा न की गई /बकाया राशि ₹0.05 करोड़ थी।

इक्विटी

31 मार्च, 2016 को लाभांश (इक्विटी) की अदावित राशि तथा (एफपीओ) को लौटाने के लिए शेष राशि तथा प्राप्त किया गया आवेदन धन क्रमशः ₹1.72 करोड़ तथा ₹0.038 करोड़ था। ₹0.109 करोड़ तथा ₹0.053 करोड़ की राशि 'कंपनी के दावा न की गई और चुकाए न गए डिविडेंड के तहत इन्वेस्टर एजूकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीई) को क्रमशः अप्रैल, 2015 तथ अक्टूबर, 2015 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में ट्रांसफर कर दी गई। निवेशकों का विवरण (जिनका रिफंड शेष है) पीएफसी की वेबसाइट पर और आईईपीएफ की वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

31.0 कार्मिक स्टॉक चयन योजना (ईएसओपी)

लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने वेतन संशोधन पर अपने निर्देशों के माध्यम से भी केंद्रीय क्षेत्र के सभी सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए यह अनिवार्य किया था कि वे एक कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) तैयार करें और ईएसओपी के रूप में कार्मिकों को निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) के 10% से 25% का भुगतान करें। डीपीई के इन दिशा–निर्देशों के अनुरूप आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 'पीएफसी ईएसओपी 2010' शीर्षक के अंतर्गत एक कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना तैयार की थी। शेयरधारकों ने भी 21 सितंबर 2010 को आयोजित 24वीं आम बैठक में कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना को अनुमोदित कर दिया था। तत्पश्चात, निदेशक मंडल ने ईएसओपी के रूप में कार्मिकों को पीआरपी की 25% राशि का भुगतान करने के लिए निदेशित किया था। तथापि, डीपीई द्वारा 30 जुलाई 12 में बाद में जारी किए गए स्पष्टीकरण को ध्यान

में रखते हुए यह पीआरपी आधारित स्टॉक विकल्प योजना ऐच्छिक बना दिया गया। ईएसओपी से संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी में उपर्युक्त का कार्यान्वयन लागू नियमों/विनियमों/लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों और स्पष्टीकरणों के अनुसार किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इस आशय का एक प्रमाणपत्र कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अलावा अब तक 'पीएफसी–ईएसओपी 2010' के अंतर्गत स्वीकृति अथवा लागू करने के लिए कोई विकल्प लंबित नहीं हैं। इसके अलावा वर्ष 2015–16 के दौरान, किसी भी कार्मिक को/उसके द्वारा कोई भी विकल्प स्वीकृत/लागू नहीं किया गया।

32.0 सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, सतर्कता यूनिट ने निवारक सतर्कता पर जोर देते हुए प्रबंधन के प्रभावी तंत्र के रुप में कार्य किया। इस संदर्भ में सतर्कता यूनिट ने विभिन्न यूनिटों का आवधिक व आकस्मिक निरीक्षण करके प्रणाली को सरल बनाने के कारगर दिशा–निर्देश जारी किए जिनका उद्देश्य दिन–प्रतिदिन में कार्यो में मौजूदा खामियों को दूर करके पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और इससे दुरुपयोग की संभावना भी कम हो जाती है। सभी शेयरधारकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल एक प्रभावी टूल के रूप में किया गया और संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। सतर्कता यूनिट ने कंपनी के विभिन्न कार्यकलापों से संबंधित प्रचालन मैनुअलों की भी समीक्षा की। समीक्षा के पश्चात, कंपनी के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई व्यापक मैनुअलों को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और कुछ अन्य मैनुअलों को अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रिया चल रही है। इस अवधि के दौरान पंजीकृत शिकायतों के संबंध में विस्तृत जांच की गई।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कंपनी के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में 26 अक्टूबर, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया। ''सतर्कता जगरूकता सप्ताह'' के दौरान विभिन्न कार्यकलापों के भाग के रूप में निगम में कार्मिकों के लिए ''सुशासन'' पर एक–दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

सीवीसी के अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में, निगम में संवेदनशील पदों की नए सिरे से पहचान की गई और संबंधित अधिकारियों का रोटेशन किया गया। सीबीआई के साथ परामर्श से दिल्ली स्थित निगमित कार्यालय और मुंबई और चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के संदर्भ में वर्ष 2015 के लिए आम सहमति से कार्मिकों की सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। विहित आवधिक सांख्यिकीय रिपोर्टें सीवीसी, सीबीआई और विद्युत मंत्रालय को समय पर भेजी गई।

इस प्रकार सतर्कता यूनिट ने अधिक पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से व्यवस्थित सुधारों के लिए काम किया और इस प्रकार पूरे संगठन की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान दिया।

33.0राजभाषा

पीएफसी में हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सफलता हमारे छोटे–छोटे प्रयासों से प्राप्त होती है, जो हमें कार्य दिवस और उसके

श्री एम. के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिनांक 14 सितंबर, 2016 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के कर–कमलों द्वारा वर्ष 2015–16 में राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए ''राजभाषा कार्ति'' प्रथम पुरस्कार ('क' क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में) प्राप्त करते हुए। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह, माननीय गृह मंत्री और श्री किरेन रीजीजू, माननीय गृह राज्यमंत्री भी उपस्थित थे।

बाद भी करते रहने पड़ते हैं और इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब होता है, जब हम अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करते हैं। यह पीएफसी के लिए एक बड़े गर्व का विषय है कि पीएफसी को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए इसके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के लिए 'क' क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है। यह गौरवशाली पुरस्कार सीएमडी, पीएफसी ने भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के कर कमलों से ग्रहण किया।

निगम में राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और एक नितांत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और पीएफसी परिसर में ही पीएफसी के कार्मिकों के लिए 'पारंगत पाठ्यक्रम' की कक्षाओं का शुभारंभ किया गया, जिसकी अंतिम परीक्षा में 21 कार्मिक बैठे। यह पाठ्यक्रम राजभाषा विभाग द्वारा पहली बार लागू किया गया था और पीएफसी इस पाठ्यकम को अपनाने वाले गिने–चुने संगठनों में से एक है। यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि सभी कार्मिकों ने इस परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए। 'राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभाग को शील्ड' नामक एक नई हिंदी प्रोत्साहन योजना लागू की गई।

सीएमडी, पीएफसी की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकों का आयोजन किया गया। यूनिट स्तर पर भी विभागीय हिंदी बैठकों का आयोजन किया गया। **'जीएसटी बिल'** पर एक तकनीकी सेमिनार हिंदी में आयोजित किया गया, जिसमें 31 अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें पीएफसी के कुछ वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। 16 जुलाई, 2015 को पीएफसी के स्थापना दिवस के अवसर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पांच कवियों ने अपना काव्य पाठ किया।

निगम में हिंदीमय वातावरण निर्मित करने के लिए क्रमशः 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 14 सितंबर से 13 अक्टूबर, 2015 के दौरान हिंदी माह का आयोजन किया गया। हिंदी माह के दौरान अन्य कार्यकलापों के अलावा बहुत सी प्रतियोगिताओं जैसे वर्तनी शोधन, भावाभिव्यक्ति, मूक प्रहेलिका (डंब शैरेड्स), अंत्याक्षरी का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर 121 अधिकारियों/कार्मिकों ने भाग लिया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) के तत्वावधान में 'समाचार रिपोर्टिंग' विषय पर अंतर पीएसयू प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 26.11.2015 को किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के 29 कार्मिकों ने भाग लिया। 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' के दौरान भी 3 प्रतियोगिताएं हिंदी में आयोजित की गई। वर्ष 2014–15 के लिए राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रोत्साहन येजनाओं के तहत 129 कार्मिकों को पुरस्कृत किया गया। एक प्रोत्साहन योजना के तहत पीएफसी के कार्मिकों के पांच बच्चों को भी पुरस्कार दिए गए।

हिंदी में अपना दिन–प्रतिदिन का सरकारी कामकाज करने में कार्मिकों की दक्षता बढ़ाने के प्रयोजन से निगम के 177 कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों के लिए 8 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। विभिन्न विषयों पर चार हिंदी संगोष्ठियां आयोजित की गई, जिनमें 114 कार्मिकों ने भाग लिया। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम के रूप में आंतरिक निरीक्षण किए गए। इसका प्रयोजन संबंधित यूनिटों द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए सुधार के क्षेत्रों का पता लगाना और संबंधित स्टाफ के साथ चर्चा करना और तदनुसार उनका मार्गदर्शन करना है। विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में कार्मिकों को हिंदी में एसएमएस भी भेजे गए।

सभी कार्मिकों को वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक कार्यक्रम परिचालित किया गया और दिनांक 29.06.2015 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उस पर चर्चा की गई। निगम की वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में प्रकाशित की गई। निगम की गृह पत्रिका 'ऊर्जा दीप्ति' का भी प्रकाशन किया गया। निगम के प्रत्येक कार्मिक को 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' द्वारा प्रकाशित' अंग्रेजी–हिंदी प्रशासनिक शब्दावली' वितरित की गई ताकि उन्हें अपना दिन–प्रतिदिन का सरकारी कामकाज हिंदी में करने में सहूलियत हो।

ये सभी प्रयास निगम में हिंदी के बेहतर और प्रगामी प्रयोग की संभावनाएं बढ़ाने में प्रेरणादायक साधन के रूप में किए गए।

34.0 सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सार्वजनिक सत्यता सुनिश्चित करने और नागरिकों का सशक्तिकरण करने वाला एक प्रभावी साधन है। यह सरकार के कार्यकलापों के बारे में नागरिकों को सूचना देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास करता है। अधिनियम के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि बेहतर ढंग से सूचना प्राप्त नागरिक सुशासन के लिखतों पर आवश्यक सतर्कता रख सकता है और सरकार को अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेह बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक बेहतर और प्रभावी ढंग से सूचना प्राप्त की जा सके और केंद्र तथा राज्य दोनों के सार्वजनिक विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके और उनकी जवाबदेही में सुधार किया जा सके। सूचना प्राप्तकर्ता को कुछ अपवादों को छोड़कर सार्वजनिक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत काफी व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।

आपकी कंपनी ने नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने और जबावदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 (आरटीआई एक्ट, 2005) का कार्यान्वयन किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत कार्यालय में सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ), एक अपीलीय प्राधिकारी के अलावा एक पारदर्शिता अधिकारी नामित किया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सभी 173 आवेदनों के संबंध में विधिवत कार्रवाई की गई और लोगों को अपेक्षित जानकारी दी गई। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुपालन में सभी आवश्यक जानकारी कंपनी की बेवसाइट पर भी अपलोड की गई। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट ऑन लाइन भरने के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया है।

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत स्वमेव प्रकटन

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 में शामिल प्रकटन के प्रावधानों के अनुपालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/6/2011–आई आर के तहत निम्नलिखित निर्देश जारी किए:–

i. धारा 4 के तहत अधिक उत्पादों का स्वमेव प्रकटन;

ii. धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटन के डिजिटल प्रकाशन हेतु दिशानिर्देश;

iii. प्रकटन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु धारा 4(1) के निश्चित उपभागों के लिए दिशानिर्देश;

iv. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत स्वमेव प्रकटन (सक्रिय प्रकटन) हेतु अनुपालन तंत्र

पूर्वकथित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में आपकी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर आवश्यक सूचना जारी कर दी है।

35.0 शिकायत निवारण

कंपनी ने अपने कार्मिकों, ग्राहकों और व्यापक स्तर पर जनता की शिकायतों के निवारण हेतु अलग शिकायत निवारण प्रणालियां मौजूद हैं। ये प्रणालियां विधिवत रूप से अधिसूचित हैं और लोगों को आसानी से उपलब्ध हैं। निर्धारित समय सीमा में शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए एक नामित नोडल अधिकारी को जबावदेह बनाया गया है। कंपनी ने अपने कार्यकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक चार्टर भी अधिसूचित किया है। लोगों की पहुंच सुकर बनाने के उद्देश्य से यह चार्टर कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

36.0 नियामकों अथवा न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा जारी किए गए ऐसे महत्वपूर्ण और जरुरी आदेशों के विवरण, जिनसे भविष्य में कंपनी का निरंतर जारी प्रतिष्ठान का दर्जा और कंपनी का प्रचालन प्रभावित हो सकता है

किसी भी नियामक अथवा न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण और जरुरी आदेश जारी नहीं किए गए, जिनसे वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी का निरंतर जारी प्रतिष्ठान का दर्जा और कंपनी का प्रचालन प्रभावित हुआ हो।

37.0 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से प्रापितयों का विवरण

वर्ष 2015–16 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से की गई प्राप्तियों का विवरण तथा वित्तवर्ष 2016–17 के लक्ष्य जिन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत दर्शाया गया है, निम्निलिखित हैं:

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2015–16	वित्त वर्ष 2016–17 का लक्ष्य
I	कुल वार्षिक प्राप्ति (मूल्य में)	₹ 15,63,36,257	₹ 15,00,00,000
II	एमएसई से प्राप्त वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा स्वायत्त एमएसई सहित)*	₹ 26,18,3,291	₹ 3,00,00,000
III	केवल एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा स्वायत्त एमएसई को प्राप्त वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य**	–	₹ 60,00,000
IV	कुल प्राप्तियों में से एमएसई की प्राप्तियों का प्रतिशत (एमसी/एसटी उद्यमियों द्वारा स्वायत्त एमएसई सहित)	16.75%	20%
V	कुल प्राप्तियों में से केवल एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा स्वायत्त एमएसई की प्राप्तियों का प्रतिशत	–	4%
VI	एमएसई हेतु रेहड़ी विकास कार्यक्रम की कुल संख्या	6 महीने में 5 रेहड़ी कार्यक्रम जो ईओआई के पुनर्भुगतान पर निर्भर करता है।	6 महीने में 3 रेहड़ी विकास कार्यक्रम
VII	हाइपरलिंक द्वारा कंपनी वेबसाइट पर वार्षिक एमएसई प्राप्ति प्रोफाइल को अपलोड करने की पुष्टि	www.pfcindia.com पर	

*प्राप्ति मूल्य में एमएएएमई, केबी, एनसीसीएफ, डीसीसीडब्लूएस लिमिटेड, हेण्डिक्राफ्ट इम्पोरियम तथा सेंट्रल काटेज इंडस्ट्रीज की खरीदारी शामिल है।
**एमएसएमई एससी/ एसटी एजेंसी के माध्यम से उत्पाद की उपलब्धता का विषय

38.0 सांविधिक और अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक सूचना, सेबी (सूचीबद्ध किए जाने वाली आपत्तियां तथा प्रकटन आवश्यकता) नियामक 2015, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश आदि के विवरण इस रिपोर्ट के संलग्नक में निम्नानुसार दिए गए हैं:–

विवरण	अनुबंध
डिबेंचर न्यासी का विवरण	ए
वार्षिक रिटर्न का सार (एमजीटी–9)	बी
सीएसआर कार्यकलाप पर वार्षिक रिपोर्ट	सी
संबंधित पार्टी (एओसी–2) से कंपनी के द्वारा संविदा/आयोजन के विवरण का प्रकटन	डी
प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	ई
निगमित शासन पर रिपोर्ट	एफ
व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	जी
सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	एच

39.0 स्वीकारोक्ति

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, निगमित कार्य मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और केंद्र तथा राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों / एजेंसियों के साथ–साथ विभिन्न घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों / बैंकों, एजेंसियों आदि द्वारा कंपनी को दिए गए मार्गदर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन के लिए तहेदिल से उनकी प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और भारतीय बैंकों / बहुराष्ट्रीय एजेंसियों / वित्तीय संस्थानों / क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के प्रति उनके द्वारा पीएफसी पर लगातार व्यक्त किए गए विश्वास और भरोसे के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आ।का निदेशक मंडल उपभोक्ताओं और ग्राहकों के प्रति भी उनके सतत विश्वास और सहायता के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

कंपनी भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षकों का भी उनके सृजनात्मक सुझावों और सजहयोग के लिए धन्यवाद करती है।

हम कंपनी का चहुमुखी उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कार्मिकों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए उनकी भी तहेदिल से प्रशंसा करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

(एम.के.गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 00239813

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई 2016

विभिन्न श्रेणी के बॉण्डों के लिए आपकी कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड श्रृंखला
1.	**आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिस लिमिटेड** विश्वस्त भवन, प्रथम तल, 218 प्रतापगंज पेठ सतारा–415002	7.6% करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला–XXV 8.85% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–XXVIII 8.80% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–XXIX-A 8.78% टीएएक्सयू बॉण्ड–XXIX-A श्रृंखला 9.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला XXXIII-B 9.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला XXXIV 9.96% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला XXXV 9.28% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–XLC 9.68% बॉण्ड श्रृंखला XLVII-C 10.55% टीएएक्सयू बॉण्ड (XLVIII-C)-2018 10.85% टीएएक्सयू बॉण्ड–XLIX-B 11.00% टीएएक्सयू बॉण्ड–LI-C 11.25% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–LII-C 8.60% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–57B 8.60% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–57C 8.80% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–59B आईएनसीएमटीबीएमके+179बीएसपी टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–60B 8.50% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–61 8.50% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–61 8.70% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–62A 8.80% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–62B 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–63 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–63 8.95% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–64 8.95% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–64
2.	**पीएनबी इंवेस्टमेंट सर्विसिस लिमिटेड** 10, राकेशदीप बिल्डिंग, युसुफ सराय, कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर एंक्लेव, नई दिल्ली–110049	8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–65 8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–65 8.65% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–66-A 8.75% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–66-B 8.85% पीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–66-C 8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–68-B 8.78% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–70 9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–71 9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–71 9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–71 8.97% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–72-A 8.99% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–72-B दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011–12 श्रृंखला–I दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011–12 श्रृंखला–II

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड श्रृंखला
		दीर्घकालीन अवसंरचना बाँण्ड 2011–12 श्रृंखला–III दीर्घकालीन अवसंरचना बाँण्ड 2011–12 श्रृंखला–IV दीर्घकालीन अवसंरचना बाँण्ड 2011–12 श्रृंखला–86A दीर्घकालीन अवसंरचना बाँण्ड 2011–12 श्रृंखला–86B दीर्घकालीन अवसंरचना बाँण्ड 2011–12 श्रृंखला–86C दीर्घकालीन अवसंरचना बाँण्ड 2011–12 श्रृंखला–86D 9.18% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–73 9.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–74 9.62% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–75-B 9.61% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–75-C 9.36% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–76-A 9.46% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–76-B 9.41% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–77-A 9.45% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–77-B 9.44% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–78-B 7.51% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–79-A 7.75% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–79-B 8.09% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–80-A 8.16% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–80-B 9.64% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–82-B 9.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–82-C 9.33% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–84 9.30% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–85-C 9.26% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–85-D 9.72% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–87-B 9.42% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–87-D 9.48% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–88-C
3.	**कैटालिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड** **(पूर्ववर्ती ''जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड'')** ''जीडीए हाउस'', प्लॉट नं. 85, सर्वे संख्या 94/95, पॉड रोड, पुणे–411038	दीर्घकालीन अवसंरचना बाँण्ड 2010–2011 श्रृंखला–I दीर्घकालीन अवसंरचना बाँण्ड 2010–2011 श्रृंखला–II दीर्घकालीन अवसंरचना बाँण्ड 2010–2011 श्रृंखला–III दीर्घकालीन अवसंरचना बाँण्ड 2010–2011 श्रृंखला–IV कर मुक्त बाँण्ड 2011–12 श्रृंखला–I कर मुक्त बाँण्ड 2011–12 श्रृंखला–II 7.21% कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–94-A 7.38% कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–94-B 7.22% कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–95-A 7.38% कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–95-B 9.52% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–89-A 9.61% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–90-A 9.41% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–90-B बॉण्ड श्रृंखला–91-A बॉण्ड श्रृंखला–91-B 9.01% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–92-A

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड श्रृंखला
		9.27% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–92-B 9.29% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–92-C पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–93-B 8.72% करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला–98-I (2017) 8.72% करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला–98-II (2018) 8.72% करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला–98-III (2019) 8.77% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–99-A 8.82% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–99-B 8.86% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–100-A 8.84% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–100-B 8.95% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–101-A 9.00% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–101-B 8.90% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–102-A (I) 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–102-A (II) 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–102-A (III) 8.87% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–102-B 8.94% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–103 9.11% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–115–I 9.15% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–115–II 9.20% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–115–III 9.16% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–116 9.32% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–117-A 9.37% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 117–B 9.30% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–118–A 9.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–118–B-I 9.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–118–B-II 9.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–118–B-III 9.32% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–119–B 8.98% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–120–A 8.98% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–120–B 8.90% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–121–A 8.96% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–121–B 8.76% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–122 8.50% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–123–A 8.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–123–B 8.66% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–123–C 8.52% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–124–A 8.55% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 124–B 8.48% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 124–C 8.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 125

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड श्रृंखला
		8.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–126 8.36% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–127 8.20% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–128 8.29% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–129–A 8.29% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–129–B 8.40% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–130–A 8.42% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–130–B 8.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–130–C 8.34% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–131–A 8.38% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–131–B 8.41% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–131–C
4.	**आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड** दि आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर प्लॉट सी–22, जी ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा ईस्ट, मुंबई–400051	9.60% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2017) श्रृंखला–XIII 8.21% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2017) श्रृंखला–XVII 7.87% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2017) श्रृंखला–XVIII शून्य कूपन बॉण्ड (2022) श्रृंखला–XIX 8.35% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 104–A 8.19% पीएफसी सहायता प्राप्त टीआरII–कर्ज बॉण्ड श्रृंखला 105 8.27% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 106–B 8.01% टैक्स फ्री बॉण्ड–श्रृंखला 107–A 8.46% टैक्स फ्री बॉण्ड–श्रृंखला 107–B 9.80% करयोग्य बॉण्ड–श्रृंखला 108 9.81% प्रतिभूत करयोग्य बॉण्ड–श्रृंखला 109 9.65% पीएफसी सहायता प्राप्त टीआरII–कर्ज बॉण्ड श्रृंखला 111 9.70% करयोग्य प्रतिभूत बॉण्ड–श्रृंखला 112 A 9.70% करयोग्य प्रतिभूत बॉण्ड–श्रृंखला 112 B 9.70% करयोग्य प्रतिभूत बॉण्ड–श्रृंखला 112 C 9.69% करयोग्य प्रतिभूत बॉण्ड–श्रृंखला 113 9.70% पीएफसी सहायता प्राप्त टीआरII–कर्ज बॉण्ड श्रृंखला 114 7.19% 10 वर्ष कर मुक्त बॉण्ड 12–13 टीआर–1 श्रृंखला–1 7.69% 10 वर्ष कर मुक्त बॉण्ड 2012–13 टीआर–1 श्रृंखला–1 7.36% 15 वर्ष कर मुक्त बॉण्ड 2012–13 टीआर–1 श्रृंखला–2 7.86% 15 वर्ष करमुक्त बॉण्ड 2012–13 टीआर–1 श्रृंखला–2 6.88% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13 7.38% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13 7.04% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13 7.54% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13 कर मुक्त बॉण्ड 2013–14 ट्रेंच I श्रृंखला 1A कर मुक्त बॉण्ड 2013–14 ट्रेंच I श्रृंखला 2A कर मुक्त बॉण्ड 2013–14 ट्रेंच I श्रृंखला 3A कर मुक्त बॉण्ड 2013–14 ट्रेंच I श्रृंखला 1B कर मुक्त बॉण्ड 2013–14 ट्रेंच I श्रृंखला 2B कर मुक्त बॉण्ड 2013–14 ट्रेंच I श्रृंखला 3B

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड श्रृंखला
5.	**माइलस्टोन ट्रस्टीशिप सर्विसिज प्राइवेट लि.** 602, हॉलमार्क, बिजनेस प्लाजा, संत ध्यानेश्वर मार्ग, अपोजिट गुरू नानक हॉस्पिटल बांद्रा (पूर्व) मुंबई–400051	8.03% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 132–A 8.09% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 132–B 8.00% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 133–A 8.00% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 133–B 8.35% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 134–A 8.39% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 134–B 8.40% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 135–A 8.50% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 135–B 7.16% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 136 8.53% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 137 8.45% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 138 8.12% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 139–A 8.12% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 139–B 8.17% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 139–C 8.28% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 140–A 8.36% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 140–B 8.46% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 141–A 8.40% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 141–B 7.88% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 142–A 8.00% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 142–A 8.12% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 143 7.98% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 144 7.11% कर मुक्त बॉण्ड 1, 17.10.2015 7.36% कर मुक्त बॉण्ड 1बी 17.10.2015 7.27% कर मुक्त बॉण्ड 2, 17.10.2015 7.52% कर मुक्त बॉण्ड 2बी 17.10.2015 7.35% कर मुक्त बॉण्ड 3, 17.10.2015 7.60% कर मुक्त बॉण्ड 3बी 17.10.2015

फॉर्म सं. एमजीटी–9
वार्षिक विवरणी का सारांश
31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुक्रम में]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

i)	सीआईएन :–	एल 65910 डीएल 1986 जीओआई 024862
ii)	पंजीकरण की तारीख	16 जुलाई, 1986
iii)	कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	पब्लिक कंपनी/सरकारी कंपनी, एनबीएफसी, शेयरों द्वारा लिमिटेड, कंपनी जिनके पास शेयर पूंजी है।
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क	**पंजीकृत कार्यालय:** 'ऊर्जा निधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 **कंपनी सचिव** श्री मनोहर बलवानी फोन : +91 11 23456020 फैक्स : +91 11 23456786 ई–मेल : investorsgrlevance@pfcindia.com
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है?	हाँ
vii)	पंजीकृत एवं स्थानांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क यदि कोई है	**पंजीकृत कार्यालय** कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ''कार्वी हाउस'', 46, एवेन्यू 4, स्ट्रीट नं. 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद–500034, तेलंगाना, भारत, फोन : +91 40 23312454 टोल फ्री : 1800 4258282 फैक्स : +91 40 23311968 **कम्यूनिकेशन पता** कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ''कार्वी सिलेनियम टॉवर बी'' प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्टए नानक्रमागुडा, गाचीबोली, हैदराबाद–500032, आंध्र प्रदेश, भारत फोन : +91 40 67162222 फैक्स : +91 40 23420814 ई–मेल : support@karvy.com वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

II. कंपनी के मुख्य कारोबारी कार्य–कलाप

सभी कारोबारी कार्य–कलापों, जो कंपनी के कुल टर्नओवर में उसके 10% या उससे अधिक का योगदान करते हैं का उल्लेख किया जाएगा :

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर नाम तथा विवरण का %
1	ऋण पर ब्याज तथा अन्य सेवाओं से आय	64920 (अन्य वित्तीय सेवाएं कार्य–कलाप सिवाय बीमा तथा पेंशन वित्तीयन कार्य–कलापों को छोड़कर)	100

III. धारित, सहयोगी तथा सहायक कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारित/ सहयोगी/ हायक	धारित शेयर का%	प्रयुक्त खंड
1	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	यू 74140 डीएलवाई 2008जीओआई 175858	सहायक कंपनी	100	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (87)
2	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	यू 65923 डीएल 2011 जीओआई 216796	सहायक कंपनी	100	
3	पीएफसी कैपिटल एडवाईजरी सर्विसिस लिमिटेड	यू 74140 डीएल 2011 जीओआई 222484	सहायक कंपनी	100	
4	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाईजर प्राइवेट लिमिटेड	यू 65100 डीएल 2008 पीटीसी 175845	सहायक कंपनी	100	
5	छतीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (पूर्ववर्ती अकलतारा पावर लिमिटेड)	यू 40102 डीएल 2006 जीओआई 146111	सहायक कंपनी	100	
6	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	यू 40102 डीएल 2006 जीओआई 146109	सहायक कंपनी	100	
7	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	यू 40102डीएल 2006 जीओआई 146953	सहायक कंपनी	100	
8	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	यू 40102डीएल2007 जीओआई 157615	सहायक कंपनी	100	
9	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	यू 40102 डीएल 2006 जीओआई 152423	सहायक कंपनी	100	
10	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर	यू 40108 डीएल 2008 जीओआई 178409	सहायक कंपनी	100	
11	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर	यू 45207डीएल2008 जीओआई 178456	सहायक कंपनी	100	
12	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	यू 40200डीएल2009 जीओआई 189476	सहायक कंपनी	100	
13	देवधर मेगा पावर लिमिटेड	यू 40300डीएल2012 जीओआई 234839	सहायक कंपनी	100	
14	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	यू 93000 डीएल 2014 जीओआई 263819	सहायक कंपनी	100	
15	उड़ीसा इंफ्रा लिमिटेड	यू 93000 डीएल 2014 जीओआई 263902	सहायक कंपनी	100	
16	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	यू 93000 डीएल 2015 जीओआई 282164	सहायक कंपनी	100	
17	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	यू 93000 डीएल 2015 जीओआई 282192	सहायक कंपनी	100	
18	बिहार मेगापावर लिमिटेड	यू 93000 डीएल 2015 जीओआई 282653	सहायक कंपनी	100	
19	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	यू 40300 डीएल 2015 जीओआई 288311	सहायक कंपनी	100	
20	बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	यू 74999 डीएल 2013 जीओआई 257470	सहायक कंपनी	शून्य	
21	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	यू 74999 डीएल 2013 जीओआई 257471	सहायक कंपनी	शून्य	
22	मोहिंदरगढ़–भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	यू 40106 डीएल 2014 जीओआई 274558	सहायक कंपनी	शून्य	
23	साउथ–सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	यू 40109 डीएल 2015 जीओआई 276863	सहायक कंपनी	शून्य	
24	ओडिशा जेनरेशन फेज–II ट्रांसमिशन लिमिटेड	यू 40300 डीएल 2015 जीओआई 279183	सहायक कंपनी	शून्य	
25	वरोरा–कुर्नुल ट्रांसमिशन लिमिटेड	यू 40300 डीएल 2015 जीओआई 279272	सहायक कंपनी	शून्य	
26	गुड़गांव –पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड	यू 40300 डीएल 2015 जीओआई 286783	सहायक कंपनी	शून्य	
27	कोहिमा–मरियानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	यू 40102 डीएल 2016जीओआई 290060	सहायक कंपनी	शून्य	
28	मेदिनीपुर–जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	यू 40300 डीएल 2016 जीओआई 290075	सहायक कंपनी	शून्य	
29	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	यू 40100 डीएल 2008 पीएलसी 185689	संयुक्त उद्यम	16.66	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (6)
30	एनर्जी इफिसिएंशी सर्विसिस लिमिटेड	यू 40200 डीएल 2009 पीएलसी 196789	संयुक्त उद्यम	28.79	

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी का प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

i) श्रेणी–वार शेयरधारिता

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के दौरान % अंतर
	डीमैट	भौतिक	जोड़	पूरे शेयर का %	डीमैट	भौतिक	जोड़	पूरे शेयर का %	
क. प्रमोटर्स									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति रूप में/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) केंद्र सरकार	960955589	0	960955589	72.80	894924366	0	894924366	67.80	–5.00
ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
घ) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
ड़) बैंक/एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
च) कोई अन्य...	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क) (1):–	960955589	0	960955589	72.80	894924366	0	894924366	67.80	–5.00
(2) विदेशी									
क) एनआरआई– व्यक्ति रूप मे	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ख) अन्य–व्यक्ति रूप में	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ग) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
च) कोई अन्य...	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
उप–जोड़ (क) (2):–	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
प्रमोटर की कुल शेयर धारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	**960955589**	**0**	**960955589**	**72.80**	**894924366**	**0**	**894924366**	**67.80**	**–5.00**
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड	23528012	0	23528012	1.78	19790150	0	19790150	1.50	–0.28
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	25403394	0	25403394	1.92	39198732	0	39198732	2.97	1.05
ग) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
घ) राज्य सरकार/सरकारें	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
च) उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
छ) बीमा कंपनियां	67874670	0	67874670	5.14	128979672	0	128979672	9.77	4.63
झ) वित्तीय संस्थान	173108474	0	173108474	13.11	176100368	0	176100368	13.34	0.23
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
I) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(1):–	289914550	0	289914550	21.96	364068922	0	364068922	27.58	5.62
2. गैर–संस्थागत									
क) निगमित निकाय	35896125	0	35896125	2.72	18411601	0	18411601	1.39	–1.32
ख) व्यक्ति विशेष									
I) व्यक्ति विशेष के रूप में ऐसे शेयरधारक, जिनके पास एक लाख रुपए तक की सामान्य शेयर पूंजी है।	26892038	13436	26905474	2.04	33900166	16888	33917054	2.57	0.53
II) व्यक्ति विशेष के रूप में ऐसे शेयरधारक, जिनके पास एक लाख रुपए से अधिक की सामान्य शेयर पूंजी है।	3786473	0	3786473	0.29	4193186	0	4193186	0.32	0.03

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के दौरान % अंतर
	डीमैट	भौतिक	जोड़	पूरे शेयर का %	डीमैट	भौतिक	जोड़	पूरे शेयर का %	
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
समाशोधन सदस्य	391937	0	391937	0.03	504699	0	504699	0.04	0.01
विदेशी नागरिक	800	0	800	0.00	800	0	800	0.00	0.00
अनिवासी भारतीय	737387	0	737387	0.06	1490147	0	1490147	0.11	0.06
ट्रस्ट	1452369	0	1452369	0.11	2529929	0	2529929	0.19	0.08
उप जोड़ (ख)(2):–	69157129	13436	69170565	5.24	61030528	16888	61047416	4.62	–0.62
कुल सार्वजनिक शेयर धारिता (ख) = (ख)(1)+(ख)(2)	**359071679**	**13436**	**359085115**	**27.20**	**425099450**	**16888**	**425116338**	**32.20**	**5.00**
ग. जीडीआर और एडीआर के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
सकल योग (क + ख + ग)	**1320027268**	**13436**	**1320040704**	**100.00**	**1320023816**	**16888**	**1320040704**	**100.00**	

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. स.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में बंधक रखे गए/रोककर रखे गए शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में बंधक रखे गए/रोककर रखे गए शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	960955589	72.80	0.00	894924366	67.80	शून्य	.5.00
	जोड़	**960955589**	**72.80**	**0.00**	**894924366**	**67.80**	**शून्य**	**.5.00**

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (अगर कोई परिवर्तन न हो तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)

क्र. स.	विवरण		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित रूप में शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	भारत के राष्ट्रपति					
	वर्ष की शुरुआत में – प्रारंभिक शेष		960955589	72.80		
	तारीख	लेन–देन का प्रकार				
	10.04.2015	खरीद	29188	0.00	960926401	72.80
	31.07.2015	खरीद	66002035	5.00	894924366	67.80
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				894924366	67.80

iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से इतर) का शेयरधारिता पैटर्न

क्र. स.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित रूप में शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		63495336	4.81	63495336	4.81
	तारीख	लेन–देन का प्रकार				
	10.04.2015	खरीद	375000	0.03	63870336	4.84
	24.04.2015	खरीद	1564002	0.12	65434338	4.96
	01.05.2015	खरीद	1849077	0.14	67283415	5.10
	08.05.2015	खरीद	3713318	0.28	70996733	5.38
	15.05.2015	खरीद	1791151	0.14	72787884	5.51
	22.05.2015	खरीद	500720	0.04	73288604	5.55
	05.06.2015	खरीद	2026577	0.15	75315181	5.71
	12.06.2015	खरीद	1047509	0.08	76362690	5.78
	31.07.2015	खरीद	31794411	2.41	108157101	8.19
	07.08.2015	खरीद	2146936	0.16	110304037	8.36
	14.08.2015	खरीद	3731902	0.28	114035939	8.64
	21.08.2015	खरीद	1138854	0.09	115174793	8.73
	28.08.2015	खरीद	174500	0.01	115349293	8.74
	16.10.2015	खरीद	1354656	0.10	116703949	8.84
	23.10.2015	खरीद	283487	0.02	116987436	8.86
	30.10.2015	खरीद	107346	0.01	117094782	8.87
	06.11.2015	खरीद	809848	0.06	117904630	8.93
	13.11.2015	खरीद	1926158	0.15	119830788	9.08
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				119830788	9.08
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम और जीएस फंड					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		17468596	1.32	17468596	1.32
	तारीख	लेन–देन का प्रकार				
	10.04.2015	बिक्री	92297	0.01	17376299	1.32
	16.10.2015	खरीद	100658	0.01	17476957	1.32
	23.10.2015	खरीद	244141	0.02	17721098	1.34
	06.11.2015	खरीद	190000	0.01	17911098	1.36
	13.11.2015	खरीद	380000	0.03	18291098	1.39
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				18291098	1.39
3.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		16080746	1.22	16080746	1.22
	तारीख	लेन–देन का प्रकार				
	10.04.2015	खरीद	4144	0.00	16084890	1.22
	17.04.2015	खरीद	239290	0.02	16324180	1.24
	24.04.2015	बिक्री	59821	0.00	16264359	1.23
	01.05.2015	बिक्री	40880	0.00	16223479	1.23
	08.05.2015	बिक्री	1241727	0.09	14981752	1.13
	15.05.2015	खरीद	182010	0.01	15163762	1.15
	22.05.2015	बिक्री	120000	0.01	15043762	1.14
	05.06.2015	बिक्री	22573	0.00	15021189	1.14

क्र. स.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित रूप में शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	12.06.2015	बिक्री	53255	0.00	14967934	1.13
	19.06.2015	बिक्री	22838	0.00	14945096	1.13
	26.06.2015	बिक्री	145012	0.01	14800084	1.12
	03.07.2015	खरीद	49469	0.00	14849553	1.12
	10.07.2015	बिक्री	60420	0.00	14789133	1.12
	24.07.2015	खरीद	323978	0.02	15113111	1.14
	31.07.2015	खरीद	97	0.00	15113208	1.14
	07.08.2015	खरीद	193645	0.01	15306853	1.16
	14.08.2015	बिक्री	199948	0.02	15106905	1.14
	21.08.2015	खरीद	200000	0.02	15306905	1.16
	28.08.2015	बिक्री	354510	0.03	14952395	1.13
	04.09.2015	बिक्री	218471	0.02	14733924	1.12
	11.09.2015	बिक्री	301190	0.02	14432734	1.09
	18.09.2015	बिक्री	853000	0.06	13579734	1.03
	30.09.2015	खरीद	65	0.00	13579799	1.03
	16.10.2015	खरीद	91	0.00	13579890	1.03
	23.10.2015	खरीद	71	0.00	13579961	1.03
	30.10.2015	बिक्री	24759	0.00	13555202	1.03
	06.11.2015	बिक्री	599009	0.05	12956193	0.98
	13.11.2015	खरीद	37509	0.00	12993702	0.98
	20.11.2015	बिक्री	427000	0.03	12566702	0.95
	27.11.2015	बिक्री	288264	0.02	12278438	0.93
	04.12.2015	बिक्री	412913	0.03	11865525	0.90
	11.12.2015	बिक्री	1021887	0.08	10843638	0.82
	18.12.2015	बिक्री	98827	0.01	10744811	0.81
	31.12.2015	बिक्री	351000	0.03	10393811	0.79
	01.01.2016	बिक्री	514034	0.04	9879777	0.75
	08.01.2016	बिक्री	285855	0.02	9593922	0.73
	22.01.2016	खरीद	154711	0.01	9748633	0.74
	29.01.2016	बिक्री	55881	0.00	9692752	0.73
	05.02.2016	खरीद	261	0.00	9693013	0.73
	12.02.2016	बिक्री	2056450	0.16	7636563	0.58
	19.02.2016	बिक्री	790594	0.06	6845969	0.52
	26.02.2016	बिक्री	350915	0.03	6495054	0.49
	04.03.2016	बिक्री	405933	0.03	6089121	0.46
	11.03.2016	बिक्री	50000	0.00	6039121	0.46
	18.03.2016	बिक्री	115000	0.01	5924121	0.45
	25.03.2016	बिक्री	75000	0.01	5849121	0.44
	31.03.2016	बिक्री	210000	0.02	5639121	0.43
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				5639121	0.43

क्र. स.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित रूप में शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
4.	स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन (मॉरिशस) लिमिटेड					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		14420681	1.09	14420681	1.09
	तारीख	लेन–देन का प्रकार				
	10.04.2015	खरीद	37000	0.00	14457681	1.10
	17.04.2015	बिक्री	69000	0.01	14388681	1.09
	01.05.2015	बिक्री	15296	0.00	14373385	1.09
	08.05.2015	बिक्री	154615	0.01	14218770	1.08
	15.05.2015	बिक्री	87067	0.01	14131703	1.07
	22.05.2015	बिक्री	4264828	0.32	9866875	0.75
	29.05.2015	खरीद	78535	0.01	9945410	0.75
	05.06.2015	बिक्री	65901	0.00	9879509	0.75
	12.06.2015	बिक्री	383296	0.03	9496213	0.72
	19.06.2015	बिक्री	279368	0.02	9216845	0.70
	26.06.2015	खरीद	460691	0.03	9677536	0.73
	30.06.2015	खरीद	3000	0.00	9680536	0.73
	03.07.2015	खरीद	9728	0.00	9690264	0.73
	10.07.2015	खरीद	426000	0.03	10116264	0.77
	17.07.2015	खरीद	34680	0.00	10150944	0.77
	24.07.2015	खरीद	55592	0.00	10206536	0.77
	31.07.2015	खरीद	96668	0.01	10303204	0.78
	07.08.2015	खरीद	143093	0.01	10446297	0.79
	14.08.2015	बिक्री	23830	0.00	10422467	0.79
	21.08.2015	खरीद	44854	0.00	10467321	0.79
	28.08.2015	खरीद	191523	0.01	10658844	0.81
	04.09.2015	खरीद	119020	0.01	10777864	0.82
	11.09.2015	खरीद	236862	0.02	11014726	0.83
	18.09.2015	खरीद	4279	0.00	11019005	0.83
	25.09.2015	खरीद	60737	0.00	11079742	0.84
	30.09.2015	खरीद	3905	0.00	11083647	0.84
	02.10.2015	खरीद	13923	0.00	11097570	0.84
	09.10.2015	बिक्री	65425	0.00	11032145	0.84
	16.10.2015	खरीद	248671	0.02	11280816	0.85
	23.10.2015	खरीद	152818	0.01	11433634	0.87
	30.10.2015	बिक्री	82441	0.01	11351193	0.86
	06.11.2015	खरीद	640189	0.05	11991382	0.91
	13.11.2015	खरीद	1562	0.00	11992944	0.91
	20.11.2015	खरीद	320181	0.02	12313125	0.93
	27.11.2015	बिक्री	6000	0.00	12307125	0.93
	04.12.2015	खरीद	82638	0.01	12389763	0.94
	11.12.2015	खरीद	12083	0.00	12401846	0.94
	18.12.2015	खरीद	26113	0.00	12427959	0.94
	25.12.2015	खरीद	414000	0.03	12841959	0.97
	31.12.2015	बिक्री	65661	0.00	12776298	0.97
	01.01.2016	बिक्री	738000	0.06	12038298	0.91

क्र. स.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित रूप में शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	08.01.2016	खरीद	36376	0.00	12074674	0.91
	15.01.2016	खरीद	44648	0.00	12119322	0.92
	22.01.2016	खरीद	10455	0.00	12129777	0.92
	29.01.2016	बिक्री	544850	0.04	11584927	0.88
	05.02.2016	बिक्री	308219	0.02	11276708	0.85
	12.02.2016	खरीद	520279	0.04	11796987	0.89
	19.02.2016	बिक्री	96782	0.01	11700205	0.89
	26.02.2016	बिक्री	95929	0.01	11604276	0.88
	04.03.2016	बिक्री	2000	0.00	11602276	0.88
	11.03.2016	खरीद	10000	0.00	11612276	0.88
	18.03.2016	बिक्री	678730	0.05	10933546	0.83
	25.03.2016	खरीद	18287	0.00	10951833	0.83
	31.03.2016	खरीद	9912	0.00	10961745	0.83
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष			0.00	10961745	0.83
5.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी एमआईडी कैप्पोपोर					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		6700000	0.51	6700000	0.51
	तारीखवार वृद्धि/वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता, जिसमें वृद्धि/ह्रास (जैसे आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी का कारण विर्निष्ट किया गया हो।)		कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				6700000	0.51
6.	विजडमट्री ट्रस्ट ए/सी विजडमट्री इंडिया इनवेस्टमेंट पी					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		6269854	0.47	6269854	0.47
	तारीख	लेन–देन का प्रकार				
	10.04.2015	खरीद	23948	0.00	6293802	0.48
	17.04.2015	खरीद	23948	0.00	6317750	0.48
	01.05.2015	खरीद	24160	0.00	6341910	0.48
	08.05.2015	खरीद	60391	0.00	6402301	0.49
	15.05.2015	खरीद	120790	0.01	6523091	0.49
	22.05.2015	खरीद	144968	0.01	6668059	0.51
	29.05.2015	खरीद	169209	0.01	6837268	0.52
	05.06.2015	खरीद	133050	0.01	6970318	0.53
	12.06.2015	खरीद	36729	0.00	7007047	0.53
	10.07.2015	बिक्री	24498	0.00	6982549	0.53
	31.07.2015	बिक्री	232674	0.02	6749875	0.51
	07.08.2015	बिक्री	434661	0.03	6315214	0.48
	14.08.2015	बिक्री	470132	0.04	5845082	0.44
	21.08.2015	बिक्री	84405	0.01	5760677	0.44
	28.08.2015	बिक्री	445838	0.03	5314839	0.40
	04.09.2015	बिक्री	108333	0.01	5206506	0.39
	11.09.2015	बिक्री	48128	0.00	5158378	0.39
	25.09.2015	बिक्री	725304	0.05	4433074	0.34
	16.10.2015	खरीद	32160	0.00	4465234	0.34
	23.10.2015	खरीद	32169	0.00	4497403	0.34

क्र. स.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित रूप में शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	13.11.2015	बिक्री	149629	0.01	4347774	0.33
	04.12.2015	बिक्री	42752	0.00	4305022	0.33
	11.12.2015	बिक्री	21384	0.00	4283638	0.32
	18.12.2015	बिक्री	53414	0.00	4230224	0.32
	25.12.2015	बिक्री	64068	0.00	4166156	0.32
	31.12.2015	बिक्री	128240	0.01	4037916	0.31
	08.01.2016	बिक्री	96135	0.01	3941781	0.30
	15.01.2016	बिक्री	96147	0.01	3845634	0.29
	29.01.2016	बिक्री	52127	0.00	3793507	0.29
	05.02.2016	बिक्री	146186	0.01	3647321	0.28
	18.03.2016	खरीद	176412	0.01	3823733	0.29
	25.03.2016	खरीद	51016	0.00	3874749	0.29
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				3874749	0.29
7.	वैनगार्ड एमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, ऐसेरी					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		5960004	0.45	5960004	0.45
	तारीख	लेन–देन का प्रकार				
	01.05.2015	खरीद	15400	0.00	5975404	0.45
	08.05.2015	खरीद	17500	0.00	5992904	0.45
	26.06.2015	बिक्री	239988	0.02	5752916	0.44
	14.08.2015	बिक्री	17500	0.00	5735416	0.43
	21.08.2015	बिक्री	42000	0.00	5693416	0.43
	28.08.2015	बिक्री	81900	0.01	5611516	0.43
	04.09.2015	बिक्री	112000	0.01	5499516	0.42
	11.09.2015	बिक्री	58800	0.00	5440716	0.41
	25.09.2015	बिक्री	15400	0.00	5425316	0.41
	30.09.2015	बिक्री	39389	0.00	5385927	0.41
	20.11.2015	बिक्री	41186	0.00	5344741	0.40
	27.11.2015	बिक्री	9610	0.00	5335131	0.40
	18.12.2015	बिक्री	24156	0.00	5310975	0.40
	25.12.2015	बिक्री	11124	0.00	5299851	0.40
	15.01.2016	बिक्री	30674	0.00	5269177	0.40
	22.01.2016	बिक्री	16056	0.00	5253121	0.40
	05.02.2016	बिक्री	56185	0.00	5196936	0.39
	12.02.2016	बिक्री	22435	0.00	5174501	0.39
	11.03.2016	खरीद	12660	0.00	5187161	0.39
	18.03.2016	बिक्री	16608	0.00	5170553	0.39
	25.03.2016	बिक्री	26951	0.00	5143602	0.39
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				5143602	0.39

क्र. स.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित रूप में शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
8.	सीपीएसई ईटीएफ					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		5424378	0.41	5424378	0.41
	तारीख	लेन–देन का प्रकार				
	03.04.2015	बिक्री	605	0.00	5423773	0.41
	10.04.2015	खरीद	63743	0.00	5487516	0.42
	17.04.2015	बिक्री	31460	0.00	5456056	0.41
	24.04.2015	बिक्री	14520	0.00	5441536	0.41
	01.05.2015	बिक्री	277304	0.02	5164232	0.39
	08.05.2015	बिक्री	7501	0.00	5156731	0.39
	15.05.2015	खरीद	31717	0.00	5188448	0.39
	22.05.2015	बिक्री	67396	0.01	5121052	0.39
	29.05.2015	बिक्री	8134	0.00	5112918	0.39
	05.06.2015	बिक्री	4648	0.00	5108270	0.39
	12.06.2015	बिक्री	4067	0.00	5104203	0.39
	19.06.2015	बिक्री	5229	0.00	5098974	0.39
	26.06.2015	बिक्री	17430	0.00	5081544	0.38
	30.06.2015	बिक्री	13944	0.00	5067600	0.38
	03.07.2015	बिक्री	12103	0.00	5055497	0.38
	10.07.2015	बिक्री	6391	0.00	5049106	0.38
	17.07.2015	बिक्री	8715	0.00	5040391	0.38
	24.07.2015	बिक्री	1162	0.00	5039229	0.38
	31.07.2015	खरीद	3486	0.00	5042715	0.38
	07.08.2015	खरीद	49966	0.00	5092681	0.39
	14.08.2015	खरीद	860329	0.07	5953010	0.45
	21.08.2015	खरीद	18090	0.00	5971100	0.45
	28.08.2015	बिक्री	60970	0.00	5910130	0.45
	04.09.2015	खरीद	11390	0.00	5921520	0.45
	11.09.2015	बिक्री	852994	0.06	5068526	0.38
	18.09.2015	खरीद	10368	0.00	5078894	0.38
	25.09.2015	खरीद	23831	0.00	5102725	0.39
	30.09.2015	खरीद	4616	0.00	5107341	0.39
	02.10.2015	खरीद	5770	0.00	5113111	0.39
	09.10.2015	खरीद	31160	0.00	5144271	0.39
	16.10.2015	खरीद	10404	0.00	5154675	0.39
	30.10.2015	बिक्री	1734	0.00	5152941	0.39
	06.11.2015	बिक्री	1734	0.00	5151207	0.39
	13.11.2015	बिक्री	108163	0.01	5043044	0.38
	20.11.2015	खरीद	28289	0.00	5071333	0.38
	27.11.2015	खरीद	1138	0.00	5072471	0.38
	04.12.2015	बिक्री	5121	0.00	5067350	0.38
	11.12.2015	खरीद	1138	0.00	5068488	0.38
	18.12.2015	खरीद	569	0.00	5069057	0.38
	25.12.2015	बिक्री	1707	0.00	5067350	0.38

क्र. स.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित रूप में शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	31.12.2015	बिक्री	3414	0.00	5063936	0.38
	08.01.2016	खरीद	14482	0.00	5078418	0.38
	15.01.2016	खरीद	572	0.00	5078990	0.38
	22.01.2016	बिक्री	572	0.00	5078418	0.38
	29.01.2016	बिक्री	572	0.00	5077846	0.38
	05.02.2016	खरीद	23452	0.00	5101298	0.39
	12.02.2016	बिक्री	16588	0.00	5084710	0.39
	19.02.2016	बिक्री	4004	0.00	5080706	0.38
	26.02.2016	बिक्री	31460	0.00	5049246	0.38
	04.03.2016	खरीद	152531	0.01	5201777	0.39
	11.03.2016	बिक्री	586	0.00	5201191	0.39
	18.03.2016	बिक्री	586	0.00	5200605	0.39
	25.03.2016	बिक्री	111206	0.01	5089399	0.39
	31.03.2016	खरीद	33689	0.00	5123088	0.39
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				5123088	0.39
9.	क्रेडिट स्विस (सिंगापुर) लिमिटेड					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		5316545	0.40	5316545	0.40
	तारीख	लेन–देन का प्रकार				
	10.04.2015	बिक्री	344466	0.03	4972079	0.38
	17.04.2015	खरीद	4936	0.00	4977015	0.38
	01.05.2015	खरीद	4927	0.00	4981942	0.38
	08.05.2015	खरीद	8000	0.00	4989942	0.38
	15.05.2015	बिक्री	82759	0.01	4907183	0.37
	29.05.2015	बिक्री	193318	0.01	4713865	0.36
	05.06.2015	बिक्री	34505	0.00	4679360	0.35
	19.06.2015	बिक्री	19211	0.00	4660149	0.35
	26.06.2015	खरीद	6194	0.00	4666343	0.35
	30.06.2015	बिक्री	323357	0.02	4342986	0.33
	03.07.2015	बिक्री	132314	0.01	4210672	0.32
	10.07.2015	बिक्री	57562	0.00	4153110	0.31
	17.07.2015	बिक्री	116576	0.01	4036534	0.31
	24.07.2015	बिक्री	109731	0.01	3926803	0.30
	31.07.2015	खरीद	1056199	0.08	4983002	0.38
	07.08.2015	खरीद	904715	0.07	5887717	0.45
	14.08.2015	खरीद	113744	0.01	6001461	0.45
	21.08.2015	बिक्री	325750	0.02	5675711	0.43
	28.08.2015	बिक्री	2073746	0.16	3601965	0.27
	04.09.2015	बिक्री	134831	0.01	3467134	0.26
	11.09.2015	बिक्री	6195	0.00	3460939	0.26
	25.09.2015	खरीद	147672	0.01	3608611	0.27
	30.09.2015	बिक्री	375000	0.03	3233611	0.24
	09.10.2015	खरीद	39158	0.00	3272769	0.25
	16.10.2015	खरीद	289893	0.02	3562662	0.27
	30.10.2015	बिक्री	405313	0.03	3157349	0.24

क्र. स.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित रूप में शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	06.11.2015	बिक्री	218143	0.02	2939206	0.22
	20.11.2015	खरीद	186696	0.01	3125902	0.24
	04.12.2015	बिक्री	2525	0.00	3123377	0.24
	31.12.2015	खरीद	7342	0.00	3130719	0.24
	01.01.2016	खरीद	9714	0.00	3140433	0.24
	08.01.2016	खरीद	5912	0.00	3146345	0.24
	15.01.2016	बिक्री	11075	0.00	3135270	0.24
	22.01.2016	बिक्री	11075	0.00	3124195	0.24
	29.01.2016	बिक्री	329918	0.02	2794277	0.21
	05.02.2016	बिक्री	11750	0.00	2782527	0.21
	12.02.2016	बिक्री	286650	0.02	2495877	0.19
	19.02.2016	बिक्री	233144	0.02	2262733	0.17
	26.02.2016	बिक्री	211346	0.02	2051387	0.16
	11.03.2016	खरीद	1877	0.00	2053264	0.16
	18.03.2016	बिक्री	308949	0.02	1744315	0.13
	25.03.2016	खरीद	79903	0.01	1824218	0.14
	31.03.2016	खरीद	49019	0.00	1873237	0.14
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				1873237	0.14
10.	गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		4938388	0.37	4938388	0.37
	तारीख	लेन–देन का प्रकार				
	25.12.2015	बिक्री	807302	0.06	4131086	0.31
	22.01.2016	बिक्री	149924	0.01	3981162	0.30
	05.02.2016	बिक्री	213920	0.02	3767242	0.29
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				3767242	0.29

v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों की शेयरधारिता:

क्र. स.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित रूप में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**एम. के. गोयल**				
	वर्ष के प्रारंभ में	12389	0.000939%	12389	0.000939%
	वृद्धि/कमी के कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्विट इक्विटी आदि):	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत में	12389	0.000939%	12389	0.000939%
2.	**आर. नागराजन**				
	वर्ष के प्रारंभ में	26869	0.002035%	26869	0.002035%
	वृद्धि/कमी के कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्विट इक्विटी आदि):	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत में	26869	0.002035%	26869	0.002035%
3.	**ए. के. अग्रवाल**				
	वर्ष के प्रारंभ में	25859	0.001959%	25859	0.001959%
	वृद्धि/कमी के कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्विट इक्विटी आदि):	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत में	25859	0.001959%	25859	0.001959%
4.	**डी. रवि (16 नवंबर, 2015 से)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	1000	0.000075%	1000	0.000075%
	वृद्धि/कमी के कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्विट इक्विटी आदि):	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत में	1000	0.000075%	1000	0.000075%
5.	**बी. एन. शर्मा (12 अक्टूबर, 2015 तक)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वृद्धि/कमी के कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्विट इक्विटी आदि):	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
6.	**ए. के. वर्मा (13 अक्टूबर, 2015 से)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वृद्धि/कमी के कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्विट इक्विटी आदि):	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
7.	**जे. एन. प्रसन्ना कुमार (21 दिसंबर, 2015 तक)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वृद्धि/कमी के कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्विट इक्विटी आदि):	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00

क्र. स.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित रूप में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
8.	**विजय मोहन कौल**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वृद्धि/कमी के कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्विट इक्विटी आदि):	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
9.	**योगेश चंद गर्ग**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वृद्धि/कमी के कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्विट इक्विटी आदि):	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
10.	**मनोहर बलवानी**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
	वृद्धि/कमी के कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी (अर्थात आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्विट इक्विटी आदि):	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत में	शून्य	0.00	शून्य	0.00

V. कर्जदारी

बकाया/संचित, परंतु भुगतान के लिए देय नहीं, ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारी :–

(₹ करोड़ में)

		जमा राशियों को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा राशियां	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष की शुरूआत में कर्जदारी					
i)	मूलधन	24705	163068	–	187773
ii)	देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	–	–	–	–
iii)	संचित परंतु देय नहीं ब्याज	858	5497	–	6354
	जोड़ (i+ii+iii)	**25563**	**168565**	–	**194128**
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन					
	वृद्धि	1866	69478	–	71343
	कमी	2848	56217	–	59065
	निवल परिवर्तन	**4713**	**126499**	–	**131213**
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी					
i)	मूलधन	21787	178698	–	200484
ii)	देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	–	–	–	–
iii)	संचित परंतु देय नहीं ब्याज	866	6222	–	7088
	जोड़ (i+ii+iii)	**22652**	**184920**	–	**207572**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का पारिश्रमिक :–

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंधक निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		एम. के. गोयल	आर. नागराजन	ए. के. अग्रवाल	डी. रवि (16 नवंबर, 2015 तक)	
1.	**सकल वेतन**					
(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	55,16,310	51,00,821	41,87,475	17,95,543	1,66,00,149
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	3,46,778	29,22,18	4,92,191	2,93,071	14,24,258
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में प्राप्त होने वाले लाभ	0	0	0	0	0
2.	**स्टॉक विकल्प**	0	0	0	0	0
3.	**स्विट इक्विटी**	0	0	0	0	0
4.	**कमीशन**	0	0	0	0	0
	– लाभ के % रूप में	0	0	0	0	0
	– अन्य	0	0	0	0	0
5.	**अन्य (पीएफ में कंपनी का अंशदान और गैर–कर योग्य परलब्धियां)**	10,28,599	6,99,160	5,97,896	2,25,166	25,50,821
	जोड़ (क)	**68,91,687**	**60,92,199**	**52,77,562**	**23,13,780**	**2,05,75,228**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा*					

* पीएफसी के एक सरकारी कंपनी होने के नाते सीएमडी और निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के संगम अनुच्छेद के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

ख. अन्य निदेशकों का मेहतनाना:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम			कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	जे. एन. प्रसन्ना कुमार (21 दिसंबर, 2015 तक)	विजय मोहन कौल	योगश चंद गर्ग	
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	4,40,000	5,60,000	7,20,000	17,20,000
	कमीशन	0	0	0	0
	अन्य	0	0	0	0
	जोड़ (1)	4,40,000	5,60,000	7,20,000	17,20,000
2.	अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक #	बी.एन. शर्मा (12 अक्टूबर, 2015 तक)	ए. के. वर्मा (13 अक्टूबर, 2015 से)	–	
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	0	0	–	0
	कमीशन	0	0	–	0
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0	0	–	0
	जोड़ (2)	0	0	–	0
	जोड़ (ख)=(1+2)	**4,40,000**	**5,60,000**	**7,20,000**	**17,20,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)				**22,295,228**
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा*				

सरकारी नामिती कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक अथवा सिटिंग शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं।
* स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यथा निर्धारित सीमाओं के भीतर निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित दर अर्थात ₹20,000 से अर्थात निदेशक मंडल और निदेशकों की समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹1,00,000 सिटिंग शुल्क का भुगतान किया गया।

ग. प्रबंधक निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों से इतर अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	
		मनोहर बलवानी, सीएस	सकल राशि
1.	सकल वेतन		
(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	23,48,859	23,48,859
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	2,27,090	2,27,090
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में प्राप्त होने वाले लाभ	0	0
2.	स्टॉक विकल्प	0	0
3.	स्विट इक्विटी	0	0
4.	कमीशन	0	0
	– लाभ के % रूप में	0	0
	– अन्य	0	0
5.	अन्य (पीएफ में कंपनी का अंशदान और गैर–कर योग्य परलब्धियां)	4,50,650	4,50,650
	जोड़	**30,26,599**	**30,26,599**

VII. अपराध की शास्ति/सजा/कंपाउंडिंग :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शास्ति/सजा/ कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट]	अगर कोई अपील की गई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
शास्ति			शून्य		
सजा					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
शास्ति			शून्य		
सजा					
कंपाउंडिंग					
ग. डिफॉल्ट वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति			शून्य		
सजा					
कंपाउंडिंग					

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध–ग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

[कंपनी (निगमित सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुक्रम में]

क्र. सं.	मद	विवरण
1	किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं के सिंहावलोकन और सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए वेब लिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा	पीएफसी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी और स्थायित्व नीति (सीएसआर एंड एसपी) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेशन एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी निगमित निकाय बन सके, जो मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देते हुए स्थायी विकास के लिए परियोजनाएं पूरी कर बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के पश्चात आपकी कंपनी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी नीति की सीएसआर और एसडी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के साथ 14 अगस्त, 2014 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन से समीक्षा की गई। तपश्चात डीपीई के नए दिशा–निर्देशों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की अधिसूचनाओं के आधार पर 27 फरवरी, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर नीति की फिर से समीक्षा की गई और इसका सीएसआर एवं स्थायित्व नीति के नाम से पुनः नामकरण किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में कंपनी द्वारा तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत स्टैंड–अलोन निवल कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के कम–से–कम 2% के समतुल्य राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सीएसआर कार्य–कलापों के लिए आबंटित की जाती है। पीएफसी ने अपनी सीएसआर और स्थायित्व नीति का कार्यान्वयन पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ किया है। सीएसआर संबंधी कार्य–कलापों का पर्यवेक्षण करने के लिए कंपनी ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर पर निदेशकों की सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन किया है। वर्ष के दौरान पीएफसी ने सौर ऊर्जा, साफ–सफाई आदि के क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों/जिलों आदि में व्यापक पैमाने पर कार्य–कलापों का कार्यान्वयन किया था। पीएफसी ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान' के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों के सरकारी स्कूलों में 9200 शौचालयों का निर्माण कराया था (फंड उपलब्ध करवाया था)। पीएफसी की सीएसआर नीति और परियोजनाओं/कार्यक्रमों के विवरण निम्नलिखित लिंक: http://www.pfcindia.com/writereaddata/userfiles/file/CSRpolicy_18%/2003%202015.pdf पर उपलब्ध है।
2	सीएसआर समिति का स्वरूप	पीएफसी में सीएसआर और एसडी कार्यकलापों के लिए दिशा–निर्देश देने और विभिन्न सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करने हेतु एक सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार समिति का स्वरूप निम्नानुसार है: 1. श्री योगेश चंद गर्ग (स्वतंत्र निदेशक) – अध्यक्ष 2. श्री विजय मोहन कौल (स्वतंत्र निदेशक) – सदस्य 3. श्री डी. रवि (निदेशक, वाणिज्यिक, पीएफसी) – सदस्य

क्र. सं.	मद	विवरण
3	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए पीएफसी का औसत निवल लाभ	₹ 7,289.31 करोड़
4.	निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 में दी गई राशि का 2 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 2(च) (II) के अनुरूप अधिनियम की धारा 135 के अनुपालन में और उसके तहत आने वाली कंपनियों से प्राप्त लाभांश को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत स्टैंड–अलोन पीबीटी के 2% के आधार पर ₹ 145.79 करोड़ का सीएसआर बजट अनुमोदित किया था।
5	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय के विवरण।	
क.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि	₹ 260.09 करोड़ ^
ख.	खर्च न की गई राशि, यदि कोई है	^
ग.	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ढंग एवं उसके विवरण नीचे दिए गए हैं	पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए इस मद में निर्धारित पूरा बजट खर्च किया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 की स्वीकृतियों और पूर्ववर्ती वित्त वर्षों की उपलब्ध स्वीकृतियों में से पीएफसी ने ₹ 192.13 करोड़ की राशि संवितरित की है। ^ इसके अलावा, पीएफसी ने प्रशासनिक उपरिव्ययों के मद में ₹ 3.39 करोड़ की राशि खर्च की है, जिसमें सीएसआर स्टाफ के वेतन और भत्ते एवं सीएसआर कार्यकलापों के संदर्भ में यात्रा व्यय शामिल है।
^ डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार सीएसआर बजट लैप्स नहीं होता है और कोई भी खर्च न की गई शेष राशि अगले वर्ष के लिए आगे ले जाई जाती है। पीएफसी के पास पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2014–15 से ₹ 114.30 करोड़ की खर्च न की गई राशि मौजूद थी। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2015–16 में खर्च की जाने वाली कुल राशि ₹ 260.09 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 145.79 करोड़ का सीएसआर बजट और पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2014–15 की ₹ 114.30 करोड़ की खर्च न की गई राशि) थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 192.13 करोड़ की राशि संवितरित की गई है, इस प्रकार खर्च न की गई कुल राशि ₹ 102.16 करोड़ है, जिसका सदुपयोग/संवितरण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हासिल की गई प्रगति के आधार पर किया जाएगा अर्थात पूरा बजट सीएसआर कार्यकलापों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।		

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में चिह्नित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/स्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष, (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
क.	**वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत की गई परियोजनाएं**						
1	ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस) में 500 केडब्ल्यूपी की एकीकृत क्षमता वाली ग्रिड संबद्ध रूफ टॉप सोलर पीवी (आरटीएसपीवी) परियोजनाओं की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग के लिए परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	प्रभाव मूल्यांकन/ प्रशिक्षण/ उपरिव्यय	भुवनेश्वर जिला, उड़ीसा	0.0150	0.0075	0.0075	भारतीय समाज कल्याण और व्यापार प्रबंध संस्थान (आईआईएस डब्ल्यूबीएम), कोलकाता
2	कलगीधर ट्रस्ट के स्वामित्व वाली पंजाब की 45 अकाल अकादमियों में 245 केडब्ल्यूपी क्षमता वाले सोलर फोटो वोल्टेक (एसपीवी) पावर प्लांटों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग (42 अकादमियों के लिए 5 केडब्ल्यूपी क्षमता, 2 अकादमियों के लिए 10 केडब्ल्यूपी क्षमता और 1 अकादमी के लिए 15 केडब्ल्यूपी क्षमता) की परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	प्रभाव मूल्यांकन/ प्रशिक्षण/ उपरिव्यय	पंजाब	0.0150	0.0075	0.0075	पीईसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (पीईसीयूटी), चंडीगढ़
3	निर्माण उद्योग विकास परिसर (सीआईडीसी) समाज के माध्यम से क्रियान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिलाओं और अन्य पिछड़े 1000 लोगों के लिए वर्गों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	प्रभाव मूल्यांकन/ प्रशिक्षण/ उपरिव्यय	अखिल भारतीय स्तर पर	0.0165	0.00825	0.00825	किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में चिह्नित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/स्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष, (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
4	ई–वाहनों के बदले वाराणसी नगर निगम क्षेत्र के 14 वार्डो में नगरपालिक ठोस अपशिष्ट पदार्थो (एमएसडब्ल्यू) की स्वचालित सफाई, संग्रहण और परिवहन के लिए सेवाएं प्रदान करना	साफ–सफाई/ अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	वाराणसी	8.00	0.00	0.00	वाराणसी नगर निगम (वीएनएन)
5	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के जरिए उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 500 सौर ऊर्जा आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता	सौर अनुप्रयोग	उत्तर प्रदेश का भदोही संसदीय क्षेत्र	1.090	0.538	0.538	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)
6	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के जरिए उत्तर प्रदेश के फूलपुर जिले में 500 सौर ऊर्जा आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता	सौर अनुप्रयोग	उत्तर प्रदेश का फूलपुर संसदीय क्षेत्र	1.090	0.538	0.538	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)
7	जटोली, सोलन, हिमाचल प्रदेश में मानव मंदिर अस्पताल के भूतल पर मल्टी थेरैपी यूनिट (एमटीयू) के लिए आवश्यक उपकरणों के निर्माण और क्रय सह स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य क्षेत्र की गतिविधि	सोलन, हिमाचल प्रदेश	1.94	0.00	0.00	निर्णय लिया जाना है।
	उप जोड़ (क)			12.166	1.099	1.099	

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में चिह्नित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/स्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष, (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
ख.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में स्वीकृत की गई परियोजनाएं						
1	सीआरआईएसपी के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (1425 लोग)*	कौशल विकास	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान	5.059	2.002	2.839	सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस (सीआरआईएसपी)
2.	ग्रामीण विकास ट्रस्ट (जीवीटी) के माध्यम से राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल के गांव में 3000 शौचालयों के निर्माण और जागरूकता पैदा कर स्थायी साफ–सफाई को बढ़ावा देना	साफ–सफाई/ अपशिष्ट प्रबंधन/ पेयजल	बिहार, राजस्थान, और पश्चिम बंगाल	7.155	2.862	6.440	ग्रामीण विकास न्यास (जीवीटी)
3.	इरकॉन अवसंरचना एवं सेवा लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) और राजस्थान की राज्य सरकार/ आरसीईई/ एसएसए/टीएडी के माध्यम से स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण (1100 शौचालय) के लिए वित्तीय सहायता	साफ–सफाई/ अपशिष्ट प्रबंधन/ पेयजल	राजस्थान	25.970	16.208	16.208	इरकॉन अवसंरचना एवं सेवा लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) और राजस्थान की राज्य सरकार/ आरसीईई/ एसएसए/टीएडी
4.	हिंदुस्तान प्री फैब लिमिटेड (एचपीएल) और राज्य सरकार/जिला प्रशासन के जरिए स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण (8100 शौचालय) के लिए वित्तीय सहायता	साफ–सफाई/ अपशिष्ट प्रबंधन/ पेयजल	आंध्र प्रदेश	209.62	156.776	172.326	हिंदुस्तान प्री फैब लिमिटेड (एचपीएल) और राज्य सरकार/ जिला प्रशासन

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में चिह्नित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/स्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष, (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
5	2000 प्रतिभागियों के लिए सीआईपीईटी के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गो के सुविधाविहीन/बेरोजगार युवाओं के लिए व्यवसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता	कौशल विकास	अखित भारत	12.00	5.904	11.856	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी)
6	माइक्रो सोलर पीवी पावर प्लांटों की स्थापना कर स्वच्छ एवं विश्वसनीय विद्युत के प्रावधान से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की प्रचालनात्मक विश्वसनीयता और सेवा गुणवत्ता में सुधार	सौर अनुप्रयोग	जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और असम	7.535	0.981	5.502	द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टीईआरआई)
7	लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) कंस्ट्रक्शन के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गो के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (1500 लोग)	कौशल विकास	उत्तर प्रदेश पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्य (7 राज्य), पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात	4.125	2.452	3.690	लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) कंस्ट्रक्शन
8	900 महिला सफाई कार्मिकों और उनके आश्रितों के लाभार्थ कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	कौशल विकास	हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार	1.933	1.074	1.623	राष्ट्रीय सफाई कार्मिक वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)
9	एनएचएफडीसी के जरिए 4230 दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) के कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता	कौशल विकास	अखिल भारतीय स्तर	0.982	0.585	0.880	राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में चिह्नित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/स्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष, (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
10	ईईएसएल के जरिए मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में बीड़ी कार्यकर्ताओं (3675) के लिए एलईडी आधारित गृह प्रकाश की परियोजना।	सौर अनुप्रयोग	मध्य प्रदेश, अशोक नगर जिला	5.445	0.545	5.445	ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल)
11	निर्माण उद्योग विकास परिसर (सीआईडीसी) के माध्यम से सीएसआर के अंतर्गत 1500 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता	कौशल विकास	उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड,	5.919	0.826	5.661	निर्माण उद्योग विकास परिसर (सीआईडीसी)
12	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जाति के युवावर्ग के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (4750 लोग) के लिए वित्तीय सहायता	कौशल विकास	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	4.75	1.304	2.302	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी)
13	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (1000 लोग) के लिए वित्तीय सहायता	कौशल विकास	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य	3.846	0.192	3.846	निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी)
14	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों (एईसी) को मॉडल प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के रूप में उन्नत बनाना (9 राज्यों में 264 एईसी)	कौशल विकास	9 राज्यों: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, दादर और नागर हवेली और गुजरात में 264 एईसी	6.60	(0.625)*	5.975	संबंधित राज्य का साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एसएलएमए)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में चिह्नित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (₹ करोड़ में बजट/स्वीकृत राशि)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में संवितरित राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष, (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹करोड़ में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
15	दिल्ली में वनीकरण (3400 वृक्षों का वृक्षारोपण)	वृक्षारोपण	बुद्ध जयंती पार्क, दिल्ली	0.235	(0.0516)*	0.1834	सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली
	उप जोड़ (ख)			**301.174**	**191.034**	**244.776**	
ग.	**पीएफसी के प्रशासनिक उपरिव्यय**						
1.	प्रशासनिक उपरिव्यय (सीएसआर स्टाफ के वेतन और भत्ते तथा सीएसआर कार्यकलापों के संदर्भ में यात्रा व्यय)	प्रभाव मूल्यांकन/ प्रशिक्षण संबंधी उपरिव्यय	लागू नहीं	3.39	3.39	3.39	लागू नहीं
	उप जोड़ (ग)			**3.39**	**3.39**	**3.39**	
	कुल योग (क+ख+ग)			**316.730**	**195.523**	**249.266**	

*कार्यान्वयन एजेंसी (क्र. सं. 14 के मामले में पंजाब एसएलएमए) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में लौटाई गई राशि

1.	यदि पीएफसी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उनके किसी भाग के औसत निवल लाभ की 2 प्रतिशत राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो पीएफसी को अपनी निदेशकों की रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण बताने होंगे।	पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 का पूरा बजट खर्च किया है। वर्ष के दौरान पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 की स्वीकृतियों और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की उपलब्ध स्वीकृतियों में से ₹ 192.13 करोड़ का संवितरण किया है। ^ इसके अलावा पीएफसी ने प्रशासनिक उपरिव्यय के मद में ₹ 3.39 करोड़ की राशि खर्च की है, जिसमें सीएसआर स्टाफ के वेतन और भत्ते तथा सीएसआर कार्यकलापों के संदर्भ में यात्रा व्यय शामिल हैं।
2.	सीएसआर समिति का एक उत्तरादायित्व विवरण कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर लक्ष्यों और नीति के अनुपालन में किए गए हैं।	पीएफसी की सीएसआर और स्थायित्व नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

^डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर बजट लैप्स नहीं होता है और कोई भी खर्च न की गई शेष राशि अगले वर्ष के लिए आगे ले जाई जाती है। पीएफसी के पास पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2014–15 से ₹ 114.30 करोड़ की खर्च न की गई राशि मौजूद थी। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2015–16 में खर्च की जाने वाली कुल राशि ₹ 260.09 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 145.79 करोड़ का सीएसआर बजट और पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2014–15 की ₹ 114.30 करोड़ की खर्च न की गई राशि) थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 192.13 करोड़ की राशि संवितरित की गई है, इस प्रकार खर्च न की गई कुल राशि ₹ 102.16 करोड़ है, जिसका सदुपयोग/संवितरण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हासिल की गई प्रगति के आधार पर किया जाएगा अर्थात पूरा बजट सीएसआर कार्यकलापों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

हस्ताक्षरित

श्री एम. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 00239813

हस्ताक्षरित

श्री योगेश चंद गर्ग
अध्यक्ष, सीएसआर समिति
डीआईएन सं. 01768635

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध 'घ'

फॉर्म संख्या एओसी–2

[कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (2) और कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अनुक्रम में]

कंपनी अधिनियम की धारा 188 की उपधारा 1 में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं, जिनमें उनके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत एक निश्चित मात्रा वाले लेनदेन शामिल हैं, के विवरणों के प्रकटन के लिए प्रपत्र

क्र. सं.	विवरण	
1.	**ऐसी संविदाओं अथवा लेन देनों अथवा व्यवस्थाओं के विवरण जो निकट संबंधित पक्षकारों के साथ नहीं किए गए हैं**	**शून्य**
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	–
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देनों का स्वरूप	–
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देनों की अवधि	–
(घ)	मूल्य, यदि कोई है,सहित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन–देनों की प्रमुख शर्तें	–
(ङ.)	ऐसी संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन–देनों को करने का औचित्य	–
(च)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख (तारीखें)	–
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	–
(ज)	धारा 188 के पहले प्रावधान के अंतर्गत यथावश्यक आम बैठक में जारी किए गए विशेष संकल्प की तारीख	–
2.	**संबंधित पक्षकारों के साथ की गई प्रमुख संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन देनों के विवरण**	**शून्य**
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	–
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देनों का स्वरूप	–
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देनों की अवधि	–
(घ)	मूल्य, यदि कोई है,सहित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन–देनों की प्रमुख शर्तें	–
(ङ.)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख (तारीखें)	–
(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	–

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(एम. के. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 00239813

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26 जुलाई, 2016

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी (पीएफसी) के प्रबंधन को वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के निष्पादन सहित औद्योगिक परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

(क) औद्योगिक ढांचा और विकास

किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों की प्रगति के साथ स्थायी विकास के लिए अवसंरचना क्षेत्र की वृद्धि और विकास नितांत महत्वपूर्ण है। विद्युत क्षेत्र अवसरंचना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो हमारे राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और कल्याण को प्रभावित करता है। भारत में विद्युत की मांग अत्यधिक है और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कार्यकलापों की दिन–प्रतिदिन हो रही वृद्धि के कारण इसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अत: विद्युत क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण एवं समर्थ कारक है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में विद्युत उत्पादन के लिए 1,137,500 मेगा यूनिट के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 1107385.79 मेगा यूनिट (97.35%) विद्युत उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में सुधार के लिए कई प्रयास शुरु किए हैं। अभी हाल ही में उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:

1. **वर्ष 2019 तक सभी के लिए 24×7 विद्युत (पीएफए) :** अखिल भारतीय स्तर पर सुधारों सहित विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पीएफए नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरु किया गया है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षमताओं के निर्माण, प्रचालनात्मक दक्षता और सुधारात्मक उपायों की परिकल्पना की गई है।

2. **टैरिफ नीति में संशोधन (जनवरी 2016) :** यह प्रयास राज्यों द्वारा विद्युत क्रय करारों (पीएफए) पर हस्ताक्षर करने, व्यापारिक दक्षता बढ़ाने और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण एवं सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से शुरु किया गया है।

3. **''दीप'' (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रीसिटी प्राइस) :** इसके अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा अल्पकालिक क्रय के लिए ''ई–बोली' और ई–प्रत्यावर्ती नीलामी पोर्टल'' का विकास किया गया है। यह प्रयास विद्युत के क्रय के क्षेत्र में समानता, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए शुरु किया गया है।

4. **''आईपीडीएस'' (आर–एपीडीआरपी में समाहित) :** आईपीडीएस के अंतर्गत लगभग एक वर्ष में 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 3486 कस्बों के लिए ₹ 24,838 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत, 26 राज्यों में 1222 कस्बे गो–लाइव घोषित किए गए हैं, जिसमें 16 राज्यों से 100% गो–लाइव रिपोर्ट शामिल है।

5. **उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) :** यूडीएवाई विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कायाकल्प के लिए शुरु की गई एक व्यापक योजना है, जिसका कार्यान्वयन बड़ी तेजी से किया जा रहा है।

6. **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई):** डीडीयूजीजेवाई ने 24×7 विद्युत (किसानों के लिए अलग लाईन) के लिए फीडर पृथक्करण और ग्रामीण क्षेत्रों में उप टी एंड डी को सुदृढ़ करने में सहायता दी है।

7. **कोयला परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है :** पिछले दो वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में 7.7% की औसत वृद्धि दर्शाई गई है।

विद्युत क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण कड़ी अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण निहित होती हैं और कोई भी कड़ी उतनी ही मजबूत होती है, जितनी कि इसकी कमजोर कड़ी, यह कथन विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला के लिए भी खरा उतरता है। भविष्य में स्थायी निष्पादन और विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजन से प्रत्येक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना आवश्यक है। इस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विकास, उपलब्धियां और मुद्दे निम्नानुसार हैं।

1. उत्पादन

संस्थापित क्षमता

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, पावर स्टेशनों की अखिल भारतीय की कुल संस्थापित क्षमता 2,98,059 मेगावाट है। इसमें ताप विद्युत स्रोतों की हिस्सेदारी अभी भी सर्वाधिक 71% (21,0675 मेगावाट) बनी हुई है, इसके पश्चात जल विद्युत स्रोतों का योगदान 14% (42,783 मेगावाट), नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान 13% (38,821 मेगावाट) और नाभिकीय ऊर्जा का 2% (5,780 मेगावाट) है। राज्य क्षेत्र की संस्थापित क्षमता 1,01,761 मेगावाट (34%), निजी क्षेत्र की संस्थापित क्षमता 1,20,003 मेगावाट (40%) और केंद्रीय क्षेत्र की संस्थापित क्षमता 76,296 मेगावाट (26%) है।

क्षमता अभिवृद्धि

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 20,037. 1 मेगावाट निर्धारित किया गया। हालांकि वर्ष 2015–16 के दौरान लक्ष्यों को पार करते हुए वास्तविक क्षमता बढ़कर 23,976.6 मेगावाट तक हो गई है, जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

स्रोत	केंद्रीय (मेगावाट)	राज्य (मेगावाट)	निजी (मेगावाट)	योग (मेगावाट)	हिस्सेदारी (%)
जल विद्युत	480	610	426	1516	6%
ताप विद्युत	3295.6	6460	12705	22460.6	94%
नाभिकीय ऊर्जा	–	–	–	–	–
योग	3775.6	7070	13131	23976.6	100%

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–17) के लिए 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जिसमें क्रमशः केंद्रीय क्षेत्र के लिए 26,182 मेगावाट, राज्य क्षेत्र के लिए 15,530 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र के लिए 46,825 मेगावाट क्षमता शामिल हैं।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, अब तक 84,990 मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है, जिसमें क्रमशः केंद्रीय क्षेत्र के लिए 16,142 मेगावाट, राज्य क्षेत्र के लिए 19,291 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र के लिए 49,557 मेगावाट शामिल हैं।

2. पारेषण

विद्युत ऊर्जा का पारेषण किसी उत्पादन स्थल जैसे कि कोई पावर प्लांट से विद्युत ऊर्जा का किसी विद्युत सब स्टेशन तक बड़े पैमाने पर संचालन है। अंतः संबंधित लाइनें जो इस संचालन को सुकर बनाती हैं, उसे एक पारेषण नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। यह विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला प्रणाली का एक अभिन्न अंग (लिंक) है। विद्युत के उत्पादन और खपत में अत्यधिक वृद्धि के लिए पारेषण नेटवर्क का उल्लेखनीय विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाना जरुरी है। पारेषण प्रणाली की आयोजना उत्पादन योजना में कोई फेरबदल अथवा लोड शेडिंग के बिना किसी आकस्मिकता की स्थिति में सुरक्षात्मक ढंग से कार्य करने में सक्षम विद्युत प्रणाली की स्थापना के आश्वासन पर आधारित होती थी। परियोजनाओं के वित्त पोषण की भूमिका का विस्तार परियोजनाओं की टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर सरकार के जोर के साथ पारेषण क्षेत्र के लिए बढ़ गई है। हर वर्ष अधिक संख्या में परियोजना का अधिनिर्णय निजी क्षेत्र की कंपनियों को किया जा रहा है। अपार संभावनाओं और अवसरों के बावजूद भी निवेशक/वित्तीय सहायता देने वाला समुदाय इस क्षेत्र को लेकर अधिक आश्वस्त नहीं है। इस बात को पुरजोर तरीके से स्वीकार किया जाता है कि जोखिम मैट्रिक्स के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र के भीतर ही पारेषण क्षेत्र को अलग माना जाता है। जैसे–जैसे पारेषण परियोजनाओं के वित्त–पोषण की मांग बढ़ती है, वैसे ही विकासकर्ता और वित्त–पोषक जहां एक ओर वित्तीयन प्रणाली पर मौजूदा बोझ को न्यूनतम करते हुए परियोजनाओं का दक्षतापूर्वक निधियन करने के लिए विभिन्न ढांचों की सामूहिक रूप से तलाश करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे पारेषण परियोजनाओं के निधियन के लिए अधिक सचेत रहते हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत में 28,114 सीकेएम पारेषण लाइनों और 62,849 एमवीए अंतरण क्षमता की बढ़ा कर दी गई है। इसमें कुल मिलाकर 800 केवी एचवीडीसी की 1 लाइन, 765 केवी की 19 लाइनें और 400 केवी के 66 लाइनें शामिल हैं। इन पारेषण लाइनों की स्थापना से देश में अंतरराज्य और अंतराराज्य पारेषण और विद्युत स्थानांतरण क्षमता काफी बढ़ी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्षमता अभिवृद्धि के लिए बड़ी कड़ी निगरानी की जा रही है। इन उपायों से अपेक्षा की जाती है कि इन्हें लागू करने के पश्चात ऐसे राज्य जहां विद्युत की कमी है, को अपनी विद्युत की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी।

3. वितरण

विद्युत कारोबार न केवल विद्युत उत्पादन स्टेशनों और पारेषण प्रणालियों की स्थापना ही नहीं बल्कि यह समान रूप से और संभवतः इससे भी अधिक विद्युत की रिटेलिंग और उपभोक्ताओं से सेवाओं की लागत की वसूली पर भी है। वितरण क्षेत्र के पुर्नविचार के लिए कई योजनाओं के बावजूद भी विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की माली हालत और प्रचालनात्मक स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है।

शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर जोर देने के प्रयोजन से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित घटकों के साथ ''एकीकृत विद्युत विकास योजना'' (आईपीडीएस) शुरु की है:

(I) शहरी क्षेत्रों में उप–पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण;

(II) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग;

(III) वितरण क्षेत्र को आईटी समर्थ बनाना और आरएपी–डीआरपी के लिए अनुमोदित परिव्यय को आईपीडीएस के लिए आगे ले जाकर 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

आपकी कंपनी आईपीडीएस के लिए नोडल एजेंसी है और इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के उत्थान की दिशा में अपना योगदान दे रही है। पूर्ववर्ती आर–एपीडीआरपी योजना को नई शुरु की गई आईपीडीएस योजना में आमेलित कर दिया गया है।

ऊपर दिए गए दोनों घटकों क्रमशः (I) और (II) के लिए अनुमानतः ₹32,612 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹25354 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। ऐसी संभावना है कि आईटी प्रणालियों की स्थापना और प्रशासनिक तथा अन्य उपायों के साथ विभिन्न कस्बों में भाग–ख के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के पूरा होने पर अगले 1–5 वर्षों में विद्युत कंपनियों में आर–एपीडीआरपी कस्बों में एटी एवं सी हानियां कम होती दिखने लगेंगी।

सरकार ने मई 2018 तक सभी गांव के विद्युतीकरण और अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ''दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई) के माध्यम से 2019 तक सभी परिवारों को गुणवत्तायुक्त एवं विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। जहां एक ओर भारत में 98% गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर, सभी घरों में अभी भी 'बिजली' पहुंचाना शेष है। इसके अलावा 'विद्युतीकृत' गांवों को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और अवधि अभी भी चिंता के क्षेत्र बने हुए हैं।

देश की विद्युत वितरण कंपनियों को भारी घाटा हुआ है। खराब माली हालत के कारण विद्युत वितरण कंपनियां वहनीय दरों पर पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं हैं, जो जीवन की गुणवत्ता और समग्र आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। विद्युत

मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में उज्जवल डिस्कॉम एश्यारेंस योजना (उदय) शुरु की गई। यह योजना भारत की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय कायाकल्प और उनके पुनः विचार पैकेज के लिए समर्पित है।

योजना में चार पहलें–डिस्कॉम की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार, विद्युत की लागत को कम करना, डिस्कॉम के ब्याज को कम करना और राज्यों की वित्त–पोषण क्षमता के अनुरूप डिस्कॉम में वित्तीय अनुशासन का प्रवर्तन (लागू करना) शामिल हैं। इसके अंतर्गत उन राज्यों की राज्य सरकार, जहां डिस्कॉम स्थित है, को उनके 75 प्रतिशत ऋण का अधिग्रहण करने और बॉण्डों की बिक्री कर ऋणदाताओं को भुगतान करने की अनुमति दी गई है। डिस्कॉम से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ऋण के शेष 25 प्रतिशत के लिए बॉण्ड जारी करेंगे।

(ख)अवसर और चुनौतियां

अवसर

भारतीय विद्युत क्षेत्र ने पिछले दशक में अच्छी–खासी प्रगति की है और नीतिगत सुधारों तथा निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता बढ़ने के साथ ही एक उदीयमान बाजार से विकसित बाजार के रूप में उभरकर सामने आया है। इस क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां अवश्य मौजूद हैं, जिन्हें भारत को दूर करना है और एक विकासशील बाजार से निकलकर एक परिपक्व बाजार के रूप में उभरकर सामने आना है। इसी बीच हम क्या हासिल कर सकते हैं और वर्तमान में हमारे पास क्या उपलब्ध है, के बीच की खाई हमारे लिए वृद्धि के बहुत से अवसरों और संभावनाओं की ओर इशारा करती हैं। अर्थव्यवस्था में अत्यधिक वृद्धि, विद्युत की खपत बढ़ने की संभावना और शहरीकरण के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि के अत्यधिक अवसर उत्पन्न हुए हैं। भारत ने क्षमता निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए अवसरों का लाभ उठाने की दिशा में अच्छी खासी प्रगति की है। भारतीय कंपनियों ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अधिक चिंता दर्शाई है और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया की दिशा में विद्युत क्रय करार के परिदृश्य में अभी हाल ही में आए परिवर्तन से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने और इसकी दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि में अच्छा–खासा इजाफा हुआ है, क्योंकि भारत की क्रियान्वयन क्षमताओं का धीरे–धीरे विकास हो रहा है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत ने 75 गीगावाट के आसपास विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है। इतनी बड़ी क्षमता अभिवृद्धि योजना से विद्युत के निष्कर्षण, संचलन और आपूर्ति हेतु क्षमताओं के विकास और इनसे संबंधित ओईएम जैसे कंडक्टर विनिर्माण, इंसुलेटर विनिर्माण, टावर फैब्रिकेशन और ईपीसी के लिए भी अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।

चीन जैसे विकासशील देशों ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ा दिया है। भारत भी आने वाले वर्षों में एक सुदृढ़ नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो निर्मित करने का बहुत तेजी से इच्छुक है एवं इस दिशा में प्रयासरत है। भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को बहुत से प्रोत्साहन दे रही है, जिससे कि वे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाएं। राज्य के नियामकों और आरईसी व्यवस्था के माध्यम से निर्धारित आरपीओ अपेक्षाओं से यह उम्मीद की जाती है कि सौर और गैर–सौर ऊर्जा स्रोतों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा, कई लाभ जैसे, त्वरित मूल्यह्रास, प्राथमिक टैरिफ और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन विकासकर्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षक प्रोत्साहन प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादन एवं आपूर्ति बढ़ाना है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार का ध्यान बढ़ने से इस क्षेत्र में निवेश के आकर्षक अवसर सृजित हुए हैं। अभी हाल ही में सोलर बिड को अंतिम रूप दिया जाना इस बात का द्योतक है कि कंपनियां इस क्षेत्र में तेजी से प्रतिस्पर्धी बन रही हैं, वहीं दूसरी ओर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्षमता अभिवृद्धि देश भर (विशेष रूप से तमिलनाडु और राजस्थान) में जारी है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 75 गीगावाट (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है और अगली पंचवर्षीय योजना (13वीं पंचवर्षीय योजना) में लगभग 2 गुना लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, यह भी अपेक्षा की जाती है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पर लगभग ₹33839 करोड़ का निवेश किया जाएगा। भारत सरकार की पहलों जैसे आईपीडीएस, सभी के लिए 24×7 विद्युत, जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा तथा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं, यूएमपीपी पर जोर देने से इस दिशा में तेजी आई है और इससे आगे भी व्यापारिक अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, सरकार की और भी कई पहलें जारी हैं, जिनसे विद्युत क्षेत्र में निधि आवश्यकता पर और अधिक व्यापार विकास के लिए सकारात्मक वातावरण बनने की संभावना है।

जोखिम अथवा चुनौतियां

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र में उत्साहजनक वृद्धि ट्रैजेक्टरी के बावजूद भी भारतीय विद्युत क्षेत्र देश की अत्यधिक बढ़ रही मांग की तुलना में आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि करने और उसे बनाए रखने में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। विद्युत क्षेत्र के समक्ष कुछ मौजूदा चुनौतियां इस प्रकार हैं:

(क) **ईंधन सुरक्षा को लेकर चिंताएं :** ताप विद्युत क्षमता अभिवृद्धि इस उद्योग के समक्ष ईंधन की उपलब्धता को लेकर बढ़ रही चिंताओं से प्रभावित होती हैं। गैस की अनुपलब्धता के कारण 20,000 मेगावाट से अधिक की महत्वपूर्ण गैस आधारित क्षमता बेकार पड़ी है।

(ख) **राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति) :** कई वर्षों से जनाधार पर आधारित टैरिफ योजनाओं, एटी एवं सी हानियों के लगातार बढ़ने और प्रचालनात्मक अदक्षताओं के फलस्वरूप राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है और उनका बकाया ऋण बढ़ता ही जा रहा है।

(ग) **राज्यों द्वारा विद्युत की कम खरीद** : सीमित मात्रा में ईंधन की उपलब्धता, राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों की कमजोर माली हालत और उच्च एटी एवं सी हानियों के कारण विद्युत उत्पादन की लागत बढ़ने से राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों के मांग संबंधी पूर्वानुमान घटेंगे।

(घ) **प्रतिकूल वित्त–पोषण वातावरण** : पिछले 4–5 वर्षों के दौरान, परियोजनाओं मूल्यांकन के समय से ऋणों की दरों में काफी वृद्धि हुई है, इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है और टैरिफ मजबूरी में बढ़ाना पड़ता है।

(ड.) **कोयला ब्लॉकों का बाद में रद्द किया जाना** : सरकार ने एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से कोयला ब्लॉकों की शीघ्र ही ई–नीलामी कर दी है, अतः कोयला की उपलब्धता कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि यह स्थिति लगभग दो वर्ष पहले ठीक नहीं थी, तथापि कोयला की नीलामी से कुछ नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने कोयला के लिए अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर बोलियां लगाई हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की कम वसूली से बचने के लिए अपने प्रचालनों में अत्यधिक दक्षता दर्शाना आवश्यक हो गया है। यह परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवहार्यता जोखिम है।

(च) **भारतीय विद्युत क्षेत्र से संबद्ध अन्य जोखिम** : ऐतिहासिक रूप से वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत से ही भारत में लगातार बढ़ती हुई विद्युत मांग के साथ–साथ आर्थिक उदारीकरण की दिशा में इसके सामान्य ज्ञान के परिणामस्वरूप भारत में आईपीपी परियोजनाओं की स्थापना के लिए विदेशी निवेशकों के बीच रूचि बढ़ी है। जहां एक ओर दर्जनों परियोजनाएं अनुमोदित की गई और विदेशी तथा भारतीय निजी क्षेत्र ने 1992 से 2004 के बीच कई ऐसे पावर प्लांटों की स्थापना की, वहीं दूसरी ओर ज्यादातर बड़ी परियोजनाएं भुगतान संबंधी विचारणीय समस्याओं के चलते रोक दी गई हैं। विद्युत क्षेत्र में मौजूदा कई घटकों से आईपीपी का वित्तीय समापन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इन घटकों में निम्नलिखित, परंतु इतने ही नहीं, कारण शामिल हैं:

- राज्य के विद्युत निकायों के बीच क्रेडिट विश्वसनीयता का अभाव।
- अत्यधिक क्रॉस सब्सिडी
- अपर्याप्त ऑफ–टेक और भुगतान गारंटी व्यवस्थाएं
- अपर्याप्त ईंधन आपूर्ति और परिवहन करार, जिनमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे निहित होते हैं, जैसे कि राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों और कोयला/गैस आपूर्ति से जुड़े जोखिमों को कैसे दूर किया जाए।

तथापि, विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार कई पहलें शुरु कर रही हैं, जिससे कि विद्युत क्षेत्र की गाड़ी पटरी पर लाई जा सके। इन पहलों के फलस्वरूप उल्लेखनीय क्षमता अभिवृद्धि की गई है और कोयला परिदृश्य में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। शुरु की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं: वर्ष 2019 तक सभी के लिए 24×7 विद्युत, टैरिफ नीति में संशोधन (जनवरी 2016), ''दीप'' (दक्ष विद्युत मूल्य की खोज) का शुभारंभ, यूडीएवाई, आईपीडीएस (आर–एपीडीआरपी को समाहित करने के बाद), डीडीयूजीजेवाई आदि। इन सभी पहलों से विद्युत क्षेत्र का कायाकल्प होने की उम्मीद है।

(ग) खंड–वार अथवा उत्पाद–वार निष्पादन

कंपनी का मुख्य व्यवसाय विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और कंपनी के पास ऐसा कोई अलग खंड नहीं है जिसके बारे में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

(घ) दृष्टिकोण

भारतीय विद्युत क्षेत्र के भारांक में राजनीतिक और नियामक वातावरण के साथ–साथ राज्य क्षेत्र के विद्युत निकायों की अदक्षताओं और लगातार बढ़ रही कमियों तथा मांग को पूरा करने के दबाव के कारण गिरावट आई है। इसके फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश प्रभावित हुआ है। इस दिशा में निवेश के लिए उठाया गया पहला कदम अर्थात 1990 की कार्यनीति, जिसके तहत स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के निर्माण हेतु वैश्विक प्रायोजकों को लाने का प्रावधान किया गया था, आंशिक रूप से सफल रहा। परंतु विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने से वृद्धि और विकास की नई आशा जागृत हुई है। विद्युत अधिनियम, 2003 का विद्युत क्षेत्र की लाभप्रदता पर समग्र रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और यह निवेश तथा दक्षता को प्रोत्साहित करता है। भारत में दृश्य नई विद्युत कार्यनीति में यद्यपि विदेशी कंपनियों के लिए बोली लगाने का मार्ग खुला हुआ है, फिर भी इसमें घरेलू कंपनियों के लिए बहुत कुछ है। भारत सरकार विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पूंजी आकर्षित करने के लिए काफी उत्सुक है, जिसके समक्ष मांग और आपूर्ति का बड़ा अंतर बना हुआ है। बुरी तरह से प्रभावित राज्य जैसे महाराष्ट्र में 19% की ऊर्जा कमी है और विद्युत की अत्यधिक मांग के समय इस कमी का स्तर 27% तक बढ़ सकता है। विद्युत की इतनी कमी से औद्योगिक विकास बाधित होता है और संगत रूप से आर्थिक विकास भी अवरूद्ध होता है और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि यदि भारत को प्रतिवर्ष 8% से 9% की वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को बनाए रखना है, तो इसे अगले 10 वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता में 1,60,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि करनी होगी। आधारभूत टेंप्लेट इस बात का साक्षी है कि घरेलू प्रायोजक स्टॉक बाजार में धनराशि लगा रहे हैं और प्रतिस्पर्धी बोली के लिए परियोजना इक्विटी घटक के रूप में निधियन के लिए इस स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। इस नए वातावरण में परियोजना वित्त–पोषण वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निधियन तंत्र के रूप में सिद्ध होगा।

इसके अलावा निवेश की दिशा विद्युत वितरण श्रृंखला के सभी घटकों अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण की ओर करनी होगी। यह भारत को लंबे समय से उपेक्षित पारेषण और वितरण जैसे क्षेत्रों में

मौजूदा कमियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। वित्त–पोषण को भी सार्वजनिक निजी भागीदारी के अगले स्तर पर लाने की आवश्यकता है, जहां वित्तीय संस्थान इस क्षेत्र के लिए इक्विटी प्रदान करें और महज ऋण नहीं। इस क्षेत्र में राज्य क्षेत्र के विद्युत निकायों से जुड़े जोखिमों को भी हल करने की आवश्यकता है, जो आईपीपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इसका कुछ हद तक समाधान राज्य विद्युत बोर्डो के पुनर्गठन और सुरक्षा तथा भुगतान तंत्र की व्यवस्थाओं में सुधार से अवश्य हुआ है। परंतु इस आशावादी दृष्टिकोण के साथ सावधानी जैसा एक शब्द अवश्य जोड़ें जाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी संगठन की दक्षता सुधार प्रक्रिया के लिए केंद्र और राज्य मशीनरी की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। ऋण बाजार का मूल्यांकन करने में कुछ उत्पादन कंपनियों की सीमित सफलता को छोड़कर पारेषण और वितरण कंपनियां खुले बाजार सफलतापूर्वक धन जुटाने में सफल नहीं हुई हैं। राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियां भी कोई महत्वपूर्ण आंतरिक संसाधनों के अभाव में नजदीकी समस्या झेल रहे हैं। मर्चेंट पावर प्लांटों की उत्कृष्ट वाणिज्यिक संभावनाओं और सामर्थ्य के बावजूद भी इक्विटी बाजार फंड जुटाने के लिए एक बेहतर स्रोत बना हुआ है। किसी भी मामले में भारतीय इक्विटी और विशेष रूप से ऋण बाजार अत्यधिक संकीर्ण है और इसमें अपेक्षित गंभीरता मौजूद नहीं है और इन बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम भी नहीं प्रतीत होता है। बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी के पास एक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी वित्त–पोषण संस्थान होने के नाते विद्युत क्षेत्र के वित्त–पोषण के लिए अपार संभावनाएं हैं। अभी हाल ही में आपकी कंपनी अपने सुदीर्घ अनुभव और विशेषज्ञता के कारण विद्युत क्षेत्र में अपने कारोबार का विस्तार करने में सफल रही।

(ड.) जोखिम और चिंताएं

विद्युत क्षेत्र के वित्त–पोषण में आपकी कंपनी के समक्ष निम्नलिखित जोखिम और चिंताएं मौजूद हैं:

क. प्रमोटरों की इक्विटी और आंतरिक संचयन: ज्यादातर परियोजनाओं के विकासकर्ता इक्विटी पर अधिकतम लाभ अर्जित करने और आवश्यक ऋण प्राप्त करने में सक्षम होने के उद्देश्य से परियोजना की कुल लागत में से कुछ राशि का निवेश प्रमोटर की इक्विटी के रूप में करते हैं। कई विकासकर्ता नई परियोजनाओं में इक्विटी के निवेश करने के लिए आंतरिक संचयन पर अधिक विश्वास करते हैं।

ख. पूंजी बाजार के माध्यम से फंड जुटाना: अभी हाल ही में देखा गया है कि विद्युत क्षेत्र की कंपनियां अर्हता प्राप्त संस्थागत निवेशकों के साथ आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) सार्वजनिक प्रस्ताव पर अनुवर्ती कार्रवाई (एफपीओ)/निजी नियोजन के माध्यम से बाजार से फंड जुटाती रही हैं। पिछले 2–3 वर्षों में विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के लगभग सभी आईपीओ/एफपीओ को निवेशकों से आशातीत ज्ञान प्राप्त हुए हैं अथवा ये स्टॉक बाजारों में बेहतर निष्पादन करते रहे हैं। कई विद्युत कंपनियों से आने वाले वर्षों में अपने आईपीओ लांच करने की उम्मीद है।

ग. इक्विटी फंड : निजी क्षेत्र/विद्युत क्षेत्र में इक्विटी निवेश के लिए अवसंरचना विकास वित्त कंपनी (आईडीएफसी) द्वारा भारत विकास निधि के रूप में विशेषज्ञ इक्विटी निधियों की स्थापना की गई है। भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), सिटी ग्रुप, ब्लैक स्टोन ने भी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए 5 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश के साथ भारतीय अवसंरचना क्षेत्र के वित्त–पोषण के लिए पहल शुरु की है।

घ. पिछले महज दो वर्षों में उल्लेखनीय क्षमता वृद्धि की गई है, तथापि कमजोर माली हालत वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा विद्युत की मांग कम होने के कारण प्राथमिक रूप से क्षमता अभिवृद्धि के साथ ऊर्जा की मांग ने अपेक्षित गति नहीं पकड़ी है। इसलिए हमने वित्तीय वर्ष 2015–16 में अब तक का न्यूनतम 2.1% ऊर्जा घाटा देखा है और अभी हम अधिशेष विद्युत की स्थिति में हैं। ऊर्जा की कम मांग का अभिप्राय यह है कि विद्युत क्रय करार कम संख्या में होंगे, जिसके फलस्वरूप विकासकर्ताओं के लिए ऑफटेक का जोखिम काफी बढ़ जाएगा।

ङ. कंपनी का उत्पादन पोर्टफोलियो 70% से अधिक है और यह कंपनी का मुख्य व्यवसाय है। उल्लेखनीय क्षमता अभिवृद्धि के कारण कई नई परियोजनाएं उत्पादन शुरु नहीं कर पा रही हैं और इसके फलस्वरूप क्रेडिट वृद्धि में उल्लेखनीय कमी हो रही है। साथ ही कंपनी के लिए ऋण मुहैया कराने के भी अवसर घट रहे हैं।

च. आरबीआई ने अभी हाल ही में कंपनी को यह निदेश दिया है कि वह सरकारी क्षेत्र के लिए भी आरबीआई की क्रेडिट संबंधी शर्तों का अनुपालन करे, इसका आशय यह है कि पीएफसी द्वारा ऋण मुहैया कराए जाने की पूर्ववर्ती सीमा, जो पहले 75% से 150% तक होती थी, को अब इसके निवल मूल्य के 25% तक सीमित कर दिया गया है। इसके कारण पीएफसी को 2–3 वर्ष के लिए राज्य क्षेत्र की 9 विद्युत कंपनियों को ऋण देना बंद करना पड़ा है, जबकि वे पीएफसी के बड़े ऋणकर्ता हैं। बड़े ऋणकर्ताओं से कंपनी का कारोबार अचानक से रूक गया है, जिसका पीएफसी के व्यापार विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

छ. यूडीएवाई पीएफसी के लिए एक नई चुनौती है, जिसके तहत डिस्कॉम द्वारा बड़ी धनराशि के भुगतान की परिकल्पना की गई है, जिसका अभिप्राय यह है कि पीएफसी को भारी मात्रा में परिसत्तियों/आय की हानि होना। इसके अलावा यूडीएवाई के अनुसार संधिकालिक निधियों की अनुमति नहीं है, जिसके फलस्वरूप निधियन के अवसर न मिलने की संभावना है। इसके अलावा यूडीएवाई के अंतर्गत डिस्कॉम के कायाकल्प का संपूर्ण विद्युत क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव होगा, जिससे दीर्घकालिक अवधि में पीएफसी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार होगा।

(च) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

नियामक और सांविधिक अनुपालनों के साथ–साथ निगमित शासन के सर्वोच्च स्तर को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए आपकी कंपनी में सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं

ताकि कंपनी का कारोबार सहजता से और दक्षता पूर्वक संचालित किया जा सके और सभी संगत नियमों, कानूनों और विनियमों का अनुपालन किया जा सके। सहज तरीके से निर्णय करने के लिए विद्युत क्षेत्र का एक व्यापक प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। समान रूप से अनुपालन के लिए लेखाओं की तैयारी हेतु व्यापक दिशा–निर्देशों का लगातार अनुपालन किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जांच प्रक्रियाओं को लागू करने और उनमें सामंजस्य बनाए रखने तथा सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को लागू करने का प्रयास किया गया है और कंपनी के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों द्वारा नियमित रूप से और गहन आंतरिक लेखापरीक्षा की गई हैं। इसके अलावा कंपनी की लेखापरीक्षा समिति आवधिक रूप से विभिन्न लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर कड़ी नजर रखती है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए मैसर्स बंसल सिन्हा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता पर एक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि के साथ प्रस्तुत की है कि उन्होंने हमारी कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की है, साथ ही आरंभिक स्तर के नियंत्रण और प्रक्रिया स्तर पर नियंत्रण सहित विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की मौजूदगी एवं प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का भी सत्यापन किया है। हमारी कंपनी के रिकॉर्डो की समीक्षा करने पर उन्होंने यह पाया है कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाईन और प्रचालन में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी कमी नहीं है।

पीएफसी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सुदृढ़ और स्वतंत्र है तथा यह सतत आधार पर कार्य करती है, जिसमें प्रचालन का संपूर्ण क्षेत्र और सेवाएं शामिल हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए इस ढंग से डिजाइन की गई है कि वित्तीय विवरण और अन्य डेटा तैयार करने तथा परिसंपत्तियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए वित्तीय तथा अन्य रिकॉर्ड विश्वसनीय बने रहें। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रबंधन द्वारा पूरक समीक्षा की जाती है और नीतियों, दिशा–निर्देशों और प्रक्रियाओं का प्रलेखन किया जाता है। कंपनी में विश्वसनीय आंतरिक जांच प्रणाली मौजूद है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने में सहायक है।

पीएफसी एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाण पत्र प्राप्त कंपनी हैं। इन सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और क्रेडिट समीक्षा तंत्र से चूक होने की संभावनाएं कम हो जाती है और ये सभी शेयरधारकों का विश्वास हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

(छ) प्रचालनात्मक निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, बेहतर वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने में योगदान जारी रखा है। कंपनी के कुल राजस्व में 11% की वृद्धि हुई है और यह गत वर्ष ₹24,862 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹27,474 करोड़ हो गया है। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 8% की वृद्धि हुई है और यह गत वर्ष में ₹8,378 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹9,061 करोड़ हो गया है। जबकि कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 3% की वृद्धि हुई है और यह गत वर्ष में ₹5,959 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015–16 में 6,113 करोड़ हो गया है।

इसके अलावा, कंपनी के निवल मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है और यह वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹29,245 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹32,046 करोड़ हो गया है और 31 मार्च, 2016 में कुल ऋण परिसंपत्तियों (निवल) में 9% की वृद्धि हुई है और यह 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ₹2,17,161 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹2,37,462 करोड़ हो गई हैं। सकल गैर निष्पादन परिसंपत्तियां (एनपीएएस) में वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹2,533 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में बढ़कर ₹7,519 करोड़ हो गई हैं।

विदेशी विनिमय से अर्जन और बहिर्गमन

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ऋण प्रदान करने संबंधी सेवाओं, वित्तीय एवं अन्य प्रभारों और व्यापार व्यय के मद में ₹262.29 करोड़ का एकीकृत विदेशी विनिमय का बहिर्गमन किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए विदेशी मुद्रा में अर्जन शून्य है।

(ज) मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास

आपकी कंपनी के कार्मिकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना जाता है और वे कंपनी की सबसे मूल्यवान परिसंपत्तियां हैं। कंपनी का उद्देश्य मानव संसाधन प्रक्रियाओं को अपने व्यापारिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है। कार्मिकों ने अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ निष्पादन किया और कंपनी के विकास और वृद्धि में योगदान दिया। आपकी कंपनी प्रशिक्षण तथा विकास के माध्यम से अपने मानव संसाधनों के कौशल उन्नयन पर अत्यधिक जोर देती है। कंपनी अपने कार्मिकों की दक्षताओं में अंतर की पहचान पर जोर देती है और प्रतिस्पर्धी वातावरण में परिवर्तन के साथ–साथ संगठनात्मक चुनौतियों को दूर करने के लिए अपने कार्मिकों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस दिशा में कंपनी ने विभिन्न प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक वार्षिक प्रशिक्षण योजना प्रणाली तैयार की है। विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से सभी स्तर के कार्मिकों को आवश्यक व्यावसायिक कौशल उन्नयन का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। आपकी कंपनी अपनी प्रक्रियाओं की बेंचमार्किंग करती है और सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों में लागू सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को लागू करने का प्रयास करती हैं। इसके फलस्वरूप अन्य रणनीतिक हस्तक्षेपों के अलावा मानव संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन संभव हो पाता है, जिससे उच्च स्तर की उत्पादकता सुनिश्चित होती है। आपकी कंपनी में

सभी स्तर के कार्मिकों के बीच सामंजस्यपूर्ण एवं सौहार्द्रपूर्ण संबंध हैं। आपकी कंपनी नियोक्ता और कार्मिकों के बीच सौहार्द्रपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने के लिए कार्मिकों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करती है। संगठन में सकारात्मक कार्य संस्कृति होने के कारण समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक भी कार्य दिवस का नुकसान नहीं हुआ। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी के रोल में 467 कार्मिक थे।

(झ) निगमित सामाजिक जिम्मेदारी और स्थायी विकास (सीएसआर और एसडी)

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति का मार्गदर्शी सिद्धांत ''सशक्तिकरण के माध्यम से प्रभाव'' के रूप में है, जहां सशक्तिकरण भविष्य को आज अर्थात वर्तमान में भविष्य को सुदृढ़ करने की एक प्रक्रिया है ताकि जोखिम को न्यूनतम किया जा सके, मूल्य सृजन किया जा सके और निश्चित ही उसका अनुभव किया जा सके। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते हैं कि हमारी सीएसआर पहलों से जुड़े समुदाय भी अपने जीवन में निश्चिंतता का अनुभव अवश्य करें। आपकी कंपनी के सीएसआर कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रमुख रूप से शामिल हैं। ज्ञान क्षेत्र में होने के नाते आपकी कंपनी द्वारा एक विषय–वस्तु के रूप में शिक्षा का चयन किया गया है। इसी प्रकर स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना इस बात का सबूत है कि स्वास्थ्य सामाजिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व–अर्हता अर्थात शर्त है। पर्यावरण के प्रति हमारी चिंता हमारे उस विश्वास के अनुरूप है कि इस वैश्विक चिंता के लिए हमारा ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है जिससे कि एक स्थायी और उत्पादक माहौल निर्मित और सुनिश्चित किया जा सके। इन विषय वस्तुओं की स्थापना सभी भौगोलिक क्षेत्रों में इन्हें अपनाने अथवा इनका अनुकूलन करने के लिए की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी के लिए ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए कंपनी के औसत स्टैंड–अलोन पीबीटी के 2% के आधार पर ₹145.79 करोड़ (गत वर्ष में ₹117.49 करोड़) का सीएसआर बजट अनुमोदित किया गया है। पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निर्धारित पूरे बजट को खर्च किया है। वर्ष के दौरान पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 की स्वीकृतियों और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की स्वीकृतियों में से ₹192.13 करोड़ की धनराशि संवितरित की है। इसके अलावा पीएफसी ने प्रशासनिक उपरिव्यय के मद में ₹3.39 करोड़ की राशि खर्च की है, जिसमें सीएसआर कार्यकलापों के संदर्भ में सीएसआर स्टॉफ के वेतन और भत्ते और यात्रा व्यय के मद में खर्च की गई राशि शामिल है।

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान सीएसआर दावों के मद में ₹157.93 करोड़ (गत वर्ष में ₹35.52 करोड़) की राशि का समायोजन करने के बाद सीएसआर और एसडी का बजट प्रावधान ₹102.16 करोड़ (गत वर्ष ₹114.30 करोड़) रहा।

(ञ) नवीकरणीय ऊर्जा

विद्युत अवसंरचना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो स्थायी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । भारतीय विद्युत क्षेत्र उल्लेखनीय परिवर्तनों के दौर से गुज़र रहा है जिससे उद्योग परिदृश्य पुनः परिभाषित हो रहा है। स्थायी अर्थिक विकास से भारत में विद्युत की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। भारत सरकार के 'सभी के लिए विद्युत' के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से देश में विद्युत उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ग्रिड संबद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। यह राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधान के एक अभिन्न अंग और ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आते हुए यह सरकार के स्थायी विकास की कार्यसूची के लिए भी सहायक सिद्ध हो रहा है। यह स्वीकार किया गया है कि आने वाले वर्षों में देश की ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य को पूरा करने में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक गंभीर भूमिका अदा करने होगी और यह ऊर्जा आयोजना प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में होगा।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार भारत की कुल संस्थापित क्षमता 298 गीगावाट है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की कुल संस्थापित क्षमता 42752 मेगावाट (ग्रिड संबद्ध) शामिल है, जो कुल संस्थापित क्षमता के 14.34% के बराबर है। इसमें पवन ऊर्जा का योगदान 26769 मेगावाट, लघु जल विद्युत स्रोतों का योगदान 4273 मेगावाट, सौर ऊर्जा का योगदान 6,762 मेगावाट, (बायोमास) और सह–उत्पादन का योगदान 6831 मेगावाट और अपशिष्ट जल से 115 मेगावाट का योगदान शामिल है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में विस्तार करने के प्रयोजन से त्वरित और महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ नीतिगत ढ़ांचे में अभूतपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं जिससे कि सौर ऊर्जा के योगदान को बढ़ाया जा सके। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की संस्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें 60 गीगावाट की पवन ऊर्जा, 100 गीगावाट की सौर ऊर्जा, 10 गीगावाट की (बायोमास) ऊर्जा और लघु जल विद्युत स्रोतों से 5 गीगावाट ऊर्जा का योगदान शामिल है।

सचेतक टिप्पणी

''प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण'' भाग में दिए गए कुछ बयान/विवरण दूरदर्शी प्रकृति के हो सकते हैं और उन्हें लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक बताया गया है। आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य प्रासंगिक घटकों के आधार पर उनसे संबद्ध जोखिमों और अनिश्चित्ताओं के कारण वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी निष्पादन और दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों से काफी अलग हो सकते हैं। पाठकों को सचेत किया जाता है कि वे भविष्य के लिए पूर्वपरिकल्पित इन विवरणों पर अनावश्यक विश्वास न करें।

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा व्यापारिक कॉर्पोरेशन को निदेशित और नियंत्रित किया जाता है। निगमित शासन ढ़ांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेशन में विभिन्न प्रतिभागियों जैसे निदेशक मंडल, प्रबंधकों, शेयरधारकों, और अन्य शेयरधारकों के बीच अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विभाजन को विनिर्दिष्ट किया जाता है और निगमित कार्य–कलाापों पर निर्णय लेने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का भी इसमें उल्लेख किया जाता है। ऐसा करके यह एक ऐसा ढ़ांचा भी प्रदान करती है, जिसके के माध्यम से कंपनी के उद्देश्यों और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने और निष्पादन की निगरानी करने के लिए साधनों का निर्धारण भी किया जाता है। निगमित शासन सर्वोत्तम प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करना, कानून का सही मायने में अर्थात अक्षरशः अनुपालन करना और प्रभावी प्रबंधन के लिए सैद्धांतिक मानकों का अनुपालन और सभी शेयरधारकों के स्थायी विकास के लिए धन का वितरण और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन है।

आपकी कंपनी का निगमित शासन सिद्धांत रूप में चालित एक ऐसी प्रक्रिया है, जो उन मूल्यों और व्यवहारों के प्रति समर्पित है, जिनका उद्देश्य संगठन के धन सृजन और धनार्जन की क्षमता बढ़ाना है। व्यापारिक निर्णय लेकर और शेयरधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करते समय मूल्यों के प्रति दृढता के साथ समर्पित व्यापार प्रक्रिया का संचालन करके इसको सुनिश्चित किया जाता है। सुशासन की प्रक्रियाओं का निर्माण संगठन की कार्य संस्कृति और मनःस्थिति से होता है और अपनी कंपनी में हम अपने सभी शेयरधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सिद्धांत रूप में व्यापार संचालन के लिए सर्वोत्तम निगमित प्रक्रियाओं को अपनाने पर विश्वास करते हैं।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए जारी किए गए निगमित शासन पर दिशा–निर्देशों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 (01.12.2015 से लागू किया गया) की आवश्यकताओं के अनुरूप एक रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में नीचे दी गई है। साथ ही निगमित शासन के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन संबंधी एक व्यावसायिक कंपनी सचिव द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी संलग्न हैः

1. निगमित अभिशासन पर कंपनी के सिद्धांत (दर्शन) का संक्षिप्त विवरण

आपकी कंपनी का निगमित शासन संबंधी दर्शन दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये निम्नानुसार हैं :

I. अनापेक्षित प्रतिबंधों के बिना स्थायी विकास के लिए उद्यम को आगे बढ़ाने हेतु प्रबंधन के पास पर्याप्त कार्यपालक स्वतंत्रता होनी चाहिए;

एवं

II. प्रबंधन की इस स्वतंत्रता का प्रयोग नियामक परिवेश और प्रभावी जवाबदेही के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए।

आपकी कंपनी का निगमित ढांचा, व्यापार संचालन और प्रकटन की पद्धतियों को इसके निगमित शासन सिद्धांत के अनुसार संरेखित किया गया है।

आपकी कंपनी प्रकटन संबंधी सिद्धांतों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का भी मार्गदर्शी बल के रूप में पृष्ठांकन करती है।

2. निदेशक मंडल

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी को नेतृत्व, वस्तुनिष्ठ निर्णय प्रक्रिया और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। निदेशक मंडल अपनी शक्तियां स्वयं निर्धारित करता है और कंपनी के कार्यकलापों का प्रबंधन कंपनी अधिनियम में निर्धारित ढांचे, कंपनी के संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और कंपनी की आंतरिक संहिताओं/प्रक्रियाओं आदि के अनुसार करता है।

यह निगमित नीतियों, संपूर्ण निष्पादन, लेखांकन और रिपोर्टिंग संबंधी मानकों और प्रबंधन, निगमित शासन और नियामक अनुपालनों के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा करती है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में विविध अनुभव और विशेषज्ञता वाले ख्यातिप्राप्त लोग शामिल हैं।

स्वरूप

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ में पीएफसी एक सरकारी कंपनी है, क्योंकि आज की तारीख में कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 67.80% की शेयरधारिता भारत के राष्ट्रपति के पास है और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अलावा कंपनी के संगम अनुच्छेद के संदर्भ में कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में सात (7) निदेशक हैं, जिसमें चार (4) पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक, एक (1) अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक और दो (2) गैर–सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं। हमारे सभी निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल इस रिपोर्ट में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :–

(I) श्री बी. एन. शर्मा निदेशक, (सरकारी नामिती) का नामांकन वापिस

लेने के कारण श्री अरुण कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर, 2015 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (सरकारी नामिती) के रूप में नामित किया गया।

(II) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशक (वाणिज्यिक) के पद पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री डी. रवि, कार्यपालक निदेशक (कनून और प्रलेखन) ने 16 नवंबर, 2015 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में प्रभार ग्रहण किया।

(III) तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के परिणामस्वरूप श्री श्री जे. एन. प्रसन्ना कुमार, स्वतंत्र निदेशक 21 दिसंबर, 2015 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पर्याप्त न होने और कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक के अभाव में कंपनी के निदेशक मंडल का स्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों और डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए जारी किए गए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश के अनुरूप नहीं था।

कंपनी ने नियोक्ता प्राधिकारी होने के नाते विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए पहले ही अनुरोध किया है जिससे कि कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों और डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए जारी किए गए निगमित शासन पर दिशा–निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करने में सक्षम बन सके ।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार था:

पूर्णकालिक निदेशक		
i)	श्री एम.के. गोयल*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
ii)	श्री आर. नागराजन	निदेशक (वित्त), मुख्य वित्त अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
iii)	श्री ए.के. अग्रवाल	निदेशक (परियोजनाएं) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
iv)	श्री डी. रवि	निदेशक (वाणिज्यिक) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
सरकारी नामिती निदेशक		
v)	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	निदेशक (सरकारी नामिती)
गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक		
vi)	श्री विजय मोहन कौल**	स्वतंत्र निदेशक
vii)	श्री योगेश चंद गर्ग	स्वतंत्र निदेशक

*दिनांक 15.11.2015 तक निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

**श्री विजय मोहन कौल स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 23.06.2016 को समाप्त हो गया।

बोर्ड की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यत: कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और उनकी अनुसूची पर्याप्त समय रहते तैयार कर ली जाती है। पीएफसी का निदेशक मंडल नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है। निदेशक मंडल की बैठकों में एक ढांचागत कार्य सूची पर चर्चा की जाती है और निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य चर्चा के लिए कार्यसूची में कोई भी विषयवस्तु शामिल करने की सिफारिश हेतु स्वतंत्र है। स्पष्टीकरण नोट सहित विस्तृत कार्यसूची और सभी प्रमुख मुद्दों पर आवश्यक कागजात अग्रिम तौर पर परिचालित किए जाते हैं, जिससे कि निदेशक मंडल को पूरी तरह से सूचित और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सुकर बनाया जा सके।

आपकी कंपनी ने 1 जुलाई, 2015 से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित सचिवालयीय मानकों–1 का अक्षरश: अनुपालन किया है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 15 बैठकें आयोजित की गईं, जिनकी तारीखें निम्नानुसार हैं :

I) 8 अप्रैल, 2015, II) 17 अप्रैल, 2015, III) 15 मई, 2015, IV) 28 मई, 2015 अ) 20 जुलाई, 2015 VI) 14 अगस्त, 2015 VII) 23 सितंबर, 2015, VIII) 03 नवंबर, 2015, IX) 26 नवंबर, 2015, X) 16 दिसंबर, 2015 XI) 21 जनवरी, 2016 XII) 09 फरवरी, 2016 XIII) 16 फरवरी, 2016, (XIV) 18 मार्च, 2016 और (XV) 23 मार्च, 2016 ।

वार्षिक आम बैठक

कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक 24 सितंबर, 2015 को आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड की बैठकों में और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति, ऐसी अन्य कंपनियों की संख्या जिनमें निदेशक हैं और अन्य समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता आदि के विवरण निम्नानुसार हैं:

नाम और पद नाम	बोर्ड की बैठकें		31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों में निदेशक*	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता**		24 सितंबर, 2015 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में	
श्री एम. के. गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	14	14	3		शून्य	उपस्थित
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वाणिज्यिक) अतिरिक्त प्रभार	1	1				
श्री आर. नागराजन निदेशक (वित्त)	15	15	9	शून्य	2	उपस्थित
श्री ए.के. अग्रवाल निदेशक (परियोजना)	15	15	8	2	शून्य	उपस्थित
श्री डी. रवि निदेशक (वाणिज्यिक)	7	7	7	2	शून्य	–
श्री बी.एन. शर्मा निदेशक (सरकारी नामिती)	7	7	12.10.2015 से कार्यकाल समाप्त हो गया			उपस्थित
श्री अरुण कुमार वर्मा निदेशक (सरकारी नामिती)	8	8	1	शून्य	शून्य	–
श्री विजय मोहन कौल स्वतंत्र निदेशक / अध्यक्ष, नामांकन और मेहताना समिति और अध्यक्ष, शेयरधारक संबंध और शेयरधारक / निवेशकों की शिकायत समिति	15	15	1	1	शून्य	उपस्थित
श्री योगेश चंद गर्ग स्वतंत्र निदेशक/ अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति और अध्यक्ष सीएसआर और स्थायी विकास समिति	15	15	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री जे. एन. प्रसन्ना कुमार स्वतंत्र निदेशक	10	9	21.12.2015 से कार्यकाल समाप्त हो गया			उपस्थित

*निजी कंपनियों, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 के तहत आने वाली कंपनियों और विदेशी कंपनियों में निदेशक शामिल नहीं हैं।

**लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति से इतर अन्य बोर्ड समितियों में अध्यक्षता / सदस्यता शामिल नहीं है।

बोर्ड में शामिल निदेशकों में से कोई भी निदेशक ऐसी सभी कंपनियों, जिनमें वे निदेशक हैं की 10 से अधिक समितियों के सदस्य और 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं। कंपनी के कोई भी निदेशक एक दूसरे से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के संदर्भ में और सीपीएसई के गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका और उत्तरदायित्वों पर डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 13 अक्टूबर, 2015 को आयोजित की गई। अलग से आयोजित इस बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने एक घोषणा की कि वे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा, 149 (6) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों और स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा द्वारा समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लिया जाता। इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत निदेशक मंडल के प्रशिक्षण हेतु एक नीति बनाई गई है। उक्त नीति पीएफसी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com पर भी उपलब्ध है।

3. निदेशक मंडल की समितियां

कंपनी के कार्यकलापों पर विशेष फोकस के साथ त्वरित ढंग से विचार करने और निर्णय प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए निदेशक मंडल ने पृथक भूमिका, जवाबदेही और प्राधिकार के साथ निम्नलिखित समितियां गठित की हैं :

I. लेखापरीक्षा समिति

II. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

III. शेयरधारक संबंध तथा शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

IV. निदेशकों की ऋण समिति

V. प्रकार्यात्मक निदेशकों की समिति

VI. केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के आईपीओ में निवेश के लिए निदेशकों की समिति

VII. निदेशकों की सीएसआर और स्थायी विकास समिति

VIII. जोखिम प्रबंधन समिति

IX. मानव संसाधन समिति

3.1 लेखापरीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में दो स्वतंत्र निदेशक तथा एक प्रकार्यात्मक निदेशक शामिल होता है। स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव बने रहे। लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, विचारार्थ विषय कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकार में कंपनी अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन आवश्यकताओं, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देश और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों को भी शामिल है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का स्वरुप निम्नलिखित था:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री योगेश चंद गर्ग	अध्यक्ष
2.	श्री विजय मोहन कौल	सदस्य
3.	श्री ए.के. अग्रवाल	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति ने अपनी सात (7) बैठकें आयोजित कीं। इनकी तारीखें निम्नानुसार थीं : I) 26 और 29 मई, 2015, II) 13 अगस्त, 2015, III) 13 अक्टूबर, 2015 IV) 02 नवंबर, 2015, V) 16 दिसंबर, 2015, VI) 09 फरवरी, 2016 और VII) 23 मार्च, 2016।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया, उनके विवरण निम्नानुसार हैं:

सदस्यों का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री योगश चंद गर्ग	स्वतंत्र निदेशक	7	7
श्री विजय मोहन कौल**	स्वतंत्र निदेशक	2	2
श्री ए.के. अग्रवाल	निदेशक (परियोजना)	7	7
श्री जे. एन. प्रसन्ना कुमार*	स्वतंत्र निदेशक	5	5

*पद का कार्यकाल दिनांक 21.12.2015 से समाप्त हो गया।

**श्री जे. एन. प्रसन्ना कुमार के स्थान पर दिनांक 22.12.2015 से श्री विजय मोहन कौल को समिति में शामिल किया गया।

निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षक (परीक्षकों) के प्रतिनिधि को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है, जिससे कि वे समिति के सदस्यों के साथ चर्चा कर सकें।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आपकी कंपनी एक केंद्रीय क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है और ऐसा होने के नाते इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हालांकि केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों में किए गए प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में एक पारिश्रमिक समिति गठित की गई है ।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका, विचारार्थ विषय कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकार कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों और समय–समय पर यथासंशोधित डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार हैं।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार नामांकन, पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति में निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशक शामिल थे:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री विजय मोहन कौल	अध्यक्ष
2.	डॉ अरुण कुमार वर्मा	सदस्य
3.	श्री योगश चंद गर्ग	सदस्य

निदेशक (वाणिज्यिक), निदेशक (परियोजना) तथा निदेशक (वित्त) को उक्त समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की पांच (5) बैठकें निम्नलिखत तारीखों i) 28 मई, 2015, ii) 07 जुलाई, 2015, iii) 13 अक्टूबर, 2015 iv) 07 मार्च, 2016, v) 23 मार्च, 2016 को आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया, उनके विवरण निम्नानुसार हैं:

सदस्यों का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री विजय मोहन कौल	स्वतंत्र निदेशक	5	5
डॉ अरुण कुमार वर्मा**	निदेशक (सरकारी नामिती)	2	2
श्री योगश चंद गर्ग	स्वतंत्र निदेशक	5	5
श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार*	स्वतंत्र निदेशक	3	3

*पद का कार्यकाल दिनांक 21.12.2015 से समाप्त हो गया ।

**श्री जे. एन. प्रसन्ना कुमार के स्थान पर दिनांक 22.12.2015 से डॉ. अरुण कुमार वर्मा को समिति में शामिल किया गया ।

पारिश्रमिक नीति

आपकी कंपनी केंद्रीय क्षेत्र का एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो अन्य बातों के साथ साथ उनके संगत नियुक्ति आदेशों/वेतन

निर्धारण आदेशों के माध्यम से ऐसे पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करता है। कंपनी के अन्य कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। सीएमडी और प्रकार्यात्मक निदेशकों के मामले में निदेशकों का पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले सदस्यों के अलावा निदेशक मंडल के सदस्यों का कंपनी, इसके प्रमोटरों अथवा इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई वास्तविक धन संबंधी संबंध अथवा लेन–देन नहीं है जो निदेशक मंडल की दृष्टि से निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

पीएफसी सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के निष्पादन का प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित सभी पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति संबंधी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार था।

वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के विवरण नीचे दिए गए हैं:

वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के विवरण :						
निदेशक का नाम	वेतन (₹)	लाभ (₹)	बोनस / कमीशन एक्स. ग्रेसिया (₹)	निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (₹)	स्टॉक विकल्प	जोड़ (₹)
श्री एम.के. गोयल	31,05,398.00	20,18,007.00	0.00	17,68,282.00	0.00	68,91,687.00
श्री आर. नागराजन	29,25,030.00	15,82,552.00	0.00	15,84,617.00	0.00	60,92,199.00
श्री ए.के. अग्रवाल	21,70,058.00	16,40,280.00	0.00	14,67,224.00	0.00	52,77,562.00
श्री डी. रवि	9,24,215.00	6,97,405.00	0.00	6,92,160.00	0.00	23,13,780.00

नोट :

1. निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहनों का भुगतान कंपनी की निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार किया जाता है।
2. निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के भुगतान संबंधी निर्णय कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। अतः निदेशकों के लिए नोटिस अवधि और उसके बदले पृथक्करण शुल्क का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

गैर–कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक और सरकारी नामिती निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों के कंपनी के साथ वास्तविक रूप से धन संबंधी कोई संबंध नहीं हैं और न ही वे कंपनी से कोई लेनदेन करते हैं। हालांकि कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के बोर्ड और समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथानिर्धारित सीमाओं के भीतर बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई दरों से सिटिंग फीस का भुगतान किया गया। वर्तमान में प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को निदेशक मंडल और समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000 की सिटिंग फीस का भुगतान किया जा रहा है।

सरकारी नामिती कंपनी से किसी पारिश्रमिक या सिटिंग फीस के लिए सूचीबद्ध नहीं किए गए।

3.3 शेयरधारक संबंध और शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी में अपने शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए निदेशकों की एक शेयरधारक संबंध और शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायत समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार शेयरधारक संबंध तथा शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री विजय मोहन कौल	अध्यक्ष
श्री आर. नागराजन	सदस्य
श्री ए.के. अग्रवाल	सदस्य

श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान शेयरधारक संबंध और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की चार (4) बैठकें क्रमशः (i) 28 मई, 2015 (ii) 13 अगस्त, 2015 और (iii) 02 अक्टूबर, 2015 तथा (iv) 09 फरवरी 2016 को आयोजित की गईं।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निवेशकों की शिकायतों पर सूचना नीचे दिए अनुसार है:

विवरण	इक्विटी
वर्ष के प्रारंभ में लंबित	1
वर्ष के दौरान प्राप्त	507
वर्ष के दौरान निपटाई गई	507
वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित	1*

*न्यायालय में विचाराधीन है।

3.4 ऋण समिति

निदेशकों की ऋण समिति का गठन एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 करोड़ की कुल सीमा के अध्यधीन वित्तीय और लीज सहायता में वृद्धि करने और पात्रता शर्तों में छूट प्रदान करने सहित किसी पृथक योजना और परियोजना के लिए ₹500 करोड़ तक कि वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री एम.के. गोयल	अध्यक्ष
श्री अरुण कुमार वर्मा	सदस्य
श्री आर. नागराजन	सदस्य
श्री ए.के. अग्रवाल	सदस्य
श्री डी. रवि	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ऋण समिति की छह (6) बैठकें क्रमश: (i) 27 जुलाई, 2015 (ii) 17 अगस्त, 2015 (iii) 21 सितंबर, 2015 (iv) 03 नवंबर, 2015 (v) 08 जनवरी 2016 और (vi) 08 फरवरी, 2016 को आयोजित की गई।

3.5 प्रकार्यात्मक निदेशकों की समिति

प्रकार्यात्मक निदेशकों की समिति का गठन एक वित्तीय वर्ष में ₹4,000 करोड़ की कुल सीमा के अध्यधीन वित्तीय और लीज सहायता में वृद्धि करने और पात्रता शर्तों में छूट प्रदान करने सहित किसी पृथक योजना और परियोजना के लिए ₹100 करोड़ तक कि वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार इस सिमति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री एम.के. गोयल	अध्यक्ष
श्री आर. नागराजन	सदस्य
श्री ए.के. अग्रवाल	सदस्य
श्री डी. रवि	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्रकार्यात्मक निदेशकों की समिति की तीन (03) बैठकें क्रमश: (i) 28 अगस्त, 2015 (ii) 13 जनवरी, 2015 और (iii) 04 मार्च, 2016 को आयोजित की गई।

3.6 केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियों (उपक्रमों) के आईपीओ में निवेश के लिए निदेशकों की समिति

केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के आईपीओ में निवेश करने के लिए निदेशकों की समिति का गठन केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियों और उपक्रमों के आईपीओ में इक्विटी निवेश का अनुमोदन करने के लिए और अन्य संबंधित मामले जैसे इक्विटी वापस लेने / उनकी बिक्री करने के लिए निर्णय करने, आईपीओ के जरिए आवेदित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, मामला दर मामला आधार पर प्रत्येक कंपनी में अलग निवेश सीमा आदि का निर्धारण करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री एम.के. गोयल	अध्यक्ष
श्री योगेश चंद गर्ग	सदस्य
श्री आर. नागराजन	सदस्य
श्री ए. के. अग्रवाल	सदस्य
श्री डी. रवि	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के आईपीओ में निवेश के लिए निदेशकों की समिति की एक (1) बैठक 23 सितंबर, 2015 को आयोजित की गई।

3.7 निदेशकों की सीएसआर और स्थायी विकास समिति

सीएसआर और स्थायी विकास समिति का गठन कंपनी के सीएसआर और स्थायी विकास संबंधी कार्यकलापों को दिशा–निर्देश देने और विभिन्न सीएसआर और एसडी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करने हेतु किया गया है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री योगेश चंद गर्ग	अध्यक्ष
श्री विजय मोहन कौल	सदस्य
श्री डी. रवि	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशकों की सीएसआर और स्थायी विकास समिति की चार (4) बैठकें क्रमशः (i) 13 अक्टूबर, 2015 (ii) 22 फरवरी, 2016 (iii) 18 मार्च, 2016 तथा (iv) 22 मार्च, 2016 को आयोजित की गई।

3.8 जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन कंपनी की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा करने और बहुत से जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों का संचालन करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री आर. नागराजन	अध्यक्ष
श्री ए. के. अग्रवाल	सदस्य
श्री योगेश चंद गर्ग	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की चार (4) बैठकें कमशः (i) 15 जुलाई, 2015 (ii) 13 अक्टूबर, 2015 (iii) 12 जनवरी, 2016 तथा (iv) 30 मार्च, 2016 को आयोजित की गई।

3.9 मानव संसाधन समिति

मावन संसाधन समिति का गठन निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले मानव संसाधन से संबंधित सभी मामलों पर निदेशक मंडल के विचारार्थ अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए किया गया है।

निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना) को उक्त समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाता है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री विजय मोहन कौल	अध्यक्ष
श्री योगेश चंद गर्ग	सदस्य
श्री डी. रवि	सदस्य

4. वार्षिक आम बैठक

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

एजीएम	दिनांक	दिन	समय	स्थान	विशेष संकल्प
27 वीं	26 सितंबर, 2013	गुरुवार	प्रातः 10 बजे	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली–110010	कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।
28 वीं	26 सितंबर, 2014	शुक्रवार	प्रातः 10 बजे	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली–110010	• नए संगम अनुच्छेद को अपनाया जाना। • निजी नियोजन के आधार पर बॉण्ड/डिबेंचर आदि जारी करके निधियां जुटाने के लिए।
29 वीं	24 सितंबर, 2015	गुरुवार	प्रातः 10 बजे	वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम, लोदी रोड नई दिल्ली–110003	निजी नियोजन के आधार पर बॉण्ड/डिबेंचर आदि जारी करके ₹60,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए।

डाक मतपत्र

डाक मतपत्र के जरिए पिछले वर्ष कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। इसके अलावा आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तक डाक मतपत्र के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

5. सहायक कंपनियां

आपकी कंपनी के पास ऐसी कोई सहायक कंपनियां नहीं हैं, जिनका गठन भारत में किया गया हो और जिनका टर्नओवर अथवा निवल मूल्य (अर्थात प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियां) तत्काल पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष में कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के क्रमशः समेकित टर्नओवर अथवा निवल मूल्य के 20% से अधिक हो।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 की अनुसूची ट भाग – ग (10) (ड.) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुक्रम में कंपनी ने ''वास्तविक सहायक कंपनी पर नीति'' तैयार की है और यह http://www.pfcindia.com/writereaddata/userfiles/file/About%20Us/Policy%20on%20%20Material%20Subsidiary.pdf पर उपलब्ध है।

6. प्रकटन

कंपनी ने ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेन–देन नहीं किया है, जिसके कंपनी के हित के प्रतिकूल हाने की संभावना हो। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसार कंपनी ने ''संबंधित पक्षकार लेन–देन पर नीति'' तैयार की है और यह http://www.pfcindia.com/writereaddata/userfiles/file/About%20Us/Policy%20on%20Related%20Party%20Transaction.pdf पर उपलब्ध है।

पिछले तीन वर्ष के दौरान सेबी, स्टॉक एक्सचेंज अथवा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा न तो कोई शास्ति अधिरोपित की गई है और न ही कोई प्रतिबंध लगाया गया है। तथापि आपकी कंपनी को कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति संबंधी अपेक्षा का अनुपालन पूरा न करने के लिए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज से शास्ति संबंधी एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

संगत नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धार 177 के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुक्रम में और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसरण में कंपनी को अन्य बातों के साथ – साथ कंपनी की आचार संहिता अथवा सिद्धांत नीति का उल्लंघन करने अथवा वास्तविक या संभावित धोखाधड़ी, अनैतिक व्यवहार या अपनी वास्तविक चिंताओं अथवा शिकायतों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक 'सतर्कता तंत्र / व्हिसिल ब्लोअर नीति' स्थापित करना आवश्यक है। ऐसे सतर्कता तंत्र के अभिन्न भाग के रूप में पीएफसी ने एक विसिल ब्लोअर नीति लागू की है जिससे कि पीएफसी और / अथवा इसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों और कार्मिकों को कंपनी के भीतर किसी भी अनुचित गतिविधि का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके और यह नीति http://www.pfcindia.com/writereaddata/userfiles/file/About%20Us/WBP.pdf. पर उपलब्ध है।

कंपनी की लेखाबही में ऐसा कोई भी व्यय डेबिट नहीं किया गया जो कंपनी के व्यापारिक उद्देश्यों के लिए न किया गया हो। इसके अलावा ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया जो निजी प्रकृति का और निदेशक बोर्ड तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

आपकी कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की सभी अपेक्षाओं और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का व्यापक तौर पर अनुपालन किया है। गैर – जरूरी अपेक्षाओं को पूरा करने (और अनुपालन) / न अपनाने (अननुपालन) संबंधी सूचना अनुबंध–क में दी गई है ।

कंपनी में जोखिम मूल्यांकन और उनको न्यूनतम करने अथवा उन्मूलन के बारे में बोर्ड को सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। कंपनी का निदेशक मंडल इन प्रक्रियाओं की आवधिक रूप से समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिमों का प्रबंधन एक उचित परिभाषित ढांचे के जरिए किया जा रहा है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों और यथालागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 एवं कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

7. संचार के साधन

कंपनी संचार को संपूर्ण निगमित शासन ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक मानती है और इसलिए यह कंपनी से जुड़े सभी बाह्य लोगों के साथ निरंतर, दक्ष और संगत संचार पर लगातार जोर दे रही है। कंपनी अपने शेयरधारकों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आमसभा, समाचार पत्रों और वेबसाइट के जरिए प्रकटन कर सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं देती है। कंपनी निवेशक सम्मेलन के जरिए इनकी सूचना अपने संस्थागत शेयरधारकों को भी

देती है। जहां एक ओर कंपनी के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे 'बिजनेस स्टैंडर्ड' (अंग्रेजी), 'नवभारत टाइम्स' (हिंदी) 'नवभारत टाइम्स' (अंग्रेजी), 'जनसत्ता' (हिंदी), 'टाइम्स ऑफ इंडिया', बिजनेस लाइंस, दैनिक जागरण (हिंदी), स्टेट्समैन आदि में प्रकाशित किए जाते हैं वहीं दूसरी ओर इन्हें कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाता है और उन्हें व्यापक प्रचार प्रसार के लिए स्टॉक एक्सचेंज को भी प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दी जाती है, जिसमें अन्य जानकारी के साथ साथ लेखापरीक्षित लेखे, समेकित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निगमित शासन संबंधी रिपोर्ट शामिल होती है। यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सभी सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों को भी परिचालित की जाती है।

8. सीईओ/सीएफओ द्वारा अधिप्रमाणन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत यथावश्यक सीईओ अर्थात श्री एम. के. गोयल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीएफओ अर्थात श्री आर. नागराजन, निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र 25 मई, 2016 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

9. लागू विधियों (कानूनों) का अनुपालन

कंपनी में सुदृढ़ अनुपालन निगरानी प्रणाली लागू की गई है। निदेशक मंडल कंपनी के लिए सभी लागू विधियों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है।

10. आचार संहिता

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार संचालन संहिता और सिद्धांत एक ऐसी विस्तृत संहिता है जो आपकी कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए लागू है। यह कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन में सैद्धांतिक और पारदर्शी प्रक्रिया के विस्तार के उद्देश्य, मिशन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन और मूल्यों के अनुरूप है। इस आचार संहिता की प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com पर उपलब्ध कराई गई है।

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में की गई घोषणा नीचे दी गई है:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करार की अपेक्षाएं और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत और निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार यथावश्यक घोषणा

''निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यापार संचालन संहिता और सिद्धांत' के अनुपालन की पुष्टि की है''।

हस्ताक्षरित/–
एम. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. 0023981311

11. आंतरिक ट्रेडिंग के निषेध के लिए आचार संहिता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार आपकी कंपनी ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता बनाए रखने और उसका दुरुपयोग रोकने के लिए ''आंतरिक लोगों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन और रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए पीएफसी की आचार संहिता, 2015'' तैयार की है। सभी पदनामित कार्मिक और संहिता में उल्लिखित अन्य संबद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे कंपनी में अपने कार्यकलापों के दौरान प्राप्त की गई ऐसी सभी सूचना की गोपनीयता की रक्षा करेंगे और निजी लाभ प्राप्त करने अथवा किसी तृतीय पक्षकार को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद अथवा इस प्रकार प्राप्त की गई सूचना का दुरूपयोग नहीं करेंगे। इस आचार संहिता में कंपनी की प्रतिभूतियों का लेन–देन करते समय अपनाए जाने वाले दिशा–निर्देश और प्रक्रियाएं तथा प्रकटन और अननुपालन के मामले में होने वाले परिणाम निर्धारित किए गए हैं। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह उपर्युक्त संहिता अर्थात 'आंतरिक ट्रेडिंग के निषेध के लिए आचार संहिता' का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह है।

उपर्युक्त आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप ट्रेडिंग विंडो को उस समय जब निदेशक मंडल को कोई मूल्य संवेदी सूचना प्रस्तुत की जाने वाली होती है, तब समय – समय पर बंद किया गया। अनुपालन अधिकारी ने सभी कार्मिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को ट्रेडिंग विंडो के बंद होने पर कंपनी की प्रतिभूतियों का लेन–देन न करने और इसके लिए उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त समय रहते कंपनी की वेबसाइट पर ट्रेडिंग विंडो बंद होने की सूचना अधिसूचित की।

12. शेयरधारकों की सूचना

1) वार्षिक आम बैठक

तारीख	समय	स्थान
19 अगस्त, 2016	प्रातः 10:00 बजे	वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, नई दिल्ली

2) वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वित्तीय कैलेंडर (संभावित)

विवरण	तारीख
वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017
पहली तीन तिमाहियों के लिए गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर घोषित किया जाएगा। लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम 30 मई 2017 को या उसके पहले घोषित की जाएगी।
एजीएम (अगले वर्ष)	सितंबर, 2017

3) खाताबही बंद करने की तारीख

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयरअंतरण बही दोनों दिनों को शामिल करते हुए 13 अगस्त, 2016 से 19 अगस्त, 2016 तक बंद रहेंगे।

4) लाभांश का भुगतान

कंपनी के निदेशक बोर्ड ने कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 0.60 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश का भुगतान करने की सिफारिश की है, जिसका भुगतान वार्षिक आमसभा में अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा। यह लाभांश कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी पर जनवरी, 2016 और फरवरी, 2016 में पहले भुगतान किए गए क्रमशः ₹ 8.80 प्रति शेयर और ₹ 4.50 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कुल लाभांश की राशि ₹ 13.90 रुपए प्रति शेयर है।

वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने की स्थिति में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन निदेशक मंडल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान सदस्यों को अथवा भौतिक शेयरों के संदर्भ में 19 अगस्त, 2016 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में जिनके नाम दर्ज हैं, उनके अधिदेशों को किया जाएगा। डिमटेरियालइज किए गए शेयरों के संदर्भ में लाभंश का भुगतान शेयरों के ऐसे ''लाभार्थी स्वामियों'' को किया जाएगा, जिनके नाम 12 अगस्त, 2016 को कारोबार समाप्त होने वाले घंटे के समय नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोज़ीटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोज़ीटरी सर्विसिस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए लाभार्थी स्वामित्व विवरण में दर्शाए जाते हैं । यदि लाभांश की घोषणा वार्षिक आम बैठक में कर दी जाती है, तो इसका भुगतान वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिन के भीतर शेयरधारकों को किया जाएगा।

5) लाभांश का ऐतिहासिक विवरण

वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़)	लाभांश की दर (%)	भुगतान की तारीख (अंतरिम और अंतिम)
2010–11	1147.77 (अंतरिम)	401.72	35%	31 जनवरी, 2011 (अंतरिम)
	1319.93 (अंतिम)	197.99	15%	8 अक्टूबर, 2011 (अंतिम)
	जोड़	**599.71**	**50%**	–
2011–12	1319.93 (अंतरिम)	659.97	50%	17 फरवरी, 2012 (अंतरिम)
	1320.00 (अंतिम)	132.00	10%	3 अक्टूबर, 2012 (अंतिम)
	जोड़	**791.97**	**60%**	–
2012–13	1320.00	792.01	60%	13 फरवरी, 2013 (अंतरिम)
		132.00	10%	7 अक्टूबर, 2013 (अंतिम)
	जोड़	**924.01**	**70%**	–
2013–14	1320.03 (अंतरिम)	1161.63	88%	17 फरवरी, 2014 (अंतरिम)
	1320.04 (अंतमि)	26.40	2%	10 अक्टूबर, 2014 (अंतिम)
	जोड़	**1188.04**	**90%**	–
2014–15	1320.04 (अंतरिम)	1,122.04	85%	13 मार्च, 2015 (अंतरिम)
	1320.04 (अंतमि)	79.20	6%	8 अक्टूबर, 2015 (अंतिम)
	जोड़	**1201.24**	**91%**	–

6) स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करना

पीएफसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) स्क्रिप कोड : पीएफसी ईक्यू	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) स्क्रिप कोड : 532810
स्टॉक कोड (आईएसआईएन) : आईएनई 134ई01011	

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान एनएसई और बीएसई को कर दिया गया है।

7) बाजार मूल्य डेटा

माह	उच्च (₹)		निम्न (₹)		समापन मूल्य (₹)	
	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई
अप्रैल, 15	292.2	291.9	255.05	255.75	265.65	266
मई, 15	283.4	283	249.8	250	272.6	272.65
जून, 15	281.5	281.4	251.05	251.75	256	255.8
जुलाई, 15	270.7	270.6	239.7	239.75	246.15	245.85
अगस्त,15	253.25	253.1	185.5	185.4	224.15	224.25
सितंबर, 15	245.8	246	201	201.1	230.1	230.05
अक्टूबर, 15	253.9	254	222	222	239.8	240
नवंबर, 15	256.75	256.6	207.55	207.55	213.3	213.55
दिसंबर, 15	221	221	196.6	196.5	201.4	201.4
जनवरी, 16	205.45	205.45	148.2	148.8	175.1	174.8
फरवरी, 16	186.2	185.8	140.25	140.4	154.25	154.4
मार्च, 16	174.55	174.9	152.85	153	171.35	171.85

8) सूचकांकों की तुलना में निष्पादन

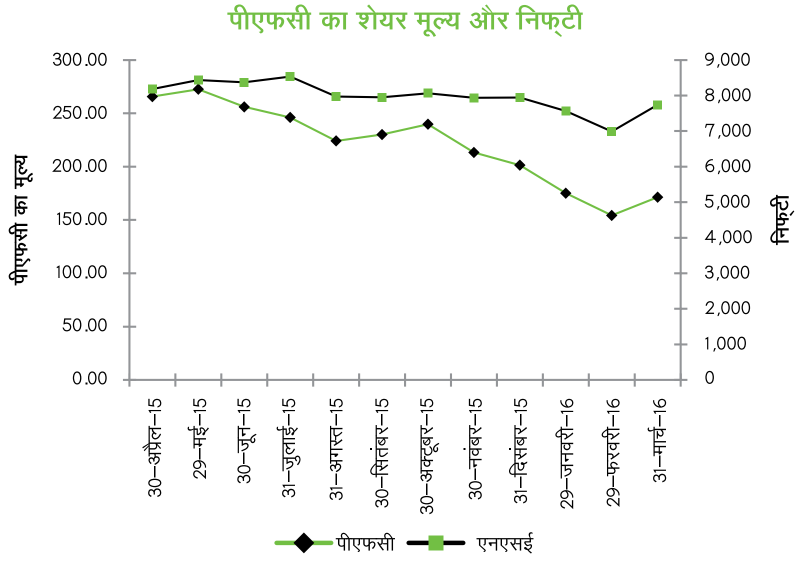

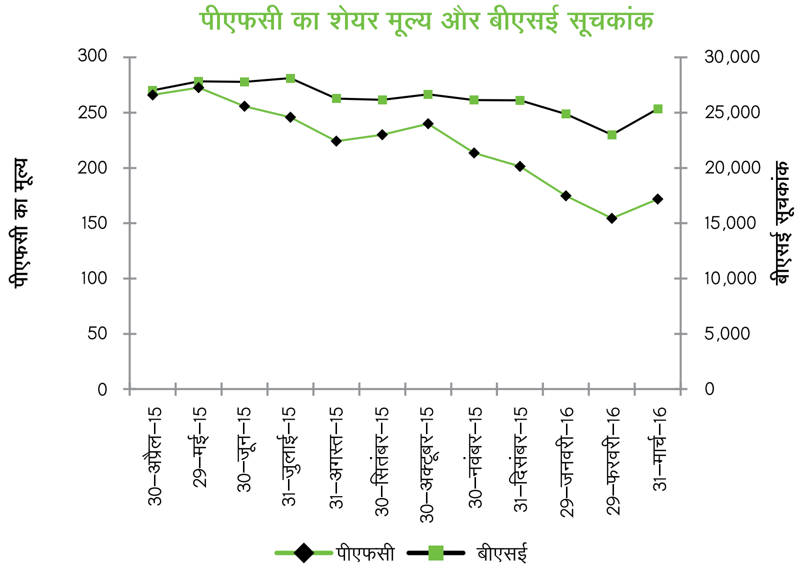

9) इक्विटी शेयरों के लिए पंजीयक और अंतरण एजेंट

पंजीकृत कार्यालय

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
''कार्वी हाउस''
46, एवेन्यू 4,
स्ट्रीट नंबर 1, बंजारा हिल्स,
हैदराबाद–500034, तेलंगाना, भारत
दूरभाष : +91 4023312454
टोल फ्री नं. 1800 4258282
फैक्स : +91 4023311968

संप्रेषण हेतु पता

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
''कार्वी सेलेनियम टॉवर बी''
प्लॉट नंबर 31 और 32
वित्तीय जिला – नानकरामगुडा, गच्छीवाउली,
हैदराबाद–500032.
आंध्र प्रदेश, भारत
दूरभाष : +91 40 67162222
फैक्स : +91 40 23420814
ईमेल: support@karvy.com
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

10) शेयर अंतरण प्रणाली

भौतिक खंड के अंतर्गत शेयरों का अंतरण हमारे पंजीयक और अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किया जाता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 7 के अनुक्रम में सूचीबद्ध निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के शेयर अंतरण सुविधा संबंधी सभी कार्यकलापों का रखरखाव या तो इनहाउस किया जाए अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत किसी शेयर जारीकर्ता और अंतरणकर्ता एजेंट के पंजीयक द्वारा किया जाए। इसके अलावा सूचीबद्ध निकाय अर्द्धवार्षिक आधार पर उपर्युक्त अपेक्षित अनुपालन की पुष्टि एवं प्रमाणन के लिए सूचीबद्ध निकाय के अनुपालन अधिकारी और शेयर अंतरण एजेंट, जहां कहीं भी लागू है, के प्राधिकृत प्रतिनिधि दोनों के द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छःमाहीं की समाप्ति से एक माह के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया करेगा। शेयर अंतरण संबंधी औपचारिकताओं उपर्युक्त अपेक्षित अनुपालन की पुष्टि एवं प्रमाणन के लिए अर्ध वार्षिक आधार पर एक प्रमाण–पत्र निर्धारित अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया गया है ।

इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 (9) के अनुक्रम में सूचीबद्ध निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि शेयर अंतरण एजेंट और/अथवा इनहाउस शेयर अंतरण सुविधा, जैसा भी मामला हो, व्यावसायिक कंपनी सचिव से अर्द्धवार्षिक आधार पर वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छःमाहीं की समाप्ति से एक माह के भीतर यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि सभी प्रमाण–पत्र अंतरण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण, विनिमय अथवा आमंत्रण/आबंटन धनराशि के पृष्ठांकन के लिए लॉजमेंट की तारीख से 30 दिन के भी जारी कर दिए गए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 (9) के अंतर्गत उपर्युक्त अपेक्षित अनुपालन की पुष्टि एवं प्रमाणन के लिए एक प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया गया है ।

इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसिस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ कुल स्वीकृत पूंजी और जारी की गई तथा सूचीबद्ध कुल पूंजी के मिलान हेतु शेयर पूंजी के पुनर्मिलान के लिए व्यावसायिक कंपनी सचिव द्वारा भी लेखापरीक्षा की जाती है। शेयर पूंजी के पुनर्मिलान और लेखपरीक्षा रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की जाती है कि कुल जारी की गई/प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के साथ धारित डी–मटीरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या से मेल खाती है।

11) डिमेट उचंत खाते के विवरण

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार डीमैट उच्चंत खाते में शेयरों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
i)	वर्ष की शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को उच्चंत खाते में पड़े बकाया शेयरों और शेयरधारकों की समेकित संख्या	48	5238
ii)	वर्ष 2015–16 के दौरान उच्चंत खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से पहल करने वाले शेयरधारकों की संख्या	3	267
iii)	वर्ष 2015–16 के दौरान उच्चंत खाते से जिन शेयरधारकों के शेयर अंतरित किए गए, उनकी संख्या	3	267
iv)	वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च, 2015 को उच्चंत खाते में बकाया शेयरों और शेयरधारकों की समेकित संख्या	45	4971

उपर्युक्त शेयरों के संदर्भ में वोट देने के अधिकारों को तब तक रद्द रखा जाएगा जब तक कि ऐसे शेयरों के वास्तविक अभिरक्षक उसके लिए दावा नहीं करते हैं।

12) शेयरधारिता का वितरण

- 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

क्र. सं.	राशि	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	राशि (₹)	शेयरधारकों का %
1	1 – 5000	197833	94.36	221819630.00	1.68
2	5001 – 10000	7651	3.65	57084410.00	0.43
3	10001 – 20000	2123	1.01	30906090.00	0.23
4	20001 – 30000	566	0.27	14366640.00	0.11
5	30001 – 40000	296	0.14	10605350.00	0.08
6	40001 – 50000	173	0.08	8066410.00	0.06
7	50001 – 100000	322	0.15	23023740.00	0.17
8	100001 और उससे अधिक	694	0.33	12834534770.00	97.23
	योग :	**209658**	**100.00**	**13200407040.00**	**100.00**

- 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का %
भारत के राष्ट्रपति	894924366	67.80%
बीमा कंपनियां	128979672	9.77%
विदेशी संस्थागत निवेशक	111717382	8.46%
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	64382986	4.88%
निवासी व्यक्ति विशेष	35425188	2.68%
भारतीय वित्तीय संस्थान	24100204	1.83%
निगमित निकाय	17271060	1.31%
म्यूचुअल फंड	19790150	1.50%
एनबीएफसी	1140541	0.09%
बैंक	15098528	1.14%
न्यास	2529929	0.19%
एचयूएफ	1834889	0.14%
कार्मिक	850163	0.06%
अनिवासी भारतीय	1490147	0.11%
समाशोधन सदस्य	504699	0.04%
विदेशी नागरिक	800	0.00%
जोड़	**1320040704**	**100.00%**

13) शेयरों का डिमेटीरियलाइजेशन

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार एनएसडीएल, सीडीएसएल के साथ धारित और भौतिक मोड में शेयरों की संख्या

क्र. सं.	श्रेणी	शेयरों की संख्या	इक्विटी का %
1.	भौतिक	16888	0.00
2.	एनएसडीएल	1308090576	99.09
3.	सीडीएसएल	11933240	0.90
	जोड़	**1320040704**	**100.00**

14) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर उसका संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट जारी नहीं किए गए हैं।

15) कोमोडिटी मूल्य जोखिम अथवा विदेशी विनिमय संबंधी जोखिम और हैज़िंग संबंधी कार्यकलाप

आपकी कंपनी द्वारा विदेश मुद्रा ऋणों से संबद्ध जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति लागू की गई है। आपकी कंपनी करेंसी फॉरवर्ड, विकल्प, मूलधन स्वैप और अग्रवर्ती दर करारों जैसे लिखतों के जरिए विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम को दूर करने और उसकी भरपाई के लिए हैज़िंग संबंधी लेन–देन करती है ।

16) पत्राचार के लिए पता

पंजीकृत कार्यालय:

''ऊर्जानिधि'',

1, बाराखंबा लेन,

कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली–110001

कंपनी सचिव

श्री मनोहर बलवानी,

दूरभाष : +91 1123456020

फैक्स : +91 1123456786

ईमेल : investorsgrlevance@pfcindia.com

अनुबंध क

गैर–अपरिहार्य आवश्यकताएं

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के निगमित शासन भाग से संबंधित गैर–अपरिहार्य आवश्यकताओं की स्थिति निम्नानुसार है:

1. **बोर्ड :** कंपनी की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
2. **शेयरधारक के अधिकार :** निगमित शासन रिपोर्ट के ''साधन और संचार'' शीर्ष के अंतर्गत किए गए उल्लेखानुसार कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उन्हें अपलोड किया जाता है।
3. **लेखापरीक्षा अर्हताएं :** कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि अनअर्हता प्राप्त वित्तीय विवरणों से बचा जाए।
4. **अध्यक्ष और सीईओ के अलग पद:** पीएफसी के भारत सरकार की एक कंपनी होने के नाते इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के जरिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
5. **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग:** कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा की समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है और वे लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं।

निगमित शासन संबंधी प्रमाण–पत्र

सेवा में,
सदस्य,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए निगमित शासन संबंधी शर्तों के अनुपालन की जांच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2005 (जिसे यहां से आगे सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015) के रूप में संबोधित किया जाएगा) (पूर्ववर्ती सूचीकरण करार का खंड 49) के अध्याय IV की अनुसूची ट के विनियम 17 –27, 46 (2) (ख) से (I) और पैरा ग, घ, ड. में यथाविहित और भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार की है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है। हमारी जांच ऊपर दिए गए दिशा–निर्देश में उल्लेखित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई नई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित है। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में अपने दृष्टिकोण की कोई अभिव्यक्ति है।

हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2005 (जिसे यहां से आगे सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के रूप में संबोधित किया जाएगा) (पूर्ववर्ती सूचीकरण करार का खंड 49) के अध्याय IV की अनुसूची V के विनियम 17–27, 46 (2) (ख) से (I) और पैरा ग, घ, ड. में यथाविहित निगमित शासन संबंधी शर्तों और भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया है।

(I) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2005 (जिसे यहां से आगे सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के रूप में संबोधित किया जाएगा) (पूर्ववर्ती सूचीकरण करार का खंड 49 II (क) (1) और (2) के विनियम 17 (1) और भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर जारी दिशा–निर्देशों के पैरा 3.1.2 और 3.1.4 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ही कार्यपालक निदेशक हैं, तो निदेशक मंडल में कम–से–कम आधी संख्या में स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक का होना आवश्यक है। वर्तमान में, कंपनी के निदेशक मंडल की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जा रही है। तद्नुसार, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के सदस्य की कुल संख्या के 50% के बराबर होनी चाहिए, तथापि, कंपनी के निदेशक मंडल में वर्तमान में 7 निदेशक शामिल हैं, जिनमें 4 पूर्णकालिक सदस्य, 1 अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक और 2 गैर–सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

(II) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2005 (जिसे यहां से आगे सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के रूप में संबोधित किया जाएगा) (पूर्ववर्ती सूचीकरण करार का खंड 49 II (ख) (5) (ग)) के विनियम 17 (10) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

(III) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2005 (जिसे यहां से आगे सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के रूप में संबोधित किया जाएगा) (पूर्ववर्ती सूचीकरण करार का खंड 49 II (ख) (6) (ख)) के विनियम, 25 (3) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक अपनी पृथक बैठक में गैर–स्वतंत्र निदेशकों और पूरे निदेशक मंडल के सामूहिक रूप से कार्य निष्पादन की समीक्षा करेंगे (कार्यपालक निदेशकों और गैर–कार्यपालक निदेशकों के दृष्टिकोण और विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करेंगे (और कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशक मंडल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयनिष्ठता का मूल्यांकन करेंगे, जो कि निदेशक मंडल के लिए अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से और उचित ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। स्वतंत्र निदेशकों ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 31.07.2015 तथा 13.10.2015 को अपनी बैठकें दो बार आयोजित कीं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निदेशक मंडल के सदस्यों और सामूहिक रूप से निदेशक मंडल के कार्य–निष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधानों पर विचार किया गया। इसके अलावा, उपर्युक्त बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों ने सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम, 25 (4) (ग) के अंतर्गत यथावश्यक सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयनिष्ठता का भी मूल्यांकन किया।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी जीवन क्षमता के लिए कोई आश्वासन है और न ही प्रभावशीलता अथवा कोई दक्षता है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

कृते
अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
सचिन अग्रवाल
भागीदार

दिनांक: 14 जुलाई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

एफसीएस सं. 5774
सीपी सं. 5910

व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

भाग–क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	एल 65910 डीएल 1986 जीओआई 024862
कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)
पंजीकृत पता	''ऊर्जानिधि'', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
वेबसाइट	www.pfcindia.com
ई–मेल आईडी	mb@pfcindia.com
रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष	2015–16
ऐसे क्षेत्र जिनमें कंपनी व्यापार कर रही है (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	64990 (अन्य वित्तीय सेवाएं कार्य–कलाप, जिसमें बीमा तथा पेंशन निधियन कार्य–कलाप शामिल नहीं हैं)
कंपनी के तीन महत्वपूर्ण उत्पादों और सेवाओं की सूची जो कंपनी विनिर्मित करती है/प्रदान करती है (तुलन–पत्र में दर्शाए अनुसार)	(i) रुपए सावधि ऋण (आरटीएल) (ii) अल्पावधि ऋण (एसटीएल) (iii) क्रेता की लाइन ऑफ क्रेडिट (बीएलसी)
ऐसे प्रमुख स्थानों की संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक कार्य–कलाप किए जाते हैं : **i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या** **ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या**	 शून्य 3
कंपनी द्वारा जिन बाजारों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय	राष्ट्रीय

भाग–ख : कंपनी के वित्तीय विवरण (31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार)

प्रदत्त पूंजी (आईएनआर)	₹ 1,320.04 करोड़
कुल टर्नओवर (आईएनआर) (प्रचालन से प्राप्त राजस्व)	₹ 27473.65 करोड़
कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर)	₹ 6113.48 करोड़
कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पर कुल खर्च (%)	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए निदेशक मंडल ने कंपनी (सीएसआर नीति), नियमावली, 2014 के नियम 2 (च) (II) के अनुसार अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत शामिल और इसका अनुपालन करने वाली अन्य कंपनियों से प्राप्त लाभांश को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत स्टैंड–अलोन कर पूर्व लाभ के 2% के आधार पर ₹145.79 करोड़ का सीएसआर बजट अनुमोदित किया है। पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनुमोदित पूरा सीएसआर बजट खर्च किया है। वर्ष के दौरान पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 की स्वीकृतियों और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की उपलब्ध स्वीकृतियों में से ₹192.13 करोड़ की राशि संवितरित की है। इसके अलावा, पीएफसी ने प्रशासनिक उपरिव्यय के मद में ₹3.39 करोड़ की राशि खर्च की है, जिसमें सीएसआर स्टाफ के वेतन और भत्ते तथा सीएसआर कार्य–कलापों के संदर्भ में यात्रा व्यय शामिल है।
ऐसे निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) कार्य–कलापों की सूची जिनमें व्यय किया गया है:–	अनुबंध–1

भाग–ग : अन्य विवरण

क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?	हां
क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के बीआर संबंधी प्रयासों में प्रतिभागिता करती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों की संख्या दर्शाएं)	नहीं
क्या कोई अन्य संगठन/निकाय (अर्थात पूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जो कंपनी के साथ व्यापार करते हैं, कंपनी के व्यापारिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रयासों में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसे संगठन/निकायों का प्रतिशत दर्शाएं (30% से कम, 30% से 60%, 60% से अधिक)	नहीं

भाग–घ : व्यापारिक उत्तरदायित्व (बीआर) संबंधी सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

(क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

डीआईएन संख्या	00038452
नाम	श्री डी. रवि
पदनाम	निदेशक (वाणिज्यिक)

(ख) बीआर प्रमुख के विवरण

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री मनोहर बलवानी
3.	पदनाम	कंपनी सचिव
4.	दूरभाष संख्या	011–23456749
5.	ईमेल आईडी	mb@pfcindia.com

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हां/न में)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामाजिक, पर्यावरणीय और व्यापार हेतु आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों (एनवीजी) के अंतर्गत व्यापारिक उत्तरदायित्व के नौ क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनके विवरण निम्नानुसार हैं :

पी1 – व्यापार संचालन सिद्धांत, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

पी2 – व्यापार के अंतर्गत ऐसा माल और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो प्रतिभूत हों और अपने संपूर्ण जीवनकाल के दौरान स्थायित्व प्रदान करने में योगदान दें।

पी3 – व्यापार में कार्मिकों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

पी4 – व्यापार में सभी शेयरधारकों विशेष रूप से सुविधाविहीन, सुभेद्य और जो हाशिए पर हैं अर्थात जो मुख्यधारा से नहीं जुड़े हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

पी5 – व्यापार मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

पी6 – व्यापार में पर्यावरण की रक्षा और उसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

पी7 – यदि आप जनता को प्रभावित करने वाले व्यवसाय से जुड़े हैं तो इसके लिए एक नियामक नीति बनाई जानी चाहिए और यह कार्य जवाबदेह ढंग से किया जाना चाहिए।

पी8 – व्यापार में समाहारी वृद्धि और समान विकास किया जाना चाहिए।

पी9 – व्यापार में अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जवाबदेह ढंग से सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए और उनका उचित सम्मान किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	व्यापार नैतिकता	उत्पाद उत्तरदायित्व	कार्मिकों का कल्याण	स्टेकहोल्डर नियुक्ति	मानवाधिकार	पर्यावरण	जननीति	सीएसआर	ग्राहक संबंध
		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास... के लिए कोई नीति/नीतियां हैं?	हां	पीएफसी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते यह सिद्धांत सीमित रूप से लागू करती है	हां	हां	यह नीति कंपनी की मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है	हां	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है
2.	क्या नीति संबंधित शेयरधारकों के साथ परामर्श से तैयार की गई है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
3.	क्या नीति राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
4.	क्या नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है? यदि हां क्या इस पर एमडी / स्वामी / सीईओ / उपयुक्त मंडल निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
5.	क्या कंपनी में नीतियों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए निदेशक मंडल की कोई विशेष समिति / निदेशक / अधिकारी नामित किया गया है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं	#		नीति आंतरिक दस्तावेज होने के नाते केवल कार्मिकों के लिए ही उपलब्ध है।	#	–	#	–	#	–
7.	क्या नीति के बारे में सभी संगत आंतरिक और बाहय शेयरधारकों को औपचारिक सूचना दी गई है?	हां		हां	हां	–	हां	–	हां	–
8.	क्या कंपनी ने नीति / नीतियों के कार्यान्वयन हेतु आंतरिक अवसंरचना मौजूद है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
9.	क्या कंपनी ने नीति / नीतियों से संबंधित शेयरधारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नीति / नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक अथवा बाहय एजेंसी द्वारा इस नीति की कार्य प्रणाली की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन किया है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–

 # संगत स्पष्टीकरण /सूचना /लिंक का उल्लेख इस रिपोर्ट के अनुबंध –2 में किया गया है।

2क. यदि किसी भी सिद्धांत के विरुद्ध क्र. सं. 1 में आपका उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया स्पष्ट करें कि क्यों: (दो विकल्पों तक टिक करें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी2	पी 3	पी 4	पी5	पी6	पी 7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।	लागू नहीं								
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां यह अपने आपको नियम बनाने और उनका कार्यान्वयन करने की स्थिति में पाती है।									
3.	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय एवं जनशक्ति स्रोत नहीं है।									
4.	इसे अगले 6 महीनों के भीतर पूर्ण करने की योजना बनाई गई है।									
5.	इसे अगले 1 वर्ष के भीतर पूर्ण करने की योजना बनाई गई है।									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)									

3. व्यापारिक उत्तरदायित्व (बीआर) से संबंधित शासन व्यवस्था

- **वह अंतराल बताएं जिसमें निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समितियां अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंपनी के व्यापारिक उत्तरदायित्व निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। क्या यह मूल्यांकन 3 माह, 3–6 माह, वार्षिक और 1 वर्ष से अधिक अवधि पर किया जाता है।**

  एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर और स्थायी विकास समिति का गठन किया गया है जो कंपनी के सीएसआर और स्थायी विकास संबंधी कार्य–कलापों का मार्ग–दर्शन करती है और सीएसआर तथा स्थायी विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाएं शुरु करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करती है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, इस समिति की चार बैठकें आयोजित की गई।

  इसके अलावा, कंपनी के व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) कार्य–कलापों का पर्यवेक्षण एक प्रकार्यात्मक निदेशक द्वारा किया जाता है और निदेशक मंडल भी वार्षिक आधार पर निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में व्यापार उत्तरदायित्व की रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

- **क्या कंपनी व्यापारिक उत्तरदायित्व अथवा स्थायी विकास संबंधी कोई रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसका प्रकाशन किस अंतराल पर किया जाता है।**

  व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2012–13 से आगे वार्षिक रिपोर्ट के रूप एक भाग के रूप में प्रकाशित की जा रही है। वर्तमान रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल की जाएगी और यह कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

भाग–ड. : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. **क्या सिद्धांत, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति में केवल कंपनी को ही शामिल किया गया है? हां/नही क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/पूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर–सरकारी संगठनों/अन्य के लिए भी लागू है?**

   पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी) विद्युत क्षेत्र का एक अग्रणी वित्तीय संस्थान और एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु निधि और गैर–निधि आधारित सहायता प्रदान करता है। यह विद्युत क्षेत्र में निवेश को चैनलाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इस क्षेत्र के विकास हेतु एक वाहन (साधन) के रूप में कार्य करता है। इसके ग्राहकों में राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियां, केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियां, विद्युत विभाग, निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियां (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक कंपनियों सहित), संयुक्त क्षेत्र की विद्युत कंपनियां आदि शामिल हैं। पीएफसी ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के आधार पर अपने ऋण प्रचालन के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया संहिता (एफपीसी) का विकास किया है जिसका उद्देश्य कंपनी के ऋणकर्ताओं को इस बात का आश्वासन देना है कि कंपनी अपने व्यापारिक लेन–देनों में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

   पीएफसी बेहतर प्रबंधन के एक अभिन्न भाग के रूप में निगमित शासन पर भी विचार करती है और अपनी सभी कार्रवाईयों में व्यावसायिक, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कंपनी ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार संचालन और सिद्धांत संहिता तथा एक कपटरोधी नीति तैयार की है।

   निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार संचालन और सिद्धांत संहिता एक ऐसी समेकित आचार संहिता है जो कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए समान रूप से लागू है। यह कंपनी के मिशन और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कंपनी के विजन तथा मूल्यों के अनुसार है और इसका उद्देश्य कंपनी के कार्य–कलापों के प्रबंधन में सैद्धांतिक और प्रक्रियागत पारदर्शिता बढ़ाना है।

कंपनी ने एक कपटरोधी नीति भी अपनाई है जिससे कि कंपनी में किसी भी धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने तथा संभावित कपटपूर्ण व्यवहार की जांच संचालित करने के लिए दिशा–निर्देश उपलब्ध कराने और नियंत्रण तंत्र विकसित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित की जा सके। इस नीति के कार्य–क्षेत्र का विस्तार कंपनी में धोखा–धड़ी अथवा संभावित धोखा–धड़ी की रिपोर्टिंग और जांच के लिए किया गया है, जिसमें कार्मिकों (संविदागत कार्मिकों सहित) के साथ–साथ शेयरधारक, परामर्शदाता, वेंडर, पूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता, संविदाकार, ऋणदाता, ऋणकर्ता, बाह्य एजेंसियां और/अथवा ऐसे कोई अन्य पक्षकार शामिल हैं, जिनके कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध हैं।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने शेयरधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया?**

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी को कपटरोधी नीति के अंतर्गत कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अलावा, वर्ष की शुरुआत में लंबित 8 शिकायतों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी को इसके शेयरधारकों से 3447 शिकायतें प्राप्त हुई थी। कुल 3455 शिकायतों में से 31 मार्च, 2016 तक 3454 शिकायतों (99.97%) का समाधान किया गया। शेष बची 1 शिकायत का अभी समाधान किया जाना है, क्योंकि वह न्यायालय में विचाराधीन है।

सिद्धांत 2

1. **अपने ऐसे 3 उत्पादों अथवा सेवाओं की सूची तैयार करें, जिनकी डिजाइन के कारण सामाजिक अथवा पर्यावरण संबंधी चिंताएं, जोखिम और/अथवा अवसर उत्पन्न हुए हैं।**

पीएफसी के पास नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त–पोषण के लिए सावधि ऋण, क्रेता की लाइन ऑफ क्रेडिट और पट्टा वित्त–पोषण आदि जैसे वित्तीय उत्पाद हैं जो स्थायी हैं और पर्यावरण की दृष्टि से बाध्यकर हैं। ऋण स्वीकृत करते समय पीएफसी पर्यावरणीय स्वीकृतियों के साथ–साथ इस संबंध में अपनी कुछ शर्तें विहित करता है।

पीएफसी ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी अर्थात पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना की है जो ऊर्जा के हरित (नवीकरणीय और गैर–पारंपरिक) स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रत्येक यूनिट के संदर्भ में संसाधनों के उपयोग (ऊर्जा जल, कच्चा माल आदि) संबंधी निम्नलिखित विवरण दें (वैकल्पिक):**

चूंकि पीएफसी कोई विनिर्माता कंपनी नहीं है और यह केवल विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, अतः नीचे दिए गए प्रश्न सामान्यतः विनिर्माण क्षेत्र के लिए लागू होते हैं।

I. संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में गत वर्ष से स्रोत, उत्पादन, वितरण के दौरान प्राप्त की गई कमी?

लागू नहीं।

II. पूर्ववर्ती वर्ष से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) द्वारा उपयोग कम करने का लक्ष्य हासिल किया गया है?

लागू नहीं।

3. **क्या कंपनी में स्थायी स्रोत (परिवहन सहित) के बदले प्रक्रियाएं लागू की गई हैं?**

लागू नहीं।

4. **क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों जिनमें कंपनी के कार्य–स्थल के आसपास वाले समुदाय शामिल हैं, से माल और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

लागू नहीं।

5. **क्या कंपनी में उत्पादों और अवशिष्ट पदार्थों को रिसाइकिल करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट की रिसाइकलिंग का प्रतिशत (<5%, 5–10%, >10% के रूप में अलग–अलग) क्या है? इसके विवरण 50 अथवा अधिक शब्दों में दें?**

लागू नहीं।

सिद्धांत 3

1. **कृपया कार्मिकों की कुल संख्या दर्शाएं।**

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार पीएफसी में 467 कार्मिक हैं।

2. **कृपया अस्थायी रूप से, संविदागत/आकस्मिक आधार पर नियुक्त किए गए कार्मिकों की कुल संख्या दर्शाएं।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, पीएफसी ने आर–एपीडीआरपी से संबंधित कार्यों के लिए 3 संविदागत कार्मिकों की सेवाएं लीं। इसके अलावा, पीएफसी समय–समय पर आवश्यकता के आधार पर एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से दैनिक आधार पर कार्मिकों की सेवाएं अवश्य लेता हैं। दैनिक आधार पर कार्यरत् ऐसे कार्मिक पीएफसी के रोल पर नहीं हैं, बल्कि वे संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी के रोल में हैं।

3. **कृपया स्थायी आधार पर नियुक्त महिला कार्मिकों की संख्या दर्शाएं।**

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी के रोल में 94 महिला कार्मिकों हैं।

4. **कृपया स्थायी आधार पर नियुक्त अन्यथा सक्षम कार्मिकों की संख्या दर्शाएं।**

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी के रोल में 12 अन्यथा सक्षम कार्मिक हैं।

5. **क्या आपके यहां कोई ऐसा कोई कार्मिक एसोसिएशन है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता दी गई है?**

पीएफसी में पीएफसी कार्मिक यूनियन, पीएफसी, एससी/एसटी/ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन और पीएफसी कार्यपालक एसोसिएशन हैं।

6. **आपके कितने प्रतिशत स्थायी कार्मिक इस मान्यता प्राप्त कार्मिक एसोसिएशन के सदस्य हैं?**

100% स्थायी कार्मिक इन मान्यता प्राप्त कार्मिक एसोसिएशनों के सदस्य हैं।

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित बाल श्रम, बलात श्रम, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या दर्शाएं।**

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान फाइल की गई शिकायतों की संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम/बलात श्रम / अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	
2.	यौन उत्पीड़न		
3.	भेदभावपूर्ण नियोजन		

9. **आपके नीचे उल्लिखित कितने प्रतिशत कार्मिकों को गत वर्ष में संरक्षा और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया?**

- स्थायी कार्मिक – 72%
- स्थायी महिला कार्मिक – 88%
- आकस्मिक/अस्थायी/संविदागत कार्मिक – शून्य
- अन्य सक्षम कार्मिक – 83%

सिद्धांत 4

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य शेयरधारकों का नेटवर्क तैयार किया है? हां/नहीं**

हां

2. **क्या उपर्युक्त में से कंपनी ने अलाभकर, सुभेद्य और मुख्यधारा से परे (मार्जिनलाइज्ड) शेयरधारकों की पहचान की है?**

आरक्षित श्रेणी के सभी कार्मिकों (एससी/एसटी/ओबीसी/अन्यथा सक्षम/अल्पसंख्यक) कार्मिकों की पहचान अलाभकर, सुभेद्य और मुख्य धारा से परे शेयरधारकों के रूप में की गई है।

जहां तक बाह्य शेयरधारकों का संबंध है, तो कंपनी ने नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले एससी/एसटी/ओबीसी, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्यथा सक्षम लोगों और ऐसे लोगों जो उन क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां बिजली की उपलब्धता कम है की पहचान अलाभकर, सुभेद्य और मुख्य धारा से परे शेयरधारकों के रूप में तथा विपत्तियों से प्रभावित जाति के रूप में की है।

3. **क्या कंपनी ने अलाभकर, सुभेद्य और मुख्य धारा से परे शेयरधारकों के लिए किसी विशेष पहल की शुरुआत की है?**

भर्ती के लिए और विभिन्न स्तरों पर ऐसे लोगों (सभी आरक्षित श्रेणी के कार्मिक (एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांग और अलसंख्यक) की कैरियर प्रोन्नति के लिए भारत सरकार के सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लाभार्थ विभिन्न अवसंरचनात्मक व्यवस्थाएं की गई। ऐसी श्रेणी के कार्मिकों के बच्चों के साथ–साथ अन्य बच्चों को प्राप्तांकों के प्रतिशत में विशेष छूट देते हुए प्रतिभा पुरस्कार दिए जा रहे हैं।

इस श्रेणी में आने वाले कार्मिकों के कल्याण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न चयन और पदोन्नति समितियों में सदस्य के रूप में उपयुक्त स्तर के आरक्षित श्रेणी के किसी व्यक्ति को नामित किया जाए।

सिद्धांत 5

1. **क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति के अंतर्गत केवल कंपनी को ही शामिल किया जाता है अथवा यह समूह/संयुक्त उद्यम/पूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ)/अन्य लोगों के लिए भी लागू होती है?**

   पीएफसी के पास मानवाधिकारों से संबंधित कोई विशेष नीति नहीं है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया?**

   वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों के विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	शिकायतों की संख्या		
	इक्विटी शेयरधारक	बॉण्ड धारक	कपटरोधी नीति के अंतर्गत
शुरुआत में लंबित	1	7	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त	507	2940	शून्य
वर्ष के दौरान निपटाई गई	507	2947	शून्य
वर्ष के अंत में निपटान हेतु लंबित	1	0	शून्य
निपटाई गई शिकायतों का :	99.80%	100%	शून्य

सिद्धांत 6

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी के लिए लागू होती है अथवा यह समूह/संयुक्त उद्यमों/पूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/एनजीओ/अन्य के लिए भी लागू होती है?**

   यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है और संपूर्ण रूप से कंपनी के लिए लागू है।

2. **क्या कंपनी में वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि का समाधान करने के लिए कोई रणनीतियां तैयार की गई हैं/कोई प्रयास शुरु किए गए हैं? हां/नही यदि हां, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

   पीएफसी एक सामाजिक रूप से जागरूक संगठन है और संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) द्वारा घोषित वैश्विक समझौतों के 9 सिद्धांतों का पूरी तरह से समर्थन करता है, जिसमें मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और श्रमिक अधिकार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वैश्विक समझौते के इन सिद्धांतों को कंपनी की विभिन्न संगठनात्मक नीतियों में शामिल किया जाता है, इस प्रकार सहज ढंग से इनके कार्यान्वयन को सुकर बनाया जाता है।

   पीएफसी उचित आयोजना और निर्णय करके समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है जो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को वास्तविक रूप से कम करने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। पीएफसी ऐसे कार्यकलापों का लगातार समर्थन करता है, जिनका उद्देश्य वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना हो तथा साथ ही यह तमाम विविधताओं के बावजूद जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक क्षमता की रक्षा के लिए भी प्रयासरत है।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है?**

   चूंकि पीएफसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है और यह केवल वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराती है, अतः यह प्रश्न कंपनी के लिए लागू नहीं है।

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास व्यवस्था से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, कृपया 50 अथवा उससे अधिक शब्दों में उसके विवरण दें। यदि हां, क्या पर्यावरणीय अनुपालन के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है?**

   उपर्युक्त प्रश्न पीएफसी के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि यह कोई विनिर्माण कंपनी नहीं है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास और वित्त–पोषण की उभरती हुई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निधियन हेतु एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है। जहां एक ओर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त–पोषण के लिए एक अलग सहायक कंपनी है, वहीं दूसरी ओर आपकी कंपनी अभी भी बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निधियन करती जा रही है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक विकास पर ध्यान केंद्रित करने और उसमें तेजी लाने के लिए कंपनी ने एक समर्पित नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अर्थात पीएसफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का गठन किया है।

आपकी कंपनी राज्य और निजी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक एक्सपोजर और विशेष ब्याज दरों के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं जैसे पवन, बायोमास, लघु जल–विद्युत परियोजनाओं और सौर ऊर्जा तथा ऊर्जा बजत से जुड़ी परियोजनाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कोई अन्य प्रयास शुरु किए हैं? हां/न। यदि हां, कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

जी हां। वित्तीय वर्ष 2015–16 में पीएफसी द्वारा वित्त–पोषित कुछ जारी स्वच्छ प्रौद्योगिकी/नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं/ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :

क्र. सं.	स्वच्छ प्रौद्योगिकी / ऊर्जा दक्ष परियोजना
1.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 500 सौर ऊर्जा आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता ।
2.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के फूलपुर जिले में 500 सौर ऊर्जा आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता।
3.	वाराणसी नगर निगम (वीएनएन) के माध्यम से वाराणसी नगर निगम क्षेत्र के 14 वार्डों में नगरपालिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों (एमएसडब्ल्यू) की स्वचालित सफाई, संग्रहण और परिवहन के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता।

6. **क्या रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा उत्सर्जन/अपशिष्ट सृजन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा यथाविहित सीमाओं के भीतर है?**

लागू नहीं।

7. **31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार लंबित (अर्थात संतोषजनक ढंग से जिनका समाधान नहीं किया गया है) सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या।**

लागू नहीं।

सिद्धांत 7

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल ऐसे बड़े चेंबर अथवा एसोसिएशन का नाम बताएं, जिसके साथ कंपनी के व्यापारिक लेन–देन हैं।**

जी हां, पीएफसी निम्नलिखित एसोसिएशनों का सदस्य है :

1. एससीओपीई (स्कोप)
2. एफआईसीसीआई (फिक्की)
3. केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी)
4. एएसएसओसीएचएम (एसोचैम)
5. कंफेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
6. वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल (डब्ल्यूईसी)

2. **क्या नगरपालिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों के स्वचालित सफाई, संग्रहण और परिवहन के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करना अच्छा है?**

पीएफसी सार्वजनिक चीजों की उन्नति और सुधार के लिए उपर्युक्त एसोसिएशनों द्वारा चलाई गई पहलों का समर्थन करता है।

सिद्धांत 8

1. **क्या सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुक्रम में कंपनी ने कोई विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/प्रयास/परियोजनाएं शुरु की हैं? यदि हां तो विवरण दें।**

पीएफसी ने अपनी सीएसआर और स्थायी विकास नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेशन कंपनी के विजन के अनुरूप अपने सीएसआर कार्य–कलापों के माध्यम से स्थायी विकास से संबंधित परियोजनाएं संचालित करता है, जो मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित होती हैं।

सीएसआर नीति के कार्यान्वयन में अपनाई जाने वाली पहल के अंतर्गत विकास को सुकर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए लोग, स्थान और लाभ के बीच एक स्वास्थ्यकर संबंध बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। पीएफसी की सीएसआर नीति का उद्देश्य निम्नानुसार है:

- अपने सभी शेयरधारकों के हितों को स्वीकार करते हुए मितव्ययी ढंग से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी ढंग से अपने व्यापार के प्रचालन के लिए संगठन में सभी स्तरों पर बेहतर प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।
- अपने सीएसआर प्रयासों के माध्यम से पीएफसी के लिए बेहतर सामुदायिक छवि एवं सुभेक्षा विकसित करना और एक निगमित निकाय के रूप में पीएफसी की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार निकाय की छवि को बरकरार रखने और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना।

2. क्या कार्यक्रमों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन आंतरिक दल/ अपने स्वयं के फाउंडेशन/बाह्य एनजीओ/सरकारी ढांचों/किसी अन्य संगठन द्वारा किया गया।

सीएसआर कार्य–कलापों के अंतर्गत संचालित की गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन केंद्र सरकार/अर्ध–सरकारी/क्वासी गवर्नमेंट कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है और इस संदर्भ में किसी भी विचलन के मामलों को निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

3. क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?

पीएफसी ₹ 10 करोड़ से अधिक राशि वाली परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य रूप से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करेगा। शेष परियोजनाओं के लिए मामला–दर–मामला आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्र
1	भारतीय समाज कल्याण और व्यापार प्रबंध संस्थान (आईआईएसडब्ल्यूबीएम), कोलकाता के माध्यम से उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस) में 500 केडब्ल्यूपी की एकीकृत क्षमता वाली ग्रिड संबद्ध रूफ टॉप सोलर पीवी (आरटीएसपीवी) परियोजनाओं की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग के लिए परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।	नवीकरणीय ऊर्जा
2	पीईसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (पीईसीयूटी), चंडीगढ़ के माध्यम से कलगीधर ट्रस्ट के स्वामित्व वाली पंजाब की 45 अकाल अकादमियों में 245 केडब्ल्यूपी क्षमता वाले सोलर फोटो वोल्टेक (एसपीवी) पावर प्लांटों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग (42 अकादमियों के लिए 5 केडब्ल्यूपी क्षमता, 2 अकादमियों के लिए 10 केडब्ल्यूपी क्षमता और 1 अकादमी के लिए 15 केडब्ल्यूपी क्षमता) की परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।	नवीकरणीय ऊर्जा
3	किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से निर्माण उद्योग विकास परिसर (सीआईडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।	कौशल विकास

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – राशि भारतीय रुपयों में और शुरु की गई परियोजनाओं के विवरण?

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न राज्यों में सौर ऊर्जा, साफ–सफाई, कौशल विकास आदि के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर कार्य–कलापों का कार्यान्वयन किया था। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, पीएफसी ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) के माध्यम से उत्तर प्रदेश के भदोही और फूलपुर जिलों दोनों में से प्रत्येक में 500 सौर ऊर्जा आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ₹ 1.09 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की थी। इसके अलावा, पीएफसी ने वाराणसी नगर निगम (वीएनएन) के माध्यम से वाराणसी नगर निगम क्षेत्र के 14 वार्डों में नगर पालिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों (एमएसडब्ल्यू) की स्वचालित सफाई, संग्रहण और परिवहन के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु ₹ 8.00 करोड़ की भी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

इसके अलावा, जटोली, सोलन, हिमाचल प्रदेश में मानव मंदिर अस्पताल के भूतल पर मल्टी थैरेपी यूनिट (एमटीयू) के लिए आवश्यक उपकरणों के निर्माण और क्रय सह–स्थापना के लिए भी ₹ 1.94 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सीएसआर और एसडी कार्य–कलापों के अंतर्गत प्रशिक्षण और प्रशासनिक उपरिव्यय पर भी ₹ 3.39 करोड़ की राशि खर्च की गई। 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, सीएसआर कार्यकलापों के लिए ₹ 192.13 करोड़ (गत वर्ष ₹ 49.90 करोड़) की राशि संवितरित की गई है।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं कि सामुदायिक विकास संबंधी प्रयास समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाए गए हैं? कृपया 50 अथवा उससे अधिक शब्दों में स्पष्ट करें।**

   पीएफसी द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा किया गया। कार्यान्वयन तंत्र उद्योग जगत में मौजूद सर्वश्रेष्ठ शर्तों के अनुसार तैयार किया गया है और तदनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सामुदायिक लाभ अक्षरशः सुनिश्चित किया जाता है।

सिद्धांत 9

1. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपभोक्ताओं की कितने प्रतिशत शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं।**

   वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, उपभोक्ताओं से कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई। उनमें से 31 मार्च, 2016 की स्थिति की अनुसार 02 शिकायतें लंबित थीं। तथापि ये दोनों लंबित शिकायतें आज की स्थिति के अनुसार निपटा दी गई हैं।

2. **क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर और इसके अलावा स्थानीय विधियों के अनुसार यथावश्यक उत्पाद सूचना देती है?**

   लागू नहीं।

3. **क्या कंपनी के विरुद्ध किसी शेयरधारक द्वारा अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन और/अथवा गैर–प्रतिस्पर्धी बर्ताव के संबंध में पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई मामला दायर किया गया है और 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार लंबित है? यदि हां, कृपया 50 अथवा उससे अधिक शब्दों में उसके विवरण दें।**

   लागू नहीं।

4. **क्या आपकी कंपनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि मुहिम चलाती है?**

   पीएफसी में उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त करने के लिए आवधिक रूप से विद्युत कंपनियों के साथ ढांचागत बैठकें आयोजित की जाती हैं और उपभोक्ताओं के कार्यालय/परियोजना स्थल पर पीएफसी के कार्य–पालकों द्वारा आवधिक रूप दौरे किए जाते हैं। मूल्यांकन, ऋण दस्तावेज तैयार करने और विभिन्न परियोजनाओं/ऋणों के लिए पीएफसी कार्यालय का दौरा करने वाले उपभोक्ताओं के साथ ऋणों के संवितरण के दौरान नियमित रूप से लिखित/दूरभाष पर बातचीत की जाती है।

   प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रत्येक शिकायत के लिए एक सुधारात्मक और संरक्षात्मक कार्य रिकॉर्ड (सीएपीआर) तैयार करना शुरु किया जाता है। संबंधित उपभोक्ता को शिकायत के समाधान और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के बारे में शुरु की गई सुधारात्मक कार्रवाई की सूचना दी जाती है।

   उपभोक्ता फीडबैक फॉर्म भेजकर वर्ष में कम से एक बार उपभोक्ताओं के फीडबैक प्राप्त किए जाते हैं। पीएफसी के लिए उपभोक्ताओं की संतुष्टि के स्तर की संपूर्ण रेटिंग निर्धारित करने के लिए सभी फीडबैक फार्म का मिलान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में सीएसआर के अंतर्गत पीएफसी द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजनाओं के नाम (वित्तीय वर्ष 2015–16)
1.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 500 सौर ऊर्जा आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
2.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के फूलपुर जिले में 500 सौर ऊर्जा आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं परंतु उनके लिए व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 में किया गया
1.	निर्माण उद्योग विकास परिसर (सीआईडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता (1425 लोग)
2.	ग्रामीण विकास न्यास (जीवीटी) के माध्यम से राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल के गांव में 3000 शौचालयों के निर्माण और जागरुकता पैदा कर स्थायी साफ–सफाई को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता।
3.	इरकॉन अवसंरचना एवं सेवा लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) और राजस्थान की राज्य सरकार/ आरसीईई/ एसएसए/ टीएडी के माध्यम से स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण (1100 शौचालय) के लिए वित्तीय सहायता।
4.	हिंदुस्तान प्री फैब लिमिटेड (एचपीएल) और राज्य सरकार/ जिला प्रशासन के माध्यम से स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण (8100 शौचालय) के लिए वित्तीय सहायता।
5.	2000 प्रतिभागियों के लिए सीआईपीईटी के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के सुविधाविहीन/बेरोजगार युवाओं के लिए व्यवसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता ।
6.	टीईआरआई के माध्यम से माइक्रो सोलर पीवी पावर प्लांटों की स्थापना कर स्वच्छ एवं विश्वसनीय विद्युत के प्रावधान से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की प्रचालनात्मक विश्वसनीयता और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्तीय सहायता।
7.	लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) कंस्ट्रक्शन के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (1500 लोग) के लिए वित्तीय सहायता।
8.	नेशनल सफाई कार्मिक फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से 900 महिला सफाई कार्मिकों और उनके आश्रितों के लाभार्थ कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता।
9.	राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के माध्यम से 4230 दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) के कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता।
10.	ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) के माध्यम से मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में बीड़ी कार्यकर्ताओं (3675) के लिए एलईडी आधारित गृह प्रकाश की परियोजना।
11.	निर्माण उद्योग विकास परिसर (सीआईडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता।
12.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जाति के युवावर्ग के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (4750 लोग) के लिए वित्तीय सहायता।
13.	निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (1000 लोग) के लिए वित्तीय सहायता।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई संबंधित नीतियों के वेबलिंक नीचे दिए गए हैं

नीति का नाम	वेबलिंक
व्यापार संचालन और सिद्धांत संहिता	http://www.pfcindia.com/Content/Code_of_Conduct.aspx
कपट रोधी नीति	http://www.pfcindia.com/Content/Anti_fraud_Policy.aspx
विसल ब्लोअर नीति	http://www.pfcindia.com/writereaddata/userfiles/file/About%20Us/WBP.pdf
फेयर प्रैक्टिस कोड	http://www.pfcindia.com/Content/Fair_Practices_Code.aspx
संबंधित पक्षकार लेन–देन पर नीति	http://www.pfcindia.com/writereaddata/userfiles/file/About%20Us/Policy%20on%20Related%20Party%20Transactions.pdf
मटीरियल सब्सीडियरी पर नीति	http://www.pfcindia.com/writereaddata/userfiles/file/About%20Us/Policy%20on%20%20Material%20Subsidiary.pdf

अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेज हैं और उनके अभिगम की अनुमति केवल संगठन के कार्मिकों को है।

सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) के अनुक्रम में तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक तथा नियुक्ति) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुक्रम में]

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

मैंने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे यहां से आगे पीएफसी/कंपनी कहा गया है) द्वारा बेहतर निगमित पद्धतियों के अनुपालन और लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालीय लेखापरीक्षा संचालित की है। सचिवालीय लेखापरीक्षा इस ढंग से संचालित की गई जिससे हमें निगमित संव्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए उचित एवं तर्कसंगत आधार प्राप्त हुआ।

पीएफसी की बही, कागजातों, कार्यवृत्त बही, फार्म और कंपनी द्वारा फाइल की गई विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे द्वारा किए गए परीक्षण सत्यापन के साथ–साथ सचिवालीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर मैं एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करता हूं कि मेरे दृष्टिकोण में कंपनी ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय अवधि को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध किए गए सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है और साथ ही कंपनी में यहां एतद्द्वारा रिपोर्ट किए गए ढंग तथा शर्तों के अध्यधीन उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र उपलब्ध है:

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पीएफसी की खाताबही, कागजातों, कार्यवृत्त बही, फार्मों और अन्य विवरणियों के साथ–साथ पीएफसी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

(I) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियमों;

(II) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियमों;

(III) डिपोजीटरी अधिनियम, 1956 और इसके तहत बनाए गए विनियमों और उपनियमों;

(IV) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों

(V) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत यथाविहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश:

- (क) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (शेयरों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
- (ख) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर निषेध) विनियम, 2015;
- (ग) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं) विनियम, 2009;
- (घ) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना और कार्मिक स्टॉक क्रय योजना) दिशा–निर्देश, 1999;
- (ड.) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008;
- (च) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993–कंपनी अधिनियम के संबंध में और ग्राहकों से संबंधित;
- (छ) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम,
- (ज) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाई बैक) विनियम, 1998;

(VI) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए इसके तहत बनाए गए विनियमों;

(VII) धन की जमाखोरी की रोकथाम अधिनियम, 2002;

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों से संबंधित अनुपालन की भी जांच की है:

(I) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालीय मानक – 01 जुलाई, 2015 से लागू

(II) सूचीकरण करार और भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रेक्षणों/अवलोकनों के अध्यधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

(I) **प्रेक्षण 1:**

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 149 (1) के परंतुक के संदर्भ में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और ऐसी अन्य सार्वजनिक कंपनी, जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की है (अथवा उसका टर्नओवर ₹ 300 करोड़ या उससे अधिक का है, को अपने निदेशक मंडल में कम–से–कम एक महिला निदेशक अवश्य नियुक्त करनी होगी।

अभ्युक्ति: चूंकि पीएफसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशानिक नियंत्रणाधीन एक सरकारी कंपनी है, अत: निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कंपनी अपने निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ लगातार पत्राचार कर रही है।

(II) **प्रेक्षण 2:**

सूचीकरण करार और भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (पूर्ववर्ती सूचीकरण करार के खंड 49 (II) (क) और (ख) के संदर्भ में)

1. कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक और गैर–पालक निदेशकों के साथ–साथ कम से कम एक महिला निदेशक का अनुकूलतम मिश्रण होगा और निदेशक मंडल के कम–से–कम 50% निदेशकों में गैर–कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे।

2. जहां निदेशक मंडल के अध्यक्ष कोई गैर–कार्यपालक निदेशक हैं, ऐसे मामले में निदेशक मंडल में कम–से–कम उसके एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे और यदि कंपनी में कोई नियमित गैर–कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, तो ऐसे मामले में निदेशक मंडल के कम–से–कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

इसके अलावा, केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देशों के पैरा 3.1.2 के संदर्भ में प्रकार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या निदेशक मंडल के कुल सदस्यों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा, केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के संदर्भ में यदि कोई सीपीएसई स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध है और जिसके निदेशक मंडल की अध्यक्षता किसी कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो ऐसे मामले में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के कुल सदस्यों के कम–से–कम 50% के समतुल्य होगी।

अभ्युक्ति: वर्तमान में प्रकार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या निदेशक मंडल की कुल संख्या के 50% से अधिक है। इसके अलावा कंपनी के निदेशक मंडल की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तदनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के कुल सदस्यों के कम–से–कम 50% के समतुल्य होनी चाहिए, परंतु कंपनी के निदेशक मंडल में 7 निदेशक है, जिनमें 4 पूर्णकालिक निदेशक, 1 अंशकालिक सरकारी नामिति निदेशक और 2 गैर–सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। कंपनी अपने निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए मंत्रालय के साथ लगातार पत्राचार कर रही है।

(III) **प्रेक्षण 3:**

भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 25 (3) और (4) तथा कंपनी अधिनियम की धारा 149 (8) के संदर्भ में कंपनी और स्वतंत्र निदेशक अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। अनुसूची IV में स्वतंत्र निदेशकों के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है। अनुसूची IV (VII) (1) और (3)के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक वर्ष में कम–से–कम एक ऐसी बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें गैर–स्वतंत्र निदेशक और प्रबंधन के सदस्य उपस्थित नहीं होंगे:

(क) गैर–स्वतंत्र निदेशकों और पूरे निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा

(ख) कार्यपालक निदेशकों और गैर–कार्यपालक निदेशकों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा

(ग) कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समय सीमाओं का मूल्यांकन, जो निदेशक मंडल के लिए अपने कर्तव्यों के प्रभावशाली ढंग से और औचित्यपूर्ण तरीके से निष्पादन के लिए आवश्यक हैं।

इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (10) के संदर्भ में स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

अभ्युक्ति : स्वतंत्र निदेशकों ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान दिनांक 31.07.2015 और 13.10.2015 को दो बार बैठक आयोजित की है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निदेशक मंडल के सदस्यों और पूरे निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनके निष्पादन पर विचार किया गया। इसके अलावा उपर्युक्त बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों ने भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24 (4) (ग) के अंतर्गत यथावश्यक सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयनिष्ठता का भी मूल्यांकन किया।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, डीपीई के दिशानिर्देशों और भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) के अनुसार किया जाना चाहिए। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की मूल संख्या की तुलना में 50% से कम है। वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में केवल 2 स्वतंत्र निदेशक हैं। इसके अलावा कंपनी ने निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक और पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को अनुपालन नहीं किया है।

सामान्यत: निदेशक मंडल की बैठकों के बारे में सभी निदेशकों को सूचित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है और कार्यसूची तथा कार्य–सूची पर विस्तृत नोट बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले अग्रिम तौर पर भेजे गए और बैठक की तारीख से पहले कार्य सूची के मदों पर और आगे कोई सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए एक तंत्र मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक (बैठकों) में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उनकी निगरानी करने के लिए कंपनी के कारोबार के आकार के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई भी विशिष्ट घटना/कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे उपर्युक्त संदर्भित विधियों के अनुपालन में कंपनी के कार्यों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ा हो।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सचिन अग्रवाल)
भागीदार

एफसीएस सं. 5774
सीपी सं. 5910

स्थान: **नई दिल्ली**
तारीख : 29 जून, 2016

''सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध क''

सेवा में,
सदस्यगण
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालीय रिकॉर्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवालीय रिकॉर्डो की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और पद्धतियों को अपनाया है, जो इन सचिवालीय रिकॉर्डो की विषयवस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने की दृष्टि से उपयुक्त थीं। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर किया गया कि सचिवालीय रिकॉर्डो में सही तथ्य दर्शाए जाएं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाएं और पद्धतियां हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डो और लेखाबहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाक्रम आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिवेदन प्राप्त किया है।
5. निगमित और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना, प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच केवल परीक्षण आधार पर इन प्रकियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थीं।
6. सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो इस बात का कोई आश्वासन है कि कंपनी भविष्य मे व्यवहार्य रहेगी और न ही यह उसकी दक्षता अथवा प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सचिन अग्रवाल)
भागीदार

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 29 जून, 2016

एफसीएस सं. 5774
सीपी सं. 5910

सचिवालीय लेखापरीक्षकों के प्रेक्षणों (अवलोकनों) के साथ–साथ प्रबंधन द्वारा दिए गए उनके स्पष्टीकरण

क्र. सं.	अवलोकन (प्रेक्षण)	स्पष्टीकरण
1.	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 149 (1) के परंतुक के संदर्भ में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और ऐसी अन्य सार्वजनिक कंपनी, जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की है (अथवा उसका टर्नओवर ₹ 300 करोड़ या उससे अधिक का है, को अपने निदेशक मंडल में कम–से–कम एक महिला निदेशक अवश्य नियुक्त करनी होगी। **अभ्युक्ति:** *चूंकि पीएफसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशानिक नियंत्रणाधीन एक सरकारी कंपनी है, अत: निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कंपनी अपने निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ लगातार पत्राचार कर रही है।*	इसके अलावा, सचिवालीय लेखापरीक्षक की उपलब्धियों के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि पीएफसी लिमिटेड के संगम अनुच्छेद (एओए) के खंड 86 के संदर्भ में पीएफसी के निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदनुसार कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की शीघ्र नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया है, जिससे कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों और सूचीकरण करार का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
2.	सूचीकरण करार और भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (पूर्ववर्ती सूचीकरण करार के खंड 49 (ii) (क) और (ख) के संदर्भ में) 1. कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक और गैर–पालक निदेशकों के साथ–साथ कम से कम एक महिला निदेशक का अनुकूलतम मिश्रण होगा और निदेशक मंडल के कम–से–कम 50% निदेशकों में गैर–कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे। 2. जहां निदेशक मंडल के अध्यक्ष कोई गैर–कार्यपालक निदेशक हैं, ऐसे मामले में निदेशक मंडल में कम–से–कम उसके एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे और यदि कंपनी में कोई नियमित गैर कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, **तो ऐसे मामले में निदेशक मंडल के कम–से–कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।** इसके अलावा, केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.2 के संदर्भ में **प्रकार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या निदेशक मंडल के कुल सदस्यों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।** इसके अलावा, केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के संदर्भ में यदि कोई सीपीएसई स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध है और जिसके निदेशक मंडल की अध्यक्षता किसी कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, **तो ऐसे मामले में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के कुल सदस्यों के कम–से–कम 50% के समतुल्य होगी** **अभ्युक्ति :** *वर्तमान में प्रकार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या निदेशक मंडल की कुल संख्या के 50% से अधिक है। इसके अलावा कंपनी के निदेशक मंडल की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तदनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के कुल सदस्यों के कम–से–कम 50% के समतुल्य होनी चाहिए, परंतु कंपनी के निदेशक मंडल में 7 निदेशक है, जिनमें 4 पूर्णकालिक निदेशक, 1 अंशकालिक सरकारी नामिति निदेशक और 2 गैर–सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। कंपनी अपने निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए मंत्रालय के साथ लगातार पत्राचार कर रही है।*	इसके अलावा, सचिवालीय लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि पीएफसी लिमिटेड के संगम अनुच्छेद (एओए) के खंड 86 के संदर्भ में निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदनुसार कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की शीघ्र नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया है, जिससे कि कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर), विनियम 2015 के यथालागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
	भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 (3) और (4) तथा कंपनी अधिनियम की धारा, 149 (8) के संदर्भ में कंपनी और स्वतंत्र निदेशक अनुसूची iv में विनिर्दिष्ट प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। अनुसूची iv में स्वतंत्र निदेशकों के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है। अनुसूची iv (vii) (1) और (3) के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक वर्ष में कम–से–कम एक ऐसी बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें गैर स्वतंत्र निदेशक और प्रबंधन के सदस्य उपस्थित नहीं होंगे: (क) गैर–स्वतंत्र निदेशकों और पूरे निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा (ख) कार्यपालक निदेशकों और गैर–कार्यपालक निदेशकों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा (ग) कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समय सीमाओं का मूल्यांकन, जो निदेशक मंडल के लिए अपने कर्तव्यों के प्रभावशाली ढंग से और औचित्यपूर्ण तरीके से निष्पादन के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (10) के संदर्भ में स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा **अभ्युक्ति :** *स्वतंत्र निदेशकों ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान दिनांक 31.07.2015 और 13.10.2015 को दो बार बैठक आयोजित की है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निदेशक मंडल के सदस्यों और पूरे निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनके निष्पादन पर विचार किया गया। इसके अलावा उपर्युक्त बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों ने भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24 (4) (ग) के अंतर्गत यथावश्यक सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयनिष्ठता का भी मूल्यांकन किया।*	इसके अलावा, सचिवालीय लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि स्वतंत्र निदेशकों द्वारा 13.10.2015 को आयोजित बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ निदेशक मंडल के सदस्यों और पूरे निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनके निष्पादन पर विचार किया गया, जो सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है, के अंतर्गत यह आवश्यक है कि इस संबंध में कंपनी अधिनियम की तुलना में सूचीकरण संबंधी विनियमों के प्रावधानों के संबंध में किसी बाह्य कंपनी कानून विशेषज्ञों का दृष्टिकोण आवश्यक है। तदनुसार, दिनांक 27.05.2016 को आयोजित की गई स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक में बाह्य कंपनी कानून विशेषज्ञ के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई और यह सुझाव दिया गया कि सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और कुछ निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में अपनाई जाने वाली परंपरा का पता लगाया जाए।

17447
24031.30
24926.67
24926.72

तुलन–पत्र

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन एल65910डीएल1986GOI024862
31 मार्च, 2016 को तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी भाग	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
क इक्विटी और देयताएं					
(1) शेयरधारकों की निधि					
(I) शेयर पूंजी	क–1	1,320.04		1,320.04	
(II) संचित कोष एवं अधिशेष	क–2	34,445.99	35,766.03	30,899.17	32,219.21
(2) गैर–वर्तमान देयताएं					
(I) दीर्घावधि ऋण	क–3				
प्रतिभूत		19,869.75		20,786.66	
अप्रतिभूत		152,679.95	172,549.70	144,186.80	164,973.46
(II) स्थगित कर देयताएं (निवल)	ग–29		302.06		189.25
(III) अन्य दीर्घावधि देयताएं	क–4		548.75		333.81
(IV) दीर्घावधि प्रावधान	क–5		1,229.28		963.61
(3) वर्तमान देयताएं					
(I) अल्पावधि ऋण	क–3				
प्रतिभूत		0.00		1,928.17	
अप्रतिभूत		7,571.57		2,136.24	
(II) अन्य वर्तमान देयताएं					
(क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता	क–3				
प्रतिभूत		1,916.91		1,990.00	
अप्रतिभूत		18,446.26		16,745.28	
(ख) अन्य	क–4	7,500.77		6,660.15	
(III) अल्पावधि प्रावधान	क–5	805.44	36,240.95	525.23	29,985.07
कुल			**246,636.77**		**228,664.41**
ख परिसंपत्तियां					
(1) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां					
(I) अचल परिसंपत्तियां	क–6				
(क) मूर्त परिसंपत्तियां		105.13		104.48	
घटाएं : संचित मूल्यह्रास		42.57	62.56	40.42	64.06
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां		8.77		8.26	
घटाएं : संचित परिशोधन		7.42	1.35	6.53	1.73
विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां			0.16		0.00
(II) गैर–वर्तमान निवेश	क–7				
व्यापार		466.73		347.28	
अन्य		1,800.00	2,266.73	0.00	347.28
(III) दीर्घावधि ऋण	क–8				
प्रतिभूत		134,642.08		129,609.30	
अप्रतिभूत		65,394.00	200,036.08	68,233.61	197,842.91
(IV) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	क–9		314.98		224.72

विवरण		टिप्पणी भाग	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**					
(I)	वर्तमान निवेश	क–10	410.74		504.04	
(II)	नकदी एवं बैंक शेष	क–11	78.45		5,070.80	
(III)	अल्पावधि ऋण	क–8				
	प्रतिभूत		1,092.51		549.88	
	अप्रतिभूत		2,711.45		2,456.12	
(IV)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां					
(क)	दीर्घावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	क–8				
	प्रतिभूत		12,191.12		10,710.13	
	अप्रतिभूत		21,431.03		5,601.96	
(ख)	अन्य	क–9	6,039.61	43,954.91	5,290.78	30,183.71
	कुल			246,636.77		228,664.41

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां भाग ख

अन्य लेखा टिप्पणियां भाग ग

भाग क से भाग ग तक टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
मनोहर बलवानी	**आर. नागराजन**	**एम. के. गोयल**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन–00701892	डीआईएन–00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

	कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी	कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
	फर्म रजि. संख्या–01411एन	फर्म रजि. संख्या–00862एन
	हस्ता/–	**हस्ता/–**
	(अतुल अग्रवाल)	**(संजीव चांदना)**
स्थान : नई दिल्ली	भागीदार	भागीदार
तारीख : 25.05.2016	सदस्यता संख्या–099374	सदस्यता संख्या–087354

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन एल65910डीएल1986GOI024862
31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी भाग	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
I.	**प्रचालन से राजस्व**					
	ब्याज	क–12	27,079.44		24,586.10	
	अन्य प्रचालन सेवाएं	क–12	118.38		132.38	
	अन्य वित्तीय सेवाएं	क–12	275.83	27,473.65	143.89	24,862.37
II.	**अन्य आय**					
	अन्य आय	क–13		90.66		45.48
III.	**कुल राजस्व (I–II)**			**27,564.31**		**24,907.85**
IV.	**व्यय**					
	वित्त लागत	क–14		16,473.81		15,439.23
	बॉण्ड इश्यू व्यय	क–15		33.44		31.40
	कार्मिक लाभ व्यय	क–16		90.37		85.81
	प्रावधान	सी–16		1609.32		842.91
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	सी–20		96.26		1.06
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	क–6		6.17		6.09
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	ग–21(क)		145.79		117.49
	अन्य व्यय	क–17		50.62		7.79
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	क–18		(2.13)		(2.16)
	कुल व्यय			**18,503.65**		**16,529.62**
V.	**विशिष्ट और असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ (III–IV)**			9,060.66		**8,378.23**
VI.	विशिष्ट मदें			0.00		0.00
VII.	**असाधारण मद और कर पूर्व लाभ (V–VI)**			9,060.66		**8,378.23**
VIII.	असाधारण मदें			0.00		0.00
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII–VIII)**			9,060.66		**8,378.23**
X.	**कर व्यय**					
	(1) **वर्तमान कर**					
	चालू वर्ष के लिए		2,822.26		2,502.42	
	पिछले वर्ष के लिए		12.11	2,834.37	0.46	2,502.88
	(2) **स्थगित कर देयता (+)/परिसंपत्ति (–)**			112.81		**(83.98)**

विवरण		टिप्पणी भाग	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
XI.	**सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (हानि) (IX–X)**		**6,113.48**	**5,959.33**
XII.	**रु. 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के अनुसार आय**	ग–30		
	(1) बुनियादी (रुपए)		46.31	45.15
	(2) तनुकृत (रुपए)		46.31	45.15
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**भाग–ख**		
	अन्य लेखा टिप्पणियां	**भाग–ग**		
	भाग क से भाग ग तक टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग हैं			

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00701892

हस्ता/–
एम. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता/–
(अतुल अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–00862एन

हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.05.2016

टिप्पणी–भाग क–1
शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
क	**अधिकृत :**		
	₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 2,00,00,00,000 शेयर	2,000.00	2,000.00
	(पिछले वर्ष ₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 2,00,00,00,000 शेयर)		
	कुल	**2,000.00**	**2,000.00**
ख	**जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त :**		
	₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 1,32,00,40,704 पूर्ण चुकता शेयर	1,320.04	1,320.04
	(पिछले वर्ष ₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 1,32,00,15,011 पूर्ण चुकता शेयर)		
	कुल	**1,320.04**	**1,320.04**

टिप्पणियां :–

1. कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो नए शेयर जारी किए और न ही कोई वापस खरीदा।
2. कंपनी के इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसमें प्रति शेयर मूल्य 10/– रुपए है। इक्विटी शेयर धारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में शेयरधारण के अनुपात के अनुसार वोट देने के हकदार हैं।
3. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार विमोचन योग्य अधिमानी शेयरों की संख्या–शून्य (पिछले वर्ष–शून्य)
4. वर्ष के दौरान ईएसओपी स्कीम के अंतर्गत कोई शेयर आबंटित नहीं किया गया।
5. समाधान किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
	संख्या	**संख्या**
प्रारंभिक शेष	132,00,40,704	132,00,40,704
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	शून्य	शून्य
अंतिम शेष	132,00,40,704	132,00,40,704

6. (क) वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विनिवेश विभाग के माध्यम से विनिवेश करते हुए रुपए 10/–प्रतिशेयर अंकित मूल्य के 29188 इक्विटी शेयर गोल्डमैन सैच असेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को बेचे।

   (ख) वर्ष के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से और उसके प्रतिनिधित्व में शेयर बाजार व्यवस्था के अंतर्गत प्रोमोटरों के माध्यम से शेयरों के बिक्री प्रस्ताव के जरिए कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी में अपनी 72.80 प्रतिशत शेयरधारिता में से विनिवेश विभाग के माध्यम से विनिवेश करते हुए रुपए 10/–प्रति शेयर अंकित मूल्य के 6,60,02,035 इक्विटी शेयर बेचे।
7. कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के बारे में जानकारी :–

शेयर धारकों के नाम		31.03.2016	31.03.2015
भारत के राष्ट्रपति	शेयर धारण प्रतिशत	67.80	72.80
	धारित शेयरों की संख्या	894,924,366	960,955,589
भारतीय जीवन बीमा निगम	शेयर धारण प्रतिशत	9.08	6.90
	धारित शेयरों की संख्या	119,830,788	91,071,654

टिप्पणी–भाग क–2
संचित कोष एवं अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
(क) प्रतिभूत प्रीमियम खाता				
प्रारंभिक शेष	4,096.37		4,096.37	
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	0.21	4,096.58	0.00	4,096.37
(ख) डिबेंचर मोचन संचित कोष				
प्रारंभिक शेष	856.28		546.08	
जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	316.27	1,172.55	310.20	856.28
(ग) अन्य				
(i) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii ए) (सी) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए संचित कोष				
प्रारंभिक शेष	2,117.93		1,730.44	
जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	429.21	2,547.14	387.49	2,117.93
(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii ए) (सी) के अंतर्गत वर्ष 1996–97 तक सृजित विशेष संचित कोष		**599.85**		**599.85**
(iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वर्ष 1997–98 तक सृजित और अनुरक्षित विशेष संचित कोष				
प्रारंभिक शेष	10,540.21		8,624.46	
जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	2,004.16		1,850.10	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित*	28.76		72.47	
घटाएं : सामान्य संचित कोष को अंतरित	(66.22)	12,506.91	(6.82)	10,540.21
(iv) सामान्य संचित कोष				
प्रारंभिक शेष	4,197.11		3,594.29	
जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	1,101.00		596.00	
जोड़ें : विशेष संचित कोष से अंतरित	66.22	5,364.33	6.82	4,197.11
(अ) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण विभेद खाता (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 5(ग)–अन्य लेखा टिप्पणियां)				
प्रारंभिक शेष	(380.56)		(709.21)	
जोड़ें : वर्ष के दौरान निवल वृद्धि	(359.18)	(739.74)	328.65	(380.56)
(घ) अधिशेष				
प्रारंभिक शेष	8,871.98		7,572.29	
जोड़ें : चालू वर्ष के दौरान समायोजन	0.03		0.00	
घटाएं : जीवन समाप्त परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास	0.00		(1.92)	
घटाएं : आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विशेष संचित कोष को अंतरित*	(28.76)		(72.47)	
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विनियोजन से रखा गया अधिशेष	55.12	8,898.37	1,374.08	8,871.98
कुल (क)+(ख)+(ग)+(घ)		**34,445.99**		**30,899.17**

नोट : लाभ एवं हानि विनियोजन

विवरण	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
वर्ष के लिए कर उपरांत लाभ		**6,113.48**		**5,959.33**
घटाएं : संचित कोष को अंतरित				
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii क) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए संचित कोष को अंतरित	429.21		387.49	
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित को अंतरित	2,004.16		1,850.10	
डिबेंचर मोचन संचित कोष	316.27		310.20	
सामान्य संचित कोष	1,101.00	**3,850.64**	596.00	**3,143.79**
घटाएं : लाभांश और कॉर्पोरेट लाभांश कर				
अंतरिम लाभांश	1,755.66		1,122.04	
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	79.20		79.20	
अंतरिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	356.74		224.10	
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर	16.12	**2,207.72**	16.12	**1,441.46**
कुल		**55.12**		**1,374.08**

*मूल्यांकन वर्ष 2015–16 के लिए आय कर विवरणी के अनुसार दावाकृत कटौती के समान अंतरित राशि।

टिप्पणी–भाग क–3

ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	वर्तमान	गैर–वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर–वर्तमान	कुल
क. दीर्घावधि ऋण						
I प्रतिभूति						
बॉण्ड्स						
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या I)	316.91	44.64	361.55	0.00	361.55	361.55
कर मुक्त बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या II)	0.00	12,275.11	12,275.11	0.00	11,275.11	11,275.11
अन्य बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या III)	1,600.00	7,550.00	9,150.00	1,990.00	9,150.00	11,140.00
उप जोड़ (I)	1,916.91	19,869.75	21,786.66	1,990.00	20,786.66	22,776.66
II अप्रतिभूत						
क) बॉण्ड्स						
अन्य बॉण्ड्स/डिबेंचर (देखें, टिप्पणी संख्या IV और V)	15,868.00	129,682.64	145,550.64	10,235.10	122,581.32	132,816.42
गौण बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या VI)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00
विदेशी मुद्रा नोट्स (देखें, टिप्पणी संख्या VII)	0.00	1,201.86	1,201.86	0.00	1,135.08	1,135.08
	15,868.00	134,684.50	150,552.50	10,235.10	127,516.40	137,751.50
ख) विदेशी मुद्रा ऋण						
विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) (देखें, टिप्पणी संख्या VIII)	20.68	217.19	237.87	22.07	219.28	241.35
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण (देखें, टिप्पणी संख्या IX)	2,057.58	7,278.26	9,335.84	2,029.11	6,325.12	8,354.23
	2,078.26	7,495.45	9,573.71	2,051.18	6,544.40	8,595.58
ग) रुपया सावधि ऋण						
रुपया सावधि ऋण (बैंकों से)(देखें, टिप्पणी संख्या X)	500.00	10,500.00	11,000.00	4,459.00	10,126.00	14,585.00
	500.00	10,500.00	11,000.00	4,459.00	10,126.00	14,585.00
उप जोड़ (II)	18,446.26	152,679.95	171,126.21	16,745.28	144,186.80	160,932.08
ख. अल्पावधि ऋण						
रुपया सावधि ऋण						
I प्रतिभूत						
सावधि जमा के प्रति ऋण	0.00	0.00	0.00	1,928.17	0.00	1,928.17
कुल जोड़ (I)	0.00	0.00	0.00	1,928.17	0.00	1,928.17
II अप्रतिभूत						
वाणिज्यिक पेपर (देखें, टिप्पणी संख्या XI)	5,286.37	0.00	5,286.37	2,136.24	0.00	2,136.24
बैंकों से कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओडी/ सीसी/ लाइन ऑफ क्रेडिट	2,285.20	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (II)	7,571.57	0.00	7,571.57	2,136.24	0.00	2,136.24
कुल (क)+(ख)	27,934.74	172,549.70	200,484.44	22,799.69	164,973.46	187,773.15

टिप्पणियां :–

I.   31.03.2016 को बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन की तारीख	विमोचन का ब्यौरा	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की संख्या
1	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011–12) शृंखला–III	21.11.2011	8.75%	3.23	22–नवंबर–18	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों के सिवाय जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिंडी/चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत	100%
2	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011–12) शृंखला–IV	21.11.2011	8.75%	8.83	22–नवंबर–18	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
3	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010–11) शृंखला–3	31.03.2011	8.50%	6.13	1–अप्रैल–18	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य।	31.03.2016 को कंपनी के ₹3090.80 करोड़ के विशेष बही ऋणों पर प्रभार तथा नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत।	100%
4	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010–11) शृंखला–4	31.03.2011	8.50%	22.75	1–अप्रैल–18	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य।		
5	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86सी शृंखला	30.03.2012	8.72%	0.95	31–मार्च–18	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 6 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों के सिवाय जिन पर वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान जारी किए गए इंफ्राबॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत	100%
6	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86डी शृंखला	30.03.2012	8.72%	2.75	31–मार्च–18	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 6 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य।		

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन की तारीख	विमोचन का ब्यौरा	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की संख्या
7	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86, शृंखला	30.03.2012	8.43%	9.04	31–मार्च–17	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों के सिवाय जिन पर वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान जारी किए गए इंफ्राबॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत	100%
8	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86बी शृंखला	30.03.2012	8.43%	17.81	31–मार्च–17	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
9	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011–12) शृंखला– 1	21.11.2011	8.50%	32.43	22–नवंबर–16	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत	100%
10	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011–12) शृंखला– 2	21.11.2011	8.50%	51.15	22–नवंबर–16	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
11	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010–11) शृंखला– 1	31.03.2011	8.30%	66.80	1–अप्रैल–16	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	31.03.2016 को कंपनी के ₹ 3090.80 करोड़ के विशेष बही ऋणों पर प्रभार तथा नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत।	100%
12	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010–11) शृंखला– 2	31.03.2011	8.30%	139.68	1–अप्रैल–16	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
		कुल		**361.55**				

II. 31.03.2016 को बकाया कर–मुक्त बॉण्ड्स का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
13	कर–मुक्त बॉण्ड (2015–16)– शृंखला–3ए	17.10.2015	7.35%	213.57	17–अक्टूबर–35	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज् के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
14	कर–मुक्त बॉण्ड (2015–16)– शृंखला–3बी	17.10.2015	7.60%	155.48	17–अक्टूबर–35		
15	कर–मुक्त बॉण्ड (2013–14)– शृंखला–3ए	16.11.2013	8.67%	1,067.38	16–नवंबर–33	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज् के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
16	कर–मुक्त बॉण्ड (2013–14)– शृंखला–3बी	16.11.2013	8.92%	861.96	16 नवंबर–33		
17	कर–मुक्त बॉण्ड 2015–16 शृंखला– शृंखला–2ए	17.10.2015	7.27%	131.33	17–अक्टूबर–30	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज् के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
18	कर–मुक्त बॉण्ड 2015–16 शृंखला– शृंखला–2बी	17.10.2015	7.52%	45.18	17–अक्टूबर–30		
19	कर–मुक्त बॉण्ड 2015–16 शृंखला–2ए	16.11.2013	8.54%	932.70	16–नवंबर–28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज् के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
20	कर–मुक्त बॉण्ड (2013–14 शृंखला–2बी	16.11.2013	8.79%	353.32	16–नवंबर–28		
21	कर–मुक्त बॉण्ड 107बी	30.08.2013	8.46%	1,011.10	30–अगस्त–28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज् के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
22	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012–13) ट्रांचे–II–शृंखला–II	28.03.2013	7.04%	5.06	28–मार्च–28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
23	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012–13) ट्रांचे–II–शृंखला–II	28.03.2013	7.54%	64.15	28–मार्च–28		

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
24	कर–मुक्त बॉण्ड (2012–13) ट्रांचे–I–शृंखला–II	04.01.2013	7.36%	142.23	4–जनवरी–28	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
25	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012–13) ट्रांचे–I– शृंखला–II	04.01.2013	7.86%	214.77	4–जनवरी–28		
26	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 95बी	29.11.2012	7.38%	100.00	29–नवंबर–27	चेन्नई स्थित कंपनी की सभी अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत। कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों/ऋण परिसंपत्तियों एवं उनसे संबद्ध प्रतिभूति सहित प्रतिभूत, परंतु उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से विशिष्ट प्रभार दर्ज हो।	100%
27	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 94बी	22.11.2012	7.38%	25.00	22–नवंबर–27		
28	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2011–12)	01.02.2012	8.30%	1,280.58	1–फरवरी–27	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
29	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला–80बी	01.02.2012	8.30%	1,280.58	25–नवंबर–26	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010–11 में जारी इंफ्रा बॉण्डके लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
30	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला–79बी	25.11.2011	8.16%	209.34	15–अक्टूबर–26		
31	कर–मुक्त बॉण्ड 2015–16 शृंखला–1ए	17.10.2015	7.11%	75.09	17–अक्टूबर–25	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज़ के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
32	कर–मुक्त बॉण्ड 2015–16 शृंखला–1बी	17.10.2015	7.36%	79.35	17–अक्टूबर–25		
33	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 136	17.07.2015	7.16%	300.00	17–जुलाई–25	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज़ के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
34	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2013–14) शृंखला–1ए	16.11.2013	8.18%	325.07	16 नवंबर–23	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज़ के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
35	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2013–14) शृंखला–1बी	16.11.2013	8.43%	335.47	16–नवंबर–23		

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
36	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला–107ए	30.08.2013	8.01%	113.00	30–अगस्त–23	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज् के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
37	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012–13) ट्रांचे–II – शृंखला–I	28.03.2013	6.88%	49.24	28–मार्च–23	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
38	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012–13) ट्रांचे–II– शृंखला–I	28.03.2013	7.38%	46.91	28–मार्च–23		
39	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012–13) ट्रांचे–I – शृंखला–I	04.01.2013	7.19%	182.04	4–जनवरी–23	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
40	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012–13) ट्रांचे–I – शृंखला–I	04.01.2013	7.69%	160.71	4–जनवरी–23		
41	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 95ए	29.11.2012	7.22%	30.00	29–नवंबर–22	चेन्नई स्थित कंपनी की सभी अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत। कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों/ऋण परिसंपत्तियों एवं उनसे संबद्ध प्रतिभूति सहित प्रतिभूत, परंतु उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से विशिष्ट प्रभार दर्ज हो।	100%
42	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 94ए	22.11.2012	7.21%	255.00	22–नवंबर–22		
43	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2011–12) ट्रांचे–I – शृंखला–I	01.02.2012	8.20%	2,752.55	1–फरवरी–22	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
44	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 80ए	25.11.2011	8.09%	334.31	25–नवंबर–21	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010–11 में जारी इंफ्रा बॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
45	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 79ए	15.10.2011	7.51%	205.23	15–अक्टूबर–21		
		कुल		12,275.11			

III. 31.03.2016 को बकाया कर–योग्य बॉण्ड्स (प्रतिभूत) का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
46	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 112सी	31.01.2014	9.70%	270.00	31–जनवरी–21	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज़ के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
47	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 112बी	31.01.2014	9.70%	270.00	31–जनवरी–20		
48	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 113	3.03.2014	9.69%	2,240.00	3–मार्च–19	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज़ के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
49	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 112ए	31.01.2014	9.70%	270.00	31–जनवरी–19	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज़ के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
50	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 109	7.10.2013	9.81%	4,500.00	7–अक्टूबर–18	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज़ के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
51	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 108	27.09.2013	9.80%	1,600.00	27–सितंबर–16	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज़ के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
		कुल		**9,150.00**			

IV. 2022–XIX शृंखला के अंतर्गत ₹443.74 करोड़ मूल्य (पिछले वर्ष ₹410.42 करोड़) के जीरो कूपन अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड 30.12.2022 को ₹750.00 करोड़ के अंकित मूल्य ₹306.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹339.58 करोड़) के निवल अपरिशोधित ब्याज के साथ, पर विमोचन योग्य हैं।

V. **31.03.2016 की स्थिति के अनुसार अन्य अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्डों का ब्यौरा इस प्रकार है :–**

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
1	शृंखला 71	9.05%	15–दिसंबर–30	192.70
2	शृंखला 66–सी	8.85%	15–जून–30	633.00
3	शृंखला 118–बी–III	9.39%	27–अगस्त–29	460.00
4	शृंखला 103	8.94%	25–मार्च–28	2,807.00
5	शृंखला 102–ए (III)	8.90%	18 मार्च–28	403.00
6	शृंखला 101–बी	9.00%	11–मार्च–28	1,370.00
7	शृंखला 77–बी	9.45%	1–सितंबर–26	2,568.00
8	शृंखला 76–बी	9.46%	1–अगस्त–26	1,105.00
9	शृंखला 71	9.05%	15–दिसंबर–25	192.70
10	शृंखला 141–बी	8.40%	18 सितंबर–25	1,000.00
11	शृंखला 66–बी	8.75%	15–जून–25	1,532.00
12	शृंखला 65	8.70%	14–मई–25	1,337.50
13	शृंखला 130–सी	8.39%	15–अप्रैल–25	925.00
14	शृंखला 64–III	8.95%	30–मार्च–25	492.00
15	शृंखला 131–सी	8.41%	27 मार्च–25	5,000.00
16	शृंखला 63– III	8.90%	15–मार्च–25	184.00
17	शृंखला 128	8.20%	10–मार्च–25	1,600.00
18	शृंखला 62–बी	8.80%	15–जनवरी–25	1,172.60
19	शृंखला 126	8.65%	4–जनवरी –25	5,000.00
20	शृंखला 125	8.65%	28–दिसंबर–24	2,826.00
21	शृंखला 61	8.50%	15–दिसंबर–24	351.00
22	शृंखला 124–सी	8.48%	9–दिसंबर–24	1,000.00
23	शृंखला 120–ए	8.98%	8–अक्टूबर–24	961.00
24	शृंखला120–बी	8.98%	8–अक्टूबर–24	950.00
25	शृंखला 118–बी–II	9.39%	27–अगस्त–24	460.00
26	शृंखला 117–बी	9.37%	19–अगस्त–24	855.00
27	शृंखला 57–सी	8.60%	7–अगस्त–24	866.50
28	शृंखला 85–डी	9.26%	15–अप्रैल–23	736.00
29	शृंखला 102–ए (II)	8.90%	18–मार्च–23	403.00
30	शृंखला 102–बी	8.87%	18–मार्च–23	70.00
31	शृंखला 100–बी	8.84%	4–मार्च–23	1,310.00
32	शृंखला 92–सी	9.29%	21–अगस्त–22	640.00
33	शृंखला 91–बी	9.39%	29–जून–22	2,695.20
34	शृंखला 88–सी	9.48%	15–अप्रैल–22	184.70
35	शृंखला 124–बी	8.55%	9–दिसंबर–21	1,200.00
36	शृंखला 123–सी	8.66%	27–नवंबर–21	200.00
37	शृंखला 78–बी	9.44%	23–सितंबर–21	1,180.00
38	शृंखला 76–ए	9.36%	1–अगस्त–21	2,589.40
39	शृंखला 115–III	9.20%	7–जुलाई–21	700.00
40	शृंखला 75–सी	9.61%	29–जून–21	2,084.70
41	शृंखला 74	9.70%	9–जून–21	1,693.20
42	शृंखला 28	8.85%	31–मई–21	600.00

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
43	शृंखला 73	9.18%	15–अप्रैल–21	1,000.00
44	शृंखला 72–बी	8.99%	15–जनवरी–21	1,219.00
45	शृंखला 71	9.05%	15–दिसंबर–20	192.70
46	शृंखला 70	8.78%	15–नवंबर–20	1,549.00
47	शृंखला 141–ए	8.46%	18–सितंबर–20	1,000.00
48	शृंखला 140–बी	8.36%	4–सितंबर–20	1,250.00
49	शृंखला 138	8.45%	10–अगस्त–20	1,000.00
50	शृंखला 137	8.53%	24–जुलाई–20	2,700.00
51	शृंखला 68–बी	8.70%	15–जुलाई–20	1,424.00
52	शृंखला 66–ए	8.65%	15–जून–20	500.00
53	शृंखला 65	8.70%	14–मई–20	1,337.50
54	शृंखला 131–बी	8.38%	27–अप्रैल–20	1,350.00
55	शृंखला 130–बी	8.42%	18–अप्रैल–20	200.00
56	शृंखला 85–सी	9.30%	15–अप्रैल–20	79.50
57	शृंखला 64–II	8.95%	30–मार्च–20	492.00
58	शृंखला 87–डी	9.42%	20–मार्च–20	650.80
59	शृंखला 63–II	8.90%	15–मार्च–20	184.00
60	शृंखला 100–ए	8.86%	4–मार्च–20	54.30
61	शृंखला 127	8.36%	26–फरवरी–20	4,440.00
62	शृंखला 99–बी	8.82%	20–फरवरी–20	733.00
63	शृंखला 62–ए	8.70%	15–जनवरी–20	845.40
64	शृंखला 61	8.50%	15–दिसंबर–19	351.00
65	शृंखला 124–ए	8.52%	9–दिसंबर–19	1,220.00
66	शृंखला 123–बी	8.65%	28–नवंबर–19	836.00
67	शृंखला 60–बी	1वाईआईएनसीएमटीबीके+ 179बीपीएस (फ्लोटिंग दर)	20–नवंबर–19	925.00
68	शृंखला 122	8.76%	7–नवंबर–19	1,000.00
69	शृंखला 121–बी	8.96%	21–अक्टूबर–19	1,100.00
70	शृंखला 59–बी	8.80%	15–अक्टूबर–19	1,216.60
71	शृंखला 119–बी	9.32%	17–सितंबर–19	1,591.00
72	शृंखला 118–बी–I	9.39%	27–अगस्त–19	460.00
73	शृंखला 57–बी	8.60%	7–अगस्त–19	866.50
74	शृंखला 115–II	9.15%	7–जुलाई–19	100.00
75	शृंखला 135–बी	8.50%	29–जून–19	1,500.00
76	शृंखला 90–बी	9.41%	1–जून–19	391.00
77	शृंखला 143	8.12%	28–फरवरी–19	700.00
78	शृंखला 98–III	8.72%	8–फरवरी–19	324.00
79	शृंखला 82–सी	9.70%	15–दिसंबर–18	2,060.00
80	शृंखला 52–सी	11.25%	28–नवंबर–18	1,950.60
81	शृंखला 142–बी	8.00%	22–अक्टूबर–18	1,000.00
82	शृंखला 51–सी	11.00%	15–सितंबर–18	3,024.40
83	शृंखला 140–ए	8.28%	4–सितंबर–18	1,930.00
84	शृंखला 139–सी	8.17%	18–अगस्त–18	800.00
85	शृंखला 49–बी	10.85%	11–अगस्त–18	428.60
86	शृंखला 48–सी	10.55%	15–जुलाई–18	259.70
87	शृंखला 135–ए	8.40%	29–जून–18	1,210.00

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
88	शृंखला 130–ए	8.40%	19–जून–18	1,175.00
89	शृंखला 129–ए	8.29%	13–जून–18	980.00
90	शृंखला 129–बी	8.29%	13–जून–18	100.00
91	शृंखला 47–सी	9.68%	9–जून–18	780.70
92	शृंखला 134–बी	8.39%	28–मई–18	1,500.00
93	शृंखला 132–बी	8.09%	16–मई–18	200.00
94	शृंखला 131–ए	8.34%	27–अप्रैल–18	100.00
95	शृंखला 132–ए	8.03%	9–अप्रैल–18	272.00
96	शृंखला 102–ए (I)	8.90%	18–मार्च–18	403.00
97	शृंखला 101–ए	8.95%	11–मार्च–18	3,201.00
98	शृंखला 99–ए	8.77%	20–फरवरी–18	2.00
99	शृंखला 98–(II)	8.72%	8–फरवरी–18	324.00
100	शृंखला 72–ए	8.97%	15–जनवरी–18	144.00
101	शृंखला 40–सी	9.28%	28–दिसंबर–17	650.00
102	शृंखला 123–ए	8.50%	28–नवंबर–17	1,075.00
103	शृंखला 18	7.87%	13–नवंबर–17	25.00
104	शृंखला 121–ए	8.90%	21–अक्टूबर–17	1,500.00
105	शृंखला 142–ए	7.88%	21–अक्टूबर–17	800.00
106	शृंखला 93–बी	8.91%	15–अक्टूबर–17	950.00
107	शृंखला 17	8.21%	3–अक्टूबर–17	25.00
108	शृंखला 118–ए	9.30%	27–अगस्त–17	2,160.00
109	शृंखला 92–ए	9.01%	21–अगस्त–17	50.00
110	शृंखला 92–बी	9.27%	21–अगस्त–17	1,930.00
111	शृंखला 117–ए	9.32%	19–अगस्त–17	1,311.00
112	शृंखला 115–I	9.11%	7–जुलाई–17	1,650.00
113	शृंखला 91–ए	9.40%	29–जून–17	107.50
114	शृंखला 90–ए	9.61%	1–जून–17	537.90
115	शृंखला 134–ए	8.35%	27–मई–17	1,500.00
116	शृंखला 13	9.60%	24–मई–17	65.00
117	शृंखला 139–बी	8.12%	22–मई–17	1,435.00
118	शृंखला 35	9.96%	18–मई–17	530.00
119	शृंखला 13	9.60%	16–मई–17	125.00
120	शृंखला 89–ए	9.52%	2–मई–17	165.00
121	शृंखला 133–बी	8.00%	24–अप्रैल–17	605.00
122	शृंखला 144	7.98%	21–अप्रैल–17	1,775.00
123	शृंखला 133–ए	8.12%	17–अप्रैल–17	565.00
124	शृंखला 133–ए	8.00%	3–अप्रैल–17	545.00
125	शृंखला 34	9.90%	30–मार्च–17	500.50
126	शृंखला 33–बी	9.90%	22–मार्च–17	561.50
127	शृंखला 87 बी	9.72%	20–मार्च–17	23.00
128	शृंखला 84	9.33%	17–फरवरी–17	1,521.20
129	शृंखला 98–I	8.72%	8–फरवरी–17	324.00
130	शृंखला 82–बी	9.64%	15–दिसंबर–16	825.00
131	शृंखला 31–ए	8.78%	11–दिसंबर–16	1,451.20
132	शृंखला 18	7.87%	13–नवंबर–16	25.00
133	शृंखला 17	8.21%	3–अक्टूबर–16	25.00

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
134	श्रृंखला 29 ए	8.80%	7–सितंबर–16	250.00
135	श्रृंखला 77 ए	9.41%	1–सितंबर–16	1,083.60
136	श्रृंखला 116	9.16%	31–जुलाई–16	1,885.00
137	श्रृंखला 75–बी	9.62%	29–जून–16	360.00
138	श्रृंखला 106–बी	8.27%	25–जून–16	3,033.00
139	श्रृंखला 104–ए	8.35%	15–मई–16	4,000.00
			कुल	**145,106.90**

*31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ₹6.10 करोड़ मूल्य के बॉण्ड (पिछले वर्ष ₹7.40 करोड़) पीएफसी लिमिटेड एम्पलायज़ प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट ने धारण किए हैं।

VI. **31.03.2016 को अप्रतिभूत गौण बॉण्डों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :**

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर	मोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
1	सबोर्डिनेटिड टिअर–II डेट बॉण्ड	9.70%	21–फरवरी–24	2,000.00
2	सबोर्डिनेटिड टिअर–II डेट बॉण्ड	9.65%	13–जनवरी 24	1,000.00
3	सबोर्डिनेटिड टिअर–II डेट बॉण्ड	8.19%	14–जून 23	800.00
			कुल	**3,800.00**

VII. **6.61 प्रतिशत की दर पर ₹ 1201.86 करोड़ (पिछले ₹ 1135.08 करोड़ वर्ष) मूल्य के विदेशी मुद्रा सीनियर नोट्स (यूएसपीपी–I.), 05.09.2017 को विमोचन योग्य हैं।**

VIII. **विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) की 31.03.2016 को बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–**

क्र. स.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.24	30–जून–2035
2	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2034
3	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2034
4	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2033
5	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2033
6	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2032
7	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2032
8	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2031
9	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2031
10	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2030
11	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2030
12	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2029
13	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2029
14	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2028
15	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	0.27	15–अक्टूबर–2028
16	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	0.03	30–जून–2028
17	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2028
18	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	1.93	15–अप्रैल–2028
19	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	0.03	31–दिसंबर–2027
20	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2027
21	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	2.29	15–अक्टूबर–2027

क्र. स.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
22	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	0.06	30–जून–2027
23	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2027
24	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	2.42	15–अप्रैल–2027
25	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	0.39	31–दिसंबर–2026
26	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2026
27	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	2.66	15–अक्टूबर–2026
28	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	0.39	30–जून–2026
29	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2026
30	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.45	15–अप्रैल–2026
31	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	0.46	31–दिसंबर–2025
32	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2025
33	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.45	15–अक्टूबर–2025
34	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	1.01	30–जून–2025
35	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2025
36	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.45	15–अप्रैल–2025
37	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	2.76	31–दिसंबर–2024
38	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2024
39	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.45	15–अक्टूबर–2024
40	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	3.33	30–जून–2024
41	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2024
42	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2024
43	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	3.37	31–दिसंबर–2023
44	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2023
45	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2023
46	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2023
47	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2023
48	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2023
49	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2022
50	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2022
51	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2022
52	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2022
53	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2022
54	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2022
55	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2021
56	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2021
57	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2021
58	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2021
59	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2021
60	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2021
61	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2020
62	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2020
63	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2020
64	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2020
65	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2020
66	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2020

क्र. स.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
67	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2019
68	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2019
69	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2019
70	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2019
71	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2019
72	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2019
73	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2018
74	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2018
75	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2018
76	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2018
77	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2018
78	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2018
79	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2017
80	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2017
81	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2017
82	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2017
83	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2017
84	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2017
85	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2016
86	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2016
87	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2016
88	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2016
89	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2016
90	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2016
		कुल	**237.87**	

IX. विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋणों की 31.03.2016 को बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र. स.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	एसएलएन–XVIII	0.87157%	868.12	4–नवंबर –22
2	एसएलएन–XVIII	0.87157%	868.12	8–नवंबर –21
3	एसएलएन–XVII-(III)	2.19310%	1,001.55	26–सितंबर –21
4	एसएलएन–XVII-(II)	2.19310%	1,001.55	26–मार्च –21
5	एसएलएन–XVIII	0.87157%	868.12	6–नवंबर –21
6	एसएलएन–XVII-(I)	2.19310%	1,001.55	26–सितंबर–20
7	सएलएन–XVI	2.21945%	1,669.25	4–दिसंबर–19
8	एसएलएन–XIII-(II)	2.34205%	834.62	6–मार्च–17
9	एसएलएन–IX	1.78229%	802.72	24–फरवरी–17
10	एसएलएन–VIII	1.52307%	420.24	23–सितंबर–16
		कुल	**9,335.84**	

X. 31.03.2016 को बकाया रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र. स.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	बैंक ऑफ इंडिया	10.14%	500.00	28–मार्च–2020
2	यूनाइटिड बैंक	10.09%	500.00	28–मार्च–2018
3	एसबीबीजे	10.14%	500.00	28–जून–2017
4	एसएमबीसी	9.65%	250.00	23–मई–2017
5	यूनियन बैंक	10.09%	1,000.00	30–अप्रैल–2017
6	बैंक ऑफ इंडिया	10.14%	47.75	28–अप्रैल–2017
7	पीएनबी	10.03%	1,250.00	28–अप्रैल–2017
8	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10.14%	952.25	23–अप्रैल–2017
9	जे एंड के बैंक	9.92%	1,000.00	23–अप्रैल–2017
10	यूनियन बैंक	10.09%	1,000.00	18–अप्रैल–2017
11	कॉर्पोरेशन बैंक	10.09%	1,000.00	18–अप्रैल–2017
12	यूनियन बैंक	10.09%	500.00	17–अप्रैल–2017
13	केनरा बैंक	10.09%	2,000.00	16–अप्रैल–2017
14	विजया बैंक	10.09%	500.00	30–सितंबर–2016
		कुल	**11,000.00**	

XI. 31.03.2016 को वाणिज्यिक पेपर की बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र. स.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	सीपी–सीरीज 72–बी	8.20%	2,105.00	27–मई–2016
2	सीपी–सीरीज 71	8.39%	1,325.00	26–मई–2016
3	सीपी–सीरीज 73–बी	8.33%	1,370.00	26–मई–2016
4	सीपी–सीरीज 72–ए	8.22%	350.00	6–मई–2016
5	सीपी–सीरीज 73–ए	8.33%	200.00	6–मई–2016
	घटाएं–अपरिशोधित वित्तीय प्रभार*		(63.63)	
		कुल	**5,286.37**	

*वाणिज्यिक पेपर पर अपरिशोधित वित्तीय प्रभार 31.03.2016 को ₹63.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 18.76 करोड़) था।

टिप्पणी–भाग–क–4
अन्य दीर्घावधि एवं वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी निधि (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 12क(II)–अन्य लेखा टिप्पणियां)	6.88	100.59	**107.47**	12.63	98.72	**111.35**
ब्याज अंतर–निधि–केएफडब्ल्यू (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 10–अन्य लेखा टिप्पणियां)	0.00	60.71	**60.71**	0.00	58.38	**58.38**
प्राप्त अग्रिम/सहायक कंपनियों को देय राशि (उस पर देय ब्याज सहित) (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 8(क)(II)–अन्य लेखा टिप्पणियां)	185.05	198.78	**383.83**	168.10	172.08	**340.18**
आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार को देय राशि (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 12(ख)(I)–अन्य लेखा टिप्पणियां)	13.00	0.00	**13.00**	0.00	0.00	**0.00**
आरपीडीएस के अंतर्गत भारत सरकार को देय राशि	0.00	0.00	**0.00**	50.01	0.00	**50.01**
उप जोड़	**204.93**	**360.08**	**565.01**	**230.74**	**329.18**	**559.92**
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं :						
बॉण्डों पर	6,841.49	188.50	**7,029.99**	6,241.57	0.00	**6,241.57**
ऋण पर	58.36	0.00	**58.36**	114.24	0.00	**114.24**
उप जोड़	**6,899.85**	**188.50**	**7,088.35**	**6,355.81**	**0.00**	**6,355.81**
अदा न किया गया/दावा न किया गया :						
बॉण्ड	3.84	0.00	**3.84**	3.97	0.00	**3.97**
बॉण्डों पर ब्याज	8.33	0.00	**8.33**	2.42	0.00	**2.42**
लाभांश	1.72	0.00	**1.72**	1.32	0.00	**1.32**
उप जोड़	**13.89**	**0.00**	**13.89**	**7.71**	**0.00**	**7.71**
अन्य :	382.10	0.17	**382.27**	65.89	4.63	**70.52**
उप जोड़	**382.10**	**0.17**	**382.27**	**65.89**	**4.63**	**70.52**
कुल योग	**7,500.77**	**548.75**	**8,049.52**	**6,660.15**	**333.81**	**6,993.96**

टिप्पणी–भाग–क–5
प्रावधान–दीर्घावधि और अल्पावधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
I कार्मिक लाभ*						
कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	0.21	1.29	**1.50**	0.10	1.14	**1.24**
अवकाश नकदीकरण	2.37	24.52	**26.89**	1.51	21.91	**23.42**
कार्मिक कल्याण व्यय	1.07	21.61	**22.68**	0.83	18.34	**19.17**
ग्रेच्युटी/सेवानिवृत्ति निधि	0.20	0.00	**0.20**	0.15	0.00	**0.15**
बोनस/प्रोत्साहन	9.87	0.00	**9.87**	10.90	0.00	**10.90**
उप जोड़	**13.72**	**47.42**	**61.14**	**13.49**	**41.39**	**54.88**
II अन्य						
आयकर (निवल)	0.00	49.49	**49.49**	118.74	54.59	**173.33**
सीएसआर और एसडी व्यय (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 21–अन्य लेखा टिप्पणियां)	102.16	0.00	**102.16**	114.30	0.00	**114.30**
मानक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 16(क) (i)–अन्य लेखा टिप्पणियां)	103.44	493.97	**597.41**	44.88	441.69	**486.57**
पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 16(क) (ii)–अन्य लेखा टिप्पणियां)	490.80	638.40	**1,129.20**	138.50	425.94	**564.44**
प्रस्तावित अंतिम लाभांश*	79.20	0.00	**79.20**	79.20	0.00	**79.20**
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर*	16.12	0.00	**16.12**	16.12	0.00	**16.12**
उपजोड़	**791.72**	**1,181.86**	**1,973.58**	**511.74**	**922.22**	**1,433.96**
कुल योग	**805.44**	**1,229.28**	**2,034.72**	**525.23**	**963.61**	**1,488.84**

*(देखें भाग–ग की टिप्पणी संख्या 20–अन्य लेखा टिप्पणियां)

टिप्पणी–भाग–क–6
अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास						निवल ब्लॉक	
	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	संवर्धन/ समायोजन	मूल्यह्रास/ समायोजन	31.03.2016 को अंतिम शेष	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	01.4.2015 से 31.03.2016 की अवधि के लिए	समायोजन	पूर्व अवधि समायोजन	वापस/ पश्चलिखित	31.03.2016 को अंतिम शेष	31.03.2016 को	31.03.2015 को
I. मूर्त परिसंपत्तियां*:												
स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां												
भूमि (फ्री होल्ड)	3.38	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38
भूमि (लीज होल्ड)**	37.87	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87	37.87
भवन	24.92	0.00	0.00	24.92	8.91	0.78	0.00	0.00	0.00	9.69	15.23	16.01
ईडीपी उपकरण	16.03	1.87	1.96	15.94	12.42	2.78	0.00	0.00	1.86	13.34	2.60	3.61
कार्यालय एवं अन्य उपकरण	14.47	1.99	1.38	15.08	12.60	1.21	0.00	0.00	1.22	12.59	2.49	1.87
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	7.61	0.20	0.07	7.74	6.42	0.47	0.00	0.00	0.05	6.84	0.90	1.19
वाहन	0.20	0.00	0.00	0.20	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.11	0.09	0.13
कुल	**104.48**	**4.06**	**3.41**	**105.13**	**40.42**	**5.28**	**0.00**	**0.00**	**3.13**	**42.57**	**62.56**	**64.06**
पिछले वर्ष	**102.31**	**3.82**	**1.65**	**104.48**	**34.13**	**4.89**	**2.91**	**0.00**	**1.51**	**40.42**	**64.06**	**68.18**
II. अमूर्त परिसंपत्तियां*:												
खरीदा गया सॉफ्टवेयर (उपयोगी जीवन–5 वर्ष)	8.26	0.51	0.00	8.77	6.53	0.89	0.00	0.00	0.00	7.42	1.35	1.73
पिछले वर्ष	7.78	0.48	0.00	8.26	5.33	1.20	0.00	0.00	0.00	6.53	1.73	2.45
III. विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां*:	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
पिछले वर्ष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*(कृपया भाग–ग की टिप्पणी संख्या 23–अन्य लेखा टिप्पणियां देखें)

**(कृपया भाग–ग की टिप्पणी संख्या 25–अन्य लेखा टिप्पणियां देखें)

टिप्पणी–भाग–क–7
गैर–वर्तमान निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	संख्या	राशि		संख्या	राशि	
दीर्घावधि निवेश						
(क) व्यापार निवेश (₹10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर–जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया गया हो)						
I. इक्विटी निवेश (उद्धृत)*						
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	1,20,00,000		12.00	1,20,00,000		12.00
II. इक्विटी लिखत (अनुद्धृत)*						
नेशनल पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (लागत पर मूल्यांकित–घटाएं मूल्य में कमी) (भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 7(क)(ग)(I) देखें)	21,87,015	2.19		21,87,015	2.19	
घटाएं : कमी के लिए प्रावधान		1.06	1.13		1.06	1.13
पावर एक्सचेंज लिमिटेड (लागत पर मूल्याकिंत–घटाएं मूल्य मे कमी)	32,20,000	3.22		32,20,000	3.22	
घटाएं : कमी के लिए प्रावधान		3.22	0.00		0.00	3.22
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज (प्रा) लिमिटेड (भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 7(क) (ग) (II) देखें)	4,75,00,000		47.50	2,25,00,000		22.50
सहायक कंपनियां (भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 7(क) और (ख) देखें)	10,09,50,000		100.95	10,07,50,000		100.75
III. अधिमानी शेयर (अनुद्धृत)*						
सहायक कंपनियों के 10 प्रतिशत संचयी पूर्ण परिवर्तनीय अधिमानी शेयर (भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 7(क)(क) देखें)	20,00,00,000		200.00	20,00,00,000		200.00
IV. अन्य (अनुद्धृत)*						
केएसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के ''स्मॉल इज ब्यूटीफुल'' फंड की यूनिटें**	6,152,200		6.15	76,82,816		7.68
V. इक्विटी शेयरों का आबंटन लंबित रहते आवेदन निधि						
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज (प्रा) लिमिटेड (भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 7(क)(ग)(II) देखें)	9,90,00,000		99.00	0		0.00
उप जोड़			466.73			347.28
(ख) अन्य निवेश–बॉण्ड (उद्धृत) (₹10,00,000/– प्रति शेयर अंकित मूल्य के पूर्ण चुकता बॉण्ड–जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया गया हो)						
देना बैंक के 10,000 बॉण्ड और आंध्रा बैंक के 8000 बॉण्ड (भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 9 देखें)	18,000		1800.00	0		0.00
उप जोड़			1800.00			0.00
कुल			2,266.73			347.28

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
समग्र उद्धृत निवेश		
बही मूल्य	1812.00	12.00
बाज़ार मूल्य***	1876.80	116.28
समग्र अनुद्धृत निवेश		
बही मूल्य	355.73	335.28
मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान	4.28	1.06
शेयरों का आबंटन बकाया रहते आवेदन निधि	99.00	0.00

*अनुद्धृत निवेश होने के कारण, बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है।

**31 मार्च, 2016 को एनएवी 10.24 प्रति शेयर (31 मार्च, 2015 को 9.70 प्रति शेयर)। एनएवी में उतार–चढ़ाव अस्थायी समझा गया है।

***देना बैंक के 10,000 बॉण्ड और आंध्रा बैंक के 8000 बॉण्ड एनएससी प्लेटफार्म पर सूचित किए गए हैं, परंतु 31.03.2016 को एनएससी प्लेटफार्म पर उनका बाज़ार मूल्य उपलब्ध नहीं था और तक बॉण्डों की ट्रेडिंग नहीं हुई। तदनुरूप बॉण्ड के अंकित मूल्य को उसका बाज़ार मूल्य समझा गया है।

टिप्पणी–भाग क–8

ऋण*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को चालू परिपक्वताएं (12 महीने)		31.03.2016 को गैर–चालू		31.03.2016 को कुल		31.03.2015 को चालू परिपक्वताएं (12 महीने)		31.03.2015 को गैर–चालू		31.03.2015 को कुल	
क दीर्घावधि ऋण												
I प्रतिभूति ऋण												
क) शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डो, राज्य बिजली निगमों, केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों, संयुक्त उद्यम ऋणकर्ताओं राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	8,882.51		110,318.91		**119,201.42**		8,653.83		101,759.61		**110,413.44**	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को रुपया सावधि ऋण	1,873.11		18,421.67		**20,294.78**		1,285.82		24,890.44		**26,176.26**	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को विदेशी मुद्रा ऋण	20.58		5.14		**25.72**		25.52		24.29		**49.81**	
क्रेता ऋण सुविधा	318.44		764.04		**1,082.48**		89.83		574.03		**663.86**	
ऋणदाताओं को पट्टा वित्त सुविधा**	7.89		196.20		**204.09**		7.73		204.54		**212.27**	
उपकरण विनिर्माताओं को रुपया सावधि ऋण	18.95	11,121.48	842.35	130,548.31	**861.30**	**141,669.79**	73.09	10,135.82	840.52	128,293.43	**913.61**	**138,429.25**
ख) अन्य												
राज्य विद्युत बोर्डो, राज्य बिजली निगमों, केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों, संयुक्त उद्यम ऋणकर्ताओं राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल) –एनपीए	374.35		347.61		**721.96**		267.39		454.57		**721.96**	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	74.87	299.48	69.52	278.09	**144.39**	**577.57**	26.74	240.65	45.45	409.12	**72.19**	**649.77**
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को (आरटीएल) –एनपीए	947.64		4,251.81		**5,199.45**		471.52		933.37		**1,404.89**	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	202.61	745.03	577.38	3,674.43	**779.99**	**4,419.46**	143.22	328.30	187.01	746.36	**330.23**	**1,074.66**
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल –एनपीए	35.9310		201.79		**237.69**		7.66		229.12		**236.78**	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	10.77	25.13	60.54	141.25	**71.31**	**166.38**	2.30	5.36	68.73	160.39	**71.03**	**165.75**
उप जोड़ (I)		12,191.12		134,642.08		146,833.20		10,710.13		129,609.30		140,319.43

II अप्रतिभूत ऋण												
क) शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल्स)	19,378.04		56,435.04		75,813.08		5,401.87		59,925.69		65,327.56	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को रुपया सावधि ऋण	1,836.77		7,705.09		9,541.86		158.29		6,794.73		6,953.02	
राज्य विद्युत संस्थाओं को विदेशी मुद्रा ऋण	14.16		0.00		14.16		13.38		13.38		26.76	
क्रेता ऋण सुविधा	202.06		99.07		301.13		0.00		76.79		76.79	
उपकरण विनिर्माताओं को रुपया सावधि ऋण	0.00	21,431.03	0.00	64,239.20	0.00	85,670.23	28.42	5,601.96	223.04	67,033.63	251.46	72,635.59
ख) अन्य												
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को (आरटीएल)–एनपीए	41.56		1,064.35		1,105.91		0.00		0.00		0.00	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	41.56	0.00	329.14	735.21	370.70	735.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल –एनपीए	0.00		22.04		22.04		0.00		0.00		0.00	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	0.00	0.00	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (II)		21,431.03		64,974.41		86,405.44		5,601.96		67,033.63		72,635.59
कुल (I+II)		33,622.15		199,616.49		233,238.64		16,312.09		196,642.93		212,955.02
ख. बॉण्ड												
I अप्रतिभूत बॉण्ड/डिबेंचर												
राज्य विद्युत निगमों से बॉण्ड/डिबेंचर		0.00		390.15		390.15		0.00		1,170.50		1,170.50
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से बॉण्ड/डिबेंचर***		0.00		29.44		29.44		0.00		29.48		29.48
जोड़ ख		0.00		419.59		419.59		0.00		1,199.98		1,199.98
ग. अल्पावधि ऋण												
I प्रतिभूत ऋण–शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों और सरकारी कंपनियों को कार्यशील पूंजी ऋण		1,092.51		0.00		1,092.51		549.88		0.00		549.88
उप जोड़ (I)		1,092.51		0.00		1,092.51		549.88		0.00		549.88
II अप्रतिभूत ऋण												
राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य बिजली निगमों को कार्यशील पूंजी ऋण		2,180.07		0.00		2,180.07		2,132.14		0.00		2,132.14
स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को कार्यशील पूंजी ऋण		369.00		0.00		369.00		205.20		0.00		205.20
अन्य	231.97		0.00		231.97		169.68		0.00		169.68	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	69.59	162.38	0.00	0.00	69.59	162.38	50.90	118.78	0.00	0.00	50.90	118.78
उप जोड़ (II)		2,711.45		0.00		2,711.45		2,456.12		0.00		2,456.12
कुल ग (I+III)		3,803.96		0.00		3,803.96		3,006.00		0.00		3,006.00
कुल योग (क+ख+ग)		37,426.11		200,036.08		237,462.19		19,318.09		197,842.91		217,161.00

*(देखें, भाग ग की टिप्पणी 16 (क) – समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)

**(देखें, भाग ग की टिप्पणी 11 (क) (I)– समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)

***निर्गम के अंतर्गत बॉण्ड

टिप्पणी–भाग क–9
अन्य परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को						31.03.2015 को					
	चालू		गैर–चालू		कुल		चालू		गैर–चालू		कुल	
क ऋण और अग्रिम												
I ऋण (शोध्य समझे गए)*												
क) कार्मिकों को (प्रतिभूति)	2.33		14.33		16.66		2.51		16.99		19.50	
ख) कार्मिकों को (अप्रतिभूति)	8.48	10.81	46.68	61.01	55.16	71.82	5.51	8.02	38.78	55.77	44.29	63.79
II अग्रिम (अप्रतिभूति शोध्य समझे गए)												
निम्नांकित को नकदी या वस्तु अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम:												
क) सहायक कंपनियों को (उन पर वसूली योग्य ब्याज सहित) (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 8(क)(I)– समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	195.58		118.19		313.77		184.12		104.60		288.72	
ख) कार्मिकों को*	0.84		0.01		0.85		0.71		0.02		0.73	
ग) पूर्व अदा किए गए व्यय	2.96		0.00		2.96		2.21		0.00		2.21	
घ) अन्य	199.77		9.34		209.11		136.68		3.34		140.02	
ङ) अग्रिम आयकर और स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	0.00		107.18		107.18		0.00		45.39		45.39	
च) प्रतिभूति जमा राशि	3.22	402.37	0.38	235.10	3.60	637.47	0.29	324.01	0.27	153.62	0.56	477.63
क अन्य परिसंपत्तियां												
I प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं												
क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज	4,807.00		0.00		4,807.00		4,414.39		0.00		4,414.39	
ख) अन्य प्रभार	11.92		0.00		11.92		2.06		0.00		2.06	
ग) कार्मिकों को ऋणों पर ब्याज	0.50		18.87		19.37		0.27		15.33		15.60	
घ) जमा राशियों पर ब्याज और प्रोत्साहन	28.92	4,848.34	0.00	18.87	28.92	4,867.21	8.62	4,425.34	0.00	15.33	8.62	4,440.67
II प्रोद्भूत एवं देय												
ऋणों पर प्रोद्भूत एवं देय आय	777.93	777.93	0.00	0.00	777.93	777.93	533.35	533.35	0.00	0.00	533.35	533.35
क ऋण एवं अग्रिम (अप्रतिभूत–अन्य)												
गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीएज)	1.17		0.00		1.17		1.03		0.00		1.03	
घटाएं : आकस्मिक व्ययों के लिए प्रावधान	1.01	0.16	0.00	0.00	1.01	0.16	0.97	0.06	0.00	0.00	0.97	0.06
कुल		6,039.61		314.98		6,354.59		5,290.78		224.72		5,515.50

*नोट : ऋण और अग्रिमों में निम्नांकित शामिल हैं :

विवरण	31.03.2016 को शेष	31.03.2015 को शेष
निदेशकों को दिए गए ऋण	0.39	0.25

टिप्पणी–भाग क–10
चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	संख्या	राशि		संख्या	राशि	
इक्विटी लिखत (उद्धृत) (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति शेयर पूर्ण चुकता) –निम्नतर लागत अथवा उचित मूल्य पर स्क्रिप वार मूल्यांकित						
पीजीसीआईएल (₹ 52/– प्रति शेयर लागत पर मूल्यांकित)	4,89,349		2.54	5,39,349		2.80
आरईसी लिमिटेड (₹ 105/– प्रति शेयर लागत पर मूल्यांकित)	47,952		0.50	47,952		0.50
कोल इंडिया लिमिटेड (₹ 358.58/– प्रति शेयर लागत पर खरीदे गए)	1,39,64,530	500.74		1,39,64,530	500.74	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (31.03.2016 को एनएसई पर मूल्य ₹ 291.95)		93.04	407.70		0.00	500.74
कुल			410.74			504.04

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
उद्धृत निवेश का समग्र		
बही मूल्य	410.74	504.04
बाज़ार मूल्य	415.30	515.50
मूल्यह्रास के लिए समग्र प्रावधान	93.04	0.00

टिप्पणी–भाग क–11
नकद और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
I नकदी और नकदी समतुल्य				
I) निम्नांकित के साथ चालू खाते में शेष				
भारतीय रिजर्व बैंक	0.05		0.05	
अनुसूचित बैंकों में	28.01	28.06	127.16	127.21
II) हस्तगत चैक		0.00		0.01
III) डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय		0.00		0.00
Iv) अनुसूचित बैंकों में सावधि निक्षेप (मूल परिपक्वता 3 महीने तक)		0.00		4,892.22
(उप–जोड़ I)		**28.06**		**5,019.44**
II निर्धारित शेष				
I) बॉण्डों पर ब्याज, लाभांश आदि का भुगतान करने के लिए अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खातों में शेष।		6.41		1.36
II) आईपीडीएस/आर–एपीडीआरपी				
अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खातों में शेष।		13.01		5.00
बैंकों के साथ सावधि निक्षेप		0.00		45.00
III) बैंकों के साथ सावधि निक्षेप (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक)		30.97		0.00
उप जोड़ (ग)		**50.39**		**51.36**
कुल (I)+(II)		**78.45**		**5,070.80**

टिप्पणी–भाग क–12
प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
I. ब्याज				
ऋणों पर ब्याज	27,359.13		24,824.23	
घटाएं : समय पर भुगतान के लिए ऋणकर्ताओं को छूट	297.42		261.06	
घटाएं : समय पर भुगतान के लिए सीओडी परवर्ती छूट	2.56	27,059.15	0.00	24,563.17
पट्टा संबंधी आय		20.29		22.93
उप जोड़ (I)		**27,079.44**		**24,586.10**
II. अन्य प्रचालन आय				
अधिशेष निधियों से आय		97.60		123.54
सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		11.73		8.84
ऋणकर्ताओं के बॉण्डों की बिक्री पर लाभ		9.05		0.00
उप जोड़ (II)		**118.38**		**132.38**
III. अन्य वित्तीय सेवाएं				
ऋणों पर पूर्व अदा किया गया प्रीमियम		170.46		64.18
ऋणों पर अग्रिम शुल्क		18.72		14.66
प्रबंधन, एजेंसी और गारंटी शुल्क		46.42		93.78
ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	5.07		1.84	
घटाएं : अस्वीकृत ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभार	0.01	5.06	0.01	1.83
भारत सरकार के कार्यक्रमों के कारण शुल्क :–				
आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत नोडल एजेंसी शुल्क (देखे, भाग ग की टिप्पणी संख्या 12(ख)(II)–अन्य लेखा टिप्पणियां)	0.66		(36.38)	
नोडल एजेंसी शुल्क–आईपीडीएस	34.51	35.17	5.82	(30.56)
उप जोड़ (III)		**275.83**		**143.89**
कुल (I+II+III)		**27,473.65**		**24,862.37**

टिप्पणी–भाग क–13
अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर–वर्तमान निवेश पर लाभांश/ब्याज आय	32.22	2.40
चालू निवेश पर लाभांश आय	38.44	29.06
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.03	0.05
गैर–वर्तमान निवेश की बिक्री पर लाभ	0.05	0.00
चालू निवेश की बिक्री पर लाभ	0.44	1.31
आय कर रिफंड पर ब्याज	9.10	1.48
विविध आय	10.08	8.73
अत्यधिक देयताएं पश्च लिखित	0.30	2.45
कुल	**90.66**	**45.48**

टिप्पणी–भाग क–14
वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष	
I. ब्याज				
बॉण्डों पर	15,071.06		12,353.14	
ऋणों पर	644.34		2,080.75	
ब्याज सब्सिडी निधि पर भारत सरकार को	8.86		9.42	
वाणिज्यक कागज पर वित्तीय प्रभार	277.43		288.46	
स्वैप प्रीमियम (निवल)	1.65	16,003.34	60.53	14,792.30
II. अन्य प्रभार				
प्रतिबद्धता और एजेंसी शुल्क	0.67		0.59	
गारंटी, सूचीकरण और ट्रस्टीशिप शुल्क	2.13		2.35	
विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्रबंधन शुल्क	37.82		124.15	
बैंक/अन्य प्रभार	0.00		0.02	
सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिम पर अदा किया गया ब्याज	5.11	45.73	5.64	132.75
III. निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि (+/लाभ (–)		424.74		514.18
कुल		16,473.81		15,439.23

टिप्पणी–भाग क–15
बॉण्ड निर्गम व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
आवेदन निधि पर ब्याज	11.51	0.18
क्रेडिट रेटिंग शुल्क	4.20	3.73
अन्य निर्गम व्यय	11.23	21.28
स्टाम्प ड्यूटी फीस	6.50	6.21
कुल	**33.44**	**31.40**

टिप्पणी–भाग क–16
कार्मिक लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरी	65.30	63.86
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	8.19	6.81
कार्मिक कल्याण	12.23	10.71
कार्मिकों के आवासीय भवनों के लिए किराया	4.65	4.43
(देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 11 (ख)–समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)		
कुल	**90.37**	**85.81**

टिप्पणी–भाग क–17

अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
प्रशासनिक व्यय		
कार्यालय किराया	0.50	0.50
विद्युत और जल प्रभार	1.56	1.50
बीमा	0.12	0.04
मरम्मत और अनुरक्षण	2.85	2.71
मुद्रण और लेखन सामग्री	1.64	1.66
यात्रा एवं वाहन	8.15	7.03
डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन व्यय	1.87	2.00
व्यावसायिक एवं परामर्शी प्रभार	3.51	1.08
विविध व्यय*	18.83	20.06
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.17	0.01
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक*	0.77	0.41
सेवा कर	9.26	6.42
दरें और कर	0.88	0.94
पीएमसी (विद्युत मंत्रालय) में अंशदान	0.51	0.34
उप जोड़ (I)	**50.62**	**44.70**
अन्य		
आर–एपीडीआरपी व्यय	0.00	(36.91)
उप जोड़ (II)	**0.00**	**(36.91)**
कुल (III)	**50.62**	**7.79**
***नोट :–**		
1) विविध व्यय में निम्नांकित शामिल हैं –		
पुस्तकें और पत्रिकाएं	0.04	0.06
विज्ञापन	5.52	4.20
सदस्यता और अंशदान	0.73	0.79
मनोरंजन	0.62	0.52
सम्मेलन एवं बैठक व्यय	1.65	1.58
सुरक्षा व्यय	1.32	1.25
प्रशिक्षण	0.99	0.86
अन्य ईडीपी व्यय	2.37	2.02
व्यापार प्रोत्साहन/संबंधित व्यय	0.12	0.70
आयकर पर ब्याज	0.00	4.32
2) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक में निम्नांकित शामिल हैं :–		
लेखा परीक्षक शुल्क	0.30	0.20
कर लेखा परीक्षण शुल्क	0.06	0.05
अन्य प्रमाणन सेवाएं	0.38	0.16
व्यय की अदायगी	0.03	0.00

टिप्पणी–भाग क–18
अन्य पूर्व अवधि मदें (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
पूर्व अवधि व्यय :				
ब्याज और अन्य प्रभार	0.00		(6.06)	
निर्गम व्यय	0.00		(0.02)	
कार्मिक एवं प्रशासन–अन्य	0.10	0.10	3.92	(2.16)
घटाएं पूर्व अवधि आय :				
अन्य आय	(2.23)	(2.23)	0.00	0.00
कुल		(2.13)		(2.16)

भाग–ख

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन मंडल को रिपोर्टिंग अवधि की निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित), आय और व्यय की मात्राएं रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक आकलनों और अनुमानों की आवश्यकता पड़ती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिस अवधि में परिणाम ज्ञात होते हैं और/या साकार होते हैं।

2. आय/व्यय को मान्यता

2.1 आय और व्यय (नीचे वर्णित के सिवाय) की गणना उपचय आधार पर की जाती है।

2.1.1 कंपनी के विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों पर आय, की गणना उसकी प्राप्ति के वर्ष में की जाती है और ऐसी परिसंपत्ति के संदर्भ में मान्य, परंतु अप्राप्य आय का व्युत्क्रम कर दिया जाता है।

2.1.2 कार्बन क्रेडिट के अधीन आय की गणना उस वर्ष की जाती है जिस वर्ष वह कंपनी को प्राप्त हुई हो।

2.2 ऋणकर्ताओं द्वारा समय पर भुगतान के कारण दी जाने वाली छूट की गणना, समूची देय राशि समय पर प्राप्त हो जाने के बाद की जाती है।

2.3 वाणिज्यिक पेपरों और जीरो कूपन (डीप डिस्काउंट बॉण्ड) पर छूट/वित्तीय प्रभार/ब्याज निर्धारित अवधि की समाप्ति पर आनुपातिक आधार पर परिशोधित किया जाता है।

2.4 शेयरों के इश्यू (निर्गम) पर व्यय प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

2.5 लाभांश से आय को अंतरिम लाभांष के मामले में प्राप्त करने के अधिकार अर्थात् निदेशक मंडल द्वारा घोषित किए जाने के बाद और अंतिम लाभांश के मामले में शेयर धारकों की वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के बाद हिसाब में लिया गया है।

2.6 ऋणकर्ताओं के खातों में वसूलियां ऋण समझौते के अनुसार विनियोजित की जाती हैं।

2.7 पूर्व अवधि व्यय/आय और रुपए 5000/– तक पूर्व अदा किए गए व्ययों को लेखे के सामान्य शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

3. मूर्त्त परिसंपत्तियां/मूल्यह्रास

3.1 मूर्त्त परिसंपत्ति को परंपरागत लागत पर कम संचित मूल्यह्रास पर दर्शाया गया है, जबकि सक्रिय उपयोग से निवृत्त तथा निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्ति को कम अंकित मूल्य अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर दर्शाया गया है।

3.2 मूर्त्त परिसंपत्तियों में वृद्धि को अनुमोदित बिलों के आधार पर या जिन मामलों में अंतिम बिल अभी प्राप्त/अनुमोदित किए जाने हैं, उन मामलों में संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

3.3 सेल फोन, जिसके लिए कंपनी ने उपयोगी जीवन दो वर्ष निर्धारित किया है, को छोड़ कर, मूर्त्त परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित अनुसार, परिसमत्ति की मूल लागत में से समय समय पर अनुमानित उसके अवशेष मूल्य को घटाते हुए किया जाता है।

3.4 वर्ष के दौरान ₹ 5000/– तक की लागत वाली अर्जित स्थाई परिसंपत्ति की मद का पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया है।

4. अमूर्त्त परिसंपत्तियां/परिशोधन

4.1 सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है और परिशोधन कंपनी द्वारा अनुमानित परिसंपत्तियों की पूरी अवधि तक सीधी रेखा पद्धति द्वारा किया गया है।

5. निवेश

5.1 वर्तमान निवेशों का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत या उचित मूल्य पर अलग–अलग किया गया है।

5.2 दीर्घावधि निवेश लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में, अस्थाई को छोड़ कर कमी के लिए प्रावधान किया गया है, परंतु, मूल्य में वृद्धि होने या कमी का कारण विद्यमान न रहने पर, कमी को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है।

6. परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान :

6.1 **परिसंपत्ति वर्गीकरण**

ऋण और अन्य क्रेडिट तथा पट्टा परिसंपत्तियां निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत की गई हैं, अर्थात् :

6.1.1 मानक परिसंपत्तियां : मानक परिसंपत्ति का अर्थ है, ऐसी परिसंपत्ति, जो गैर–निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) नहीं है, और जिसके संबंध में मूल धन या ब्याज की अदायगी में कोई चूक नहीं हुई है तथा जिसके बारे में व्यापार से संबद्ध किसी समस्या का या सामान्य जोखिम का प्रकटीकरण नहीं हुआ है।

6.1.2 (i) निम्नांकित अनुसार बकाया रहने वाली परिसंपत्ति को गैर–निष्पादक परिसंपत्ति समझा जाएगा और उसे अव–मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :–

दिनांक को	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति (पट्टा परिसंपत्तियों को छोड़ कर ऋण परिसंपत्तियां)	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति उप–वर्गीकरण (पट्टा परिसंपत्तियों सहित सभी ऋण परिसंपत्तियां)		
		अव–मानक	संदिग्ध	हानि
31 मार्च, 2016 को	5 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय	16 महीने से अधिक गैर–निष्पादक परिसंपत्ति न रही हो	16 महीने से अधिक अवधि के लिए गैर–निष्पादक परिसंपत्ति	36 महीने से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध या कंपनी द्वारा हानि परिसंपत्ति के रूप में पहचान की गई, इनमें जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार
31 मार्च, 2017 को	4 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय	14 महीने से अधिक गैर–निष्पादक परिसंपत्ति न रही हो	14 महीने से अधिक अवधि के लिए गैर–निष्पादक परिसंपत्ति	
31 मार्च 2018 और उसके बाद	3 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय	12 महीने से अधिक गैर–निष्पादक परिसंपत्ति न रही हो	12 महीने से अधिक अवधि के लिए गैर–निष्पादक परिसंपत्ति	

(ii) कोई पट्टा परिसंपत्ति, जिसके संदर्भ में ब्याज, मूलधन की किस्त और/या अन्य प्रभार देय रहे हों, परंतु 6 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए भुगतान न किए गए हों, को गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 31.03.2018 से यदि कोई कोई पट्टा परिसंपत्ति 3 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है, तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

6.2 **मानक ऋणों और गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीएज) के लिए प्रावधान।**

6.2.1 ऋणों और अन्य क्रेडिट के लिए प्रावधान की आवश्यकता निम्नांकित अनुसार की होगी

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार प्रावधान
1.	मानक परिसंपत्ति (पुनर्गठित मानक ऋणों के लिए प्रावधान पैरा 6.3 में वर्णित अनुसार रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार किया जाएगा)	0.30%
2.	अवमानक परिसंपत्ति	10%
3.	**संदिग्ध परिसंपत्ति** संदिग्ध परिसंपत्ति का प्रतिभूत भाग एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक, परंतु तीन वर्ष तक संदिग्ध परिसंपत्तियां, जो ऐसी प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के अंतर्गत कवर नहीं होती, जिस पर कंपनी का वैध अधिकार है।	 20% 30% 100%
4.	हानि परिसंपत्ति, यदि बट्टे खाते न डाली गई हो।	100%

6.2.2 जहां तक रिजर्व बैंक के मानक परिसंपत्ति संबंधी प्रावधान का प्रश्न है, कंपनी को 31.03.2015 को 0.25 प्रतिशत से 31.03.2016 को 0.30 प्रतिशत, 31.03.2017 तक 0.35 प्रतिशत और 31.03.2018 तक 0.40 प्रतिशत बढ़ोतरी चरणबद्ध रूप में करनी है।

6.2.3 संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान के प्रयोजन के मामले में केंद्रीय योजना अथवा राज्य विभाग को ऋण से कटौती के रूप में केंद्र/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठान द्वारा दी गई गारंटी को प्रतिभूत ऋण समझा जाएगा।

6.2.4 किराया खरीद और पट्टा परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान परिपत्र दिनांक 01.07.2013 और समय–समय पर जारी परवर्ती संशोधनों के तहत, गैर–बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार न करने वाली अथवा होल्डिंग) कंपनियां विवेक सम्मत मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के पैरा 9(2) के अनुसार किया जाएगा।

6.3 **पुनर्गठित ऋणों के प्रति प्रावधान**

6.3.1 ट्रांसमिशन और वितरण, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र में पन–बिजली परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए परियोजना ऋणों के मामले में रिजर्व बैंक ने आरबीआई पुनर्गठन मानदंडों के प्रयोग से कंपनी को 3 वर्ष अर्थात् 31.03.2017 तक के लिए छूट प्रदान की है। तदनुरूप, जिन मामलों में ऐसी परियोजनाओं के लिए सुविधाएं आंशिक दृष्टि से प्रतिभूत हैं, वहां पुनर्गठन और/या पुनः समय निर्धारण और/या ऋणों पर पुनः मोल–भाव करते समय वर्तमान मूल्य आधार पर अपेक्षित प्रावधान के अतिरिक्त उपलब्ध प्रतिभूति में कमी की सीमा तक प्रावधान करना होगा।

6.3.2 निम्नांकित मामलों के लिए, पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के प्रति प्रावधान उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान सहित, रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार किया जाएगा :

क) उत्पादन कंपनियों को 01.04.2015 से मंजूर किए गए नए परियोजना ऋण, जहां प्रावधान 5 प्रतिशत से किया जाएगा

ख) सभी उत्पादन कंपनियों को 31.03.2015 तक पुनर्गठित बकाया ऋण (रिजर्व बैंक के अनुसार बकाया पुनर्गठित ऋण के स्टॉक के मामले में, प्रावधान चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना होगा, अर्थात् 31.03.2015 से 2.75 प्रतिशत के प्रावधान से शुरू करते हुए उसे 31.03.2016 तक 3.5 प्रतिशत, 31.03.2017 तक 4.25 प्रतिशत और 31.03.2018 तक 5 प्रतिशत करना होगा)।

6.4 परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के प्रयोजन के लिए, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को मंजूर की गई सुविधाएं निम्नांकित अपवाद को छोड़ कर ऋणकर्तावार वर्गीकृत की जाएंगी :

सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग–अलग पहचान किए जाने योग्य हों और समान परियोजना पर लागू होते हों, को परियोजनावार आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के मामलों में, जहां एकल एस्क्रो खाता हो और उसकी वजह से नकदी प्रवाह परियोजनावार पहचान किए जाने योग्य न हों, ऐसी संस्थाओं को ऋणकर्तावार वर्गीकृत किया जाएगा।

7 विदेशी मुद्रा लेन–देन :

7.1 लेखा मानक–11 के अनुसार निम्नलिखित लेन–देन की लेखाओं में प्रविष्टि संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की गई हैं :

(i) विदेशी मुद्रा में व्यय एवं आय, तथा

(ii) विदेशी मुद्रा–ऋणों के अंतर्गत ऋण स्वरूप ली गई तथा ऋण दी गई राशि।

7.2 लेखा मानक–11 के अनुसार लेखाओं की समाप्ति की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर निम्नलिखित शेष राशि को भारतीय मुद्रा में अंतरित किया गया है :–

(i) विदेशी मुद्रा ऋण देयताएं।

(ii) विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते में रखी गई निधियां।

(iii) विदेशी बैंकों में दी गई गारंटियों से संबंधित आकस्मिक देयताएं।

(iv) विदेश में अर्जित की गई, किंतु भारत में प्रेषित/प्राप्त नहीं की गई आय।

(v) विदेशी मुद्रा में मंजूर किए गए ऋण।

(vi) विदेशी मुद्रा ऋण/ऋणपोषण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं व्यय एवं आय।

7.3 केएफडब्ल्यू, जर्मनी से लिए गए ऋण के मामले में ऋण करार के अनुसार, विनिमय अंतर को ब्याज विभेदी निधि लेखा–केएफडब्ल्यू में अंतरित किया गया है।

7.4 लेखा मानक (एएस)–11 के पैराग्राफ 46, के अनुसरण में, दीर्घावधि मुद्रा मौद्रिक मदों के विनिमय अंतर को उनकी शेष अवधि में परिशोधित किया गया है।

8. डेरिवेटिव लेन–देन

8.1 डेरिवेटिव लेन–देन में, तुलन–पत्र की परिसंपत्तियों या देयताओं का बचाव करने हेतु वायदा, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा और विदेशी मुद्रा विकल्प शामिल हैं।

8.2 इन डेरिवेटिव लेनदेन का उपयोग हेजिंग के उद्देश्य हेतु किया जाता है और न कि व्यापार या सट्टे के लिए। इनकी गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है और इसे बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया जाता है।

8.3 लेखांकन मानक–11 के अनुसार जहां कहीं कंपनी ने कोई वायदा अनुबंध किया हो, अथवा कोई ऐसी लिखत, जो सार रूप में वायदा अनुबंधों, के मामले में वायदा दर और विनिमय दर के बीच लेन–देन की तारीख पर अंतर को अनुबंध की अवधि के लिए आय अथवा व्यय समझा जाएगा।

9 भारत सरकार के कार्यक्रमों का लेखांकन :

9.1 कंपनी भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋणों/अनुदानों/सब्सिडियों को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक चेनलाइजिंग/नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। कंपनी ऐसे मद में राशि प्राप्त करती है और संबद्ध कार्यक्रमों के अनुसार उसे पात्र संस्थाओं को संवितरित करती है।

9.1.1 जहां अनुदान भारत सरकार से अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ है, वहां उन्हें तब तक चालू देयताओ के रूप में दर्शाया गया है, जब तक उनका भुगतान लाभार्थी को जारी नहीं कर दिया जाता।

9.1.2 भारत सरकार के ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न, शुल्क आदि खाते में होने वाली आय को संबद्ध कार्यक्रम/भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

10. ब्याज सब्सिडी निधियां

10.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पात्र ऋणकर्ता के लिए ब्याज सब्सिडी निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) आधार पर प्राप्त होने पर ब्याज सब्सिडी निधि में क्रेडिट की गई है और ब्याज की मांगों से संबंधित तारीखों को ऋण की पात्र अवधि तक ऋणकर्ता को प्रदान की गई है। ब्याज सब्सिडी फंड में कोई वृद्धि/कमी को संबंधित स्कीम की समाप्ति पर समायोजित/प्रभार मुक्त किया गया है।

10.2 स्कीम में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर ब्याज सब्सिडी निधि को लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट करके बकाया शेष को ब्याज के साथ सब्सिडी निधि में जमा किया गया है।

11. सहायक कंपनियों पर आय/प्रापित/व्यय

11.1 सहायक कंपनियां पर हुए व्यय को ''संबंधित सहायक कंपनियों से वसूलनीय राशि'' खाते मे डेबिट किया गया है।

11.2 श्रम दिवसों (कार्मिकों) के संबंध में व्यय, सहायक कंपनियों को आबंटित किए जाते हैं और प्रशासनिक ऊपरी व्यय, अनुमानित आधार पर सहायक कंपनियों को प्रभाजित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय, संबंधित सहायक कंपनियों के नाम में डाले जाते हैं।

11.3 सहायक कंपनियों (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में प्रोन्नत की गई) से वसूलनीय राशि पर ब्याज को पीएफसी की नीति के अनुसार क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी क) को उत्पादन परियोजना ऋण/स्कीम (उत्पादन) के लिए लागू ब्याज दर पर लेखाओं में लिया गया है।

11.4 विद्युत क्रेताओं से प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त राशि को कंपनी में अंतर कंपनी ऋण के रूप में लगाया गया है और इन ऋणों के अप्रयुक्त भाग पर ब्याज परस्पर सहमत दरों पर लगाया गया है।

11.5 कंपनी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपीज़) में विकास कार्य के लिए व्यय करती है। किए गए व्यय को अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास के लिए संबंधित सहायक कंपनियों से वसूलनीय राशि के रूप में दर्शाया गया है। जब विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का परित्याग कर दिया जाता है, तब वसूल न होने की सीमा तक उसके प्रावधान/बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाता है।

12. कार्मिक हितलाभ

12.1 **भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवा–निवृत्ति के बाद के फायदे**

वर्ष के दौरान भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया गया है। कार्मिकों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी और सेवा–निवृत्ति के बाद के फायदों, जैसे चिकित्सा सुविधा, आर्थिक पुनर्वास लाभ और सेवा–निवृत्ति के बाद व्यवस्थापन भत्ते का निर्धारण लेखांकन मानक–15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकित आधार पर किया जाता है।

12.2 **अन्य कार्मिक लाभ**

बीमारी अवकाश, अर्जित अवकाश, सेवा पंचाट योजना आदि के बारे में कंपनी की जिम्मेदारी बीमांकन प्रणाली से निर्धारित की जाती है और लेखांकन मानक–15 के अनुसार इसके लिए धन की व्यवस्था की जाती है।

13. आयकर

13.1 वर्तमान आयकर समेत आयकर की गणना लागू होने वाले कर कानूनों और आस्थगित कर प्रभार या देयता के अनुसार की जाती है जो आय पर कर की गणना संबंधी लेखांकन मानक–22 के तहत होता है (इसमें अवधि के दौरान लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर की वजह से होने वाले कर प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है)।

आस्थगित कर प्रभार या ऋण और तत्संबंधी कर दायित्व या परिसंपत्तियों की गणना अधिनियम की तारीख अथवा तुलन–पत्र में दी गयी तारीख को अंतिम रूप से निर्धारित दर से की गयी है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन और उनका अग्रेषण उस सीमा तक किया गया है जहां तक इस बात का यथोचित यकीन हो कि इस तरह की आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

13.2 चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि उसका आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(VIII) के तहत बनाई और चलाई जा रही विशेष आरक्षित निधि से निकासी का कोई इरादा नहीं है, इसलिए इस तरह की विशेष आरक्षित निधि आरक्षण के योग्य नहीं है क्योंकि इससे लेखे में स्थायी अंतर आ जाता है। कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से मिले स्पष्टीकरण का पालन करते हुए कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

14. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानक–3 में निर्धारित नकदी प्रवाह विवरण संबंधी अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।

15. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी के अंतर्गत हस्तगत रोकड़, बैंकों में जमा डिमांड, डाक अधिकारियों के पास अग्रदाय और हस्तगत चेक/ड्राफ्ट/पे–आर्डर शामिल होते हैं। कंपनी सभी अल्पावधि बकाया राशियों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से 3 महीने या उससे कम हो), उच्च तरल निवेश, जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं, को नकदी समतुल्य समझती है।

भाग–ग

अन्य लेखा टिप्पणियां

1. कंपनी एक सरकारी कंपनी है जो ऊर्जा क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है तथा प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण (जमा स्वीकार न करने वाली या होल्डिंग), बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। कंपनी के इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।

2. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

2.1 आकस्मिक देयताएं:

(क) गारंटी आदि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 के अनुसार राशि	31.03.2015 के अनुसार राशि
1.	विदेशी मुद्रा में जारी की गई डिफाल्ट गारंटी– शून्य (पिछले वर्ष 7.4 लाख अमरीकी डॉलर)	–	4.69
2.	घरेलू मुद्रा में जारी की गई गारंटी	226.48	262.84
3.	कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	–	0.04
4.	स्वीकृत ऋणों के सापेक्ष 'लेटर ऑफ कफर्ट' के द्वारा ऋण लेने वालों के बकाया भुगतान वायदे	403.07	787.32
	योग	**629.55**	**1,054.89**

(ख) आयकर मांगें :

आयकर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के लिए की गई कुल 45.23 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 64.41 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त मांग का विरोध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने भी कंपनी को कुल 121.04करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 85.47 करोड़ रुपए) की राहत देने के अपील प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की है। इसका भी विरोध किया जा रहा है। प्रबंधन ने कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं समझी है क्योंकि कंपनी पर हस्तांतरित कर देयताओं की संभावना नगण्य हैं।

2.2 प्रतिबद्धताएं:

पूंजी खाते के कारण निष्पादित की जाने वाली अनुबंध की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया, शून्य (पिछले वर्ष 0.33 करोड़ रुपए) है।

3. आयकर विभाग द्वारा मांगी गई (अपील प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित राहत का निवल) और कंपनी द्वारा विरोध के अंतर्गत अदा की गई वं प्रावधान की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
1.	प्रारंभिक शेष	78.50	55.10
2.	वर्ष के दौरान संवर्धन	17.65	23.40
3.	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	(0.76)	–
4.	अंतिम शेष	95.39*	78.50$
* मूल्यांकन वर्ष 2002–02 से 2013–14 तक से संबंधित			
$ मूल्यांकन वर्ष 2001–02 से 2012–13 तक से संबंधित			

4. (क) कंपनी ने ₹ 1000 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 70,00,000 कर मुक्त बॉण्ड का पब्लिक इश्यू जारी किया, जिसका समग्र मूल्य 700.00 करोड़ रुपए था। यह प्रतिभूति 15.10.2015 को सृजित की गई। बॉण्ड 17.10.2015 को आबंटित किए गए और बंबई शेयर बाजार (बीएसई) में 20.10.2015 को सूचीबद्ध किए गए। बॉण्ड निर्गम से प्राप्त राशि का इस्तेमाल ऑफर दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।

(ख) उन मामलों में जहां 11.02.2013 से पहले पब्लिक इश्यू हेतु प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिए गए थे, कंपनी बॉण्डों अथवा डिबेंचरों के लिए पब्लिक इश्यू (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र संख्या 6/2/2001 सी.एल.वी दिनांक 18.04.2002 के अनुसार) हेतु 50% की दर से और परवर्ती पब्लिक इश्यूज् के लिए 25% (कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम, 2014 के अनुसार अपेक्षित) की दर से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) सृजित कर रही है।

(ग) कंपनी अ–परिवर्तनीय बॉण्ड निर्गमों की शृंखलाओं सहित विभिन्न लिखतों के जरिए धन उगाहती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी उधारी का ब्याज अदा करने में कोई चूक नहीं की है।

जहां तक रुपयों में मूल्य वाले अपरिवर्तनीय बॉण्डों का प्रश्न है, ब्याज और मूलधन की अदायगी की पिछली देय तारीखें क्रमशः 31.03.2016 और 17.03.2016 थीं।

5. (क) विदेशी मुद्रा व्यय और आय:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(क)	**विदेशी मुद्रा में आय**		
(i)	विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज*	250.90	236.21
(ii)	वित्तीय और अन्य प्रभार*	39.38	125.65
(iii)	यात्रा व्यय	0.30	0.38
(iv)	प्रशिक्षण व्यय	0.26	0.18
(ख)	**विदेशी मुद्रा में आय**	–	–

*विदहोल्डिंग कर को छोड़ कर

(ख) विदेशी मुद्रा देयताएं जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा या अन्यथा प्रतिभूत नहीं की गई हैं :–

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	संबद्ध मुद्रा के संदर्भ में मिलियन्स	करोड़ रुपए में	संबद्ध मुद्रा के संदर्भ में मिलियन्स	करोड़ रुपए में
अमरीकी डॉलर	979	6,535.38	1,128	7,110.90
यूरो	17	129.28	19	129.72
जापानी येन	57,102	3,405.56	24,209	1,274.11
कुल		**10,070.22**		**8,514.73**

(ग) कंपनी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर उनकी अवधि पर विनिमय अंतर परिशोधित करती है। नतीजतन, 31.03.2016 को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण विभेद खाता (एफसीएमआईटीडीए) के अंतर्गत परिशोधित न की गई डेबिट शेष राशि ₹ 739.74 करोड़ (पिछले वर्ष डेबिट शेष ₹ 380.56 करोड़) है।

(घ) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित देयताएं और परिसंपत्तियां आमतौर पर नीचे वर्णित अनुसार वर्ष के अंत में भारतीय स्टेट बैंक की टीटी सेलिंग दर पर अंतरित की जाती है।

क्र. सं.	विनिमय दर	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(i)	अमरीकी डॉलर/भारतीय मुद्रा	66.77	63.06
(ii)	जापानी येन/भारतीय मुद्रा	0.5964	0.5263
(iii)	यूरो/भारतीय मुद्रा	75.78	68.42

भारतीय स्टेट बैंक की टीटी सेलिंग दर से भिन्न दर के लिए ऋण समझौते में विशेष प्रावधान होने के मामले में, दर संबद्ध ऋण समझौते में निर्धारित अनुसार ली गई है।

6. लेखांकन मानक 18 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण इस प्रकार है :–

(क) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) :

विवरण	अवधि
श्री एम के गोयल, सीएमडी और सीईओ*	22.01.2015 से
श्री आर नागराजन, निदेशक (वित्त) और सीएफओ	31.07.2009 से
श्री ए के अग्रवाल, निदेशक (परियोजनाएं)	13.07.2012 से
श्री डी. रवि, निदेशक (वाणिज्य)	16.11.2015 से
श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव	01.04.2014 से

*16.11.2015 तक निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त पदभार वहन किया।

(ख) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक के साथ लेन–देन :

महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक का प्रबंधकीय पारिश्रमिक 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹2.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.50 करोड़) रहा।

7. (क) वृहद विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) के रूप में प्रोत्साहित कंपनियों सहित सहायक/संयुक्त उपक्रम के रूप में भारत में निगमित कंपनियों की शेयर पूंजी में निवेश नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनियों के नाम	निवेश की तिथि	खरीदे गए शेयरों की संख्या	31.03.2016 को स्वामित्व का %	31.03.2016 को राशि (करोड़ में)	31.03.2015 को राशि (करोड़ में)
क	सहायक कंपनियां (i)					
(i)	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)(ii)	09.04.2008	50,000	100%	0.05	0.05
(ii) (क)	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीईल) (इक्विटी शेयर)	29.07.2011 08.12.2011 29.03.2012 21.03.2013 18.06.2013 07.10.2013	50,000 44,50,000 4,90,000 2,10,00,000 1,36,00,000 6,04,10,000	100%	100.00	100.00
(ii) (ख)	पीएफसीजीईल (अधिमानी शेयर)	21.03.2013 18.06.2013 07.10.2013	8,40,00,000 5,44,00,000 6,16,00,000	100%	200.00	200.00
(iii)	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिस लिमिटेड (पीएफसीसीएएस)(ii)	01.09.2011	1,00,000	100%	0.10	0.10
(iv)	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (पीईसीएपी)(iii)	15.04.2008 11.10.2011	15,000 35,000	100%	0.05	0.05
	उप–योग (क)				**300.20**	**300.20**
ख	अल्ट्रा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपीज़)(iv) के लिए विशेष प्रयोजनीय कंपनियां (एसपीवीज) के रूप में प्रोत्साहित सहायक कंपनियां					
(i)	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	05.09.2006	50,000	100%	0.05	0.05
(ii)	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	05.09.2006	50,000	100%	0.05	0.05
(iii)	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	14.09.2006	50,000	100%	0.05	0.05
(iv)	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	31.01.2007	50,000	100%	0.05	0.05
(v)	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	31.03.2008	50,000	100%	0.05	0.05
(vi)	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	27.01.2010	50,000	100%	0.05	0.05
(vii)	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	27.01.2010	50,000	100%	0.05	0.05
(viii)	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड(iv)	27.01.2010	50,000	100%	0.05	0.05
(ix)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	30.07.2012	50,000	100%	0.05	0.05
(x)	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	24.03.2014	50,000	100%	0.05	0.05
(xi)	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	27.03.2014	50,000	100%	0.05	0.05
(xii)	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	25.08.2015	50,000	100%	0.05	–
(xiii)	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	26.08.2015	50,000	100%	0.05	–
(xiv)	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	27.08.2015	50,000	100%	0.05	–
(xv)	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	05.02.2016	50,000	100%	0.05	–

क्र. सं.	कंपनियों के नाम	निवेश की तिथि	खरीदे गए शेयरों की संख्या	31.03.2016 को स्वामित्व का %	31.03.2016 को राशि (करोड़ में)	31.03.2015 को राशि (करोड़ में)
	उप–योग (ख)				**0.75**	**0.55**
ग	**संयुक्त उपक्रम कंपनियां (i)**					
(i)	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएल)(vi)	18.12.2008 03.09.2010	8,33,000 13,54,015	16.66%	2.19	2.19
(ii)	एनर्जी एफिशन्सी सर्विसिस लिमिटेड (ईईएसएल)(vii)	21.01.2010 26.03.2013 21.08.2015	6,25,000 2,18,75,000 2,50,00,000	28.79%	47.50	22.50
	उप–योग (ग)				**49.69**	**24.69**
	योग(viii) (क)+(ख)+(ग)				**350.64**	**325.44**

(i) वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण और लेखांकन मानक 27 – संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार समेकित किया गया है।

(ii) पीएफसीसीएएस का विलय पीएफसीसीएल में करने का निर्णय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया गया है। इस प्रक्रिया में विद्युत मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्रस्तावित पूर्ण विलय के बाद बनने वाली कंपनी से उत्पन्न संभावित हित संघर्ष और कंपनी के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कानूनी राय ली जाए। विद्युत मंत्रालय के सुझाव के अनुसार सहायक कंपनियों द्वारा कानूनी राय ली जा रही है।

(iii) पीईसीएपी को स्वेच्छा से बंद करने का निर्णय विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन है।

(iv) सहायक कंपनियों को बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाताओं को सौंपने के उद्देश्य से अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सरकार के आदेश के अधीन विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) के रूप में शामिल किया गया था। इन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण लेखांकन मानक–21 के पैराग्राफ 11 के अनुसार बिना समेकित किए संलग्न किए गए हैं।

(v) तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड के समापन करने का निर्णय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

(vi) नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएल) के स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया जारी है और इसके खाते नकदीकरण आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने एनपीईएल की इक्विटी शेयर पूंजी में 2.19 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.19 करोड़ रुपए) का निवेश किया है। वर्ष के दौरान निवेश के मूल्य में 1.06 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.06 करोड़ रुपए) की कमी करने का प्रावधान किया गया है।

(vii) इसमें 31.03.2016 को ईईएसएल में प्रति शेयर 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले 9,90,00,000 के इक्विटी शेयर (25.04.2016 को आबंटित) का मूल्य चुकाने के लिए 99.00 करोड़ रुपए का निवेश शामिल नहीं है।

(viii) वर्ष के दौरान निवेश की अधिकतम राशि उतनी ही है, जितना कि प्रत्येक संस्था के लिए वर्ष के अंत में निवेश के रूप में दर्शायी गई है।

(ख) 31.03.2016 को परिसंपत्तियां, देयताएं, आकस्मिक देयताएं और पूंजीगत प्रतिबद्धता में कंपनियों की हिस्सेदारी और इस समयावधि के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों के संदर्भ में उनके लेखापरीक्षित' वित्तीय विवरणों पर आधारित आय तथा खर्च निम्नांकित अनुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
		एनपीईएल	ईईएसएल*	कुल	एनपीईएल	ईईएसएल	कुल
	स्वामित्व (%)	**16.66**	**28.79**		**16.66**	**25**	
क	परिसंपत्तियां						
	गैर मौजूदा परिसंपत्तियां	0.01	180.87	**180.88**	0.02	38.06	**38.08**
	मौजूदा परिसंमत्तियां	1.22	253.66	**254.88**	1.13	40.91	**42.04**

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
		एनपीईएल	ईईएसएल*	कुल	एनपीईएल	ईईएसएल	कुल
	कुल	1.23	434.53	435.76	1.15	78.97	80.12
ख	देयताएं						
	गैर–मौजूदा देयताएं	0.00	65.89	**65.89**	–	22.68	**22.68**
	मौजूदा देयताएं	0.03	248.82	**248.85**	–	28.71	**28.71**
	कुल	**0.03**	**314.71**	**314.74**	–	**51.39**	**51.39**
ग	आकस्मिक देयताएं	0.00	–	**0.00**	–	–	–
घ	पूंजी प्रतिबद्धताएं	0.00	84.24	**84.24**	–	–	
		31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए			**31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए**		
ङ	कुल आय	0.09	205.68	**205.77**	0.09	17.78	**17.87**
च	कुल खर्च	0.00	191.40	**191.40**	0.07	14.29	**14.36**

*बिना लेखा परीक्षित अस्थाई वित्तीय विवरणों के आधार पर।

8. क. ऋण और ऋणों के रूप में अग्रिम :

(i) संबंधित सहायक कंपनियों से वसूल की जाने वाली राशि (ब्याज सहित) का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनियों के नाम	राशि 31.03.2016* को	राशि 31.03.2015* को	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	9.99	8.99	10.14	9.10
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	89.04	105.21	132.11	111.77
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	4.35	3.81	4.35	3.81
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	96.85	70.10	96.85	70.10
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	82.13	75.23	82.13	75.23
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	6.41	5.54	6.58	5.54
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	5.46	4.79	5.72	4.79
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	9.26	8.37	9.26	11.65
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	8.70	6.12	8.70	6.12
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	0.24	0.31	0.43	0.53
पीएफसी कैपिटल एडवाजरी सर्विसिज लिमिटेड	0.19	0.13	0.23	0.52
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	0.02	0.01	0.02	0.01
ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.16	0.11	0.16	0.11
बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.01	0.00	0.01	0.00
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.95	0.00	0.95	0.00
देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.01	0.00	0.01	0.00
झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**313.77**	**288.72**	**357.65**	**299.28**

*यह राशि अग्रिमों के रूप में है, इसमें कोई ऋण शामिल नहीं है।

(ii) बिजली दलालों और अन्य भुगतान योग्य राशि के रूप में सहायक कंपनियों को भुगतान की जाने वाली राशि (ब्याज सहित) की विस्तृत जानकारी निम्न अनुसार है :

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनियों के नाम	31.03.2016 को	31.03.2015 को	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	2.70	1.88	2.70	9.80
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	62.81	59.79	62.81	59.79
उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	83.06	72.57	83.06	72.57
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	73.56	68.72	73.56	68.72
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	71.00	66.17	71.00	66.17
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	25.05	23.69	25.05	23.69
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	23.72	22.44	23.72	22.44
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	25.73	24.92	25.73	27.48
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	16.20	0.00	16.20	0.00
कुल	**383.83**	**340.18**	**383.83**	**350.66**

(iii) ऐसे प्रतिष्ठानों/कंपनियों को ऋणों के रूप में, ऋण एवं अग्रिम, जिनमें निदेशक हितग्राही हों :

प्रतिष्ठान/कंपनी का नाम	31.03.2016 को बकाया	31.03.2015 को बकाया	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	11.58	–	11.58	–

(ख) कंपनी और/या इसकी सहायक कंपनियों के शेयरों में ऋणकर्ताओं द्वारा निवेश (**वर्ष के अंत में** राशि और वर्ष के दौरान अधिकतम राशि) : शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

9. वर्ष के दौरान प्रमुख निवेश :

कंपनी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के 10 लाख रुपए प्रति बॉण्ड अंकित मूल्य वाले 18,000 अप्रतिभूत, अतिरिक्त टियर–1, बेसल–3 कम्प्लीएंट, अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड (कूपन रेट 10.95 प्रतिशत) खरीदे, जिनमें कुल निवेश 1800 करोड़ रुपए रहा।

10. इंटरेस्ट डिफरेंशियल फंड (आईडीएफ)– केएफडब्ल्यू

केएफडब्ल्यू और पीएफसी के बीच समझौते के मुताबिक आईडीएफ केवल ऋणकर्ताओं को ही उपलब्ध कराया जाता है और इसका उपयोग ऋण के अंतर्गत विनिमय में उतार–चढ़ाव के जोखिम की भरपाई के लिए किया जाएगा तथा अतिरिक्त राशि का उपयोग समझौते के अनुसार किया जाएगा। आईडीएफ फंड में बकाया राशि को एक अलग कोष के अंतर्गत रखा गया है, जिसका नाम है– इंटरेस्ट डिफरेंशियल फंड– केएफडब्ल्यू और इसे देयता के रूप में दिखाया गया है। 13.48 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 14.11 करोड़ रुपए) के विनिमय अंतर हस्तांतरण के बाद 31.03.2016 को 60.71 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹58.38 करोड़) की कुल राशि जमा हुई।

11. लेखांकन मानक एएस–19 के अंतर्गत विभिन्न लीजों (पट्टों) के संबंध में अपेक्षित प्रकटीकरण नीचे किया गया है:

(क) 01.04.2001 के बाद वित्तीय लीज के तहत परिसंपत्ति :

(i) लीज परिसंपत्तियों में सकल निवेश और तुलन–पत्र की तारीख को न्यूनतम प्राप्य मौजूदा मूल्य और अन–अर्जित वित्तीय आय का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
भविष्य में वसूले जा सकने वाले न्यूनतम लीज भुगतान (सकल निवेश)	364.78	392.95
वसूले जा सकने वाले लीज भुगतान का वर्तमान मूल्य	204.09	212.27
अन–अर्जित वित्तीय आय	**160.69**	**180.68**

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
भविष्य में वसूले जा सकने वाले कुल न्यूनतम लीज भुगतानों (सकल निवेश) का परिपक्वता स्वरूप		
एक वर्ष तक	27.11	30.06
एक वर्ष के बाद, परंतु पांच वर्ष तक	107.54	107.98
पाांच वर्ष के बाद	230.13	254.91
कुल	**364.78**	**392.95**
वसूले जा सकने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य का वर्गीकरण		
एक वर्ष तक	7.89	10.06
एक वर्ष के बाद, परंतु पांच वर्ष तक	39.52	36.18
पांच वर्ष के बाद	156.68	166.03
कुल	**204.09**	**212.27**

(ii) कंपनी ने वायु टर्बाइन जनरेटर (19.07.2004 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में वित्तीय लीज के रूप में 88.90 करोड़ रुपए मंजूर किए। दिसंबर 2006 में यह राशि घटाकर 88.85 करोड़ रुपए कर दी गई थी। 31.03.2016 को कुल निवेश 1.33 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.78 करोड़ रुपए) का रहा। लीज का किराया 15 वर्ष की समयावधि में लिया जाना है। 19.07.2004 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और पांच वर्ष द्वितीयक समयावधि के हैं। द्वितीयक समयावधि 19.07.2014 से प्रारंभ हुई है।

(iii) कंपनी ने वायु टर्बाइन जनरेटर (18.05.2004 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में वित्तीय लीज के रूप में 98.44 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 31.03.2016 को कुल निवेश 3.94 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.43 करोड़ रुपए) रहा। लीज का किराया 20 वर्ष की समयावधि में लिया जाना है। 18.05.2004 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अगले दस वर्ष द्वितीयक समयावधि के हैं। द्वितीयक समयावधि 01.04.2014 से प्रारंभ हुई है।

(iv) कंपनी ने वायु टर्बाइन जनरेटर (09.06.2005 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में वित्तीय लीज के रूप में 93.51 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 31.03.2016 को कुल निवेश 4.21 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7.62 करोड रुपए) रहा। 19 वर्ष 11 महीने की समयावधि में लीज का किराया लिया जाना है। 09.06.2005 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अधिकतम 9 वर्ष 11 महीने द्वितीयक समयावधि के हैं। द्वितीयक अवधि 01.04.2015 से प्रभावी है।

(v) वायु टर्बाइन जनरेटर (18.05.2011 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2008 में कंपनी ने वित्तीय लीज के रूप में 228.94 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 31.03.2016 को कुल निवेश 355.30 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 379.12 करोड़ रुपए) रहा। 25 वर्ष की समयावधि में लीज का किराया लिया जाना है। 01.01.2012 से शुरू इस समयावधि में 18 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अधिकतम सात वर्ष द्वितीयक समयावधि के हैं।

(ख) परिचालन लीज :

कंपनी के प्रचालन लीजों में निम्नलिखित शामिल हैं–

कार्मिकों को कार्यालय और आवास उपलब्ध कराने के लिए भवनों की लीज का प्रबंध किया गया है। सेवा और शर्तो पर आपसी सहमति के आधार पर इनका नवीनीकरण और निरस्तीकरण किया जा सकता है। कार्मिकों के आवास के लिए की गई लीज किराये के रूप में 4.65 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.43 करोड रुपए) का भुगतान होना है। कार्मिकों के आवासों एवं उनके हित में होने वाले व्यय के संबंध में लीज भुगतान को ''टिप्पणी भाग–क 16–कार्मिक लाभ व्यय'' के अंतर्गत आवासीय भवनों के किराए के रूप में और कार्यालय भवनों के संबंध में लीज भुगतान को ''टिप्पणी भाग–क 17 अन्य व्यय'' के अंतर्गत कार्यालय किराया भुगतान के रूप में नीचे दर्शाया गया है। इन लीज समझौतों के संदर्भ में भावी लीज भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

भावी न्यूनतम लीज किराया भुगतान	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष
एक वर्ष तक	3.00	2.11
एक वर्ष के बाद, परंतु पांच वर्ष तक	1.05	0.27
पांच वर्ष के बाद	–	–
कुल	**4.05**	**2.38**

12 भारत सरकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

(क) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम के तहत सब्सिडी (एजी एंड एसपी):

(i) कंपनी ने भारत सरकार के पत्र अ.शा. सं. 32024/17/97–पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001–पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अनुसार वास्तविक भुगतान कार्यक्रम, अधिस्थगन अवधि तथा पुनर्भुगतान की अवधि पर विचार किए बिना, निर्दिष्ट ब्याज दरों पर गणना के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा किया। प्राप्त और ऋणकर्ता को अंतरित की जाने वाली राशि ब्याज सब्सिडी निधि लेखे में रखी गई है। निर्दिष्ट दर तथा दावे के समय और वास्तविक संवितरण के समय विचार की गई अवधि के बीच अंतर के प्रभाव का आकलन संबंधित स्कीमों की समाप्ति के पश्चात ही किया जा सकता है। परंतु, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए आकलनों के आधार पर (कुछ ऐसी धारणाओं के आधार पर कि वे प्रत्येक ऋण/परियोजना की अनुमत अवधि में उतनी ही रहेगी), कंपनी ने एजी एंड एसपी स्कीम के अंतर्गत 11वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 31.03.2016 को क्रमशः ₹ 7.80 करोड़ और ₹ 87.47 करोड़ की निवल अतिरिक्त राशि (पिछले वर्ष क्रमशः ₹ 7.02 करोड़ और ₹ 61.32 करोड़) अनुमानित की है और इसमें कोई कमी नहीं है। यह निवल अतिरिक्त राशि अलग–अलग आधार पर नहीं बल्कि समग्र आधार पर परिकलित की गई है और यदि अनुमानित अवधि में इन धारणाओं में परिवर्तन के कारण कोई परिवर्तन होता है, जैसे परिशोधन अवधि में, चुकौती अवधि, ऋण पुनर्गठन, पूर्व भुगतान, ब्याज दर के पुनर्निधारण आदि में कोई परिवर्तन होता है तो इस राशि में परिवर्तन हो सकता है। ब्याज सब्सिडी निधि में यदि कोई अधिकता/कमी होगी तो वह संबद्ध स्कीम के पूरी हो जाने पर समायोजित/प्रभारित कर दी जाएगी।

(ii) ब्याज सब्सिडी निधि शीर्ष के अंतर्गत देयता के रूप में दर्शाया गया शेष, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सब्सिडी की राशि को दर्शाता है, जो त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत भविष्य में प्रोद्भूत ब्याज देयता के लिए ऋणकर्ताओं को अंतरित की जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	111.35	123.87
जोड़ : अवधि के दौरान प्राप्ति	–	–
: अवधि के दौरान प्राप्त ब्याज	8.87	9.42
: परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण–ऋणकर्ताओं द्वारा वापसी	–	–
घटाएं : ऋणकर्ताओं को अंतरित की गई, विद्युत मंत्रालय को लौटाई गई ब्याज सब्सिडी	12.75	21.94
(क) 11वीं योजना की अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	–	–
(ख) परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण	–	–
(ग) 10वीं योजना की अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	–	–
अंतिम शेष	**107.47**	**111.35**

(ख) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी)

(i) कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन के अधीन पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) के प्रचालन एवं संबंधित सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए ''नोडल एजेंसी'' है।

आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त की जाती है ताकि उसका इस्तेमाल कंपनी को बिना किसी प्रकार के लाभ–हानि के साथ 'एक के बाद एक' (बैक टू बैक) व्यवस्था के अंतर्गत पात्र विद्युत संस्थानों को ऋण देने के लिए किया जा सके। इस प्रकार संवितरित की गई राशि, लेकिन आर–एपीडीआरपी दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुदान में परिवर्तित न की गई राशि, ऋणकर्ताओं से प्राप्त होने पर ब्याज सहित भारत सरकार को अदा की जाएगी। विवरण नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणकर्ताओं से वसूली जाने वाली धनराशि और भारत सरकार को देय		आर–एपीडीआरपी निधि		भारत सरकार को देय धनराशि (सावधि जमा पर अर्जित ब्याज)	
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
क. आर–एपीडीआरपी के तहत भारत सरकार का ऋण (मूलधन)						
प्रारंभिक शेष	7,687.84	7,315.85	–	–	–	–
वर्ष के दौरान वृद्धि	667.82	578.47	667.82	578.47	–	–
वसूली/धन वापसी/वर्ष के दौरान बदलाव	(125.21)	(206.48)	(667.82)	(578.47)	–	–
अंतिम शेष (क)	**8,230.45**	**7,687.84**	–	–	–	–
ख. प्रोद्भूत ब्याज, लेकिन देय नहीं (एफडी पर अर्जित ब्याज)	–	**लागू नहीं**			–	–
ग. आर–एपीडीआरपी के तहत ऋण पर ब्याज	–	–	**लागू नहीं**			
(i) प्रोद्भूत, लेकिन देय नहीं						
प्रारंभिक शेष	2,563.89	1,605.09				
वर्ष के दौरान वृद्धि	650.36	673.90				
संचयी अधिस्थगित ब्याज से/में अंतरित	(986.16)	298.41				
प्रोद्भूत और देय ब्याज में अंतरित	(91.26)	(13.51)				
अंतिम शेष (i)	2,136.83	2,563.89				
(ii) प्रोद्भूत एवं देय						
प्रारंभिक शेष	3.68	3.69				
वर्ष के दौरान वृद्धि	182.27	16.59				
वसूली एवं भारत सरकार को वापसी/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन	(43.90)	(16.60)				
अंतिम शेष (ii)	142.05	3.68				
आर–एपीडीआरपी के तहत ऋण पर ब्याज (ग) = (i+ii)	**2,278.88**	**2,567.57**				
घ. संचयी अधिस्थगित ब्याज			**लागू नहीं**			
प्रारंभिक शेष	38.85	338.92				
अवधि के दौरान वृद्धि	994.90	(301.58)				
वसूली एवं भारत सरकार को वापसी/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन	(34.07)	1.51				
अंतिम शेष (घ)	**999.68**	**38.85**				
ङ संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज			**लागू नहीं**			
(i) प्रोद्भूत, लेकिन देय नहीं						
प्रारंभिक शेष	0.15	1.42				
अवधि के दौरान वृद्धि	34.99	(0.92)				
प्रोद्भूत और देय में अंतरित	(27.88)	(0.35)				
अंतिम शेष (i)	7.26	0.15				
(ii) जमा एवं देय						

विवरण	ऋणकर्ताओं से वसूली जाने वाली धनराशि और भारत सरकार को देय		आर–एपीडीआरपी निधि		भारत सरकार को देय धनराशि (सावधि जमा पर अर्जित ब्याज)	
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	1.18	2.21				
अवधि के दौरान वृद्धि	71.92	(1.88)				
वसूली एवं भारत सरकार को वापसी/ परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन	(17.88)	0.85				
अंतिम शेष (II)	55.22	1.18				
संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज (ङ) त्र (i + ii)	**62.48**	**1.33**				
च. ब्याज पर ब्याज, ''संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज'' पर ब्याज और दंड ब्याज			**लागू नहीं**			
(i) ब्याज पर ब्याज						
प्रारंभिक शेष	0.05	0.00				
अवधि के दौरान वृद्धि	4.64	0.11				
वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परिवर्तन	(0.06)	(0.06)				
अंतिम शेष (i)	4.63	0.05				
(ii) ''संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज'' पर ब्याज						
प्रारंभिक शेष	0.02	0.00				
अवधि के दौरान वृद्धि	1.80	0.02				
वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन	(0.02)	0.00				
अंतिम शेष (ii)	1.80	0.02				
(iii) दंड ब्याज						
प्रारंभिक शेष	0.05	0.00				
अवधि के दौरान वृद्धि	5.21	0.15				
वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन	(0.08)	(0.10)				
अंतिम शेष (iii)	5.18	0.05				
ब्याज पर ब्याज, ''संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज'' पर ब्याज और दंड ब्याज (च)=(i+ii+iii)	**11.61**	**0.12**				
अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च)	11,583.10(1)	10,295.71				

(1) इसमें रुपए 13.00 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो 31.03.2016 तक उधारकर्ताओं से प्राप्त हुई और 02.04.2016 को विद्युत मंत्रालय को अदा की गई। तदनुरूप, 31.03.2016 को यह राशि आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार को देय के रूप में दिखायी गई है (नोट भाग–क 4)

(ii) आर–एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नोडल एजेंसी की फीस स्वीकृत परियोजना के लिए एक प्रतिशत की दर से तय की गई। यह शुल्क तीन अलग–अलग चरणों में लिया जाता है–0.40 प्रतिशत परियोजना की मंजूरी पर, 0.30 प्रतिशत निधि संवितरण पर और शेष 0.30 प्रतिशत मंजूर परियोजना के पूर्ण होने पर (भाग–क के लिए) और परियोजना क्षेत्रों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों की जांच (भाग–ख के लिए) पूरी होने पर। इसके अतिरिक्त आर–एपीडीआरपी के प्रचालन के लिए किया गया वास्तविक व्यय, पीएफसी कार्मिकों पर आबंटन योग्य व्यय सहित, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा अदा किया जाने योग्य है। शुल्क और व्यय की अदायगी की संचयी राशि का दावा 850 करोड़ रुपए अथवा आर–एपीडीआरपी के भाग–क और ख के अंतर्गत संभावित परिव्यय का 1.7 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम होगा, उससे अधिक नहीं होगा।

विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.03.2015 के पत्र के जरिए अनुमोदित और और दिनांक 20.05.2015 के पत्र के जरिए जारी परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना से कंपनी अपना दावा पीएफसी कार्मिकों पर व्यय और प्रशासनिक खर्च को छोड़कर केवल वास्तविक व्यय तक सीमित रखेगी।

(iii) 31.03.2016 को नोडल एजेंसी शुल्क की कुल राशि और पीएफसी द्वारा प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य खर्च की अदायगी की कुल धनराशि इस प्रकार है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान	31.03.2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान	निम्नांकित अवधि तक संचयी	
			31.03.2016	31.03.2015
नोडल एजेंसी शुल्क [1]	0.66	(36.38)	128.07	127.41
व्यय की अदायगी	22.99	41.20	127.67	104.68
कुल	**23.65**	**4.82**	**255.74**	**232.09**

[1] सेवा कर को छोड़कर।

(ग) समेकित विद्युत विकास कार्यक्रम (आईपीडीएस)

भारत सरकार ने 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर–एपीडीआरपी के निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के लिए आईपीडीएस कार्यक्रम शुरू किया है और आर–एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित व्यय को आईपीडीएस हेतु अग्रसारित किया है।

कंपनी को विद्युत मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन के तहत कार्यक्रम के प्रचालन एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी मनोनीत किया गया है। नोडल एजेंसी की भूमिका आईपीडीएस कार्यक्रम में वर्णित की गई है, जिसमें अन्य बातों के अलावा पात्र संस्थाओं को भारत सरकार का अनुदान पहुंचाना शामिल है, जिसे आईपीडीएस दिशा–निर्देशों में वर्णित विभिन्न शर्तों के अधीन वापस लिया जा सकता है/समयपूर्व बंद किया जा सकता है।

कंपनी नोडल एजेंसी शुल्क के रूप में निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत अथवा अवार्ड लागत, इनमें जो भी कम हो, का 0.5 प्रतिशत प्राप्त करने की पात्र होगी, जिसका दावा/प्रोदभवन निम्नांकित अनुसार होगा :–

i) प्रथम किश्त : आईपीडीएस के अंतर्गत निगरानी समिति द्वारा परियोजनाएं अनुमोदित किए जाने के वित्तीय वर्ष के दौरान नोडल एजेंसी शुल्क का 40 प्रतिशत।

ii) दूसरी क़िस्त : अनुमोदित परियोजनाओं का ठेका दिए जाने पर नोडल एजेंसी शुल्क का 30 प्रतिशत।

iii) तीसरी क़िस्त : दूसरी किश्त का दावा करने के एक वर्ष बाद नोडल एजेंसी शुल्क का 20 प्रतिशत।

iv) चौथी क़िस्त : निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नोडल एजेंसी शुल्क का 10 प्रतिशत।

ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	पात्र विद्युत संस्थाओं को दी जाने वाली भारत सरकार की अनुदान राशि		आईपीडीएस अनुदान		भारत सरकार को देय धनराशि (सावधि जमा पर अर्जित ब्याज)	
	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	–	–	50.00	–	0.01	0.00
वर्ष के दौरान संवर्धन	358.70	–	308.70	50.00	2.14	0.01
वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परिवर्तन	–	–	358.70	–	(2.15)	–
अंतिम शेष	**358.70**	**–**	**–**	**50.00**	**–**	**0.01**

13. संपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान :

(क) कंपनी एक सरकारी गैर–बैंकिग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, इसलिए यह रिजर्व बैंक के विवेक सम्मत मानदंड से संबंधित निर्देशों से मुक्त है। रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 25.07.2013 के पत्र के तहत कंपनी को निर्देश दिया था कि वह ऋण संकेंद्रण मानदंड, ऋणों के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण/पुनर्विचारविमर्श (आर/आर/आर) से संबंधित मानदंड और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड, जिनके लिए अलग से दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, को छोड़कर, 31.03.2016 तक रिजर्व बैंक के विवेक सम्मत मानदंड का अनुपालन करे।

(ख) परिसंपत्ति वर्गीकरण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 10.11.2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 002/03.10.001/2014–15, और बैंक द्वारा उसके बाद दिनांक 30.06.2015 और 10.12.2015 को जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी के विवेक सम्मत मानदंडों में उपयुक्त संशोधन किए गए। इन निर्देशों को परिचालित करने के लिए, कंपनी ने अपनी सहमति की जानकारी रिजर्व बैंक को दिनांक 13.08.2015 और 13.01.2016 के अपने पत्रों के माध्यम से प्रदान की। तदनुरूप, वर्ष के दौरान :–

(i) यदि कोई ऋण परिसंपत्ति (पट्टा परिसंपत्ति को छोड़कर) 6 महीने या अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है, तो उसे एनपीए (गैर–उत्पादक परिसंपत्ति) समझा जाता है, परंतु 31.03.2016 को यदि कोई परिसंपत्ति 5 महीनं या उससे अधिक समय के लिए अतिदेय रही है, तो उसे उसे एनपीए (गैर–उत्पादक परिसंपत्ति) समझा गया है।

(ii) यदि कोई ऋण परिसंपत्ति (पट्टा परिसंपत्ति सहित) 18 महीने तक एनपीए (गैर–उत्पादक परिसंपत्ति) रहती है, तो उसे अव–मानक के रूप में उप–वर्गीकृत किया जाता है, परंतु 31.03.2016 को यदि कोई परिसंपत्ति 16 महीने तक एनपीए (गैर–उत्पादक परिसंपत्ति) रही है, तो उसे अव–मानक के रूप में उप–वर्गीकृत किया गया है, और

(iii) यदि कोई ऋण परिसंपत्ति (पट्टा परिसंपत्ति सहित) 18 महीने से अधिक परंतु 36 महीने तक एनपीए (गैर–उत्पादक परिसंपत्ति) रहती है, तो उसे संदिग्ध के रूप में उप–वर्गीकृत किया जाता है, परंतु 31.03.2016 को यदि कोई परिसंपत्ति 16 महीने से अधिक परंतु 36 तक एनपीए (गैर–उत्पादक परिसंपत्ति) रही है, तो उसे संदिग्ध के रूप में उप–वर्गीकृत किया गया है।

इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए, परिसंपत्ति वर्गीकरण में किसी संपत्ति के स्वरूप में बदलाव के महीनों की संख्या को आधार बनाया जाएगा और एनपीए का उप–वर्गीकरण संबद्ध वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को किया जाएगा।

(iv) वर्ष के दौरान, यदि कोई लीज परिसंपत्ति, जिसके संदर्भ में ब्याज, मूलधन किस्त और/या अन्य प्रभार छह महीने या उससे अधिक अवधि के लिए देय रहते हैं, परंतु अदा नहीं किए जाते, तो ऐसी परिसंपत्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परंतु 31.03.2018 से, ऐसी परिसंपत्ति को एनपीए समझा जाएगा, जो 3 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

(ग) रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार कंपनी को मानक परिसंपत्तियों के बारे में प्रावधान में चरणबद्ध रूप से वृद्धि करनी है, जो 31.03.2015 के 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 31.03.2018 तक 0.40 प्रतिशत किया जाएगा।

इस प्रावधान में वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के संदर्भ में प्रयोज्य वर्धन के अंतर्गत 30.09.2015 को समाप्त तिमाही और छमाही में 0.10 प्रतिशत की वृद्धि की गई, परंतु इसकी फिर से समीक्षा की गई और 31.03.2016 को इसे रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार, अर्थात् 0.30 प्रतिशत कर दिया गया।

14. ऋण संकेंद्रण मानदंड के लिए, रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 03.04.2014 के पत्र के तहत केंद्रीय/राज्य सरकारों की संस्थाओं को प्रकटीकरण के संदर्भ में 31.03.2016 तक छूट दे दी है। कंपनी ने अपने दिनांक 22.01.2016 के पत्र के तहत रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि यह छूट 31.03.2020 बढ़ा दी जाए और अन्य बातों के अलावा यह सूचित किया है कि कंपनी रिजर्व बैंक से आगे के लिए कोई निर्देश प्राप्त होने तक केंद्रीय/राज्य सरकारों की संस्थाओं के संदर्भ में स्वयं के ऋण संकेंद्रण मानदंड का अनुपालन करती रहेगी।

इस बारे में, रिजर्व बैंक ने, अपने पत्र दिनांक 22.04.2016 के तहत, जो 28.04.2016 को प्राप्त हुआ, कंपनी को निर्देश दिया है कि :–

(i) रिजर्व बैंक के ऋण संकेंद्रण मानदंड के अंतर्गत वर्तमान में अनुमत स्तरों से अधिक प्रकटीकरण केवल पहले से अनुबंधित/मंजूर सीमाओं के संदर्भ में जारी रखा जा सकता है,

(ii) ऐसे प्रकटीकरण के संदर्भ में कोई ऐसी नयी स्थिति स्वीकार न करें अथवा अनुबंध न करें, जो रिजर्व बैंक के प्रकटीकरण मानदंड के अनुरूप न हो, और

(iii) वर्तमान ऋणकर्ताओं को नए ऋणों में या नए ऋणकर्ताओं को, रिजर्व बैंक के ऋण संकेंद्रण मानदंड से अधिक ऋण की मंजूरी दी जा सकती है, परंतु इसके लिए केंद्र सरकार/संबद्ध राज्य सरकार की गारंटी अपेक्षित होगी और ऐसे ऋण संबद्ध सरकार के ऋण कार्यक्रम का हिस्सा भी होने चाहिए। परंतु, कंपनी ने दिनांक 17.05.2016 के अपने पत्र के माध्यम से यह मामला रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया है ताकि कंपनी पर रिजर्व बैंक के ऋण संकेंद्रण मानदंड लागू करने से छूट की अवधि का विस्तार 31.03.2022 तक किया जा सके।

15. आर/आर/आर मानदंड के कार्यान्वयन के लिए, रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 11.06.2014 के तहत (I) कंपनी को पारेषण और वितरण, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं तथा हिमालयी क्षेत्र की परियोजनाओं या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के मामले में तीन वर्ष की अवधि यानी 31.03.2017 तक के लिए छूट प्रदान की है, और (II) निर्देश दिया है कि 01.04.2015 से पुनर्गठित उत्पादन कंपनियों को नए परियोजना ऋणों के मामलों में 5 प्रतिशत प्रावधान की आवश्यकता होगी और सभी उत्पादन कंपनियों की ओर 31.03.2015 को बकाया ऋणों के स्टॉक के लिए 31.03.2015 से 2.75 का प्रावधान प्रारंभ होगा और यह 31.03.2018 तक 5 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा; यह प्रावधान उचित मूल्य में कमी संबंधी प्रावधान के अतिरिक्ति होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 11.06.2014 के मानदंड के कार्यान्वयन के लिए, कंपनी ने अपने पत्र संख्या दिनांक 03.07.2014 के पत्र के तहत अपनी कार्यान्वयन नीति की जानकारी रिजर्व बैंक को दे दी है, जिसे कंपनी के दिनांक 27.11.2014 के पत्र के जरिए फिर से दोहराया गया, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नांकित बातें शामिल हैं :–

(i) उत्पादन कंपनियों को 01/04/2015 से मंजूर किए गए सभी नए परियोजना ऋण आर/आर/आर के बारे में रिजर्व बैंक के मानदंड द्वारा नियमित किए जाएंगे।

(ii) उत्पादन कंपनियों को 31.03.2015 तक पहले से मंजूर किए गए परियोजना ऋण विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आर/आर/आर मानदंड द्वारा अधिशासित होंगे, और

(iii) 01.04.2015 से गैर–परियोजना ऋण रिजर्व बैंक के मानदंड द्वारा अधिशासित होंगे। रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04.02.2015 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि कंपनी के अनुरोध की पड़ताल की जा रही है। कंपनी को इस मामले में रिजर्व बैंक से आगे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है और तदनुरूप, कंपनी ऊपर वर्णित अनुसार रिजर्व बैंक को दी गई जानकारी और उसके साथ ही दिनांक 11.06.2014 के रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप उसके मानदंड का कार्यान्वयन कर रही है।

जहां तक ऐसे आर/आर/आर ऋणों का प्रश्न है, जिनके बारे में रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार प्रावधान अपेक्षित है, कंपनी को चरणबद्ध तरीके से प्रावधान में वृद्धि करनी है, जो 31.03.2015 को 2.75 प्रतिशत से बढ़ाते हुए 31.03.2016, 31.03.2017, 31.03.2018 को क्रमशः 3.50 प्रतिशत, 4.25 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की जानी है। 31.12.2015 को समाप्त हुई तिमाही और इसी तारीख को समाप्त हुए 9 महीनों के दौरान इस प्रावधान में संवर्धन 4.25 प्रतिशत तक किया गया, जिसकी आगे समीक्षा की जा रही है और 31.03.2016 को रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अर्थात् 3.50 प्रतिशत की प्रयोज्य दर से प्रावधान किया जाएगा।

16. ऋण परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां और उन पर प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
		बकाया मूलधन	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान	संचित प्रावधान	बकाया मूलधन	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान	संचित प्रावधान
(क) ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उन पर प्रावधान							
(i)	मानक परिसंपत्तियां	199,138.19	110.85	597.41	1,94,627.13	17.15	486.57
(ii)	पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियां(1)	32,262.98	564.77	1,129.20	20,524.91	564.43	564.43
(iii)	अवमानक परिसंपत्तियां	4,877.61	366.83	487.76	1,209.37	110.55	120.93
(iv)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	2,393.15	327.47	721.98	1,315.02	150.76	394.52
(v)	ऋण परिसंपत्तियां	248.28	239.36	248.28	8.92	0.00	8.92
(ख) अन्य परिसंपत्तियां और उन पर प्रावधान							
(i)	अन्य परिसंपत्तियां	1.17	0.04	1.01	1.04	0.02	0.97
	कुल योग	**2,38,921.38**	**1,609.32**	**3,185.64**	**2,17,686.39**	**842.91**	**1,576.34**

(1) 31.03.2016 को बकाया आर/आर/आर ऋण, जिन पर रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार पुनर्गठन प्रावधान किया जाना है, ₹ 21,479.20 करोड़ निजी क्षेत्र और ₹ 10,783.78 करोड़ सरकारी क्षेत्र (पिछले वर्ष ₹ 20,524.91.20 करोड़ निजी क्षेत्र और शून्य सरकारी क्षेत्र)

17. पुनर्गठित खातों का ब्यौरा, जिन पर रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार पुनर्गठन प्रावधान लागू है, और उनके लिए किए गए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है : (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई व्यवस्था के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1.	01 अप्रैल, 2015 को पुनर्गठित लेखे	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					14	1	3	–	18	14	1	3	–	18
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						20524.91	76.63	1145.34	–	21746.88	20524.91	76.63	1145.34	–	21746.88
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						–	–	169.78	–	169.78	–	–	169.78	–	169.78
		तत्संबंधी प्रावधान						564.44	7.66	394.53	–	966.63	564.44	7.66	394.53	–	966.63
2.	प्रारंभिक शेष में प्रदर्शित खाते की शेष संबंधी गतिविधियां	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					10	–	2	–	12	10	–	2	–	12
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						2,113.48	–	192.70	–	2,306.18	2,113.48	–	192.70	–	2,306.18
		बकाया राशि						0.00	–	62.33	–	62.33	0.00	–	62.33	–	62.33
		(अन्य सुविधा)						73.97	–	110.70	–	184.67	73.97	–	110.70	–	184.67
3.	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					5	–	–	–	5	5	–	–	–	5
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						14,192.68	–	–	–	14,192.68	14,192.68	–	–	–	14,192.68
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						–	–	–	–	0.00	0.00	–	–	–	0.00
		तत्संबंधी प्रावधान						496.74	–	–	–	496.74	496.74	–	–	–	496.74
4.	वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		बकाया राशि						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(अन्य सुविधा)						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान/या अतिरिक्त जोखिम भार की अपेक्षा नहीं रखते हैं और इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					–1	–	–	–	–1	–1	–	–	–	–1
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						–1,457.04	–	–	–	–1,457.04	–1,457.04	–	–	–	–1,457.04
		बकाया राशि						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(अन्य सुविधा)						–40.07	–	–	–	–40.07	–40.07	–	–	–	–40.07
6.	वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का दर्जा कम करना	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					–3	2	1	–	–	–3	2	1	–	–
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						–3111.05	3034.42	76.63	–	–	–3111.05	3034.42	76.63	–	–
		बकाया राशि						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(अन्य सुविधा)						–85.55	303.44	15.33	.	233.22	–85.55	303.44	15.33	–	233.22
7.	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्गठित खाते	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		बकाया राशि						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(अन्य सुविधा)						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	31 मार्च, 2015 को पुनर्गठित खाते	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					15	3	4	–	22	15	3	4	–	22
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						32262.98	3111.05	1,414.67	–	36788.70	32262.98	3111.05	1,414.67	–	36788.70
		बकाया राशि						–	–	232.11	–	232.11	–	–	232.11	–	232.11
		(अन्य सुविधा)						1,129.20	311.11	520.57	–	1,960.88	1,129.20	311.11	520.57	–	1,960.88

18. कंपनी द्वारा 15.04.2015 को अव–मानक घोषित एक पुनर्गठित ऋण परिसंपत्ति के मामले में, ऋणकर्ता ने मद्रास हाई कोर्ट के दिनांक 17.06.2015 के आदेश के तहत आगे सुनवाई से अंतरिम रोक हासिल कर ली है। कंपनी ने इस परिसंपत्ति के परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में कानूनी राय मांगी थी, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित अव–मानक के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है, और वर्ष के दौरान लेखों मे किए गए ₹ 339.99 करोड़ के एनपीए प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। यह मामला न्यायालयाधीन है, और इसकी पिछली सुनवाई जनवरी, 2016 में हुई थी, जो पुनः स्थगित कर दी गई, और तदनुरूप स्थगन जारी है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 15.10.2015 और 15.01.2016 को अतिदेय राशि के बारे में कंपनी द्वारा प्राप्त की गई परवर्ती कानूनी राय के आधार पर, कंपनी इस परिसंपत्ति का वर्गीकरण मानक के रूप में जारी रखे हुए है।

19. लेखांकन मानक–15 के अनुसार प्रकटीकरण :–

क. भविष्यनिधि

कंपनी निर्धारित दर पर अंशदान का भुगतान एक पृथक न्यास में करती है जो निधियों का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। इस अवधि में निधि में अंशदान को व्यय माना गया है और लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया गया है। इस प्रकार कंपनी का दायित्व निर्धारित अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिलाभ की न्यूनतम दर सुनिश्चित करना है। प्रतिलाभ की निर्दिष्ट दर के अनुसार, सदस्यों को ब्याज के भुगतान में कोई कमी होने पर उसकी भरपाई कंपनी द्वारा की जाती है। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता नहीं होगी और इसीलिए कोई और प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

ख. उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की परिभाषित ग्रेच्युटी स्कीम है और उसका प्रबंध पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उसके लिए प्रावधान कार्मिकों द्वारा दी गई सेवा के कुल वर्षों की संख्या के आधार पर बीमांकन मूल्य निर्धारण के अनुसार परंतु अधिकतम ₹ 10 लाख की राशि तक किया गया है।

ग. पेंशन

कंपनी की एक निश्चित भागीदारी पेंशन योजना है, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों के आधार पर होती है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। हर महीने नियोक्ता का हिस्सा कोष में जमा कराया जाता है। कॉर्पोरेशन के कार्मिक को योजना के अनुसार पेंशन दी जाती है।

घ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएस)

कंपनी की सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएस) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा तक बहिरंग रोगी उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं।

ङ सेवांत लाभ

सेवांत लाभ में कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के लिए गृह नगर में बसना शामिल है।

च. अवकाश

कंपनी अपने कार्मिकों को अर्जित अवकाश सुविधा और अर्द्धवेतन अवकाश की सुविधा प्रदान करती है जो छमाही आधार पर क्रमशः 15 दिन एवं 10 दिन के हिसाब से अर्जित होती है। सेवा के दौरान अधिकतम 300 दिन की छुट्टी या उसका नकद भुगतान किया जाता है। सेवा के दौरान अर्द्धवेतन अवकाश जमा करने की कोई सीमा नहीं है। सेवा काल के दौरान किसी भी समय अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। किंतु, सेवा काल के दौरान या 10 वर्ष से पहले कंपनी से विलग/सेवानिवृत्त होने की स्थिति में, अर्द्धवेतन अवकाश के नकदीकरण की अनुमति नहीं है। 10 वर्ष की सेवा के बाद कंपनी से विलग/सेवानिवृत्त होने की स्थिति में, अर्जित अवकाश+अर्द्धवेतन अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 300 दिन तक कराया जा सकता है। परंतु, सेवा से विलग होने की स्थिति में अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए वर्षों की संख्या की कोई शर्त नहीं है।

छ. उपर्युक्त स्कीमें (घ, ङ और च) अनिधिक हैं और उनका निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ज. 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता और तुलन–पत्र में मान्य विभिन्न परिभाषित सुविधाओं की स्थिति का सार इस प्रकार है :– (कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष की स्थिति दर्शाते हैं) :

झ. लाभ एवं हानि खाता

i) लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
वर्तमान सेवा मूल्य	1.55 (1.43)	0.62 (0.52)	2.34 (2.14)
लाभ देयता पर ब्याज लागत	1.55 (1.53)	1.17 (1.00)	1.87 (1.76)
नियोजित परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	–1.72 (–1.54)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
वर्ष में मान्य कुल बीमांकित (लाभ)/हानि	–1.11 (–1.21)	2.36 (2.11)	2.18 (1.16)
लाभ और हानि के खाते में मान्य खर्च *	0.27 (0.21)	4.15 (3.63)	6.39 (5.06)

(*) वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी, अवकाश और पीआरएमएस के लिए सहायक कंपनियों को दी गई राशि में क्रमश रुपए 0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.02 करोड़), 0.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.42 करोड़) और रुपए ₹0.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.34 करोड़) शामिल हैं।

ii) तुलन–पत्र में मान्य राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
31.3.2016 को देयता का वर्तमान मूल्य (i)	20.74 (19.36)	17.83 (14.58)	26.89 (23.42)
31.03.2016 को नियोजित परिसंपत्तियों का न्यायसंगत मूल्य (ii)	20.47 (19.15)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
अंतर (ii) – (i)	–0.27 (–0.21)	–17.83 (–14.58)	–26.89 (–23.42)
तुलन–पत्र में मान्य निवल परिसंपत्ति/(देयता)	–0.27 (–0.21)	–17.83 (–14.58)	–26.89 (–23.42)

iii) परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
01.04.2015 को देयता का वर्तमान मूल्य	19.36 (17.98)	14.58 (11.75)	23.42 (20.66)
ब्याज लागत	1.55 (1.53)	1.17 (1.00)	1.87 (1.76)
वर्तमान सेवा लागत	1.55 (1.43)	0.62 (0.52)	2.34 (2.14)
लाभों का भुगतान	–0.63 (–0.47)	–0.90 (–0.80)	–2.93 (–2.30)
देयता पर कुल बीमांकित (लाभ)/हानि	–1.09 (–1.11)	2.36 (2.11)	2.18 (1.16)
31.03.2016 को मान्य देयता लाभ का वर्तमान मूल्य	20.74 (19.36)	17.83 (14.58)	26.89 (23.42)

iv) नियोजित परिसंपत्ति के न्यायसंगत मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
1.04.2015 को नियोजित परिसंपत्ति का न्यायसंगत मूल्य	19.14 (17.12)	– (–)	– (–)
नियोजित परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	1.72 (1.54)	– (–)	– (–)
नियोक्ता द्वारा योगदान	0.21 (0.86)	– (–)	– (–)
लाभों का भुगतान	–0.63 (–0.47)	– (–)	– (–)
बीमांकित लाभ/(हानि)	0.02 (0.09)	– (–)	– (–)
31.03.2016 को नियोजित परिसंपत्ति का न्यायसंगत मूल्य	20.47 (19.14)	– (–)	– (–)

v) पीआरएमएस चिकित्सा सुविधा लागत की देयता पर मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशत वृद्धि/कमी का प्रभाव निम्न प्रकार से होगा :

लागत में 1 प्रतिशत वृद्धि ₹ 3.00 करोड़

लागत में 1 प्रतिशत कमी ₹ (2.34) करोड़

vi) वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्रेच्युटी ट्रस्ट के लिए ₹ 0.27 करोड, पीआरएमएस के लिए 4.15 करोड़ रुपए, अवकाश पर 6.40 करोड़ रुपए और पेंशन के लिए शून्य करोड़ ₹ (पिछले वर्ष ग्रेच्यूटी ट्रस्ट में ₹ 0.21 करोड, पीआरएमएस में ₹ 3.63 करोड़, अवकाश के लिए ₹ 5.06 करोड़ और पेंशन के लिए शून्य करोड़ रुपए) की देयता का प्रावधान किया। उपर्युक्त राशि में सहायक कंपनियों को ग्रेच्युटी, अवकाश और पीएमआरएस के लिए क्रमशः रुपए 0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.02 करोड़), ₹0.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.42 करोड़), और ₹ 0.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.34 करोड़) की राशि शामिल है।

छ. अन्य कार्मिक हितलाभ :

वर्ष के दौरान कार्मिक आर्थिक पुनर्वास स्कीम के लिए ₹ 0.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़) का प्रावधान और कार्मिक दीर्घ सेवा पुरस्कार के लिए ₹ 0.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.92 करोड़) का प्रावधान वर्ष की समाप्ति पर बीमांकित मूल्य निर्धारण के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित/क्रेडिट किया गया है।

ज. नियोजित परिसंपत्ति की विस्तृत जानकारी :– ग्रेच्युटी

31.03.2016 को लागत के अनुसार नियोजित परिसंपत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	11.75	11.01
ii)	कॉर्पोरेट बॉण्ड्स/ऋण पत्र (1)	8.07	7.64
iii)	म्यूचुअल फंड	0.15	–
	कुल	**19.97**	**18.65**

(1) दिनांक 31.03.2016 को कंपनी के ₹0.50 करोड़ के बॉण्ड्स (पिछले वर्ष ₹0.50 करोड) पीएफसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट द्वारा रखे गए थे।

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य धारणाएं इस प्रकार हैं :

पद्धति प्रयुक्त	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति
डिस्काउंट रेट	8.00 प्रतिशत
ग्रेच्युटी–परिसंपत्तियों पर लाभ की संभावित दर	9.00 प्रतिशत
भावी वेतनवृद्धि*	6.00 प्रतिशत

*मंहगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबद्ध घटकों, जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग के कारण बीमांकित मूल्यांकन में भावी वेतनवृद्धि के अनुमानों में काफी बढ़ोतरी समझी गई है।

झ. पीएफसीसीएएस, पीएफसीजीईएल और पीएफसीसीएल (कंपनी की सहायक कंपनियों) में प्रतिनियुक्ति/सेकेंडमेंट आधार पर कार्यरत कंपनी के कार्मिकों के संदर्भ में कार्मिक लाभ (जैसे ग्रेच्युटी, पीआरएमएस, टर्मिनल लाभ, अवकाश नकदीकरण और अन्य कार्मिक लाभ) कार्मिक लागत के नियत प्रतिशत के आधार पर आबंटित किए जाते हैं।

ञ. अन्य प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

ग्रेज्युइटी*	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
निर्दिष्ट तारीख को देयता का वर्तमान मूल्य	20.74	19.36	17.98	16.16	14.03
निर्दिष्ट तारीख को नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	20.47	19.14	17.12	14.67	12.95
अधिशेष/(घाटा)	(0.27)	(0.21)	(0.86)	(1.48)	(1.08)
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	1.09	1.10	0.31	0.31	0.23
नियोजित परिसंपत्तियों के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	0.02	0.09	0.26	0.02	0.17

*कंपनी के सर्वोत्कृष्ट अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ग्रेच्युटी मद में अंशदान रुपए 0.74 करोड़ है। 31.03.2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान नियोजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ रुपए 1.74 करोड़ (पिछले वर्ष रुपए 1.64 करोड़) रहा है। इसके अतिरिक्त नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ का निर्धारण कई प्रयोज्य घटकों पर विचार करके निर्धारित किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से धारित नियोजित परिसंपत्तियों का संघटन, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकित जोखिम और नियोजित परिसंपत्तियों से ऐतिहासिक लाभ शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

पीआरएमएस	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
निर्दिष्ट तारीख को देयता का वर्तमान मूल्य	17.83	14.58	11.75	9.50	8.33
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	(2.36)	(2.11)	(1.54)	(0.16)	(0.78)

(₹ करोड़ में)

अवकाश	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
निर्दिष्ट तारीख को देयता का वर्तमान मूल्य	26.89	23.42	20.66	20.39	17.74
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	(2.18)	(1.18)	(2.63)	(1.50)	(0.58)

(₹ करोड़ में)

एलएसए	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
निर्दिष्ट तारीख को देयता का वर्तमान मूल्य	4.74	4.49	4.04	3.71	3.33
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	1.10	0.67	0.46	0.80	0.00

(₹ करोड़ में)

ईआरएस	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
निर्दिष्ट तारीख को देयता का वर्तमान मूल्य	1.50	1.24	1.24	1.31	1.24
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	0.02	0.38	0.46	0.43	0.00

(₹ करोड़ में)

सामान भत्ता	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
निर्दिष्ट तारीख को देयता का वर्तमान मूल्य	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00

20. लेखांकन मानक–29 में यथा अपेक्षित प्रावधान का विवरण, {कोष्ठकों () में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की स्थिति को प्रकट करते हैं}, इस प्रकार है:–

(₹ करोड़ में)

निम्नांकित के लिए प्रावधान	प्रारंभिक शेष (1)	वर्ष के दौरान सवर्धन (2)	वर्ष के दौरान प्रयुक्त (3)	प्रत्यावर्तित (4)	अंतिम शेष 5 = (1+2–3–4)
सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना	14.58 (11.75)	4.15 (3.63)	0.90 (0.80)	– (–)	17.83 (14.58)
उपदान	0.08 (0.86)	0.27 (0.21)	0.22 (0.99)	– (–)	0.13 (0.08)
अधिवर्षिता लाभ के लिए प्रावधान(पेंशन)	0.07 (0.07)	– (–)	– (–)	– (–)	0.07 (0.07)
अवकाश नकदीकरण	23.42 (20.66)	6.40 (5.06)	2.93 (2.30)	– (–)	26.89 (23.42)
कार्मिकों के लिए आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम	1.24 (1.24)	0.33 (0.01)	0.07 (0.01)	– (–)	1.50 (1.24)
बोनस/प्रोत्साहन	10.90 (17.75)	9.22 (12.09)	8.89 (18.94)	–1.36 (0.00)	9.87 (10.90)
सामान भत्ता	0.10 (0.09)	0.01 (0.01)	0.00 (0.00)	– (–)	0.11 (0.10)
सेवा पुरस्कार	4.49 (4.04)	0.48 (0.92)	0.23 (0.47)	– (–)	4.74 (4.49)
ऋण परिसंपत्तियों आदि के लिए प्रावधान [(1)]	1,576.34 (733.43)	1,609.32 (842.91)	0.00 (0.00)	– (–)	3,185.66 (1,576.34)
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	1.06 (0.00)	96.26 (1.06)	0.00 (0.00)	– (–)	97.32 (1.06)
सीएसआर	114.30 (32.33)	145.79 (117.49)	157.93 (35.52)	– (–)	102.16 (114.30)
आय कर	6,211.19 (4,630.44)	2,822.26 (2,502.42)	1,519.87 (921.67)	– (–)	7,513.58 (6,211.19)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	79.20 (26.40)	79.20 (79.20)	79.20 (26.40)	– (–)	79.20 (79.20)
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर	16.12 (4.49)	16.12 (16.12)	16.12 (4.49)	– (–)	16.12 (16.12)

[(1)] इसका ब्यौरा टिप्पणी भाग–ग 16 में दिया गया है।

21. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2015.16	वित्त वर्ष 2014.15
तीन तात्कालिक पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित निवल कर–पूर्व लाभ के औसत 2 प्रतिशत की दर से किया गया सीएसआर प्रावधान	145.79	117.49
पिछले वर्ष से अग्रसारित	114.30	32.33
खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित सकल राशि	260.09	149.82

(ख) वर्ष के दौरान निम्नांकित पर खर्च की गई राशि:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2015.16			वित्त वर्ष 2014.15		
		अदा या निपटान किया गया	अभी अदा किया जाना है	कुल	अदा या निपटान किया गया	अभी अदा किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/खरीद	–	–	–	–	–	–
(ii)	उपरोक्त (i) से भिन्न प्रयोजनों पर						
	सफाई/कचरा प्रबंधन/पेयजल	133.85	–	133.85	2.57	–	2.57
	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	16.06	–	16.06	15.97	0.40	16.37
	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वृक्षारोपण/ऊर्जा सक्षम एलईडी लाइटिंग)	4.10	0.50	4.60	14.05	–	14.05
	अन्य	–	–	–	0.71	–	0.71
	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक व्यय। सीएसआर पर खर्च की जाने वाली कुल राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित	3.16	0.26	3.42	1.63	0.19	1.82
	कुल (ii)	**157.17**	**0.76**	**157.93**	**34.93**	**0.59**	**35.52**
	कुल योग (i) और (ii)			**157.93**			**35.52**

(ग) लेखांकन मानक (एएस)–18, के अनुसार संबंधित पक्ष का ब्यौरा, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण–शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(घ) लेखांकन मानक (एएस)–29, के अनुसार वर्ष के दौरान प्रावधान के अंतर्गत उपरोक्त टिप्पणी संख्या 20 में अलग से दर्शायी गई गतिविधियां

(ङ) 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹ 192.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 49.90 करोड़) संवितरित किए गए।

22. 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान भाग–ख महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निम्नांकित संशोधन किए गए:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति		संशोधन
	संख्या	शीर्षक	
1	2.1.1	आय को मान्यता देना	लेखांकन नीति संख्या 6 में किए गए परिवर्तनों के अनुरूप संशोधित किए गए।
2	2.5	लाभांश से आय	अधिक स्पष्टता लाने के लिए संशोधित किया गया।
3	3.1, 3.2 और 3.4	मूर्त परिसंपत्तियां/मूल्यह्रास	''अचल परिसंपत्तियां'' शब्दों के स्थान पर ''मूर्त परिसंपत्तियां'' शब्दों का प्रयोग किया गया ताकि उन्हें नीति में वर्णित ''मूर्त परिसंपत्तियां'' के अनुरूप परिसंपत्तियां समझा जा सके।
4	3.3	मूर्त परिसंपत्तियां/मूल्यह्रास	संवर्धित की गई ताकि इस्तेमाल की जा रही ऐसी परिसंपत्तियों को प्रकट किया जा सके, जो अधिनियम में वर्णित उपयोगी जीवन संबंधी परिसंपत्तियों से भिन्न हैं।
5	4.1	अमूर्त परिसंपत्तियां	संवर्धित की गई ताकि कंपनी द्वारा आकलित उपयोगी जीवन परिसंपत्तियों को प्रकट किया जा सके।
6	6	परिसंपत्तियां वर्गीकरण और प्रावधान	प्रयोज्य परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान की अपेक्षा रखने वाली परिसंपत्तियों से संबंधित नीति में उपयुक्त शाब्दिक संशोधन किया गया। तदनुरूप, शीर्षक–''प्रावधान/ऋणों और अग्रिमों के प्रति बट्टे खाते डालना'' को भी उपयुक्त संशोधित किया गया।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति		संशोधन
	संख्या	शीर्षक	
7	7	विदेशी मुद्रा लेन–देन	शीर्षक–''विदेशी विनिमय लेन–देन'' के स्थान पर ''विदेशी मुद्रा लेन–देन'' शीर्षक रखा गया, ताकि स्पष्टता लायी जा सके।
8	9	भारत सरकार के कार्यक्रमों का लेखांकन	अतिरिक्तता समाप्त करने के लिए पैरा 9.2 निरस्त कर दिया गया।
9	12.1 और 12.2	कार्मिक लाभ	अतिरिक्तता समाप्त करने के लिए उप–पैराग्राफों के बाद प्रयुक्त शब्द ''(संशोधित)'' निरस्त कर दिया गया है।

उपरोक्त संशोधनों के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा

23. परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन अथवा कंपनी द्वारा अनुमानित अल्पतर उपयोगी जीवन के लिए प्रदान किया जाता है। तत्संसबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र.स.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	उपयोगी जीवन वर्षों में	मूल लागत के % के रूप में शेष मूल्य
1.	भवन	60	5%
2.	ईडीपी उपकरण		
2A	सर्वर्स एंड नेटवर्क	6	5%
2B	अंतिम प्रयोक्ता डिवाइस यानी डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि	3	5%
3.	कार्यालय एवं अन्य उपकरण	5	5%
3A	सेल फोन	2	5%
4.	फर्नीचर और फिक्सचर्स	10	5%
5.	वाहन (कार)	8	5%
6.	अमूर्त परिसंपत्तियां	5	0%

ऊपर वर्णित सभी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास लिखित मूल्य पद्धति का इस्ते माल करते हुए किया जाता है, जबकि अमूर्त परिसंपत्तियां सीधे–पंक्ति आधार पर संशोधित की जाती है। इसके अतिरिक्त सभी वस्तुओं के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जबकि अमूर्त परिसंपत्तियों और सेल फोन के मामले में यह मूल्य कंपनी के स्वयं के अनुमान के आधार पर निर्धारित होता है।

24. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति कोई देयता नहीं है।

25. पट्टे पर धारित भूमि को संशोधित नहीं किया जाता है।

26. कंपनी ने अप्रैल, 2012 में सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) के साथ पंजीकरण किया ताकि अपने पक्ष में सृजित किए जाने वाले इक्विटेबल मार्टगेजो के रिकॉर्ड सीईआरएसएआई वेब पोर्टल पर फाइल एवं पंजीकृत किए जा सकें। व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करने पर, कंपनी अब सीईआरएसएआई और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निरंतर इस मामले को उठा रही है।

    कंपनी ने अपने दिनांक 24.12.2014 के पत्र के जरिए वित्तीय सेवाएं विभाग से अनुरोध किया है कि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम 2002 की धारा 23 के अंतर्गत विचारित इक्विटेबल बंधक लेन–देन की रिपोर्टिंग से कंपनी को छूट प्रदान की जाए। कंपनी ने अपने 05.01.2015 के पत्र के जरिए इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से भी हस्तक्षेप की मांग की है। इस बीच, कंपनी ने अपने दिनांक 15.03.2016 के पत्र के जरिए सीईआरएसएआई से पुनः अनुरोध किया है कि वह सीईआरएसएआई वेब पोर्टल पर डेटा प्रविष्ट करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करे। इस बारे में उत्तर की प्रतीक्षा है।

27. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205सी के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और प्रोत्साहन निधि के लिए रुपए 0.21 करोड़ (पिछले वर्ष रुपए 0.21 करोड) देय हुए और इस निधि में अंतरित किए गए। परंतु, दावेदारों द्वारा अंतरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण रुपए 0.56 करोड़ (पिछले वर्ष रुपए 0.56 करोड़) अप्रदत्त के रूप में बकाया रहे।

28. कंपनी ने 31 दिसंबर, 2015 तक बकाया धनराशि की पुष्टि के लिए ऋणकर्ताओं को पत्र भेजे। जिनके जवाब कुछ ऋणकर्ताओं को छोड़ कर, सभी ऋणकर्ताओं से प्राप्त किए जा चुके हैं।

29. लेखांकन मानक–22 के अनुसार कंपनी की निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं नीचे दी गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
(A) आस्थगित कर देयता (+)		
(i) ऐसे खर्चों के लिए प्रावधान जो आय कर अधिनियम के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं हैं	18.29	11.25
(ख) आस्थगित कर देयता (+)		
(i) मूल्यह्रास	(0.07)	(0.25)
(ii) पट्टा आय	(68.73)	(72.19)
(iii) परिशोधन	(0.47)	(0.60)
(iv) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(251.08)	(127.46)
निवल आस्थगित कर देयताएं (–)/परिसंपत्तियां (+)	**(302.06)**	**(189.25)**

30. लेखांकन मानक–20 के अनुपालन में प्रति शेयर अर्जन : प्रति शेयर अर्जन की गणना (बुनियादी और डाइल्यूटिड) नीचे दी गई है :

विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
गणक के रूप में प्रयुक्त निवल कर उपरान्त (करोड़ ₹ में)	6,113.48	5,959.33
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (बुनियादी)	132,00,40,704	132,00,40,704
बकाया स्टॉक विकल्पों का डाइल्यूटिड प्रभाव	–	153
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (डाइल्यूटिड)	132,00,40,704	132,00,40,857
अंकित मूल्य ₹ 10/–के प्रति इक्विटी शेयर पर अर्जन (बुनियादी) (₹)	46.31	45.15
बकाया स्टॉक विकल्पों का प्रभाव (₹)	–	0.00
अंकित मूल्य ₹ 10/–के प्रति इक्विटी शेयर पर अर्जन (डाइल्यूटिड) (₹)	46.31	45.15

31. क) 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकित मूल्य ₹ 10/–के प्रति इक्विटी शेयर पर प्रदत्त एवं प्रस्तावित लाभांश की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष			31.03.2015 को समाप्त वर्ष		
	शेयर पूंजी %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)	शेयर पूंजी %	प्रति इक्विटी शेयर (रु.)	राशि (₹ करोड़ में)
प्रथम अंतरिम लाभांश	88%(1)	8.80	1,161.64	85%	8.50	1,122.04
द्वितीय अंतरिम लाभांश	45%(2)	4.50	594.02	–	–	–
प्रस्ताववित अंतिम लाभांश	6%	0.60	79.20	6%	0.60	79.20
कुल लाभांश	**139%**	**13.90**	**1,834.86**	**91%**	**9.10**	**1,201.24**

(1) निदेशक मंडल द्वारा 16.12.2015 को 341वीं बैठक में घोषित और 04.01.2016 को अदा किया गया।

(2) निदेशक मंडल द्वारा 09.02.2016 को 343वीं बैठक में घोषित और 24.02.2016 को अदा किया गया।

(ख) अनिवासी शेयरधारकों को देय लाभांश

कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा में कोई रकम प्रेषित नहीं की है और कंपनी के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अनिवासी शेयरधारकों द्वारा/की ओर से लाभांशों के रूप में कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा में रकम प्रेषित की गई, यदि कोई की गई हो। अनिवासी शेयरधारकों (विदेशी संस्थागत निवेशकों सहित) को अदा की गई/देय लाभांश राशियों का विवरण नीचे दिया गया है:–

विवरण	प्रथम अंतरिम लाभांश		द्वितीय अंतरिम लाभांश		अंतिम लाभांश	
वर्ष जिससे लाभांश संबद्ध है	2015.16	2014.15	2015.16	2014.15	2015.16	2014.15
अनिवासी शेयरधारकों की संख्या	2,075	2,343	2,220	लागू नहीं	लागू नहीं	2,521
उनके द्वारा धारित ₹ 10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले शेयरों की संख्या	12,23,179	15,39,39,090	14,88,557	लागू नहीं	लागू नहीं	17,61,95,776
लाभांश की सकल राशि (₹ करोड़ में)	**1.07**	**0.61**	**0.67**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**0.05**

32. अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंडः

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
ऋण इक्विटी अनुपात	5.61	5.83
निवल मालियत (करोड़ ₹ में)	35,766.03	32,219.21

33. कंपनी की पूंजी निधि, जोखिम भारित परिसंपत्तियां और पूंजी जोखिम समायोजित अनुपात (सीआरएआर) निम्नलिखित हैं–

मद		31.03.2016 को	31.03.2015 को
(i)	पूंजी निधि –क. टियर–1 (करोड़ रुपए में)	33,217.38	30,099.55
	–ख. टियर–2 (करोड़ रुपए में)	6,224.90	6,011.08
(ii)	तुलन–पत्र मदों के समायोजित मूल्य के साथ जोखिम भारित परिसंपत्तियां (करोड़ रुपए में)	1,94,558.46	1,77,542.35
(iii)	सीआरएआर	20.27%	20.34%
(iv)	सीआरएआर–टियर–1 पूंजी	17.07%	16.95%
(v)	सीआरएआर–टियर–2 पूंजी	3.20%	3.39%
		31.03.2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान	**31.03.2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान**
(vi)	टियर–2 पूंजी के रूप में उगाहे गए अधीनस्थ ऋण की राशि (करोड़ रुपए में)	–	–
(vii)	सतत ऋण लिखतों के इश्यू से उगाही गई राशि (करोड़ रुपए में)	–	–

34. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी अतिरिक्त प्रकटीकरण

(क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लिए टिप्पणी भाग–ख के संदर्भ में

(ख) पूंजी

सीआरएआर के लिए टिप्पणी भाग ग–33 के संदर्भ में

(ग) निवेश

क्र.स.			विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
(1)	निवेशों का मूल्य				
	(i)	निवेशों का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में	2,774.79	852.38
		(ख)	भारत से बाहर	–	–
	(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान			
		(क)	भारत में	97.32	1.06
		(ख)	भारत से बाहर	–	–
	(iii)	निवेशों का निवल मूल्य			
		(क)	भारत में	2,677.47	851.32
		(ख)	भारत से बाहर	–	–
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों संबंधी जानकारी				
	(i)	प्रारंभिक शेष		1.06	0.00
	(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		96.26	1.06
	(iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए/पश्चलिखित प्रावधान		–	–
	(iv)	अंतिम शेष		97.32	1.06

(घ) **डेरिवेटिव्स**

I. ऋण देयताओं के संदर्भ में वायदा दर समझौता/ब्याज दर विनिमय (स्वैप):

क्र. स.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
(i)	स्वैप समझौतों का धारणात्मक सिद्धांत	7,164.60	9,541.10
(ii)	समझौतों के अंतर्गत प्रतिपक्षियों द्वारा दायित्व पूरे करने में विफल रहने पर होने वाली हानियां	121.72	74.47
(iii)	एनबीएफसी द्वारा स्वैपस में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित कोलैटरल	–	–
(iv)	स्वैप जनित ऋण जोखिम का संकेंद्रण	–	–
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	121.72	42.13

II. कंपनी की कोई विनिमय व्यापार ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्स नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

III. डेरिवेटिव्स में जोखिम उजागर होने के बारे में गुणात्मक प्रकटीकरण :

क. कंपनी ने मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति अपनाई है ताकि विदेशी मुद्रा में ऋण लेने से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन और बचाव किया जा सके। उक्त नीति संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए ढांचा और संगठन निर्धारित करती है।

ख. कंपनी रुपए और विदेशी मुद्रा देयताओं में ब्याज/विनिमय दर जोखिम के बचाव के लिए केवल मूलधन स्वैपस, ब्याज दर स्वैपस और वायदा अनुबंधों से संबंधित डेरिवेटिव्स कारोबार करती है। सीआरएम नीति के अनुसार जोखिमों की रिपोर्टिंग और निगरानी की एक प्रणाली अपनाई गई है जिसमें जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है, जिसमें वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं और जो विभिन्न डेरिवेटिव लिखतों के जरिए विदेशी मुद्रा विनिमय दर और ब्याज दर जोखिमों पर निगरानी रखती है।

ग. ये डेरिवेटिव लेन–देन बचाव प्रयोजन के लिए किए जाते हैं और व्यापार या सट्टेबाजी के प्रयोजन से नहीं किए जाते हैं। इन्हें बीमांकित आधार पर हिसाब में लिया जाता है और लेखांकन नीति के अनुसार बाजार पर चिन्हित नहीं किया जाता है। उल्लिखित बाजार पर चिन्हित स्थितियां वे हैं, जो प्रतिपक्षियों द्वारा सूचित की गई हैं।

घ. डेरिवेटिव लेन–देन के बारे में संबद्ध लेखांकन नीति के लिए उल्लेख टिप्पणी भाग ख–8 में किया गया है।

IV. ऋण देयताओं के संदर्भ में डेरिवेटिव्स में प्रकट जोखिम के बारे में मात्रात्मक जानकारी इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (धारणात्मक मूलधन राशि)				
	बचाव के लिए[1]	939.65	7,164.60	1,595.42	9,541.10
(ii)	बाजार स्थितियों पर चिन्हित (एमटीएम)				
	क) परिसम्पत्तियां (एमटीएम)	6.54	125.42	12.86	86.05
	ख) देयता (एमटीएम)	181.39	3.70	294.66	43.92
(iii)	ऋण प्रकटीकरण	–	–	–	–
(iv)	बचाव न किए गए प्रकटीकरण[2]	10,070.22	8,587.86	8,514.73	6,292.68

[1] ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रु 7,164.60 करोड़ (पिछले वर्ष रुपए 7,964.60 करोड़)

[2] इसमें एक चरण के लिए किए गए वायदा दर अनुबंध के जरिए आंशिक रूप से बचाव की गई ₹ 701.09 करोड़ की जापानी येन ऋण देयता (पिछले वर्ष रुपए 1,008.96 करोड़) (अमरीकी डॉलर/जेपीवाई)

(ङ) **प्रतिभूतिकरण संबंधी प्रकटीकरण**

I. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूतिकरण लेन–देन नहीं किया और 31.03.2016 को प्रतिभूतिकरण के कारण कोई प्रकटीकरण नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

II. कंपनी ने 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान परिसंपत्ति निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को किसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियां नहीं बेचीं (पिछले वर्ष शून्य)।

III. कंपनी ने 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कोई असाइनमेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया (पिछले वर्ष शून्य)।

IV. कंपनी ने 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान किन्ही गैर–निष्पादक वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद–फरोख्त नहीं की (पिछले वर्ष शून्य)

(च) **परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ मदों से संबंधित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पद्धति:**

विवरण	30 दिन तक	1 महीने से अधिक और 2 महीने तक	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अग्रिम[1]	3,124.16	396.04	1,069.45	20,866.40	8,596.10	36,410.72	41,260.26	126,897.47	238,620.60
निवेश[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	410.74	0.00	0.00	2,266.73	2,677.47
उधारियां[3]	9,366.68	9,350.00	3,393.00	4,818.60	7,277.83	55,701.03	36,312.50	63,859.11	190,078.75
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	5.14	0.00	0.00	12.23	17.37	5.14	144.41	115.31	299.60
विदेशी मुद्रा देयताएं	4.78	0.00	5.56	420.24	1,647.69	1,243.22	4,581.83	2,872.27	10,775.59

[1]रुपया ऋण परिसंपत्तियां

[2]प्रावधान का निवल

[3]रूपया देयता

(छ) **प्रकटीकरण**

I. कंपनी भू–संपदा क्षेत्र में कोई कारोबार नहीं करती है।

II. पूंजी बाजार प्रकटीकरण:

क्र. स.	विवरण	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी–ओरिएंटिड म्यूचुअल फंड्स की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जो कॉर्पोरेट ऋण में विशेष रूप से निवेशित न हों (पूर्ण परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश सहित);	869.64	844.70
(ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओज़/ईएसपीओज़ सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, और इक्विटी–ओरिएंटिड म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को स्पष्ट आधार पर निवेश करने के लिए दिए गए अग्रिम;	शून्य	शून्य
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी ओरिएंटिड म्यूचुअल फंड्स की यूनिटें प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में रखी जाती हैं;	शून्य	1,076.71
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी ओरिएंटिड म्यूचुअल फंड्स की यूनिटों की कोलैटरल प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किए जाते हैं, यानी जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनी डिबेंचरों/इक्विटी ओरिएंटिड म्यूचुअल फंड्स की यूनिटों से अग्रिमों की राशि पूरी तरह कवर न होती हो (ऐसे ऋणों को छोड़ कर, जिनमें प्रतिभूति निर्माण प्रक्रियाधीन हो);	शून्य	शून्य
(v)	शेयर दलालों को दिए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	शून्य	शून्य
(vi)	कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण, जो शेयरों/बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर मंजूर किए गए हों, अथवा जो संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रोन्नतकर्ता का योगदान पूरा करने के लिए सपष्ट आधार पर दिए गए हो;	1,744.13	2,097.82
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी फ्लोज/इश्यूज़ के प्रति कंपनियों को दिए गए ब्रिज ऋण;	शून्य	शून्य
(viii)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत और गैर–पंजीकृत दोनों) से संबंधित सभी जोखिम	6.15	7.68
पूंजी बाजार में कुल भागीदारी		**2,619.92**	**4,026.91**

III. मूल कंपनी उत्पादों के वित्त पोषण का ब्यौराः

कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है।

IV. गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का ब्यौराः

कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 और वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान अपनी एकल उधारकर्ता/समूह उधारकर्ता संबंधी विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है।

V. अप्रतिभूत अग्रिम

31.03.2016 (पिछले वर्ष शून्य) को ऐसे अग्रिमों की कुल राशि शून्य रही है, जिनके लिए राइट्स, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि पर प्रभार सृजित किया गया हो।

(ज) अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों से प्राप्त पंजीकरण

शून्य

(झ) रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों द्वारा दी गई सजाओं का ब्यौरा

31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान कंपनी को रिजर्व बैंक और अन्य नियामों द्वारा कोई दंड नहीं दिया गया। परंतु, कंपनी को एनएसई और बीएसई से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें निदेशक मंडल ने किसी महिला निदेशक की नियुक्ति न होने के लिए दंडित करने की बात कही गई थी। कंपनी ने शेयर बाजारों से अनुरोध किया है कि वे दंडित करने का अपना निर्णय वापस ले लें, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

(ञ) क्रेडिट रेटिंग

क वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग और रेटिंग दरों का माइग्रेशनः

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	क्रेसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	इकरा	इकरा एएए	इकरा ए1+
3.	केयर	केयर एएए	केयर ए1+

वर्ष के दौरान कोई रेटिंग माइग्रेशन नहीं हुआ।

ख 31.03.2016 को कंपनी को प्रदत्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
1.	फिच रेटंग्स	बीबीबी–	स्टेबल (स्थिर)
2.	स्टेंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी)	बीबीबी–	स्टेबल (स्थिर)
3.	मूडीज़	बीएए3	पॉजीटिव (आउटलुक में अप्रैल 2015 में कंपनी की रेटिंग को स्टेबल से संशोधित करते हुए पाजीटिव घोषित किया)

(ट) अवधि, पूर्व अवधि मदों के लिए निवल लाभ या हानि और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

पूर्व अवधि मदों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के बारे में लेखों संबंधी टिप्पणियों के अंतर्गत क्रमशः भाग क–18 और ग–22 को देखा जा सकता है।

(ठ) ऐसी परिस्थितियां, जिनमें महत्वपूर्ण अनिश्चिताओं का समाधान लंबित रहते राजस्व मान्यता स्थगित की गई।

शून्य

(ड) कंपनी लेखांकन मानक 21 और 27 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है। इस बारे में लेखा संबंधी टिप्पणियों के अंतर्गत भाग ग–7 (क) को देखा जा सकता है।

(ढ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं के लिए टिप्पणी भाग ग–20 को देखा जा सकता है।

(ण) **संचित कोष निधियों से ड्रा आहरण**

शून्य (पिछले वर्ष टिप्पणी भाग क–2 देखें)

(त) **जम राशियों, अग्रिमों, जोखिमों और गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का संकेंद्रण**

क जमा राशियों का संकेंद्रण (जमा राशियां स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए) – कंपनी एक जमा राशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी है।

ख अग्रिमों का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,49,625.35	1,34,468.69
कंपनी के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	62.63%	61.77%

ग ऋण जोखिमों का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
कंपनी के 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के मामले में कुल ऋण जोखिम	2,10,983.79	2,02,132.26
कंपनी के कुल ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के कुल ऋण जोखिम में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण जोखिम का प्रतिशत	56.43%	55.77%

घ गैर–निष्पादक ऋण परिसंपत्तियों का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
चार प्रमुख गैर–निष्पादक खातों में कुल बकाया राशि	4,461.48	2,228.64

ङ गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां क्षेत्रवार

कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी है। 31.03.2016 को कुल ऋण परिसंपत्तियों में सकल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का प्रतिशत 3.15 था। (पिछले वर्ष 1.16 प्रतिशत)

(थ) **ऋण परिसंपत्तियों के संदर्भ में गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का मूवमेंट**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		31.03.2016 को	31.03.2015 को
(i)	निवल अग्रिमों के प्रति निवल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां (:)		2.55	0.93
(ii)	गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का मूवमेंट (सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	2,533.31	1,331.54
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	8,385.58	2,548.77
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	(3,399.85)*	(1,347.00)
	(घ)	अंतिम शेष	7,519.04	2,533.31
(iii)	गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का मूवमेंट (निवल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	2,008.96	1,068.48
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	7,111.93	2,265.41
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	(3,059.87)*	(1,324.93)
	(घ)	अंतिम शेष	6,061.02	2,008.96
(iv)	गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों का मूवमेंट (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़ कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	524.35	263.06
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	1,273.66	283.36
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	(339.99)*	(22.07)
	(घ)	अंतिम शेष	1,458.02	524.35

*टिप्पणी भाग ग–18 देखें।

(द) संयुक्त उद्यमों अथवा अनुषंगियों के रूप में कंपनी की विदेशों में कोई परिसंपत्तियां नहीं हैं।

(ध) कंपनी द्वारा प्रायोजित विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के तुलन–पत्र की सूची के लिए लेखों संबंधी टिप्पणियों का भाग ग–7 (क) (ख) देखें।

(न) **वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ग्राहकों की शिकायतें**

क्र. सं.	विवरण	शिकयतों की संख्या
(क)	वर्ष के प्रारंभ में बकाया शिकायतों की संख्या	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
(ग)	वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
(घ)	वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	शून्य

35. व्यापार खंड की पहचान निदेशक मंडल और प्रबंधन ढांचे के बारे में अपनाई गई आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार की जाती है। कंपनी का प्राथमिक व्यापार विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त पोषण करना है, जिसे लेखांकन मानक 17 के संदर्भ में एकमात्र प्राथमिक व्यापार अनुभाग समझा गया है। अत: खंडात्मक रिपोर्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।

36. आंकड़ों को निकटतम करोड़ रुपए के दशमलव के दो स्थानों तक राउंडऑफ किया गया है।

37. पिछली अवधियों के लिए आंकड़ों को आवश्यकता अनुसार पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है ताकि वर्तमान अवधि वर्गीकरण की पुष्टि की जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00701892

हस्ता/–
एम. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता/–
(अतुल अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–00862एन

हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.05.2016

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन एल65910डीएल1986भारतसरकार024862
31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
I.	**प्रचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	9,060.66		8,378.23	
	जोड़ें : निम्नांकित के लिए समायोजन				
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (निवल)	0.14		(0.04)	
	निवेश की बिक्री पर लाभ	(0.49)		(1.31)	
	मूल्यह्रास/परिशोधन	6.17		6.09	
	जीरो कूपन बॉण्डों और कमर्शियल पेपर्स का परिशोधन	(11.55)		47.50	
	विदेशी मुद्रा अंतरण हानि	306.16		222.64	
	निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान	96.26		1.06	
	प्रावधान	1609.32		842.91	
	लाभांश/निवेश पर ब्याज	(70.66)		(31.46)	
	सीएसआर व्यय	145.79		117.49	
	ब्याज सब्सिडी निधि	(3.88)		(12.52)	
	आय कर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान	0.00		4.32	
	अधिशेष देयताएं पश्चलिखित	(0.30)		(2.45)	
	सेवा निवृत्ति लाभों/अन्य कल्याण व्ययों/मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान	20.84		21.94	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनगत लाभ	11,158.46		9,594.40	
	बढ़ोतरी/कमी				
	ऋण परिसंपत्तियां (निवल)	(21,220.77)			
	अन्य परिसंपत्तियां	(774.44)		(725.94)	
	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता	(359.18)		328.65	
	देयताएं और प्रावधान	878.88		358.98	
	असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह	(10,317.05)		(19,014.37)	
	असाधारण मदें	0.00		0.00	
	प्रचालनों से कर पूर्व नकदी अंतर प्रवाह/बाह्य प्रवाह	(10,317.05)		(19,014.37)	
	अदा किया गया आय कर	(3,059.54)		(2,453.36)	
	रिफंड किया गया आय कर	37.62		5.67	
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		(13,338.97)		(21,462.06)
II.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	मूर्त/अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री/समायोजन	0.14		0.18	
	मूर्त/अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(4.57)		(4.30)	
	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी	(0.16)		0.00	
	सहायक कंपनी में निवेश	(0.20)		0.00	
	निवेश पर लाभांश	70.66		31.46	
	अन्य निवेशों की खरीद/बिक्री	(1921.72)		(498.90)	
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		(1855.85)		(471.56)
III.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	बॉण्डों का निर्गम (प्रीमियम सहित) (निवल)	11711.11		32857.60	
	दीर्घावधि ऋणों की उगाही (निवल)	(3,585.00)		(7,885.00)	
	विदेशी मुद्रा ऋण (निवल)	732.75		566.33	
	कमर्शियल पेपर (निवल)	3195.00		805.00	
	सावधि निक्षेप राशियों के प्रति ऋण/कार्य शील पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट (निवल)	357.03		1928.17	
	दावा न किए गए बॉण्ड (निवल)	(0.13)		(0.57)	
	दावा न किया गया लाभांश (निवल)	0.40		(0.13)	
	पिछले वर्ष के अंतिम लाभांश का भुगतान	(79.20)		(26.40)	
	चालू वर्ष के अंतरिम लाभांश का भुगतान	(1755.66)		(1122.04)	
	कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान	(372.86)		(228.59)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		10,203.44		26,894.37
	नकदी और नकदी समकक्ष में निवल बढ़ोतरी/कमी		(4,991.38)		4,960.75
	जोड़ें : वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		5019.44		58.69
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		28.06		5019.44
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यों का ब्यौरा				
i)	चालू खाते में शेष				
	भारतीय रिजर्व बैंक	0.05		0.05	
	अनुसूचित बैंकों में	28.01	28.06	127.16	127.21
ii)	हस्तगत चेक		0.00		0.01
iii)	डाक प्राधिकारियों के साथ अग्रदाय		0.00		0.00
iv)	अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा राशि (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने)		0.00		4892.22
	उप–जोड़ (i)		28.06		5019.44
	वर्ष के अंत में निर्धारित रोकड़ और बैंक शेष का ब्यौरा				
i)	बॉण्डों, लाभांश आदि पर ब्याज भुगतान के लिए अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में शेष		6.41		1.36
ii)	आईपीडीएस/आर–एपीडीआरपी				
	अनुसूचित बैंकों में चालू खाते में शेष		13.01		5.00
	बैंकों में सावधि निक्षेप राशि (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने)		0.00		45.00
iii)	बैंकों में सावधि निक्षेप राशि – डिबेंचरों के विमोचन के लिए (मूल परिक्वता अवधि 3 महीने)		30.97		0.00
	उप–जोड़ (ii)		50.39		51.36
	वर्ष के अंत में कुल नकदी और बैंक शेष (i+ii)		78.45		5,070.80

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता/–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00701892

हस्ता/–
एम. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या – 01411एन

हस्ता/–
(अतुल अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या – 00862एन

हस्ता/–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.05.2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

एकल वित्तीय विवरणों के बारे में रिपोर्ट

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलन–पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व :

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में वर्णित लेखांकन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार ऐसे वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और उसके रोकड़ प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। इस दायित्व के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और किसी प्रकार की धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनमें कमी लाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, ताकि लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित की जा सके तथा ऐसे वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर ढंग से परिचालित किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय जाहिर करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षण मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा में निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं ताकि वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। जोखिम के ऐसे मूल्यांकनों को अंजाम देते समय लेखा परीक्षक कंपनी की तैयारी और संबद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार करता है ताकि वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा की उचित प्रक्रिया अपनाई जा सके। लेखापरीक्षा के अंतर्गत इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे हमारी एकल लेखापरीक्षा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित थे।

हमारी राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 को कंपनी की स्थिति और उसके लाभ तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह के बारे में एक सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय

हम वित्तीय विवरणों के अंतर्गत टिप्पणियों में निम्नांकित विषयों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं :

(क) भाग–ग अन्य लेखा टिप्पणियों के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 13 (ग) की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। यह टिप्पणी भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार 31.03.2016 तक की अवधि के लिए मानक परिसंपत्तियों के बारे में किए गए प्रावधानों को बदलने से संबंधित है।

(ख) भाग–ग 'अन्य लेखा टिप्पणियों' के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 15, यह टिप्पणी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्गठन/पुनः समय निर्धारण/पुनःमोलभाव (आर/आर/आर) और 31.03.2016 तक की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के बारे में किए गए प्रावधानों को बदलने से संबंधित है।

हमारी राय उपरोक्त मामले में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(5) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों, इस बारे में की गई कार्रवाई और अनुलग्नक–क में दिए गए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव, पर हमने विचार किया है,

2. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश–2016 (''आदेश'') की अपेक्षा के अनुसार हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के बारे में अनुलग्नक 'ख' के अंतर्गत एक वक्तव्य दिया है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

   (ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखापरीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरुप है।

   (घ) हमारी राय में उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम संख्या 7 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप है।

   (ङ) 31 मार्च, 2016 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा लिखित रूप में दी गई सूचना के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2016 को निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनगत प्रभावकारिता के संदर्भ में अनुलग्नक–ग में एक पृथक रिपोर्ट संलग्न है।

   (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

      (I) कंपनी ने वित्तीय विवरणों में लंबित अदालती मामलों के बारे में अपनी वित्तीय स्थिति के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तीय विवरणों में अन्य लेखा टिप्पणियों के अंतर्गत भाग–ग की टिप्पणी संख्या 2(ख) टिप्पणी संख्या 3 देखें।

      (II) तुलन–पत्र की तारीख तक डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घावधि अनुबंध नहीं है, जिसके लिए प्रयोज्य कानून अथवा लेखांकन मानकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि के लिए प्रावधान अपेक्षित हो;

      (III) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित निधि के अंतरण में कंपनी ने कोई देरी नहीं की है।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता/–
सीए अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–000862एन

हस्ता/–
सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

दिनांक : 25.05.2016
स्थान : नई दिल्ली

एकल कंपनी वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप–निर्देशों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास उसकी फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए क्रमशः स्पष्ट स्वामित्व/लीज विलेख हैं? यदि नहीं, तो उन फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि क्षेत्रों का वर्णन करें, जिनके लिए स्वामित्व/लीज विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	हां, कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड भूमि के संदर्भ में क्रमशः स्पष्ट स्वामित्व/लीज विलेख हैं।
2.	कृपया बताएं क्या उधारी/ऋणों/ब्याज आदि माफ करने/बट्टे खाते डालने के कुछ मामले हैं, यदि हां, तो उनके कारण बताएं और तत्संबंधी धनराशि का उल्लेख करें।	वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान : I. विद्युत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20 नवंबर, 2015 के अनुरुप, ब्याज पर ब्याज से संबंधित ₹ 34.93 करोड़ और दंड ब्याज से संबंधित ₹ 5.34 करोड़ उन राज्यों के संदर्भ में माफ किए गए, जिन्होंने उज्ज्वल वितरण कंपनी आश्वासन योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। II. ऋणकर्ता के अनुरोध और अधिकारों के प्रत्यायोजन की सीमा के अनुसार 1 ऋणकर्ता के संदर्भ में 0.01 करोड़ रुपए प्रतिबद्धता शुल्क माफ किया गया। III. ऋणकर्ता के अनुरोध और अधिकारों के प्रत्यायोजन की सीमा के अनुसार 2 ऋणकर्ताओं के संदर्भ में 0.41 करोड़ रुपए अतिरिक्त ब्याज माफ किया गया।
3.	क्या तृतीय पक्ष के पास रखी गई माल सूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहार/अनुदानों का समुचित रिकॉर्ड रखा गया है?	लागू नहीं
4.	सभी पुनर्गठित, पुनः सीमा निर्धारित या पुनः मोल–भाव किए गए ऋणों के लिए प्रावधान की अपेक्षा के संदर्भ में, क्या ऐसे ऋणों के प्रति उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य का समय–समय पर मूल्यांकन करने की कोई प्रणाली है और वर्ष के दौरान इस बारे में समुचित प्रावधान किए गए हैं इस संदर्भ में किसी प्रकार की खामियों के बारे में उपयुक्त टिप्पणी करें।	यह मामला कंपनी के विवेकपूर्ण मानदंड के खंड 6सी(III) के अंतर्गत अधिशासित है। यह खंड 31.03.2015 को उत्पादन कंपनियों के बकाया पुनर्गठित ऋणों के स्टॉक के संदर्भ में लागू नहीं होता है। ऋणों के ऐसे स्टॉक पर रिजर्व बैंक के दिनांक 11.06.2014 के पत्र के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है, अर्थात् 31.03.2015 से 2.75 प्रतिशत प्रावधान से शुरु करते हुए 31.03.2018 तक प्रावधान को 5 प्रतिशत पर पहुंचाना है। नतीजतन रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुरूप प्रावधान 31.03.2016 को ₹ 1129.20 करोड़ बैठता है, जो टिप्पणी भाग–ग 'लेखों पर अन्य टिप्पणियां' की टिप्पणी संख्या 16 में प्रकट किया गया है। खंड 6सी(III) केवल पुनर्गठित परियोजना ऋणों पर लागू होता है, जो 31.03.2017 तक ट्रांसमिशन और वितरण, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में पनबिजली परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं। ऐसी ऋण परिसंपत्तियों को 31.03.2016 को ₹ 1016.77 करोड़ की राशि के लिए आरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुरुप, ऐसी प्रतिभूत ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रतिभूति मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त उप–निर्देश के नतीजतन, खंड 6सी(III) के संदर्भ में उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के समय–समय पर मूल्यांकन की एक प्रणाली भी विकसित की गई है।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता/–
सीए अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–000862एन

हस्ता/–
सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

दिनांक : 25.05.2016
स्थान : नई दिल्ली

एकल कंपनी वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख

(''अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं'' के बारे में इसी तरीख की हमारी रिपोर्ट के पैरा 2 में उल्लिखित अनुसार)

i. (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी ने समुचित रिकॉर्डो का रखरखाव किया है, जिनमें स्थायी परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाए गए हैं।

(ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष की समाप्ति पर स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। हमारी राय में, वास्तविक सत्यापन की आवृत्ति कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए युक्तिसंगत है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वास्तविक सत्यापन के दौरान प्रबंधन को कोई महत्वपूर्ण खामी नज़र नहीं आयी।

(ग) कंपनी के पास उसके नाम से पंजीकृत सभी अचल परिसंत्तियों के स्वामित्व विलेख मौजूद हैं।

ii. कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तदनुरूप इसकी कोई माल सूची नहीं है अतः कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश–2016 कंपनी पर लागू नहीं होता है।

iii. हमें दिए गए स्पष्टीकरण लेखा–बहियों के सत्यापन के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण न तो लिया है और न ही उन्हें दिया है। तदनुसार, कंपनी (लेखारीक्षक रिपोर्ट) आदेश–2016 के खंड 3(III) (ए) और (बी) कंपनी पर लागू नहीं होते।

iv. कंपनी ने कोई ऐसा ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है, गारंटियां और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अधीन कवर किए जाने योग्य हों।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या किसी अन्य संबद्ध प्रावधान और कंपनी (जमा राशि स्वीकरण) नियम 2014 के प्रावधानों के अर्थ में कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदत्त किसी भी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत कोई लागत रिकॉर्ड रखने की अनुशंसा नहीं की है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश–2016 के खंड 3(आ) कंपनी पर लागू नहीं होते।

vii. कंपनी द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के रिकॉर्डो की परीक्षा के आधार पर, सांविधिक बकाया के संबंध में हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) कंपनी यथोचित प्राधिकरणों को अविवादास्पद सांविधिक बकाया जिसमें उस पर लागू भविष्य निधि, कार्मिक राज्य बीमा निधि, आयकर, सेवा कर और मूल्य संवर्धित कर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकायों को आमतौर पर नियमित रूप से जमा करती रही है और कंपनी के लेखों के अनुसार, उपर्युक्त बकाया के संबंध में देय ऐसी कोई विवादास्पद राशि नहीं है जो 31 मार्च, 2016 को 6 माह से अधिक की अवधि से बकाया हो।

(ख) किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी से मांग की गई/देय राशि के विवादास्पद होने की स्थिति में कंपनी ने उसे विरोधाधीन जमा कराया है।

viii. कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, सरकार से लिए गए ऋणों या डिबेंचर धारकों की बकाया राशि चुकाने में कोई चूक नहीं की है।

ix. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऋण विलेखों और सावधि ऋणों से जुटाई गई राशि का उपयोग आमतौर पर उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिस प्रयोजन के लिए वह जुटाई गई थी।

x. हमारी पूर्ण जानकारी और लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने अथवा कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी किए जाने की कोई सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली है।

xi. सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xii. कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। अतः निधि नियम, 2014 कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुरुप, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xiii. संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन, जहां कहीं लागू हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं। रेखांकन मानक की आवश्यकता के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरे वित्तीय विवरण में प्रकट किए गए हैं।

xiv. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अधिमानी आबंटन या शेयरों अथवा आंशिक या पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

xv. कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई गैर–रोकड़ लेन–देन नहीं किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अंतर्गत कवर होते हों।

xvi. कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और उसने रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1, के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त किया है।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता/–
सीए अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–000862एन

हस्ता/–
सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

दिनांक : 25.05.2016
स्थान : **नई दिल्ली**

एकल वित्तीय विवरणों के बारे में स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (I) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में रिपोर्ट।

हमने **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (''कंपनी'') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट' के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है, जो इसके व्यापार के सुचाः और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा सकें। इनमें कंपनी की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और निवारण, लेखांकन रिकॉर्डो की परिशुद्धता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय जाहिर करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखापरीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'गाइडेंस नोट' (''गाइडेंस नोट") और लेखांकन मानकों के अनुसार की है, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें, जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम किए गए और उन्हें बनाए रखा गया तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में ऐसे नियंत्रण संचालित किए गए।

हमारी लेखापरीक्षा में ऐसी निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी विद्यमान महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन तैयार करना और उसकी प्रचालनगत सक्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के बारे में महत्वपूर्ण गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की जाती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से संबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही–सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेन–देन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति की अपेक्षा के अनुसार रखा गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

आंतरिक नियंत्रणों के विफल होने या अनुचित प्रबंधन और उल्लंघन होने की आशंका सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित की सीमाएं होती हैं, जिनसे त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण ऐसी महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है, जिसका पता न चल पाए। इसके अतिरिक्त भावी अवधियों

से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

हमारी राय

हमारी राय में कंपनी ने, सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2016 को कारगर ढंग से प्रचालित थे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंड पर आधारित थे।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता/–
सीए अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–000862एन

हस्ता/–
सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

दिनांक : 25.05.2016
स्थान : नई दिल्ली

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ऊर्जा निधि, 1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ''गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2008'' की अपेक्षा अनुसार, उक्त निर्देश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले कुछ सीमा तक कॉर्पोरेशन पर लागू होते हैं तथा हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. कंपनी, गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार में लगी हुई है तथा उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10.02.1998 को पूर्व में जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 1400004 के बदले में दिनांक 28.07.2010 का प्रमाणपत्र संख्या 1400004 है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी परिसंपत्ति/आय पैटर्न के संदर्भ में 31.03.2015 को ऐसे पंजीकरण जारी रखने की पात्र है।

2. व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण गैर–बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार न करने वाली या होल्डिंग) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2015 से संबंधित दिनांक 27 मार्च, 2015 की भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीएनबीआर 009/सीजीएम(सीडीएस)–2015 के पैरा–1(3)(II) के अनुसार ये दिशा–निर्देश, पते, निदेशकों, लेखापरीक्षकों आदि में परिवर्तन की सूचना रिजर्व बैंक को देने संबंधी पैरा 25 के प्रावधानों को छोड़कर ऐसी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) के अंतर्गत सरकारी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया हो और वह सार्वजनिक जमा स्वीकार/होल्ड न कर रही हो।

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, जमा राशियों से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, कंपनी के निदेशक मंडल ने पब्लिक से जमा राशि स्वीकार न करने के बारे में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

4. कंपनी ने वर्ष 2015–16 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

5. 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेशन ने लेखांकन मानकों, आयगत मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के बारे में कंपनी द्वारा तैयार किए गए एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन किया है।

6. आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या आरबीआई/2015–16/28–डीएनबीआर(पीडी)सीसी संख्या 055/03.10.119/2015–16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के संदर्भ में सरकारी कंपनी होने के नाते पीएफसी को एनबीएस–7 रिजर्व बैंक में जमा कराने से छूट प्राप्त है।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता/–
सीए अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–000862एन

हस्ता/–
सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

दिनांक : 25.05.2016
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)बी के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी और उसके बारे में प्रबंधन का उत्तर

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) और साथ में पठित धारा 129(4) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वह कंपनी अधिनियम की धारा 143 और साथ में पठित धारा 129(4) के तहत वित्तीय ब्यौरों के बारे में अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के आधार पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा करें। यह कार्य लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25 मई, 2016 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पूरा किया गया। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ए) और साथ में पठित धारा 129(4) के अधीन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। परंतु, हमने अनुलग्नक में वर्णित सहायक, एसोशिएट कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। कंपनी के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के औपचारिक दस्तावेज देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकॉर्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके लिए सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई पूरक टिप्पणी करना अपेक्षित हो।	
1 **सामान्य** **समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां (भाग–ग)–टिप्पणी 18**	
उपरोक्त टिप्पणी इस तथ्य को उजागर करती है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कंपनी ने एक ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित अवमानक के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुनःवर्गीकृत किया गया है, नतीजतन वर्ष 2015–16 में किए गए ₹ 339.99 करोड़ के एनपीए प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है परंतु, टिप्पणी में उक्त ऋण खाते के संदर्भ में घोषित लेखांकन नीति से विचलन के कारण पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को प्रकट नहीं किया गया है, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं :	कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर कानूनी राय प्राप्त करने के बाद इस ऋण परिसंपत्ति को मानक परिसंपत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है।
(I) यदि परिसंपत्ति को 'पुनर्गठित अवमानक समझा गया होता, तो ₹328.78 करोड़ की ब्याज आय (अर्थात् ब्याज के रूप में नकद प्राप्त न हुए ₹ 201.26 करोड़ और ब्याज उपचित परंतु देय नहीं के रूप में ₹127.52 करोड़) वर्ष के दौरान मान्य नहीं हुई होती; और	कंपनी द्वारा वास्तविक आधार पर की गई ₹ 328.78 करोड़ की ब्याज गणना, मानक परिसंपत्तियों पर आय मान्य करने संबंधी विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार है। नकदी आधार पर ब्याज आय मान्य करने संबंधी मानदंड गैर–निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) के संबंध में लागू होते हैं, जबकि संदर्भ के अंतर्गत ऋण खाता 31.03.2016 को एक मानक परिसंपत्ति था। अतः कंपनी द्वारा वास्तविक आधार पर की गई ₹ 328.78 करोड़ की ब्याज गणना कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या ग–2.1 के अनुरूप है।

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
(II) यदि परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के संदर्भ में परिसंपत्ति को 'पुनर्गठित अवमानक' समझा गया होता, तो 'पुनर्गठित मानक' ऋण परिसंपत्ति समझे जाने के कारण लेखों में किए गए ₹ 148.82 करोड़ के प्रावधान के अतिरिक्त ₹ 276.37 करोड़ का प्रावधान आवश्यक होता।	कंपनी द्वारा 3.5 प्रतिशत की दर से किया गया ₹ 148.82 करोड़ का प्रावधान पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में परिसंपत्ति वर्गीकरण पर आधारित है, जो महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या ग–7.3.2 (ख) के अनुरूप है। 10 प्रतिशत की दर से प्रावधान अवमानक परिसंपत्ति पर लागू होता है। ऋण परिसंपत्ति पुनर्गठित श्रेणी में एक मानक परिसंपत्ति है, अतः उस पर 10 प्रतिशत की दर से प्रावधान लागू नहीं होता है। अतः ₹ 276.37 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान (10 प्रतिशत के आधार पर प्रावधान में से 3.5 प्रतिशत का प्रावधान घटाने पर) आवश्यक नहीं है। इस प्रकार कंपनी ने घोषित लेखांकन नीतियों के अनुसार आय को मान्यता दी है और प्रावधान किया है, अतः कोई विचलन नहीं किया गया है। इस मामले में चूंकि किसी घोषित लेखांकन नीति से कोई विचलन नहीं हुआ है, अतः किसी प्रकार का नतीजतन वित्तीय प्रभाव प्रकट करना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार, आय मान्यता, प्रावधान और प्रकटीकरण नियमानुसार किए गए हैं।
कृते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनकी ओर से **हस्ता./–** **(ऋतिका भाटिया)** **प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और** **पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–तृतीय, नई दिल्ली** **स्थानः नई दिल्ली** **दिनांक 26 जुलाई, 2016**	**कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से** **हस्ता./–** **(एम. के. गोयल)** **अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक** **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** **स्थानः नई दिल्ली** **दिनांक 26 जुलाई, 2016**

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन एल65910डीएल1986GOI024862

31 मार्च, 2016 का तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी भाग	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
क इक्विटी और देयताएं					
(1) शेयरधारकों की निधि					
(क) शेयर पूंजी	क–1	1,320.04		1,320.04	
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	क–2	34,708.27	36,028.31	31,091.31	32,411.35
(2) गैर–वर्तमान देयताएं					
(क) दीर्घावधि ऋण	क–3				
प्रतिभूत		19,869.75		20,786.66	
अप्रतिभूत		152,744.82	172,614.57	144,208.75	164,995.41
(ख) स्थगित कर देयताएं (निवल)	ग–21		301.96		188,27
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	क–4		548.85		333.81
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	क–5		1,230.59		963.97
(3) वर्तमान देयताएं					
(क) अल्पावधि ऋण	क–3				
प्रतिभूत		–		1,928.17	
अप्रतिभूत		7,571.57		2,136.24	
(ख) व्यापार देय					
(I) लघु उद्यमों एवं सूक्ष्म उद्यमों का बकाया देय		–		–	
(II) लघु उद्यमों एवं सूक्ष्म उद्यमों के अतिरिक्त ऋणदाताओं का कुल बकाया देय		69.65		17.04	
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं					
(I) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिवक्वता	क–3				
प्रतिभूत		1,916.91		1,990.00	
अप्रतिभूत		18,557.09		16,745.28	
(II) अन्य	क–4	7,564.86		6,672.68	
(घ) अल्पावधि प्रावधान	क–5	815.39	36,495.47	529.43	30,018.84
कुल			**247,219.75**		**228,911.65**
ख परिसंपत्तियां					
(1) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां					
(क) अचल परिसंपत्तियां	क–6				
(I) मूर्त परिसंपत्तियां		256.20		142.65	
घटाएं : संचित मूल्य ह्रास		59.18	197.02	42.94	99.71
(II) अमूर्त परिसंपत्तियां		8.90		8.34	
घटाएं : संचित परिशोधन		7.44	1.46	6.55	1.79
(III) विकास के अधीन अमूर्त सांत्तियां			46.63		2.42
(ख) गैर–वर्तमान निवेश	क–7				
व्यापार		19.23		23.80	
अन्य		1,800.00	1,819.23	–	23.80

विवरण			टिप्पणी भाग	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
	(ग)	दीर्घावधि ऋण	क–8				
		प्रतिभूत		134,986.71		129,696.73	
		अप्रतिभूत		65,394.00	200,380.71	68,233.61	197,930.34
	(घ)	अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	क–9				
	(I)	अनुसूचित बैकों के पास सावधि जमा (मूल परिपक्वता 12 महीनों से अधिक)		57.37		93.27	
	(II)	अन्य		318.14	375.51	225.64	318.91
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**						
	(क)	वर्तमान निवेश	क–10	410.74		504.04	
	(ख)	व्यापार प्राप्तियां	क–19				
		6 महीनों से अधिक		49.16		9.57	
		अन्य		62.05		19.02	
	(ग)	नकदी एवं बैंक शेष	क–11	301.55		5,367.36	
	(घ)	अल्पावधि ऋण	क–8				
		प्रतिभूत		1,080.93		549.88	
		अप्रतिभूत		2,711.45		2,456.12	
	(ङ)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां					
	(I)	दीर्घावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	क–8				
		प्रतिभूत		12,203.39		10,711.87	
		अप्रतिभूत		21,431.03		5,601.96	
	(II)	अन्य	क–9	6,148.89	44,399.19	5,314.86	30,534.68
		कुल			**247,219.75**		**228,911.65**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां — **भाग ख**

अन्य लेखा टिप्पणियां — **भाग ग**

भाग क से भाग ग तक टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**
मनोहर बलवानी	**आर. नागराजन**	**एम. के. गोयल**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन–00701892	डीआईएन–00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

	कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी	कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
	फर्म रजि. संख्या–01411एन	फर्म रजि. संख्या–00862एन
	हस्ता./–	**हस्ता./–**
	(अतुल अग्रवाल)	**(संजीव चांदना)**
स्थान : नई दिल्ली	भागीदार	भागीदार
तारीख : 25.05.2016	सदस्यता संख्या–099374	सदस्यता संख्या–087354

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन एल65910डीएल1986GOI024862
31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी भाग	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
I.	**प्रचालन से राजस्व**					
	(क) ब्याज आय	क–12	27,099.83		24,589.98	
	(ख) परामर्शी/सलाहकार सेवाएं	क–12	262.52		56.78	
	(ग) अन्य प्रचालन सेवाएं	क–12	136.21		160.87	
	(घ) अन्य वित्तीय सेवाएं	क–12	281.65	27,780.21	146.30	24,953.93
II.	**अन्य आय**					
	अन्य आय	क–13		105.56		59.00
III.	**कुल राजस्व (I+II)**			**27,885.77**		**25,012.93**
IV.	**व्यय**					
	वित्त लागत	क–14		16,645.38		15,451.33
	बॉण्ड इश्यू व्यय	क–15		33.44		31.40
	कार्मिक लाभ व्यय	क–16		106.63		101.47
	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	सी–16		1,610.16		843.07
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	सी–20		96.26		1.06
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	क–6		20.08		7.92
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	ग–21(क)		146.81		118.50
	अन्य व्यय	क–17		61.97		14.45
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	क–18		(2.06)		(2.14)
	कुल व्यय			**18,718.67**		**16,567.06**
V.	**विशिष्ट और असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ (III–IV)**			**9,167.10**		**8,445.87**
VI.	विशिष्ट मदें			0.00		0.00
VII.	**असाधारण मद और कर पूर्व लाभ (V–VI)**			**9,167.10**		**8,445.87**
VIII.	असाधारण मदें			0.00		0.00
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII–VIII)**			**9,167.10**		**8,445.87**
X.	**कर व्यय**					
	1) वर्तमान कर		2,857.89		2,525.38	
	2) पिछले वर्षों के लिए कर		12.11	**2,870.00**	(0.18)	**2,525.20**
	3) स्थगित कर देयता (+)/परिसंपत्ति (–)			113.10		(83.73)
XI.	**सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (हानि) (IX-X)**			**6,184.00**		**6,004.40**

	विवरण	टिप्पणी भाग	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
XII.	रु. 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के अनुसार आय	ग–30		
	1) बुनियादी (₹)		46.85	45.49
	2) डाइल्यूटेड (₹)		46.85	45.49
	समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	भाग–ख		
	समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां	भाग–ग		
	भाग क 1 से 20, भाग ख और भाग ग तक टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग हैं			

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता./–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00701892

हस्ता./–
एम. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता./–
(अतुल अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–00862एन

हस्ता./–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.05.2016

टिप्पणी–भाग क–1
समेकित शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
क	**अधिकृत :**		
	₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 2,00,00,00,000 शेयर	2,000.00	2,000.00
	(पिछले वर्ष ₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 2,00,00,00,000 शेयर)		
	कुल	**2,000.00**	**2,000.00**
ख	**जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त :**		
	₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 1,32,00,40,704 पूर्ण चुकता शेयर	1,320.04	1,320.04
	(पिछले वर्ष ₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 1,32,00,15,011 पूर्ण चुकता शेयर)		
	कुल	**1,320.04**	**1,320.04**

टिप्पणियां :–

1. कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो नए शेयर जारी किए और न ही कोई वापस खरीदा।
2. कंपनी के इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसमें प्रति शेयर मूल्य ₹ 10/– है। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में शेयरधारण के अनुपात के अनुसार वोट देने के हकदार हैं।
3. वर्ष के दौरान विमोचन योग्य अधिमानी शेयरों की संख्या–शून्य (पिछले वर्ष–शून्य)
4. वर्ष के दौरान ईएसओपी स्कीम के अंतर्गत कोई शेयर आबंटित नहीं किया गया।
5. समानधान किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
	संख्या	**संख्या**
प्रारंभिक शेष	1,32,00,40,704	1,32,00,40,704
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	शून्य	शून्य
अंतिम शेष	1,32,00,40,704	1,32,00,40,704

6. (क) वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विनिवेश विभाग के माध्यम से विनिवेश करते हुए ₹ 10/–प्रतिशेयर अंकित मूल्य के 29188 इक्विटी शेयर गोल्डमैन सैच असेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को बेचे।

   (ख) वर्ष के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से और उसके प्रतिनिधित्व में शेयर बाजार व्यवस्था के अंतर्गत प्रोमोटरों के माध्यम से शेयरों के बिक्री प्रस्ताव के जरिए कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी में अपनी 72.80 प्रतिशत शेयरधारिता में से विनिवेश विभाग के माध्यम से विनिवेश करते हुए ₹ 10/–प्रति शेयर अंकित मूल्य के 6,60,02,035 इक्विटी शेयर बेचे।
7. कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के बारे में जानकारी :

शेयर धारकों के नाम		31.03.2016	31.03.2015
भारत के राष्ट्रपति	शेयर धारण प्रतिशत	67.80	72.80
	धारित शेयरों की संख्या	894,924,366	960,955,589
भारतीय जीवन बीमा निगम	शेयर धारण प्रतिशत	9.08	6.90
	धारित शेयरों की संख्या	119,830,788	91,071,654

टिप्पणी–भाग क–2
समेकित संचित कोष एवं अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
(क)	**प्रतिभूत प्रीमियम खाता**				
	प्रारंभिक शेष	4,096.37		4,096.37	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	0.21	4,096.58	0.00	4,096.37
(ख)	**डिबेंचर मोचन आरक्षित**				
	प्रारंभिक शेष	856.28		546.08	
	जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	316.27	1,172.55	310.20	856.28
	(देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 5(8)–समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)				
(ग)	**अन्य**				
(i)	**आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित**				
	प्रारंभिक शेष	2,117.93		1,730.44	
	जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	429.21	2,547.14	387.49	2,117.93
(ii)	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वर्ष 1996–97 तक सृजित विशेष आरक्षित**		**599.85**		**599.85**
(iii)	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वर्ष 1997–98 तक सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित**				
	प्रारंभिक शेष	10,541.45		8,624.76	
	जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	2,008.37		1,851.11	
	घटाएं : सामान्य आरक्षित को अंतरित	(66.22)		(6.82)	
	जोड़ें : अधिशेष से अंतरित*	28.76		72.71	
	घटाएं : लाभ एवं हानि विनियोजन (तुलन–पत्र शीर्ष) को अंतरित	0.00	12,512.36	(0.31)	10,541.45
(iv)	**भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत सांविधिक संचित कोष**				
	प्रारंभिक शेष	6.43		2.65	
	जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	4.52	10.95	3.78	6.43
(v)	**सामान्य आरक्षी**				
	प्रारंभिक शेष	4,197.11		3,594.29	
	जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	1,101.00		596.00	
	जोड़ें : विशेष संचित कोष से अंतरित	66.22	5,364.33	6.82	4,197.11
(vi)	**विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण विभेद खाता (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 6(ग)–समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)**				
	प्रारंभिक शेष	(380.56)		(709.21)	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान निवल वृद्धि	(359.18)	(739.74)	328.65	(380.56)

विवरण	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
(घ) अधिशेष				
प्रारंभिक शेष	9,056.45		7,717.00	
जोड़ें : सीएसआर और एसडी आरक्षी से अंतरित	0.00		0.00	
जोड़ें : चालू वर्ष के दौरान समायोजन**	(0.35)		(0.58)	
जोड़ें : आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विशेष संचित कोष से अंतरित	0.00		0.31	
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋण तथा आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विशेष आरक्षी को अंतरित	0.00		0.00	
घटाएं : जीवन समाप्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	0.00		(1.93)	
घटाएं : आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विशेष संचित कोष को अंतरित	(28.76)		(72.71)	
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विनियोजन से रखा गया अधिशेष	116.91	9,144.25	1,414.36	9,056.45
कुल (क)+(ख)+(ग)+(घ)#		**34,708.27**		**31,091.31**

नोट : लाभ एवं हानि विनियोजन

विवरण	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
वर्ष के लिए कर उपरांत लाभ		6,184.00		6,004.40
घटाएं : संचित कोष को अंतरित				
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii क) (सी) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए संचित कोष को अंतरित	429.21		387.49	
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष संचित कोष को अंतरित	2,008.37		1,851.11	
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1सी के तहत सांविधिक संचित कोष	4.52		3.78	
डिबेंचर मोचन संचित कोष	316.27		310.20	
सामान्य संचित कोष	1,101.00	3,859.37	596.00	3,148.58
घटाएं : लाभांश और कॉरपोरेट लाभांश कर				
अदा किया गया अंतरिम लाभांश	1,755.66		1,122.04	
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	79.20		79.20	
अंतरिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	356.74		224.10	
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर	16.12	2,207.72	16.12	1,441.46
कुल		116.91		1,414.36

*मूल्यांकन वर्ष 2015–16 के लिए आय कर विवरणी के अनुसार दावाकृत कटौती के समान अंतरित राशि।

#इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में रुपए 14.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.19 करोड़) शामिल हैं।

**वित्तीय वर्ष 2015–16 के निवल ब्लॉक में ईईएसएल के संदर्भ में पिछले वर्ष गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के समायोजन के संदर्भ में समेकन के लिए प्रयुक्त ₹ 0.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.58 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग क–3
समेकित ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	वर्तमान	गैर–वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर–वर्तमान	कुल
क. दीर्घावधि ऋण						
I प्रतिभूत						
बॉण्ड्स						
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या 1)	316.91	44.64	361.55	0.00	361.55	361.55
कर मुक्त बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या 2)	0.00	12,275.11	12,275.11	0.00	11,275.11	11,275.11
अन्य बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या 3)	1,600.00	7,550.00	9,150.00	1,990.00	9,150.00	11,140.00
उप जोड़ (I)	1,916.91	19,869.75	21,786.66	1,990.00	20,786.66	22,776.66
II अप्रतिभूत						
क) बॉण्ड्स						
अन्य बॉण्ड्स/डिबेंचर (देखें, टिप्पणी संख्या 4 और 5)	15,868.00	129,682.64	145,550.64	10,235.10	122,581.32	132,816.42
गौण बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या 6)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00
विदेशी मुद्रा नोट्स (देखें, टिप्पणी संख्या 7)	0.00	1,201.86	1,201.86	0.00	1,135.08	1,135.08
	15,868.00	134,684.50	150,552.50	10,235.10	127,516.40	137,751.50
ख) विदेशी मुद्रा ऋण						
विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) (देखें, टिप्पणी संख्या 8)	20.68	282.05	302.73	22.07	241.23	263.30
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण (देखें, टिप्पणी संख्या 9)	2,057.58	7,278.27	9,335.85	2,029.11	6,325.12	8,354.23
	2,078.26	7,560.32	9,638.58	2,051.18	6,566.35	8,617.53
ग) रुपया सावधि ऋण						
रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) (देखें, टिप्पणी संख्या 10)	610.83	10,500.00	11,110.83	4,459.00	10,126.00	14,585.00
	610.83	10,500.00	11,110.83	4,459.00	10,126.00	14,585.00
उप जोड़ (II)	18,557.09	152,744.82	171,301.91	16,745.28	144,208.75	160,954.03
ख. अल्पावधि ऋण						
रुपया सावधि ऋण						
I प्रतिभूत						
सावधि जमा के प्रति ऋण	0.00	0.00	0.00	1,928.17	0.00	1,928.17
कुल जोड़ (I)	0.00	0.00	0.00	1,928.17	0.00	1,928.17
II अप्रतिभूत						
वाणिज्यिक पेपर (देखें, टिप्पणी संख्या 11)	5,286.37	0.00	5,286.37	2,136.24	0.00	2,136.24
बैंकों से कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/ लाइन ऑफ क्रेडिट	2,285.20	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (II)	7,571.57	0.00	7,571.57	2,136.24	0.00	2,136.24
कुल (क) +(ख)#	28,045.57	172,614.57	200,660.14	22,799.69	164,995.41	187,795.10

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में रुपए 175.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21.94 करोड़) शामिल हैं।

समेकित टिप्पणियां :–

I. **31.03.2016 को बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स का ब्यौरा इस प्रकार है :**

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन की तारीख	विमोचन का ब्यौरा	प्रतिभूत का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
1	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011–12) शृंखला–3	21.11.2011	8.75%	3.23	22–नवंबर–18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों के सिवाय जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिंडी/चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत	100%
2	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011–12) शृंखला–4	21.11.2011	8.75%	8.83	22–नवंबर–18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
3	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010–11) शृंखला–3	31.03.2011	8.50%	6.13	01–अप्रैल–18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य।	31.03.2016 को कंपनी के 3090.80 करोड़ रुपए के विशेष बही ऋणों पर प्रभार तथा नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत।	100%
4	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010–11) शृंखला–4	31.03.2011	8.50%	22.75	01–अप्रैल–18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य।		
5	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86सी शृंखला	30.03.2012	8.72%	0.95	31–मार्च–18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 6 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों के सिवाय जिन पर वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान जारी किए गए इंफ्राबॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत	100%
6	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86डी शृंखला	30.03.2012	8.72%	2.75	31–मार्च–18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 6 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य।		

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन की तारीख	विमोचन का ब्यौरा	प्रतिभूत का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
7	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86, शृंखला	30.03.2012	8.43%	9.04	31–मार्च–17	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों के सिवाय जिन पर वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान जारी किए गए इंफ्राबॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत	100%
8	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86बी शृंखला	30.03.2012	8.43%	17.81	31–मार्च–17	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
9	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011–12) शृंखला– 1	21.11.2011	8.50%	32.43	22 नवंबर–16	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत	100%
10	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011–12) शृंखला– 2	21.11.2011	8.50%	51.15	22 नवंबर–16	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
11	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010–11) शृंखला– 1	31.03.2011	8.30%	66.80	1 अप्रैल–16	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	31.03.2016 को कंपनी के ₹ 3090.80 करोड़ रुपए के विशेष बही ऋणों पर प्रभार तथा नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत।	100%
12	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010–11) शृंखला– 2	31.03.2011	8.30%	139.68	1 अप्रैल–16	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य		
		कुल		361.55				

II. 31.03.2016 को बकाया कर–मुक्त बॉण्ड्स का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपए में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
13	कर–मुक्त बॉण्ड (2015–16)– श्रृंखला–3ए	17.10.2015	7.35%	213.57	17–अक्टूबर–35	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
14	कर–मुक्त बॉण्ड (2015–16)– श्रृंखला–3बी	17.10.2015	7.60%	155.48	17–अक्टूबर–35		
15	कर–मुक्त बॉण्ड (2013–14)– श्रृंखला–3ए	16.11.2013	8.67%	1,067.38	16–नवंबर–33	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
16	कर–मुक्त बॉण्ड (2013–14)– श्रृंखला–3 बी	16.11.2013	8.92%	861.96	16–नवंबर–33		
17	कर–मुक्त बॉण्ड 2015–16 श्रृंखला– श्रृंखला–2ए	17.10.2015	7.27%	131.33	17–अक्टूबर–30	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
18	कर–मुक्त बॉण्ड 2015–16 श्रृंखला– श्रृंखला–2बी	17.10.2015	7.52%	45.18	17–अक्टूबर–30		
19	कर–मुक्त बॉण्ड 2015–16 श्रृंखला–2ए	16.11.2013	8.54%	932.70	16–नवंबर–28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
20	कर–मुक्त बॉण्ड (2013–14) श्रृंखला–2बी	16.11.2013	8.79%	353.32	16–नवंबर–28		
21	कर–मुक्त बॉण्ड 107बी	30.08.2013	8.46%	1,011.10	30–अगस्त–28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
22	कर–मुक्त बॉण्ड श्रृंखला (2012–13) ट्रांचे–II– श्रृंखला–II	28.03.2013	7.04%	5.06	28–मार्च–28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
23	कर–मुक्त बॉण्ड श्रृंखला (2012–13) ट्रांचे–II–श्रृंखला–II	28.03.2013	7.54%	64.15	28–मार्च–28		

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपए में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
24	कर–मुक्त बॉण्ड (2012–13) ट्रांचे–I–श्रृंखला–II	04.01.2013	7.36%	142.23	4–जनवरी–28	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
25	कर–मुक्त बॉण्ड श्रृंखला (2012–13) ट्रांचे–I–श्रृंखला–II	04.01.2013	7.86%	214.77	4–जनवरी–28		
26	कर–मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95बी	29.11.2012	7.38%	100.00	29–नवंबर–27	चेन्नई स्थित कंपनी की सभी अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत। कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों/ऋण परिसंपत्तियों एवं उनसे संबद्ध प्रतिभूति सहित प्रतिभूत, परंतु उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से विशिष्ट प्रभार दर्ज हो।	100%
27	कर–मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94बी	22.11.2012	7.38%	25.00	22–नवंबर–27		
28	कर–मुक्त बॉण्ड श्रृंखला (2011–12) ट्रांचे–I–श्रृंखला–II	01.02.2012	8.30%	1,280.58	1–फरवरी–27	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
29	कर–मुक्त बॉण्ड श्रृंखला–80बी	25.11.2011	8.16%	209.34	25–नवंबर–26	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010–11 में जारी इंफ्रा बॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
30	कर–मुक्त बॉण्ड श्रृंखला–79बी	15.10.2011	7.75%	217.99	15–अक्टूबर–26		
31	कर–मुक्त बॉण्ड 2015–16 श्रृंखला–1ए	17.10.2015	7.11%	75.09	17–अक्टूबर–25	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
32	कर–मुक्त बॉण्ड 2015–16 श्रृंखला–1बी	17.10.2015	7.36%	79.35	17–अक्टूबर–25		
33	कर–मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 136	17.07.2015	7.16%	300.00	17–जुलाई–25	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
34	कर–मुक्त बॉण्ड श्रृंखला (2013–14) श्रृंखला–1ए	16.11.2013	8.18%	325.07	16–नवंबर–23	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
35	कर–मुक्त बॉण्ड श्रृंखला (2013–14) श्रृंखला–1बी	16.11.2013	8.43%	335.47	16–नवंबर–23		

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपए में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
36	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला–107ए	30.08.2013	8.01%	113.00	30–अगस्त–23	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
37	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012–13) ट्रांचे–II–शृंखला–I	28.03.2013	6.88%	49.24	28–मार्च–23	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
38	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012–13) ट्रांचे–II–शृंखला–I	28.03.2013	7.38%	46.91	28–मार्च–23		
39	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012–13) ट्रांचे–I–शृंखला–I	04.01.2013	7.19%	182.04	4–जनवरी–23	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
40	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2012–13) ट्रांचे–I–शृंखला–I	04.01.2013	7.69%	160.71	4–जनवरी–23		
41	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 95ए	29.11.2012	7.22%	30.00	29–नवंबर–22	चेन्नई स्थित कंपनी की सभी अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत। कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों/ऋण परिसंपत्तियों एवं उनसे संबंधित प्रतिभूति सहित प्रतिभूत, परंतु उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से विशिष्ट प्रभार दर्ज हो।	100%
42	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 94ए	22.11.2012	7.21%	255.00	22–नवंबर–22		
43	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला (2011–12) ट्रांचे–I–शृंखला–I	01.02.2012	8.20%	2,752.55	1–फरवरी–22	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
44	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 80ए	25.11.2011	8.09%	334.31	25–नवंबर–21	कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010–11 में जारी इंफ्राबॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिंडी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।	100%
45	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 79ए	15.10.2011	7.51%	205.23	15–अक्टूबर–21		
		कुल		12,275.11			

III. 31.03.2016 को बकाया कर–योग्य बॉण्ड्स (प्रतिभूत) का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप	प्रतिभूति की सीमा
46	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 112सी	31.01.2014	9.70%	270.00	31–जनवरी–21	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
47	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 112बी	31.01.2014	9.70%	270.00	31–जनवरी–20		
48	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 113	03.03.2014	9.69%	2,240.00	3–मार्च–19	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
49	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 112ए	31.01.2014	9.70%	270.00	31–जनवरी–19	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
50	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 109	07.10.2013	9.81%	4,500.00	7–अक्टूबर–18	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
51	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 108	27.09.2013	9.80%	1,600.00	27–सितंबर–16	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परंतु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।	100%
		कुल		**9,150.00**			

IV. 2022–XIX शृंखला के अंतर्गत ₹ 443.74 करोड़ मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 410.42 करोड़) के जीरो कूपन अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड 30.12.2022 को ₹ 750.00 करोड़ के अंकित मूल्य ₹ 306.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 339.58 करोड़) के निवल अपरिशोधित ब्याज के साथ, पर विमोचन योग्य हैं।

IV. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार अन्य अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्डों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
1	शृंखला 71	9.05%	15–दिसंबर–30	192.70
2	शृंखला 66–सी	8.85%	15–जून–30	633.00
3	शृंखला 118–बी–III	9.39%	27–अगस्त–29	460.00
4	शृंखला 103	8.94%	25–मार्च–28	2,807.00
5	शृंखला 102–ए (III)	8.90%	18 मार्च–28	403.00
6	शृंखला 101–बी	9.00%	11–मार्च–28	1,370.00
7	शृंखला 77–बी	9.45%	1–सितंबर–26	2,568.00
8	शृंखला 76–बी	9.46%	1–अगस्त–26	1,105.00
9	शृंखला 71	9.05%	15–दिसंबर–25	192.70
10	शृंखला 141–बी	8.40%	18 सितंबर–25	1,000.00
11	शृंखला 66–बी	8.75%	15–जून–25	1,532.00
12	शृंखला 65	8.70%	14–मई–25	1,337.50
13	शृंखला 130–सी	8.39%	15–अप्रैल–25	925.00
14	शृंखला 64–III	8.95%	30–मार्च–25	492.00
15	शृंखला 131–सी	8.41%	27 मार्च–25	5,000.00
16	शृंखला 63– III	8.90%	15–मार्च–25	184.00
17	शृंखला 128	8.20%	10–मार्च–25	1,600.00
18	शृंखला 62–बी	8.80%	15–जनवरी–25	1,172.60
19	शृंखला 126	8.65%	4–जनवरी –25	5,000.00
20	शृंखला 125	8.65%	28–दिसंबर–24	2,826.00
21	शृंखला 61	8.50%	15–दिसंबर–24	351.00
22	शृंखला 124–सी	8.48%	9–दिसंबर–24	1,000.00
23	शृंखला 120–ए	8.98%	8–अक्टूबर–24	961.00
24	शृंखला120–बी	8.98%	8–अक्टूबर–24	950.00
25	शृंखला 118–बी–II	9.39%	27–अगस्त–24	460.00
26	शृंखला 117–बी	9.37%	19–अगस्त–24	855.00
27	शृंखला 57–सी	8.60%	7–अगस्त–24	866.50
28	शृंखला 85–डी	9.26%	15–अप्रेल–23	736.00
29	शृंखला 102–ए (II)	8.90%	18–मार्च–23	403.00
30	शृंखला 102–बी	8.87%	18–मार्च–23	70.00
31	शृंखला 100–बी	8.84%	4–मार्च–23	1,310.00
32	शृंखला 92–सी	9.29%	21–अगस्त–22	640.00
33	शृंखला 91–बी	9.39%	29–जून–22	2,695.20
34	शृंखला 88–सी	9.48%	15–अप्रैल–22	184.70
35	शृंखला 124–बी	8.55%	9–दिसंबर–21	1,200.00
36	शृंखला 123–सी	8.66%	27–नवंबर–21	200.00
37	शृंखला 78–बी	9.44%	23–सितंबर–21	1,180.00
38	शृंखला 76–ए	9.36%	1–अगस्त–21	2,589.40
39	शृंखला 115–III	9.20%	7–जुलाई–21	700.00

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
40	शृंखला 75–सी	9.61%	29–जून–21	2,084.70
41	शृंखला 74	9.70%	9–जून–21	1,693.20
42	शृंखला 28	8.85%	31–मई–21	600.00
43	शृंखला 73	9.18%	15–अप्रैल–21	1,000.00
44	शृंखला 72–बी	8.99%	15–जनवरी–21	1,219.00
45	शृंखला 71	9.05%	15–दिसंबर–20	192.70
46	शृंखला 70	8.78%	15–नवंबर–20	1,549.00
47	शृंखला 141–ए	8.46%	18– सितंबर–20	1,000.00
48	शृंखला 140–बी	8.36%	4–सितंबर–20	1,250.00
49	शृंखला 138	8.45%	10–अगस्त–20	1,000.00
50	शृंखला 137	8.53%	24–जुलाई–20	2,700.00
51	शृंखला 68–बी	8.70%	15–जुलाई–20	1,424.00
52	शृंखला 66–ए	8.65%	15–जून–20	500.00
53	शृंखला 65	8.70%	14–मई–20	1,337.50
54	शृंखला 131–बी	8.38%	27–अप्रैल–20	1,350.00
55	शृंखला 130–बी	8.42%	18–अप्रैल–20	200.00
56	शृंखला 85–सी	9.30%	15–अप्रैल–20	79.50
57	शृंखला 64–II	8.95%	30–मार्च–20	492.00
58	शृंखला 87–डी	9.42%	20–मार्च–20	650.80
59	शृंखला 63–II	8.90%	15–मार्च–20	184.00
60	शृंखला 100–ए	8.86%	4–मार्च–20	54.30
61	शृंखला 127	8.36%	26–फरवरी–20	4,440.00
62	शृंखला 99–बी	8.82%	20–फरवरी–20	733.00
63	शृंखला 62–ए	8.70%	15–जनवरी–20	845.40
64	शृंखला 61	8.50%	15–दिसंबर–19	351.00
65	शृंखला 124–ए	8.52%	9–दिसंबर–19	1,220.00
66	शृंखला 123–बी	8.65%	28–नवंबर–19	836.00
67	शृंखला 60–बी	1वाईआईएनसीएमटीबीके+179बीपीएस (फ्लोटिंग दर)	20–नवंबर–19	925.00
68	शृंखला 122	8.76%	7–नवंबर–19	1,000.00
69	शृंखला 121–बी	8.96%	21–अक्टूबर–19	1,100.00
70	शृंखला 59–बी	8.80%	15–अक्टूबर–19	1,216.60
71	शृंखला 119–बी	9.32%	17–सितंबर–19	1,591.00
72	शृंखला 118–बी–I	9.39%	27–अगस्त–19	460.00
73	शृंखला 57–बी	8.60%	7–अगस्त–19	866.50
74	शृंखला 115–II	9.15%	7–जुलाई–19	100.00
75	शृंखला 135–बी	8.50%	29–जून–19	1,500.00
76	शृंखला 90–बी	9.41%	1–जून–19	391.00
77	शृंखला 143	8.12%	28–फरवरी–19	700.00
78	शृंखला 98–III	8.72%	8–फरवरी–19	324.00
79	शृंखला 82–सी	9.70%	15–दिसंबर–18	2,060.00
80	शृंखला 52–सी	11.25%	28–नवंबर–18	1,950.60
81	शृंखला 142–बी	8.00%	22–अक्टूबर–18	1,000.00
82	शृंखला 51–सी	11.00%	15–सितंबर–18	3,024.40
83	शृंखला 140–ए	8.28%	4–सितंबर–18	1,930.00

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
84	शृंखला 139–सी	8.17%	18–अगस्त–18	800.00
85	शृंखला 49–बी	10.85%	11–अगस्त–18	428.60
86	शृंखला 48–सी	10.55%	15– जुलाई–18	259.70
87	शृंखला 135–ए	8.40%	29–जून–18	1,210.00
88	शृंखला 130–ए	8.40%	19–जून–18	1,175.00
89	शृंखला 129–ए	8.29%	13–जून–18	980.00
90	शृंखला 129–बी	8.29%	13–जून–18	100.00
91	शृंखला 47–सी	9.68%	9–जून–18	780.70
92	शृंखला 134–बी	8.39%	28–मई–18	1,500.00
93	शृंखला 132–बी	8.09%	16–मई–18	200.00
94	शृंखला 131–ए	8.34%	27–अप्रैल–18	100.00
95	शृंखला 132–ए	8.03%	9–अप्रैल–18	272.00
96	शृंखला 102–ए (I)	8.90%	18–मार्च–18	403.00
97	शृंखला 101–ए	8.95%	11–मार्च–18	3,201.00
98	शृंखला 99–ए	8.77%	20–फरवरी–18	2.00
99	शृंखला 98–II	8.72%	8–फरवरी–18	324.00
100	शृंखला 72–ए	8.97%	15–जनवरी–18	144.00
101	शृंखला 40–सी	9.28%	28–दिसंबर–17	650.00
102	शृंखला 123–ए	8.50%	28–नवंबर–17	1,075.00
103	शृंखला 18	7.87%	13–नवंबर–17	25.00
104	शृंखला 121–ए	8.90%	21–अक्टूबर–17	1,500.00
105	शृंखला 142–ए	7.88%	21–अक्टूबर–17	800.00
106	शृंखला 93–बी	8.91%	15–अक्टूबर–17	950.00
107	शृंखला 17	8.21%	3–अक्टूबर –17	25.00
108	शृंखला 118–ए	9.30%	27–अगस्त–17	2,160.00
109	शृंखला 92–ए	9.01%	21–अगस्त–17	50.00
110	शृंखला 92–बी	9.27%	21–अगस्त–17	1,930.00
111	शृंखला 117–ए	9.32%	19–अगस्त–17	1,311.00
112	शृंखला 115–I	9.11%	7–जुलाई–17	1,650.00
113	शृंखला 91–ए	9.40%	29–जून–17	107.50
114	शृंखला 90–ए	9.61%	1– जून –17	537.90
115	शृंखला 134–ए	8.35%	27–मई–17	1,500.00
116	शृंखला 13	9.60%	24–मई–17	65.00
117	शृंखला 139–बी	8.12%	22–मई–17	1,435.00
118	शृंखला 35	9.96%	18–मई–17	530.00
119	शृंखला 13	9.60%	16–मई–17	125.00
120	शृंखला 89–ए	9.52%	2–मई–17	165.00
121	शृंखला 133–बी	8.00%	24–अप्रैल–17	605.00
122	शृंखला 144	7.98%	21–अप्रैल–17	1,775.00
123	शृंखला 133–ए	8.12%	17–अप्रैल–17	565.00
124	शृंखला 133–ए	8.00%	3–अप्रैल–17	545.00
125	शृंखला 34	9.90%	30–मार्च–17	500.50
126	शृंखला 33–बी	9.90%	22–मार्च–17	561.50
127	शृंखला 87 बी	9.72%	20–मार्च–17	23.00
128	शृंखला 84	9.33%	17–फरवरी–17	1,521.20

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
129	शृंखला 98–I	8.72%	8–फरवरी–17	324.00
130	शृंखला 82–बी	9.64%	15–दिसंबर–16	825.00
131	शृंखला 31–ए	8.78%	11–दिसंबर–16	1,451.20
132	शृंखला 18	7.87%	13–नवंबर–16	25.00
133	शृंखला 17	8.21%	3–अक्टूबर–16	25.00
134	शृंखला 29 ए	8.80%	7–सितंबर–16	250.00
135	शृंखला 77 ए	9.41%	1–सितंबर–16	1,083.60
136	शृंखला 116	9.16%	31–जुलाई–16	1,885.00
137	शृंखला 75–बी	9.62%	29–जून–16	360.00
138	शृंखला 106–बी	8.27%	25–जून–16	3,033.00
139	शृंखला 104–ए	8.35%	15–मई–16	4,000.00
			कुल	**145,106.90**

*31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ₹ 6.10 करोड़ मूल्य के बॉण्ड (पिछले वर्ष ₹ 7.40 करोड़) पीएफसी लिमिटेड एम्पलायज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट ने धारण किए हैं।

VII. 31.03.2016 को बकाया कर–योग्य बॉण्ड्स (प्रतिभूत) का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	मोचन की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)
1	सबोर्डिनेटिड टिअर–II डेट बॉण्ड	9.70%	21–फरवरी–24	2,000.00
2	सबोर्डिनेटिड टिअर–II डेट बॉण्ड	9.65%	13–जनवरी–24	1,000.00
3	सबोर्डिनेटिड टिअर–II डेट बॉण्ड	8.19%	14–जून–23	800.00
			कुल	**3,800.00**

VI. 6.61 प्रतिशत की दर पर ₹ 1201.86 करोड़ (पिछले ₹ 1135.08 करोड़ वर्ष) मूल्य के विदेशी मुद्रा सीनियर नोट्स (यूएसपीपी–I), 5.9.2017 को विमोचन योग्य हैं।

VI. विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) की 31.03.2016 को बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र. सं.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.24	30–जून–2035
2	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2034
3	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2034
4	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2033
5	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2033
6	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2032
7	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2032
8	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2031
9	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2031
10	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2030
11	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2030
12	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2029
13	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2029
14	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2028
15	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	0.27	15–अक्टूबर–2028
16	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	0.03	30–जून–2028

क्र. सं.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
17	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2028
18	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	1.93	15–अप्रैल–2028
19	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	0.03	31–दिसंबर–2027
20	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2027
21	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	2.29	15–अक्टूबर–2027
22	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	0.06	30–जून–2027
23	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2027
24	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	2.42	15–अप्रैल–2027
25	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	0.39	31–दिसंबर–2026
26	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2026
27	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	2.66	15–अक्टूबर–2026
28	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	0.39	30–जून–2026
29	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2026
30	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.45	15–अप्रैल–2026
31	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	0.46	31–दिसंबर–2025
32	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2025
33	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.45	15–अक्टूबर–2025
34	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	1.01	30–जून–2025
35	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2025
36	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.45	15–अप्रैल–2025
37	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	2.76	31–दिसंबर–2024
38	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2024
39	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.45	15–अक्टूबर–2024
40	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	3.33	30–जून–2024
41	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2024
42	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2024
43	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	3.37	31–दिसंबर–2023
44	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2023
45	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2023
46	केएफडब्ल्यू (प्रथम ऋण सुविधा)	1.96%	1.26	30 –जून –23
47	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2023
48	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2023
49	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2023
50	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2022
51	केएफडब्ल्यू (प्रप्रथम ऋण सुविधा)	1.96%	6.36	30–दिसंबर–2022
52	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2022
53	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2022
54	केएफडब्ल्यू (प्रथम ऋण सुविधा)	1.9600%	6.36	30– जून–2022
55	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2022
56	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2022
57	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2022
58	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2021
59	केएफडब्ल्यू (प्रथम ऋण सुविधा)	1.96%	6.36	30–दिसंबर–2021
60	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2020
61	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2021
62	केएफडब्ल्यू (प्रथम ऋण सुविधा)	1.96%	6.36	30–जून–2021
63	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2021
64	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2021
65	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2021
66	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2020

क्र. सं.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
67	केएफडब्ल्यू (प्रथम ऋण सुविधा)	1.96%	6.36	30–दिसंबर–2020
68	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2020
69	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2020
70	केएफडब्ल्यू (प्रथम ऋण सुविधा)	1.96%	6.36	30–जून–2020
71	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2020
72	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2020
73	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2020
74	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2019
75	केएफडब्ल्यू (प्रथम ऋण सुविधा)	1.96%	6.36	30–दिसंबर–2019
76	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2019
77	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2018
78	केएफडब्ल्यू (प्रथम ऋण सुविधा)	1.96%	6.36	30–जून–2019
79	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2019
80	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2019
81	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अप्रैल–2019
82	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2018
83	केएफडब्ल्यू (प्रथम ऋण सुविधा)	1.96%	6.36	30–दिसंबर–2018
84	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2018
85	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2018
86	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2018
87	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2018
88	केएफडब्ल्यू (प्रथम ऋण सुविधा)	1.96%	6.36	30–जून–2018
89	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15– अप्रैल–2018
90	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2017
91	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2017
92	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2017
93	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2017
94	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2017
95	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15– अप्रैल–2017
96	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	31–दिसंबर–2016
97	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–दिसंबर–2016
98	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15–अक्टूबर–2016
99	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.00%	4.13	30–जून–2016
100	केएफडब्ल्यू I	0.75%	1.43	30–जून–2016
101	एशियाई विकास बैंक (नया ऋण)	1.0045%	4.78	15– अप्रैल–2016
		कुल	**302.73**	

IX. विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋणों की 31.03.2016 को बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र. सं.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	एसएलएन–XVIII	0.87157%	868.12	4–नवंबर –22
2	एसएलएन–XVIII	0.87157%	868.12	8–नवंबर –21
3	एसएलएन– XVII+(III)	2.19310%	1,001.55	26–सितंबर–21
4	एसएलएन– XVII+(II)	2.19310%	1,001.55	26–मार्च –21
5	एसएलएन–XVIII	0.87157%	868.12	6–नवंबर –21
6	एसएलएन– XVII+(I)	2.19310%	1,001.55	26–सितंबर–20
7	सएलएन–XVI	2.21945%	1,669.25	4–दिसंबर–19
8	एसएलएन– XIII+(II)	2.34205%	834.62	6–मार्च–17
9	एसएलएन–IX	1.78229%	802.72	24–फरवरी–17
10	एसएलएन–VIII	1.52307%	420.24	23–सितंबर–16
		कुल	9,335.84	

X. 31.03.2016 को बकाया रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र. सं.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	बैंक ऑफ इंडिया	10.14%	500.00	28–मार्च–2020
2	यूनाइटिड बैंक	10.09%	500.00	28–मार्च–2018
3	एसबीबीजे	10.14%	500.00	28–जून–2017
4	एसएमबीसी	9.65%	250.00	23–मई–2017
5	यूनियन बैंक	10.09%	1,000.00	30–अप्रैल–2017
6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10.14%	47.75	28–अप्रैल–2017
7	पीएनबी	10.03%	1,250.00	28–अप्रैल–2017
8	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10.14%	952.25	23–अप्रैल–2017
9	जे एंड के बैंक	9.92%	1,000.00	23–अप्रैल–2017
10	यूनियन बैंक	10.09%	1,000.00	18–अप्रैल–2017
11	कॉर्पोरेशन बैंक	10.09%	1,000.00	18–अप्रैल–2017
12	यूनियन बैंक	10.09%	500.00	17–अप्रैल–2017
13	केनरा बैंक	10.09%	2,000.00	16–अप्रैल–2017
14	आईसीआईसीआई बैंक	10.55%	2.40	31–मार्च–2017
15	इंडुसइंड बैंक	10.00%	5.76	7–मार्च–2017
16	आईसीआईसीआई बैंक	10.55%	3.12	28–फरवरी–2017
17	इंडुसइंड बैंक	10.00%	4.32	28–फरवरी–2017
18	केनरा बैंक	10.55%	4.80	19–फरवरी–2017
19	आईसीआईसीआई बैंक	10.55%	3.60	31–जनवरी–2017
20	पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटेड	10.50%	7.48	31–जनवरी–2017
21	केनरा बैंक	10.55%	4.80	19–जनवरी–2017
22	आईसीआईसीआई बैंक	10.55%	7.20	31–दिसंबर–2016
23	पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटेड	10.50%	7.29	31–दिसंबर–2016
24	केनरा बैंक	10.55%	4.80	19–दिसंबर–2016
25	आईसीआईसीआई बैंक	10.55%	7.20	30–नवंबर–2016
26	पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटेड	10.50%	7.10	30–नवंबर–2016
27	केनरा बैंक	10.55%	4.80	19–नवंबर–2016

क्र. सं.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
28	आईसीआईसीआई बैंक	10.55%	7.20	31–अक्टूबर–2016
29	पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटेड	10.50%	6.92	31–अक्टूबर–2016
30	केनरा बैंक	10.55%	4.80	19–अक्टूबर–2016
31	विजया बैंक	10.09%	500.00	30–सितंबर–2016
32	आईसीआईसीआई बैंक	10.55%	4.80	30–सितंबर–2016
33	केनरा बैंक	10.55%	4.80	19–सितंबर–2016
34	आईसीआईसीआई बैंक	10.55%	4.08	31–अगस्त–2016
35	आईसीआईसीआई बैंक	10.55%	3.60	31–जुलाई–2016
		कुल	**11,110.83**	

XI. 31.03.2016 को वाणिज्यिक पेपर की बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

क्र. सं.	ऋण	31.03.2016 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	सीपी–सीरीज 72 बी	8.20%	2,105.00	27–मई–2016
2	सीपी–सीरीज 71	8.39%	1,325.00	26–मई–2016
3	सीपी–सीरीज 73 बी	8.33%	1,370.00	26–मई–2016
4	सीपी–सीरीज 72 ए	8.22%	350.00	6–मई–2016
5	सीपी–सीरीज 73 ए	8.33%	200.00	6–मई–2016
	घटाएं–अपरिशोधित वित्तीय प्रभार*		(63.63)	
		कुल	**5,286.37**	

*वाणिज्यिक पेपर पर अपरिशोधित वित्तीय प्रभार 31.03.2016 को ₹ 63.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 18.76 करोड़) था।

टिप्पणी–भाग क–4
समेकित अन्य दीर्घावधि एवं वर्तमान देयताए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी निधि (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 12क(II)– समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	6.88	100.59	**107.47**	12.63	98.72	**111.35**
ब्याज अंतर–निधि–केएफडब्ल्यू (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 10– समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	0.00	60.71	**60.71**	0.00	58.38	**58.38**
प्राप्त अग्रिम/अनुषंगियों को देय राशि (उस पर देय ब्याज सहित) (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 8(क)(II)– समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	182.33	198.79	**381.12**	166.21	172.08	**338.29**
आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार को देय राशि (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 12(ख)(I)– समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
आरपीडीएस के अंतर्गत भारत सरकार को देय राशि	0.00	0.00	**0.00**	50.01	0.00	**50.01**
उप जोड़	**202.21**	**360.09**	**562.30**	**228.85**	**329.18**	**558.03**
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं :						
बॉण्डों पर	6,841.49	188.50	7,029.99	6,241.57	0.00	**6,241.57**
ऋण पर	58.78	0.00	58.78	114.24	0.00	**114.24**
उप जोड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	6,900.27	**188.50**	**7,088.77**	**6,355.81**	**0.00**	**6,355.81**
अदा न किया गया/दावा न किया गया :						
बॉण्ड	3.84	0.00	**3.84**	3.97	0.00	3.97
बॉण्डों पर ब्याज	8.33	0.00	**8.33**	2.42	0.00	2.42
लाभांश	1.72	0.00	**1.72**	1.32	0.00	1.32
	13.89	**0.00**	**13.89**	**7.71**	**0.00**	**7.71**
अन्य	448.49	0.26	**448.75**	80.31	4.63	**84.94**
कुल#	**7,564.86**	**548.85**	**8,113.71**	**6,672.68**	**333.81**	**7,006.49**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹ 62.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.53 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग–क–5
समेकित प्रावधान–दीर्घावधि और अल्पावधि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
		अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
I	कार्मिक लाभ*						
	कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	0.21	1.29	**1.50**	0.10	1.14	**1.24**
	अवकाश नकदीकरण	2.37	24.72	**27.09**	1.51	22.05	**23.56**
	कार्मिक कल्याण व्यय	1.07	21.61	**22.68**	0.83	18.34	**19.17**
	ग्रेज्युइटी/सेवानिवृत्ति निधि	0.20	0.08	**0.28**	0.15	0.00	**0.15**
	बोनस/प्रोत्साहन	11.14	0.00	**11.14**	12.45	0.00	**12.45**
	उप जोड़	**14.99**	**47.70**	62.69	**15.04**	**41.53**	56.57
II	अन्य						
	आयकर (निवल)	6.76	49.49	**56.25**	120.16	54.60	**174.76**
	सीएसआर और एसडी व्यय (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 21–समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	102.98	0.00	**102.98**	114.46	0.00	**114.46**
	मानक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 16(क)(I)–समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	103.48	495.00	**598.48**	44.89	441.90	**486.79**
	पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 16(क) (II)–समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	490.80	638.40	**1,129.20**	138.50	425.94	**564.44**
	प्रस्तावित अंतिम लाभांश*	79.20	0.00	**79.20**	79.20	0.00	**79.20**
	प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर*	16.12	0.00	**16.12**	16.12	0.00	**16.12**
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	1.06	0.00	**1.06**	1.06	0.00	**1.06**
	उप जोड़	**800.40**	**1,182.89**	**1,983.29**	**514.39**	**922.44**	**1,436.83**
	कुल #	**815.39**	**1,230.59**	**2,045.98**	**529.43**	**963.97**	**1,493.40**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹ 7.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.23 करोड़) शामिल हैं।

* (देखें भाग–ग की टिप्पणी संख्या 20–समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)

टिप्पणी–भाग–क–6
समेकित अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास						निवल ब्लॉक	
		1.4.2015 को प्रारंभिक शेष	संवर्धन/ समायोजन	मूल्यह्रास/ समायोजन	31.3.2016 को अंतिम शेष	1.4.2015 को प्रारंभिक शेष	1.4.2015 से 31.3.2016 की अवधि के लिए	समायोजन	पूर्व अवधि समायोजन	वापस/ पश्चलिखित	31.3.2016 को अंतिम शेष	31.3.2016 को**	30.09.2015 को
I	**मूर्त परिसंपत्तियां :**												
	स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां												
	भूमि (फ्री होल्ड)	3.38	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38
	भूमि (लीज होल्ड)***	37.87	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87	37.87
	भवन	24.92	0.00	0.00	24.92	8.91	0.78	0.00	0.00	0.00	9.69	15.23	16.01
	ईडीपी उपकरण	17.27	2.29	2.04	17.52	13.31	3.02	0.00	0.00	1.93	14.40	3.12	3.94
	कार्यालय एवं अन्य उपकरण	56.62	107.83	1.42	163.03	14.39	14.74	0.01	0.00	1.26	27.88	135.15	36.93
	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	7.97	0.91	0.08	8.80	6.49	0.58	0.05	0.00	0.06	7.06	1.74	1.45
	वाहन	0.20	0.00	0.00	0.20	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.11	0.09	0.13
	लीज होल्ड सुधार	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.04	0.44	0.00
	कुल#	**148.23**	**111.51**	**3.54**	**256.20**	**43.17**	**19.19**	**0.07**	**0.00**	**3.25**	**59.18**	**197.02**	**99.71**
	पिछले वर्ष	104.00	40.35	1.70	142.65	34.85	6.72	2.91	0.00	1.54	42.94	99.71	69.15
II	**अमूर्त परिसंपत्तियां*#:**												
	खरीदा गया सॉफ्टवेयर (उपयोगी जीवन–5 वर्ष)	**8.34**	**0.55**	**0.00**	**8.90**	**6.55**	**0.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.44**	**1.46**	**1.79**
	पिछले वर्ष	7.80	0.54	0.00	8.34	5.35	1.20	0.00	0.00	0.00	6.55	1.79	2.45
III	अन्य#												
	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां*:	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	**0.00**
	पूंजी कार्य प्रगति पर	2.78	170.51	126.82	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.47	2.42
		2.78	**170.67**	**126.82**	**46.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46.63**	**2.42**
	पिछले वर्ष	**0.66**	**1.76**	**0.00**	**2.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.42**	**0.66**

* (कृपया भाग–ग की टिप्पणी संख्या 23–'समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां' देखें)।

** वित्तीय वर्ष 2015–16 के निवल ब्लॉक में ईईएसएल के संदर्भ में पिछले वर्ष गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के समायोजन के संदर्भ में समेकन के लिए प्रयुक्त रुपए 0.15 करोड़ शामिल हैं।

*** (कृपया भाग–ग की टिप्पणी संख्या 25–'समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां' देखें)।

निवल ब्लाक में संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹ 180.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 37.78 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग–क–7
समेकित गैर वर्तमान निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	संख्या	राशि		संख्या	राशि	
दीर्घावधि निवेश						
(क) **व्यापार निवेश (₹ 10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर–जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया गया हो)**						
I **इक्विटी निवेश (उद्धृत)**						
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	1,20,00,000		12.00	1,20,00,000		12.00
II **इक्विटी निवेश (अनुद्धृत)***						
पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	32,20,000	3.22		32,20,000	3.22	
घटाएं : कमी के लिए प्रावधान		3.22	0.00		0.00	3.22
सहायक कंपनियां			1.08			0.90
(भाग ग–समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां की संख्या 2.1 देखें)						
III **अन्य (अनुद्धृत)***						
केएसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के ''स्मॉल इज ब्यूटीफुल'' फंड की यूनिटें**	61,52,200		6.15	76,82,816		7.68
उप जोड़			19.23			23.80
(ख) **अन्य निवेश –बॉण्ड (उद्धृत) (₹ 10,00,000/– प्रति शेयर अंकित मूल्य के पूर्ण चुकता बॉण्ड–जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया गया हो)**						
देना बैंक के 10,000 बॉण्ड और आंध्रा बैक के 8000 बॉण्ड (भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 9 देखें)	18,000		1800.00	0.00		0.00
उप जोड़			1800.00			0.00
कुल			1819.23			23.80

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
समग्र उद्धृत निवेश		
बही मूल्य	1812.00	12.00
बाज़ार मूल्य***	1876.80	116.28
समग्र अनुद्धृत निवेश		
बही मूल्य	7.23	11.80
मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान	3.22	0.00

*अनुद्धृत निवेश होने के कारण, बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है।

**31 मार्च, 2016 को एनएवी 10.24 प्रति शेयर (31 मार्च, 2015 को 9.70 प्रति शेयर)। एनएवी में उतार–चढ़ाव अस्थायी समझा गया है।

***देना बैंक के 10,000 बॉण्ड और आंध्रा बैंक के 8000 बॉण्ड एनएससी प्लेटफार्म पर सूचित किए गए हैं, परंतु 31.03.2016 को एनएससी प्लेटफार्म पर उनका बाज़ार मूल्य उपलब्ध नहीं था और तक बॉण्डों की ट्रेडिंग नहीं हुई। तदनुरूप बॉण्ड के अंकित मूल्य को उसका बाज़ार मूल्य समझा गया है।

टिप्पणी–भाग–क–8
समेकित ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को						31.03.2015 को					
	चालू परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू		कुल		चालू परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू		कुल	
क दीर्घावधि ऋण												
I प्रतिभूति ऋण												
क) शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों, संयुक्त उद्यम ऋणकर्ताओं राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	8,886.36		110,419.53		119,305.89		8,653.83		101,793.35		110,447.18	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को रुपया सावधि ऋण	1,881.53		18,665.66		20,547.19		1,287.56		24,944.13		26,231.69	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को विदेशी मुद्रा ऋण	20.58		5.14		25.72		25.52		24.29		49.81	
क्रेता ऋण सुविधा	318.44		764.04		1,082.48		89.83		574.03		663.86	
ऋणदाताओं को पट्टा वित्त सुविधा**	7.89		196.20		204.09		7.73		204.54		212.27	
उपकरण विनिर्माताओं को रुपया सावधि ऋण	18.95	11,133.75	842.35	130,892.92	861.30	**142,026.67**	73.09	10,137.56	840.52	128,380.86	913.61	**138,518.42**
ख) अन्य												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों, संयुक्त उद्यम ऋणकर्ताओं राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)–एनपीए	374.35		347.61		721.96		267.39		454.57		721.96	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	74.87	299.48	69.51	278.10	144.38	**577.58**	26.74	240.65	45.45	409.12	72.19	**649.77**
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को (आरटीएल)–एनपीए	947.64		**4,251.81**		**5,199.45**		471.52		933.37		1,404.89	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	202.61	745.03	577.38	3,674.43	779.99	**4,419.46**	143.22	328.30	187.01	746.36	330.23	**1,074.66**
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल–एनपीए	35.90		201.79		237.69		7.66		229.12		236.78	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	10.77	25.13	60.53	141.26	71.30	**166.39**	2.30	5.36	68.73	160.39	71.03	**165.75**
उप–जोड़ (I)		**12,203.39**		**134,986.71**		**147,190.10**		**10,711.87**		**129,696.73**		**140,408.60**
II अप्रतिभूत ऋण												
क) शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल्स)	**19,378.04**		**56,435.04**		**75,813.08**		5,401.87		59,925.69		65,327.56	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को रुपया सावधि ऋण	1,836.77		7,705.09		9,541.86		158.29		6,794.73		6,953.02	
राज्य विद्युत संस्थाओं को विदेशी मुद्रा ऋण	14.16		0.00		14.16		13.38		13.38		26.76	
क्रेता ऋण सुविधा	202.06		99.07		301.13		0.00		76.79		76.79	
उपकरण विनिर्माताओं को रुपया सावधि ऋण	0.00	21,431.03	0.00	64,239.20	0.00	**85,670.23**	28.42	**5,601.96**	223.04	**67,033.63**	251.46	**72,635.59**

विवरण	31.03.2016 को						31.03.2015 को					
	चालू परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू		कुल		चालू परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू		कुल	
ख) अन्य												
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को (आरटीएल) –एनपीए	41.56		1,064.35		1,105.91		0.00		0.00		0.00	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	41.56	0.00	329.14	735.21	370.70	**735.21**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल –एनपीए	0.00		22.04		22.04		0.00		0.00		0.00	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	0.00	0.00	22.04	0.00	22.04	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (II)		21,431.03		64,974.41		**86,405.44**		**5,601.96**		**67,033.63**		**72,635.59**
कुल (I+II)		33,634.42		199,961.12		**233,595.54**		16,313.83		196,730.36		213,044.19
ख बॉण्ड												
I अप्रतिभूत बॉण्ड/डिबेंचर												
राज्य विद्युत निगमों से बॉण्ड/डिबेंचर		0.00		390.15		**390.15**		0.00		1,170.50		1,170.50
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से		0.00		29.44		**29.44**		0.00		29.48		29.48
जोड़ ख		**0.00**		**419.59**		**419.59**		**0.00**		**1,199.98**		**1,199.98**
ग. अल्पावधि ऋण												
I प्रतिभूत ऋण–शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य बिजली निगमों को कार्यशील पूंजी ऋण		1,080.93		0.00		**1,080.93**		549.88		0.00		549.88
स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को कार्यशील पूंजी ऋण		0.00		0.00		**0.00**		0.00		0.00		0.00
उप जोड़ (I)		**1,080.93**		**0.00**		**1,080.93**		**549.88**		**0.00**		**549.88**
II अप्रतिभूत ऋण–शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य बिजली निगमों को कार्यशील पूंजी ऋण		2,180.07		0.00		**2,180.07**		2,132.14		0.00		2,132.14
स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को कार्यशील पूंजी ऋण		369.00		0.00		**369.00**		205.20		0.00		205.20
अन्य	231.97		0.00		231.97		169.68		0.00		169.68	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	69.59	162.38	0.00	0.00	69.59	**162.38**	50.90	118.78	0.00	0.00	50.90	118.78
उप जोड़ (II)		**2,711.45**		**0.00**		**2,711.45**		**2,456.12**		**0.00**		**2,456.12**
कुल (I+II)		**3,792.38**		**0.00**		**3,792.38**		**3,006.00**		**0.00**		**3,006.00**
कुल योग		**37,426.80**		**200,380.71**		**237,807.51**		**19,319.83**		**197,930.34**		**217,250.17**

*(देखें, भाग ग की टिप्पणी 16 (क) – समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)

**(देखें, भाग ग की टिप्पणी 11 (क) (I)– समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)

टिप्पणी–भाग–क–9
समेकित अन्य परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को						31.03.2015 को					
	चालू		गैर–चालू		कुल		चालू		गैर–चालू		कुल	
ऋण और अग्रिम												
ऋण (शोध्य समझे गए)*												
क) कार्मिकों को (प्रतिभूति)	2.33		14.33		16.66		2.51		16.99		19.50	
ख) कार्मिकों को (अप्रतिभूति)	**8.48**	10.81	**46.68**	61.01	**55.16**	**71.82**	5.51	8.02	38.78	55.77	44.29	**63.79**
अग्रिम (अप्रतिभूति शोध्ये समझे गए)												
निम्नांकित से नकदी या वस्तु अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम :												
क) सहायक कंपनियों को (उन पर वसूली योग्य ब्याज सहित) (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 8(क)(I)– समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	199.26		117.76		**317.02**		186.58		104.15		290.73	
ख) कार्मिकों को*	1.63		1.89		**3.52**		1.27		0.90		2.17	
ग) पूर्व अदा किए गए व्यय	18.86		0.00		**18.86**		2.23		0.00		2.23	
घ) अन्य	262.05		9.33		**271.38**		137.61		3.54		141.15	
ङ) अग्रिम आयकर और स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	9.73		107.44		**117.17**		2.15		45.56		47.71	
च) प्रतिभूति जमा राशि	**3.28**	494.81	**0.69**	237.11	**3.97**	731.92	0.36	330.20	0.39	154.54	0.75	**484.74**
अन्य परिसंपत्तियां												
I प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं												
क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज	4,814.39		0.00		**4,814.39**		4,415.15		0.00		4,415.15	
ख) अन्य प्रभार	11.92		0.00		**11.92**		2.06		0.00		2.06	
ग) कार्मिकों को ऋणों पर ब्याज	0.50		18.87		**19.37**		0.27		15.33		15.60	
घ) जमा राशियों पर ब्याज और प्रोत्साहन	**38.13**	4,864.94	**1.15**	20.02	**39.28**	4,884.96	25.75	4,443.23	0.00	15.33	25.75	**4,458.56**
II प्रोद्भूत एवं देय												
ऋणों पर प्रोद्भूत एवं देय आय	**778.17**	778.17	**0.00**	0.00	**778.17**	**778.17**	533.35	533.35	0.00	0.00	533.35	533.35
III अनुसूचित बैंकों के साथ मियादी जमा (मूल परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक)	**0.00**	0.00	**57.37**	57.37	**57.37**	**57.37**	0.00	0.00	93.27	93.27	93.27	93.27
ऋण एवं अग्रिम (अप्रतिभूत–अन्य)												
गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीएज)	1.17		0.00		**1.17**		1.03		0.00		1.03	
घटाएं : आकस्मिक व्ययों के लिए प्रावधान	**1.01**	0.16	**0.00**	0.00	**1.01**	**0.16**	0.97	0.06	0.00	0.00	0.97	0.06
कुल #		**6,148.89**		**375.51**		**6,524.40**		**5,314.86**		**318.91**		**5,633.77**

#वर्ष के दौरान संवर्धन में संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के ₹ 84.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.21 करोड़) शामिल हैं।

*नोट : ऋण और अग्रिमों में निम्नांकित शामिल हैं :

विवरण	31.03.2016 को शेष	31.03.2015 को शेष
निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण	0.40	0.26

टिप्पणी–भाग–क–10
समेकित चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	संख्या	राशि		संख्या	राशि	
इक्विटी लिखत (उद्धृत) (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति शेयर पूर्ण चुकता) –निम्नतर लागत अथवा उचित मूल्य पर स्क्रिप वार मूल्यांकित						
पीजीसीआईएल (₹ 52/– प्रति शेयर लागत पर मूल्यांकित)	4,89,349		2.54	5,39,349		2.80
आरईसी लिमिटेड (₹ 105/– प्रति शेयर लागत पर मूल्यांकित)	47,952		0.50	47,952		0.50
कोल इंडिया लिमिटेड (₹ 358.58/– प्रति शेयर लागत पर खरीदे गए)	1,39,64,530	500.74		1,39,64,530	500.74	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (31.03.2016 को एनएसई पर मूल्य ₹ 291.95)		93.04	407.70		0.00	500.74
कुल			**410.74**			**504.04**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
उद्धृत निवेश का समग्र		
बही मूल्य	410.74	504.04
बाज़ार मूल्य	415.25	515.50
मूल्यह्रास के लिए समग्र प्रावधान	93.04	0.00

टिप्पणी–भाग–क–11
समेकित नकद और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

		विवरण	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
क.	**नकदी और नकदी समतुल्य**					
	i)	निम्नांकित के साथ चालू खाते में शेष				
		भारतीय रिजर्व बैंक	0.05		0.05	
		अनुसूचित बैंकों में	141.87	141.92	138.25	138.30
	ii)	हस्तगत चैक		0.00		0.01
	iii)	डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय		0.00		0.00
	iv)	अनुसूचित बैंकों में सावधि निक्षेप (मूल परिपक्वता 3 महीने तक)		3.73		4,894.89
		उप जोड़ (क)		**145.65**		**5,033.20**
ख.	**निर्धारित शेष**					
	i)	बॉण्डों पर ब्याज, लाभांश आदि का भुगतान करने के लिए अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खातों में शेष।	6.41		1.36	
	ii)	आईपीडीएस				
		अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खातों में शेष।	13.01		5.00	
		बैंकों के साथ सावधि निक्षेप	0.00	19.42	45.00	51.36
	iii)	बैंकों के साथ सावधि निक्षेप (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक)		30.97		0.00
		उप जोड़ (ख)		**50.39**		**51.36**
ग.	**अन्य शेष**					
	i)	अनुसूचित बैंकों के साथ मियादी जमा (मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने से अधिक, परंतु 12 महीने तक)।		105.51		282.80
		उप जोड़ (ग)		**105.51**		**282.80**
		कुल (क+ख+ग)#		**301.55**		**5,367.36**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹ 115.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 29.55 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग–क–12
समेकित प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
(क)	**ब्याज**				
	ऋणों पर ब्याज	27,379.56		24,828.11	
	घटाएं : समय पर भुगतान के लिए ऋणकर्ताओं को छूट	297.46		261.06	
	घटाएं : समय पर भुगतान के लिए सीओडी परवर्ती छूट	2.56	27,079.54	0.00	24,567.05
	पट्टा संबंधी आय		20.29		22.93
	उप जोड़ (क)		**27,099.83**		**24,589.98**
(ख)	**परामर्शी सलाहकार सेवाएं**				
	परामर्शी कार्यो से आय		259.37		52.34
	सिंडिकेशन और डिबेंचर ट्रस्टी शुल्क		3.15		4.44
	उप जोड़ (ख)		**262.52**		**56.78**
(ग)	**अन्य प्रचालन आय**				
	अधिशेष निधियों से आय		112.07		150.90
	सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		12.29		9.37
	ऋणकर्ताओं के बॉण्डों की बिक्री पर लाभ		9.05		0.00
	अन्य		2.80		0.60
	उप जोड़ (ग)		**136.21**		**160.87**
(घ)	**अन्य वित्तीय सेवाएं**				
	ऋणों पर पूर्व अदा किया गया प्रीमियम		170.46		64.48
	ऋणों पर अग्रिम शुल्क		21.58		16.34
	प्रबंधन, एजेंसी और गारंटी शुल्क		49.38		94.21
	ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	5.07		1.84	
	घटाएं : ऋणों पर माफ किया गया प्रतिबद्धता शुल्क	0.01	5.06	0.01	1.83
	भारत सरकार के कार्यक्रमों के कारण शुल्क :–				
	आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत नोडल एजेंसी शुल्क (देखे, भाग ग की टिप्पणी संख्या 12(ख)(II)–समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	0.66		(36.38)	
	नोडल एजेंसी शुल्क–आईपीडीएस	34.51	35.17	5.82	(30.56)
	उप जोड़ (घ)		**281.65**		**146.30**
	कुल (क)+(ख)+(ग)+(घ)#		**27,780.21**		**24,953.93**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹ 204.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 17.58 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग–क–13
समेकित अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर–वर्तमान निवेश पर लाभांश/ब्याज आय	32.22	2.40
चालू निवेश पर लाभांश आय	38.44	29.06
अन्य	14.97	13.83
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.08	0.05
गैर–वर्तमान निवेश निवेश की बिक्री पर लाभ	0.05	0.00
चालू निवेश निवेश की बिक्री पर लाभ	0.44	1.31
आय कर रिफंड पर ब्याज	9.11	1.48
विविध आय	9.56	8.33
अत्यधिक देयताएं पश्च लिखित	0.55	2.45
प्रोसेसिंग शुल्क	0.14	0.09
कुल#	**105.56**	**59.00**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹ 1.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.10 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग–क–14
समेकित वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष	
I.	**ब्याज**				
	बॉण्डों पर	15,071.06		12,353.14	
	ऋणों पर	646.68		2,080.85	
	ब्याज सब्सिडी निधि पर भारत सरकार को	8.86		9.42	
	वाणिज्यिक कागज पर वित्तीय प्रभार	277.43		288.47	
	स्वैप प्रीमियम (निवल)	1.65	16,005.68	60.53	14,792.41
II.	**अन्य प्रभार**				
	प्रतिबद्धता और एजेंसी शुल्क	0.67		0.61	
	गारंटी, सूचीकरण और ट्रस्टीशिप शुल्क	2.13		2.35	
	विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्रबंधन शुल्क	39.32		124.15	
	बैंक/अन्य प्रभार	0.01		0.02	
	परामर्शी सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष शीर्ष	167.52		11.96	
	सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिम पर अदा किया गया ब्याज	5.11	214.76	5.64	144.73
III.	**निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि (+/लाभ (–)**		**424.94**		**514.19**
	कुल (I+II+III)#		**16,645.38**		**15,451.33**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹ 168.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9.95 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग–क–15
समेकित बॉण्ड निर्गम व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
आवेदन निधि पर ब्याज	11.51	0.18
क्रेडिट रेटिंग शुल्क	4.20	3.73
अन्य निर्गम व्यय	11.23	21.28
स्टाम्प ड्यूटी फीस	6.50	6.21
कुल	**33.44**	**31.40**

टिप्पणी–भाग–क–16
समेकित कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरी	78.14	75.46
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	9.91	8.40
कार्मिक कल्याण	13.30	12.50
कार्मिकों के आवासीय भवनों के लिए किराया (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 11 (ख) –समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)	5.28	5.11
कुल#	**106.63**	**101.47**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹ 4.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.76 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग–क–17
समेकित अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
प्रशासनिक व्यय		
कार्यालय किराया	1.00	1.20
विद्युत और जल प्रभार	1.94	1.80
बीमा	0.15	0.06
मरम्मत और अनुरक्षण	4.02	3.38
मुद्रण और लेखन सामग्री	1.93	1.82
यात्रा एवं वाहन	10.12	9.00
डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन व्यय	2.08	2.23
व्यावसायिक एवं परामर्शी प्रभार	4.30	1.24
विविध व्यय*	24.45	22.23
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.17	0.02
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक*	0.84	0.46
सेवा कर	9.34	6.48
दरें और कर	1.12	1.10
पीएमसी (विद्युत मंत्रालय) में अंशदान	0.51	0.34
उप–जोड़ (I)	**61.97**	**51.36**
अन्य		
आर–एपीडीआरपी व्यय	**0.00**	**(36.91)**
उप–जोड़ (II)	**0.00**	**(36.91)**
कुल#	**61.97**	**14.45**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹ 5.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.30 करोड़) शामिल हैं।

*नोट :–

1)	**विविध व्यय में निम्नांकित शामिल हैं –**		
	पुस्तकें और पत्रिकाएं	0.04	0.06
	विज्ञापन	6.77	4.46
	सदस्यता और अंशदान	0.74	0.79
	मनोरंजन	0.71	0.59
	सम्मेलन एवं बैठक व्यय	2.03	1.71
	सुरक्षा व्यय	1.39	1.30
	प्रशिक्षण	1.04	0.89
	अन्य ईडीपी व्यय	2.46	2.07
	व्यापार प्रोत्साहन/संबंधित व्यय	0.51	0.73
	उपकरण किराया प्रभार	0.00	0.00
	आयकर पर ब्याज	0.00	4.32
2)	**लेखा परीक्षक पारिश्रमिक में निम्नांकित शामिल हैं :–**		
	लेखा परीक्षक शुल्क	0.35	0.24
	कर लेखा परीक्षण शुल्क	0.07	0.06
	अन्य प्रमाणन सेवाएं	0.39	0.16
	व्यय की अदायगी	0.03	0.00

टिप्पणी–भाग–क–18
समेकित पूर्व अवधि मदें (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
पूर्व अवधि व्यय :				
विज्ञापन	0.00		0.00	
ब्याज और अन्य प्रभार	(0.02)		(6.06)	
निर्गम व्यय	0.00		(0.02)	
कार्मिक एवं प्रशासन व्यय–सीएसआर	0.00		0.00	
कार्मिक एवं प्रशासन व्यय–अन्य	0.19		3.94	
मूल्यह्रास	0.00	**0.17**	0.00	**(2.14)**
पूर्व अवधि आय				
ब्याज आय	0.00		0.00	
अन्य आय	(2.23)	**(2.23)**	0.00	**0.00**
कुल#		**(2.06)**		**(2.14)**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के रूप में ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग–क–19
समेकित व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
ऐसे व्यापार प्राप्यों की कुल राशि, जो छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया हों, परंतु अदा न किए गए हों		
(क) प्रतिभूत, शोध्य समझे गए;	0.00	0.00
(ख) अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए;	49.16	9.57
(ग) संदिग्ध	0.00	0.26
उप–जोड़ (I)	**49.16**	**9.83**
घटाएं : खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	0.00	0.26
	49.16	9.57
अन्य ऋण		
(क) प्रतिभूत, शोध्य समझे गए;	0.00	0.00
(ख) अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए;	62.05	19.02
(ग) संदिग्ध	0.00	0.00
उप–जोड़ (II)	**62.05**	**19.02**
कुल#	111.21	**28.59**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के शेयर के रूप में ₹ 97.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.61 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग–क–20
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के बारे में अतिरिक्त सूचना

(₹ करोड़ में)

	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	निवल मालियत, अर्थात् कुल परिसंपत्तियां–कुल देयताएं		लाभ–हानि में हिस्सेदारी	
		समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ/हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
	1	2	3	4	5
मूल सहायक कंपनियां					
भारतीय					
1.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	0.52%	188.681	0.61%	37.650
2.	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	0.15%	52.759	0.37%	22.604
3.	पीएफसी एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड	0.02%	7.112	0.02%	1.329
4.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड।	0.00%	0.001	0.00%	(0.001)
	उप–जोड़ (क)	**0.69%**	**248.552**	**1.00%**	**61.583**
विदेशी					
	लागू नहीं				
सभी सहायक कंपनियों में अल्पसंख्यक हित					
	लागू नहीं				
एसोशिएट्स (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)					
	लागू नहीं				
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार समानुपातिक समेकन/निवेश)					
भारतीय					
1.	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	0.00%	(0.985)	0.00%	0.059
2.	एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	0.03%	15.320	0.15%	9.467
	उप–जोड़ (ख)	**0.03%**	**14.336**	**0.15%**	**9.526**
विदेशी					
	लागू नहीं				
	कुल	**0.73%**	**262.889**	**1.15%**	**71.109**

नोट – इसमें लेखाओं पर समेकित अन्य नोट के भाग–ग के नोट संख्या 2.1 में उल्लिखित विशेष प्रयोजनीय वाहन की प्राप्ति की सहायक कंपनियां शामिल नहीं हैं।

एओसी–1 (सहायक कंपनियां–एसपीवीज)

फार्म एओसी 1

(कंपनी अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक और साथ में पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुपालन में)

सहायक/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा

भाग ''क'' सहायक कंपनियां–एसपीवीज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक का नाम/एपीवी	रिपोटिंग अवधि	शेयर पूंजी	आरक्षी एवं अधिशेष	कुल परिसंपत्तियां	कुल दायित्व	निवेश	कारोबार	कराधान पूर्व लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के उपरांत लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयरधारण का %
1	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड*	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0024)	81.3310	81.2834	–	–	–	–	–	–	100
2	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड*	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0021)	4.4037	4.3558	–	–	–	–	–	–	100
3	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड*	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	0.0043	61.9602	61.9059	–	0.0117	0.0117	0.0036	0.0081	–	100
4	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड**	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.2158)	1,032.4581	1,032.6239	–	–	–	–	–	–	100
5	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड**	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	0.0321	185.3738	185.2917	–	–	–	–	–	–	100
6	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड**	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0035)	24.4159	24.3694	–	0.0013	0.0013	0.0004	0.0009	–	100
7	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड**	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0047)	23.1784	23.1331	–	–	–	–	–	–	100
8	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड**	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0015)	20.9262	20.8777	–	0.8139	0.0010	0.0003	0.0007	–	100
9	देवघर मेगा पावर लिमिटेड**	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0039)	8.7470	8.7009	–	–	–	–	–	–	100
10	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड**	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0037)	0.0723	0.0259	–	–	–	–	–	–	100
11	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड**	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0046)	0.2078	0.1624	–	–	–	–	–	–	100
12	देवगढ़ इंफ्रा लिमिटेड**	30.06.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0034)	0.0540	0.0074	–	–	(0.0034)	–	(0.0034)	–	100
13	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड**	30.06.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0034)	0.0540	0.0074	–	–	(0.0034)	–	(0.0034)	–	100
14	बिहार मेगा पावर लिमिटेड**	09.07.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0034)	16.3281	16.2815	–	–	(0.0034)	–	(0.0034)	–	100
15	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड*	10.12.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0040)	0.0569	0.0109	–	–	(0.0040)	–	(0.0040)	–	100

क्र. सं.	सहायक का नाम/एपीवी	रिपोर्टिंग अवधि	शेयर पूंजी	आरक्षी एवं अधिशेष	कुल परिसंपत्तियां	कुल दायित्व	निवेश	कारोबार	कराधान पूर्व लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के उपरांत लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयरधारण का %
16	बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड**	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0029)	0.6996	0.6525	–	–	–	–	–	–	100
17	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड**	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0029)	1.3940	1.3469	–	–	–	–	–	–	100
18	महेन्द्रगढ़–भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड**	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0036)	0.5332	0.4868	–	–	–	–	–	–	100
19	दक्षिण–मध्य पूर्वी दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड**	01.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0034)	0.1184	0.0718	–	–	–	–	–	–	100
20	ओडिशा जेनरेशन फेज–II ट्रांसमिशन लिमिटेड**	17.04.2015–31.03.16	0.0500	(0.0034)	1.1845	1.1379	–	–	(0.0034)	–	(0.0034)	–	100
21	वरोरा–कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड**	20.04.2015–31.03.2016	0.0500	(0.0034)	1.6339	1.5873	–	–	(0.0034)	–	(0.0034)	–	100
22	गुड़गांव–पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड**	26.10.2015–31.03.2016	0.0100	(0.0018)	0.4987	0.4904	–	–	(0.0018)	–	(0.0018)	–	100
23	कोहिमा मरिआनी ट्रांसमिशन लिमिटेड**	22.01.2016–31.03.2016	0.0100	(0.0018)	0.2452	0.2370	–	–	(0.0018)	–	(0.0018)	–	100
24	मेदिनीपुर जीरट ट्रांसमिशन लिमिटेड**	22.01.2016–31.03.2016	0.0100	(0.0018)	0.2693	0.2610	–	–	(0.0018)	–	(0.0018)	–	100

*लेखापरीक्षित
**गैर–लेखापरीक्षित

नोट :–

1. कंपनी की कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है।
2. कारोबार को प्रचालनों से आय समझा जाता है।
3. सभी एसपीवीज प्रचालन–पूर्व चरण में हैं और उन्हें अभी प्रचालन शुरू करना है।
4. सिप्त ट्रांसमिशन लिमिटेड, रायपुर–राजनंदगांव–वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड और छत्तीसगढ–डब्ल्यूआर ट्रांमिशन लिमिटेड (पीएफसीसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को वर्ष के दौरान हस्तांतरित कर दिया गया।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता./–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00701892

हस्ता./–
एम. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता./–
(अतुल अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–00862एन

हस्ता./–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.05.2016

एओसी–1 (सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम)

फार्म एओसी 1 (जारी...)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक और साथ में पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुपालन में)

सहायक/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा

भाग ''क'' : सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क	सहायक कंपनियां	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी लिमिटेड	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड
1	तरीख को समाप्त वर्ष के लिए जानकारी [1]	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016
2	शेयर पूंजी	0.05	300.00	0.10	0.05
3	आरक्षी एवं अधिशेष	188.09	52.76	7.11	0.00
4	कुल परिसंपत्तियां	194.33	366.52	7.67	0.05
5	कुल देयताएं	6.19	13.76	0.46	0.00
6	निवेश	0.33	0.00	0.00	0.00
7	कारोबार [2]	60.07	38.71	3.15	0.00
8	कराधान पूर्व लाभ	57.10	32.96	2.01	0.00
9	कराधान के लिए प्रावधान	20.04	10.35	0.68	0.00
10	कराधान के बाद लाभ	37.06	22.60	1.33	0.00
11	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	शेयर धारण प्रतिशत	100%	100%	100%	100%

टिप्पणियां:

1. सभी सहायक कंपनियों की रिपोर्ट करने की अवधि धारक कंपनी के समान है।
2. कारोबार को प्रचालन से लाभ समझा गया है।
3. पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया में है।
4. कंपनी की कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है।

भाग ''ख'' : सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उपधारा (3) के अनुपालन में
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

ख	संयुक्त उद्यम का नाम	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिज लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन–पत्र की तारीख	31.03.2016	31.03.2015
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर		
	शेयरों की संख्या	21,87,015	4,75,00,000
	संयुक्त उद्यमों में निवेश की मात्रा	2.19	47.50
	शेयर धारण का प्रतिशत	16.66%	28.79%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में विवरण	समझौते के अंतर्गत व्यापार निर्णय	प्रोन्नतकर्ता के नाते[3]
4	संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयरधारण के कारण निवल मालियत	1.14	31.76
6	वर्ष के लिए लाभ/हानि		
	i) समेकन में विचारित	0.06	9.47
	ii) समेकन में विचारित न की गई	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियां :

1. नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया जारी है।
2. ईईएसएल को पीएफसी, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और आरईसीएल द्वारा संयुक्त रूप से प्रोन्नत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता./–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00701892

हस्ता./–
एम. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता./–
(अतुल अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–00862एन

हस्ता./–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.05.2016

भाग–ख

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी), उसकी सहायक कंपनी संयुक्त उद्यम कंपनी और सहयोगी कंपनी से संबंधित है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं :–

i) कंपनी और इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस) 21–समेकित वित्तीय विवरण के अनुपालन मे अंतः–समूह शेष और अंतः–समूह संव्यवहार को पूरी तरह हटाने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही–मूल्य के साथ जोड़कर पंक्ति–दर–पंक्ति आधार पर संयोजित किए गए है, जिसके परिणामस्वरुप लाभों अथवा हानियों को अप्राप्त दिखाया गया है।

ii) संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 27–संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुपालन में अप्राप्त लाभों अथवा हानियों के यथानुपातिक शेयर को हटाने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के संबंध में पंक्ति–दर–पंक्ति आधार पर यथानुपातिक समेकन पद्धति को अपना कर संयोजित किए गए हैं।

iii) समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान संव्यवहारों एवं अन्य घटनाओं के लिए समान लेखा नीतियां अपना कर तैयार किए गए हैं, और लेखा संबंधी टिप्पणियों में अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, यथासंभव उसी रीति से दर्शाए गए हैं, जिस रीति से कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए हैं।

iv) ऐसी सहयोगी कंपनियों, जिनमें सहायक कंपनी के माध्यम से, कंपनी की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 20 प्रतिषत से अधिक इक्विटी है, में कंपनी के निवेशों का लेखांकन समेकित वित्तीय विवरण में, लेखा मानक (एएस) 23–'सहयोगी कंपनियों में निवेश के लिए लेखांकन' का अनुपालन करते हुए इक्विटी पद्धति का प्रयोग करके किया गया है।

ख. सहायक एवं सहयोगी कंपनियों में असमेकित निवेश का लेखांकन, लेखा मानक (एएस) 13–निवेशों का लेखांकन, के अनुसार नीति संख्या 6.2 के अनुसार किया गया है।

ग. अन्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 के संबद्ध प्रावधानों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर परंपरागत लागत के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंध मंडल को रिपोर्टिंग अवधि की उल्लिखित परिसंपत्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित), राजस्व एवं व्यय में विचारित अनुमान एवं धारणाएं बनानी होती हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिस अवधि में परिणाम ज्ञात होते हैं और/या साकार होते हैं।

2. आय/व्यय की मान्यता

2.1 आय तथा व्यय (निम्नलिखित को छोड़कर) की प्रोद्भवन आधार पर लेखाओं में प्रविष्टि की जाती है।

2.1.1 कंपनी के विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार, अलाभकारी परिसंपत्तियों पर आय को उसके प्राप्ति वर्ष में दर्ज किया जाता है और ऐसी परिसंपत्तियों के संदर्भ में वसूल न की गई आय व्युतक्रमित की जाती है।

2.1.2 कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत प्रदत्त आय को उस वर्ष की आय में माना जाता है, जिस वर्ष में वह कंपनी को प्राप्त होती है।

2.2 ऋणकर्ताओं द्वारा समय पर भुगतान करने संबंधी छूट को उस वर्ष की आय माना जाता है, जिस वर्ष में वह कंपनी को प्राप्त होती है।

2.3 कमर्शियल पेपर्स और जीरो कूपन बॉण्डों (डीप डिस्काउंट बॉण्ड) पर छूट/वित्तीय प्रभार/ब्याज निर्धारित अवधि की संाित्त पर आनुपातिक आधार पर परिशोधित होता है।

2.4 शेयर के निर्गम पर व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

2.5 लाभांश से आय को अंतरिम लाभांश के मामले में प्राप्त करने के अधिकार अर्थात् निदेशक मंडल द्वारा घोषित किए जाने के बाद और अंतिम लाभांश के मामले में शेयर धारकों की वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के बाद हिसाब में लिया गया है।

2.6 ऋणकर्ता लेखों में, वसूली को ऋण करारों के अनुसार प्रभाजित किया गया है।

2.7 5000 रुपए तक के पूर्व अवधि व्यय/आय और पूर्व प्रदत्त व्यय को सामान्य लेखा शीर्षों में प्रभारित किया गया है।

2.8 परामर्श सेवा से प्राप्त आय को संबंधित परामर्श संविदाओं की शर्तों के अनुसार समग्र कार्यक्षेत्र के संबंध में यथानुपातिक किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति के प्रबंधन द्वारा निर्धारण के आधार पर लेखाओं में लिया गया है।

2.9 अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएनपीपीज) (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्पेशल परपज व्हीकल्स)/स्वतंत्र पारेशण परियोजनाओं (आईटीपीज़) के विकास के लिए सलाह एवं पेशेवर सेवाओं की फीस, सफल बोलीदाता को परियोजना स्थानांतरित करने पर ही देय होती है एवं तदनुसार इस प्रकार के स्थानांतरण के समय ही, उसे खाते में लिखा जाता है।

2.10 स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं और अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए क्वालिफिकेशन हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेज/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज की बिक्री से प्राप्तियों को देय होने पर ही हिसाब में लिया गया है।

3. विविध (प्रारंभिक) व्यय

जो व्यय लेखा मानक–26 के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियां नहीं हैं, उन्हें उसी वर्ष में पूर्णतया आलिखित किया जाएगा, जिस वर्ष में उन्हें लिखा गया है।

4. मूर्त परिसंपत्तियां/मूल्यह्रास

4.1 मूर्त परिसंपत्ति को परंपरागत लागत पर कम संचित मूल्यह्रास पर दर्शाया गया है, जबकि सक्रिय उपयोग से निवृत्त तथा निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्ति को कम अंकित मूल्य अथवा निवल वसूल किए जा सकने वाले मूल्य पर दर्शाया गया है।

4.2 मूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि को अनुमोदित बिलों के आधार पर या जिन मामलों में अंतिम बिल अभी प्राप्त/अनुमोदित किए जाने हैं, उन मामलों में संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

4.3 निम्नांकित मदों को छोड़ कर, मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित अनुसार, परिसंपत्ति की मूल लागत में से समय–समय पर अनुमानित उसके अवशेष मूल्य को घटाते हुए किया जाता है :–

परिसंपत्ति का प्रकार	परिसंपत्ति का जीवन काल
सेलफोन(1)	2 वर्ष
ईएससीओ परियोजनाएं(2)	परियोजना अवधि
लीज होल्ड सुधार(2)	लीज़ अवधि

(1) कंपनी, पीएफसीजीईएल (कंपनी की एक सहायक कंपनी) और ईईएसएल (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) द्वारा उपयोगी जीवन 2 वर्ष माना गया है।

(2) ईईएसएल द्वारा समझा गया उपयोगी जीवन।

4.4 वर्ष के दौरान 5000/– रुपए तक की लागत वाली अर्जित स्थायी परिसंपत्ति की मद का पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां/परिशोधन

5.1 सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है और परिशोधन कंपनी द्वारा अनुमानित परिसंपत्तियों की पूरी अवधि तक सीधी रेखा पद्धति द्वारा किया गया है।

6. निवेश

6.1 वर्तमान निवेशों का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत या उचित मूल्य पर अलग–अलग किया गया है।

6.2 दीर्घावधि निवेश लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में, अस्थायी को छोड़कर कमी के लिए प्रावधान किया गया है, परंतु, मूल्य में वृद्धि होने या कमी का कारण विद्यमान न रहने पर, कमी को व्युतक्रमित कर दिया जाता है।

7. परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान :

7.1 ऋण और अन्य क्रेडिट तथा पट्टा परिसंपत्तियां निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत की गई हैं, अर्थात् :

7.1.1 मानक परिसंपत्तियां : मानक परिसंपत्ति का अर्थ है, ऐसी परिसंपत्ति, जो गैर–निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) नहीं है, और जिसके संबंध में मूल धन या ब्याज की अदायगी में कोई चूक नहीं हुई है तथा जिसके बारे में व्यापार से संबद्ध किसी समस्या का या सामान्य जोखिम का प्रकटीकरण नहीं हुआ है।

7.1.2 (i) निम्नांकित अनुसार बकाया रहने वाली परिसंपत्ति को गैर–निष्पादक परिसंपत्ति समझा जाएगा और उसे अव–मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :–

दिनांक को	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति (पट्टा परिसंपत्तियों को छोड़कर ऋण परिसंपत्तियां)	गैर–निष्पादक परिसंपत्ति उप–वर्गीकरण (पट्टा परिसंपत्तियों सहित सभी ऋण परिसंपत्तियां)		
		अव–मानक	संदिग्ध	हानि
31 मार्च, 2016 को	5 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय	16 महीने से अधिक गैर–निष्पादक परिसंपत्ति न रही हो	16 महीने से अधिक अवधि के लिए गैर–निष्पादक परिसंपत्ति	36 महीने से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध या कंपनी द्वारा हानि परिसंपत्ति के रूप में पहचान की गई, इनमें जो भी पहले हो,
31 मार्च, 2017 को	4 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय	14 महीने से अधिक गैर–निष्पादक परिसंपत्ति न रही हो	14 महीने से अधिक अवधि के लिए गैर–निष्पादक परिसंपत्ति	भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार
31 मार्च, 2018 और उसके बाद	3 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय	12 महीने से अधिक गैर–निष्पादक परिसंपत्ति न रही हो	12 महीने से अधिक अवधि के लिए गैर–निष्पादक परिसंपत्ति	

(ii) कोई पट्टा परिसंपत्ति, जिसके संदर्भ में ब्याज, मूलधन की किस्त और/या अन्य प्रभार देय रहे हों, परंतु 6 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए भुगतान न किए गए हों, को गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 31.03.2018 से यदि कोई कोई पट्टा परिसंपत्ति 3 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है, तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

7.2 **मानक ऋणों और गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीएज) के लिए प्रावधान।**

7.2.1 ऋणों और अन्य क्रेडिट के लिए प्रावधान की आवश्यकता निम्नांकित अनुसार की होगी:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार प्रावधान
1.	मानक परिसंपत्ति (पुनर्गठित मानक ऋणों के लिए प्रावधान पैरा 7.3 में वर्णित अनुसार रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार किया जाएगा)	0.30%
2.	अवमानक परिसंपत्ति	10%
3.	संदिग्ध परिसंपत्ति का प्रतिभूत हिस्सा एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक, परंतु तीन वर्ष तक संदिग्ध परिसंपत्तियां, जो ऐसी प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के अंतर्गत कवर नहीं होती, जिस पर कंपनी का वैध अधिकार है।	 20% 30% 100%
4.	हानि परिसंपत्ति, यदि बट्टे खाते न डाली गई हो।	100%

7.2.2 जहां तक रिजर्व बैंक के मानक परिसंपत्ति संबंधी प्रावधान का प्रश्न है, कंपनी को 31.03.2015 को 0.25 प्रतिशत से 31.03.2016 को 0.30 प्रतिशत, 31.03.2017 तक 0.35 प्रतिशत और 31.03.2018 तक 0.40 प्रतिशत बढ़ोतरी चरणबद्ध रूप में करनी है।

7.2.3 संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान के प्रयोजन के मामले में केंद्रीय योजना अथवा राज्य विभाग को ऋण से कटौती के रूप में केंद्र/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठान द्वारा दी गई गारंटी को प्रतिभूत ऋण समझा जाएगा।

7.2.4 किराया खरीद और पट्टा परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान परिपत्र दिनांक 01.07.2013 और समय–समय पर जारी परवर्ती संशोधनों के तहत, गैर–बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार न करने वाली अथवा होल्डिंग) कंपनियां विवेक सम्मत मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के पैरा 9(2) के अनुसार किया जाएगा।

7.3 **पुनर्गठित ऋणों के प्रति प्रावधान**

7.3.1 ट्रांसमिशन और वितरण, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र में पन–बिजली परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए परियोजना ऋणों के मामले में रिजर्व बैंक ने आरबीआई पुनर्गठन मानदंडों के प्रयोग से कंपनी को 3 वर्ष अर्थात् 31.03.2017 तक के लिए छूट प्रदान की है। तदनुरुप, जिन मामलों में ऐसी परियोजनाओं के लिए सुविधाएं आंशिक दृष्टि से प्रतिभूत हैं, वहां पुनर्गठन और/या पुनः समय निर्धारण और/या ऋणों पर पुनः मोलभाव करते समय वर्तमान मूल्य आधार पर अपेक्षित प्रावधान के अतिरिक्त उपलब्ध प्रतिभूति में कमी की सीमा तक प्रावधान करना होगा।

7.3.2 निम्नांकित मामलों के लिए, पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के प्रति प्रावधान उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान सहित, रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार किया जाएगा।

(क) उत्पादन कंपनियों को 01.04.2015 से मंजूर किए गए नए परियोजना ऋण, जहां प्रावधान 5 प्रतिशत से किया जाएगा

(ख) सभी उत्पादन कंपनियों को 31.03.2015 तक पुनर्गठित बकाया ऋण (रिजर्व बैंक के अनुसार बकाया पुनर्गठित ऋण के स्टॉक के मामले में, प्रावधान चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना होगा, अर्थात् 31.03.2015 से 2.75 प्रतिशत के प्रावधान से शुरु करते हुए उसे 31.03.2016 तक 3.5 प्रतिशत, 31.03.2017 तक 4.25 प्रतिशत और 31.03.2018 तक 5 प्रतिशत करना होगा)।

7.4 परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के प्रयोजन के लिए, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को मंजूर की गई सुविधाएं निम्नांकित अपवाद को छोड़कर ऋणकर्तावार वर्गीकृत की जाएंगी :

सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग–अलग पहचान किए जाने योग्य हों और समान परियोजना पर लागू होते हों, को परियोजनावार आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के मामलों में, जहां एकल एस्क्रो खाता हो और उसकी वजह से नकदी प्रवाह परियोजनावार पहचान किए जाने योग्य न हों, ऐसी संस्थाओं को ऋणकर्तावार वर्गीकृत किया जाएगा।

7.5 पीएफसीजीईएल के मामले में, परिसंपत्ति वर्गीकरण रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार किया जाएगा। मानक परिसंपत्तियों, गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों और पुनर्गठित परिसंपत्तियों के संदर्भ में प्रावधान किया जा रहा है और रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेक सम्म्त मानदंड के अनुसार बनाए रखा जा रहा है।

8. विदेशी मुद्रा लेन–देन :

8.1 लेखा मानक–11 के अनुसार निम्नलिखित लेन–देन की लेखाओं में प्रविष्टि संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की गई हैं :

(i) विदेशी मुद्रा में व्यय एवं आय, तथा

(ii) विदेशी मुद्रा+ऋणों के अंतर्गत ऋण स्वरुप ली गई तथा ऋण दी गई राशि।

8.2 लेखा मानक–11 के अनुसार लेखाओं की समाप्ति की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर निम्नलिखित शेष राशि को भारतीय मुद्रा में अंतरित किया गया है :–

(i) विदेशी मुद्रा ऋण देयताएं।

(ii) विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते में रखी गई निधियां।

(iii) विदेशी बैंकों में दी गई गारंटियों से संबंधित आकस्मिक देयताएं।

(iv) विदेश में अर्जित की गई, किंतु भारत में प्रेषित/प्राप्त नहीं की गई आय।

(v) विदेशी मुद्रा में मंजूर किए गए ऋण।

(vi) विदेशी मुद्रा ऋण/ऋणपोषण पर प्रोद्‌भूत किंतु देय नहीं व्यय एवं आय।

8.3 केएफडब्ल्यू, जर्मनी से लिए गए ऋण के मामले में ऋण करार के अनुसार, विनिमय अंतर को ब्याज विभेदी निधि लेखा–केएफडब्ल्यू में अंतरित किया गया है।

8.4 लेखा मानक (एएस)–11 के पैराग्राफ 46, के अनुसरण में, दीर्घावधि मुद्रा मौद्रिक मदों के विनिमय अंतर को उनकी शेष अवधि में परिशोधित किया गया है।

9. डेरिवेटिव लेन–देन

9.1 डेरिवेटिव लेन–देन में, तुलन–पत्र की परिसंपत्तियों या देयताओं का बचाव करने हेतु वायदा, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा और विदेशी मुद्रा विकल्प शामिल हैं।

9.2 इन डेरिवेटिव लेन–देन का उपयोग हेजिंग के उद्देश्य हेतु किया जाता है और न कि व्यापार या सट्टे के लिए। इनकी गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है और इसे बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया जाता है।

9.3 लेखांकन मानक–11 के अनुसार जहां कहीं कंपनी ने कोई वायदा अनुबंध किया हो, अथवा कोई ऐसी लिखत, जो सार रूप में वायदा अनुबंधों, के मामले में वायदा दर और विनिमय दर के बीच लेन–देन की तारीख पर अंतर को अनुबंध की अवधि के लिए आय अथवा व्यय समझा जाएगा।

10 भारत सरकार के कार्यक्रमों का लेखांकन :

10.1 कंपनी भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋणों/अनुदानों/सब्सिडियों को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक चेनलाइजिंग/नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। कंपनी ऐसे मद में राशि प्राप्त करती है और संबद्ध कार्यक्रमों के अनुसार उसे पात्र संस्थाओं को संवितरित करती है।

10.2 जहां अनुदान भारत सरकार से अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ है, वहां उन्हें तब तक चालू देयताओं के रूप में दर्शाया गया है, जब तक उनका भुगतान लाभार्थी को जारी नहीं कर दिया जाता।

10.3 भारत सरकार के ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न, शुल्क आदि खाते में होने वाली आय को संबद्ध कार्यक्रम/भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

11. ब्याज सब्सिडी निधि

11.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पात्र ऋणकर्ता के लिए ब्याज सब्सिडी निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) आधार पर प्राप्त होने पर ब्याज सब्सिडी निधि में क्रेडिट की गई है और ब्याज की मांगों से संबंधित तारीखों को ऋण की पात्र अवधि तक ऋणकर्ता को प्रदान की गई है। ब्याज सब्सिडी फंड में कोई वृद्धि/कमी को संबंधित स्कीम की समाप्ति पर समायोजित/प्रभार मुक्त किया गया है।

11.2 स्कीम में विनिर्दिश्ट दरों पर प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर ब्याज सब्सिडी निधि को लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट करके बकाया शेष को ब्याज के साथ सब्सिडी निधि में जमा किया गया है।

12. सहायक कंपनियों पर आय/प्रापित/व्यय

12.1 सहायक कंपनियां पर हुए व्यय को ''संबंधित सहायक कंपनियों से वसूलनीय राशि'' खाते मे डेबिट किया गया है।

12.2 श्रम दिवसों (कार्मिकों) के संबंध में व्यय, सहायक कंपनियों को आबंटित किए जाते हैं और प्रशासनिक ऊपरी व्यय, अनुमानित आधार पर सहायक कंपनियों को प्रभाजित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय, संबंधित सहायक कंपनियों के नाम में डाले जाते हैं।

12.3 सहायक कंपनियों (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में प्रोन्नत की गई) से वसूलनीय राशि पर ब्याज को पीएफसी की नीति के अनुसार क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी–क) को उत्पादन परियोजना ऋण/स्कीम (उत्पादन) के लिए लागू ब्याज दर पर लेखाओं में लिया गया है।

12.4 विद्युत क्रेताओं से प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त राशि को कंपनी में अंतर कंपनी ऋण के रूप में लगाया गया है और इन ऋणों के अप्रयुक्त भाग पर ब्याज परस्पर सहमत दरों पर लगाया गया है।

12.5 कंपनी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपीज़) में विकास कार्य के लिए व्यय करती है। किए गए व्यय को अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास के लिए संबंधित सहायक कंपनियों से वसूलनीय राशि के रूप में दर्शाया गया है। जब विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का परित्याग कर दिया जाता है, तब वसूल न होने की सीमा तक उसके प्रावधान/बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाता है।

13. कार्मिक कल्याण

13.1 भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ

वर्ष के दौरान भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया गया है। कार्मिकों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद के फायदों, जैसे चिकित्सा सुविधा, आर्थिक पुनर्वास लाभ और सेवानिवृत्ति के बाद व्यवस्थापन भत्ते का निर्धारण लेखांकन मानक–15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकित आधार पर किया जाता है।

13.2 अन्य कार्मिक लाभ

बीमारी अवकाश, अर्जित अवकाश, सेवा पंचाट योजना आदि के बारे में कंपनी की जिम्मेदारी बीमांकन प्रणाली से निर्धारित की जाती है और लेखांकन मानक–15 के अनुसार इसके लिए धन की व्यवस्था की जाती है।

14. आयकर

14.1 वर्तमान आयकर समेत आयकर की गणना लागू होने वाले कर कानूनों और आस्थगित कर प्रभार या देयता के अनुसार की जाती है जो आय पर कर की गणना संबंधी लेखांकन मानक–22 के तहत होता है (इसमें अवधि के दौरान लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर की वजह से होने वाले कर प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है)।

आस्थगित कर प्रभार या ऋण और तत्संबंधी कर दायित्व या परिसंपत्तियों की गणना अधिनियम की तारीख अथवा तुलन–पत्र में दी गयी तारीख को अंतिम रूप से निर्धारित दर से की गयी है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन और उनका अग्रेषण उस सीमा तक किया गया है जहां तक इस बात का यथोचित यकीन हो कि इस तरह की आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

14.2 चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि उसका आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(VIII) के तहत बनाई और चलाई जा रही विशेष संचित निधि से निकासी का कोई इरादा नहीं है, इसलिए इस तरह की विशेष संचित निधि आरक्षण के योग्य नहीं है क्योंकि इससे लेखे में स्थायी अंतर आ जाता है। कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से मिले स्पष्टीकरण का पालन करते हुए कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

15. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानक–3 में निर्धारित नकदी प्रवाह विवरण संबंधी अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी के अंतर्गत हस्तगत रोकड़, बैंकों में जमा डिमांड, डाक अधिकारियों के पास अग्रदाय और हस्तगत चेक/ड्राफ्ट/पे–आर्डर शामिल होते हैं। कंपनी सभी अल्पावधि बकाया राशियों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से 3 महीने या उससे कम हो), उच्च तरल निवेश, जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं, को नकदी समतुल्य समझती है।

भाग–ग
समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां

1. कंपनी एक सरकारी कंपनी है जो ऊर्जा क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है तथा प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण (जमा स्वीकार न करने वाली या होल्डिंग), इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा वित्त कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। कंपनी के इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।

2. कंपनी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखों का समेकन प्रस्तुत करने वाला समेकित वित्तीय विवरण नीचे दिया गया है :

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम संस्था का नाम	अधिनिगमन का राष्ट्र	निम्नांकित तारीख को शेयरधारिता का अनुपात		लेखों और लेखांकन अवधि की स्थिति
		31.03.2016	31.03.2015	01.04.2015–31.03.2016
सहायक कंपनियां :				
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)(i)	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीएल)	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड(पीएफसीसीएएस)(i)	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)(ii)	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित
संयुक्त उद्यम संस्थाएं :				
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएल)(iii)	भारत	16.66%	16.66%	लेखा परीक्षित
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)(iv)	भारत	28.79%	25%	गैर –लेखा परीक्षित

(i)पीएफसीसीएएस और पीएफसीसीएल के विलय का निर्णय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। इस प्रक्रिया में विद्युत मंत्रालय ने सलाह दी है कि विलय के बाद प्रस्तावित्त कंपनी और कंपनी के व्यापार के बीच होने वाली किसी प्रकार के संभावित्त हितसंघर्ष के बारे में पूर्ण विलय से पहले कानूनी परामर्श प्राप्त किया जाए। विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सहायक कंपनी कानूनी सलाह प्राप्त कर रही है।

(ii)पीईसीएपी के स्वैच्छिक समापन का निर्णय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

(iii)एनपीईएल के स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया जारी है और समापन आधार पर इसके लेखे तैयार किए जा रहे हैं। 31.03.2016 को एनपीईएल की इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश कंपनी का निवेश ₹ 2.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.19 करोड़) का है, जिसके प्रति 31.03.2016 को कमी के लिए ₹ 1.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.06 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

(iv)इसमें 31.03.2016 को ईईएसएल के ₹ 10 प्रति शेयर अंकित मूल्य के 9,90,00,000 इक्विटी शेयर खरीदने (25.04.2016 को आबंटित) के लिए किया गया ₹ 99.00 करोड़ का निवेश शामिल नहीं है।

2.1 नीचे दिए गए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण (जिन्हें भारत में शामिल किया गया है), लेखामानक 21 के पैराग्राफ 11 में उल्लिखित अनुसार समेकित नहीं किए गए हैं, क्योंकि किसी सहायक कंपनी को ऐसी स्थिति में समेकन से बाहर रखा जाना चाहिए, जब उसका अधिग्रहण इस प्रयोजन के लिए अस्थाई आधार पर किया गया हो कि बाद में बोली प्रक्रिया पूर्ण होने पर उसे सफल बोलीदाता को बेच दिया जाएगा :

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निवेश की तारीख	निम्नांकित तारीख को शेयर धारिता का अनुपात		राशि (₹ करोड़ में)	
			31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
	सहायक कंपनियां :					
(i)	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	05.09.2006	100%	100%	0.05	0.05
(ii)	उड़ीसा इंटिग्रेटिड पावर लिमिटेड	05.09.2006	100%	100%	0.05	0.05
(iii)	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	14.09.2006	100%	100%	0.05	0.05
(iv)	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	31.01.2007	100%	100%	0.05	0.05
(v)	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	31.03.2008	100%	100%	0.05	0.05
(vi)	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	27.01.2010	100%	100%	0.05	0.05
(vii)	घोघरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	27.01.2010	100%	100%	0.05	0.05
(viii)	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड*	27.01.2010	100%	100%	0.05	0.05
(ix)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	30.07.2012	100%	100%	0.05	0.05
(x)	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	24.03.2014	100%	100%	0.05	0.05
(xi)	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	27.03.2014	100%	100%	0.05	0.05
(xii)	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	25.08.2015	100%	लागू नहीं	0.05	–
(xiii)	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	26.08.2015	100%	लागू नहीं	0.05	–
(xiv)	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	27.08.2015	100%	लागू नहीं	0.05	–
(xv)	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	05.02.2016	100%	लागू नहीं	0.05	–
	कुल				**0.75**	**0.55**

*तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड के समापन का निर्णय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

उपरोक्त सहायक कंपनियों को भारत सरकार के अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी) विकसित करने के अधिदेश के अंतर्गत विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) के रूप में अधिनिगमित किया गया था ताकि बोली प्रक्रिया पूर्ण होने पर उन्हें सफल बोलीदाता के सौंपा किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजनाएं (आईटीपी) विकसित करने के लिए सृजित की गई 9 सहायक कंपनियां (पीएफसीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली 12 कंपनियों में से, 3 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सफल बोलीदाताओं को अंतरित की गई) इस आशय के साथ रखी जा रही हैं कि बोली प्रक्रिया पूर्ण होने पर उन्हें सफल बोलीदाताओं को सौंप दिया जाएगा :

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निवेश की तारीख	सफल बोलीदाता को सौंपे किए जाने की तारीख	निम्नांकित तारीख को शेयरधारिता का अनुपात		राशि (₹ करोड़ में)	
				31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
	सहायक कंपनियां :						
1.	बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	21.10.2013	–	100%	100%	0.05	0.05
2.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	21.10.2013	–	100%	100%	0.05	0.05
3.	महेंद्रगढ़–भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	23.12.2014	–	100%	100%	0.05	0.05
4.	रायपुर–राजनांदगांव–वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड(i)	23.12.2014	23.11.2015	–	100%	–	0.05
5.	सिप्त ट्रांसमिशन लिमिटेड(i)	23.12.2014	23.11.2015	–	100%	–	0.05
6.	छत्तीगढ़–डब्ल्यूआर ट्रांसमिशन लिमिटेड(i)	24.12.2014	23.11.2015	–	100%	–	0.05
7.	साउथ–सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.02.2015	–	100%	100%	0.05	0.05
8.	ओडिशा जेनरेशन फेज–2 ट्रांसमिशन लिमिटेड(ii)	17.04.2015	–	100%	–	0.05	–
9.	वरोरा–कुर्नूल ट्रांसमिशन लिमिटेड(ii)	20.04.2015	–	100%	–	0.05	–
10.	गुड़गांव–पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड(ii)	26.10.2015	–	100%	–	0.01	–
11.	कोहिमा–मरियानी ट्रांसमिशन लिमिटेड(ii)	22.01.2016	–	100%	–	0.01	–
12.	मेदिनीपुर–जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड(ii)	22.01.2016	–	100%	–	0.01	–
	कुल					**0.33**	**0.35**

(i)बोली प्रक्रिया पूर्ण होने पर सफल बोलीदाता को सुपुर्द की गई:
(ii)वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पीएफसीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक के रूप में अधिनिगमित की गई।

2.2 कंपनी ने सहायक कंपनियों को प्रोन्नत किया और अंकित मूल्य पर सहायक कंपनियों के शेयर खरीदे। इसलिए गुडविल या पूंजी रिजर्व की नौबत नहीं आई।

3. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं :

3.1 आकस्मिक देयताएं

(क) गारंटी आदि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
(i)	विदेशी मुद्रा में जारी की गई डिफॉल्ट गारंटी–शून्य (पिछले वर्ष 0.74 मिलियन अमरीकी डॉलर)	–	4.69
(ii)	घरेलू मुद्रा में जारी की गई गारंटी	226.75	262.84
(iii)	ऋण के रूप में नहीं माने गए कंपनी के खिलाफ किए गए दावे	–	0.04
(iv)	मंजूरी किए गए ऋणों के प्रति लेटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से ऋणकर्ताओं के प्रति बकाया संवित्तरण प्रतिबद्धताएं	446.22	813.07
	कुल	**672.97**	**1,080.64**

(ख) आय कर मांग

आय कर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के लिए की गई और विभाग को अदा की गई कुल ₹ 45.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 64.41 करोड़) की अतिरिक्त मांग का विरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी को अपील प्राधिकरणों द्वारा दी गई ₹ 121.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 85.47 करोड़) की राहत के खिलाफ आय कर विभाग ने अपील दायर की है। इसका भी विरोध किया जा रहा है। इनके प्रति देयता सृजित होने की संभावना नहीं है, अतः प्रबंधन ने कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा है।

3.2 प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर कार्यान्वित किए जाने के लिए बाकी अनुबंध की अनुमानित राशि ₹ 83.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 15.32 करोड़) है, जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4. आयकर विभाग द्वारा की गई अतिरिक्त मांगों (अपील प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित राहत का निवल) का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जो कंपनी ने विरोध के अंतर्गत अदा की हैं और उनके लिए प्रावधान किया है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
1.	प्रारंभिक शेष	78.50	55.10
2.	वर्ष के दौरान संवर्धन	17.65	23.40
3.	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(0.76)	–
4.	अंतिम शेष	95.39*	78.50$

*मूल्यांकन वर्ष 2001–02 से 2013–14 से संबंधित
$मूल्यांकन वर्ष 2001–02 जव 2012–13 से संबंधित

5. क. कंपनी ने कुल ₹ 700.00 करोड़ वसूलने के लिए ₹ 1000/– प्रति बॉण्ड अंकित मूल्य वाले 70,00,000 कर मुक्त बॉण्ड का पब्लिक इश्यू जारी किया। इसके लिए 15.10.2015 को प्रतिभूति सृजित की गई। 17.10.2015 को बॉण्ड आबंटित किए गए और 20.10.2015 को बंबई शेयर बाजार में सूचीबद्ध किए गए। बॉण्ड निर्गम से प्राप्त राशि का इस्तेमाल ऑफर दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।

ख. कंपनी (एमसीए सर्कुलर नंबर 6/3/2001–सीएल. V दिनांक 18.04.2002 के अनुसार) पब्लिक इश्यू के लिए 50 प्रतिशत की दर से और परवर्ती सार्वजनिक निर्गमों के लिए 25 प्रतिशत (कंपनियां (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम, 2014 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार) की दर से बॉण्डों या डिबेंचरों के सार्वजनिक निर्गम हेतु डिबेंचर रिडेंपशन रिजर्व (डीआरआर) सृजित कर रही है, जिसके लिए 11.02.2013 से पहले प्रास्पैक्टस दाखिल किया गया था।

ग. कंपनी अपरिवर्तनीय बॉण्ड इश्यू की श्रृंखलाओं सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से धन वसूलती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋणों का भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है। जहां तक अपरिवर्तनीय रुपया मूल्य बॉण्डों का प्रश्न है, ब्याज एवं मूलधन की अदायगी की पिछली देय तारीख क्रमशः 31.03.2016 से 17.03.2016 थी।

6. क. विदेशी मुद्रा आय और व्ययः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(क)	**विदेशी मुद्रा में आय**		
(i)	विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज*	250.90	236.21
(ii)	वित्तीय और अन्य प्रभार*	39.38	125.68
(iii)	यात्रा व्यय	0.30	0.38
(iv)	प्रशिक्षण व्यय	0.26	0.18
(ख)	**विदेशी मुद्रा में आय**	–	7.64

*विदहोल्डिंग कर को छोड़कर

(ख) विदेशी मुद्रा देयताएं जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा या अन्यथा प्रतिभूत नहीं की गई हैं :–

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	संबद्ध मुद्रा के संदर्भ में मिलियंस	₹ करोड़ में	संबद्ध मुद्रा के संदर्भ में मिलियस	₹ करोड़ में
अमरीकी डॉलर	979	6,535.38	1,128	7,110.90
यूरो	17	129.28	19	129.72
जापानी येन	57,102	3,405.56	24,209	1,274.11
कुल		**10,070.22**		**8,514.73**

(ग) कंपनी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर उनकी अवधि पर विनिमय अंतर परिशोधित करती है। नतीजतन, 31.03.2016 को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण विभेद खाता (एफसीएमआईटीडीए) के अंतर्गत परिशोधित न की गई डेबिट शेष राशि, ₹ 739.74 करोड़ (पिछले वर्ष डेबिट शेष ₹ 380.56 करोड़) है।

(घ) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित देयताएं और परिसंपत्तियां आमतौर पर नीचे वर्णित अनुसार वर्ष के अंत में भारतीय स्टेट बैंक की टीटी सेलिंग दर पर अंतरित की जाती है।

क्र. सं.	विनिमय दर	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(i)	अमरीकी डॉलर/भारतीय मुद्रा	66.77	63.06
(ii)	जापानी येन/भारतीय मुद्रा	0.5964	0.5263
(iii)	यूरो/भारतीय मुद्रा	75.78	68.42

भारतीय स्टेट बैंक की टीटी सेलिंग दर से भिन्न दर के लिए ऋण समझौते में विशेष प्रावधान होने के मामले में, दर संबद्ध ऋण समझौते में निर्धारित अनुसार ली गई है।

7. लेखांकन मानक–18 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण इस प्रकार है :

(क) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) :

विवरण	अवधि
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
श्री एम. के. गोयल*, सीएमडी और सीईओ [(i)]	22.01.2015 से
श्री आर. नागराजन, निदेशक (वित्त) और सीएफओ [(ii)]	31.07.2009 से
श्री ए. के. अग्रवाल, निदेशक (परियोजनाएं) [(iii)]	13.07.2012 से
श्री डी. रवि, निदेशक (वाणिज्यिक) [(iv)]	16.11.2015 से
श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव	01.04.2014 से
सहायक कंपनियां	
श्री सी. गंगोपाध्याय, सीईओ, पीएफसीसीएल	03.12.2013 से
श्री सी. गंगोपाध्याय, निदेशक पीईसीएपी	13.10.2009 से
श्री ए. चक्रवर्ती, निदेशक, पीईसीएपी	11.10.2011 से
श्री ए. चक्रवर्ती, सीईओ, पीएफसीजीईएल	14.09.2012 से 18.05.2015 तक
श्री दिनेश विज, सीईओ, पीएफसीजीईएल	18.05.2015 से
श्री आलोक सूद, सीएफओ, पीएफसीजीईएल	18.05॰2015 से
श्रीमती रचना सिंह, सीएस, पीएफसीजीईएल	01.04.2014 से
संयुक्त उद्यम संस्थाएं	
श्री सौरभ कुमार, प्रबंध निदेशक, ईईएसएल	07.05.2013 से
श्री पी. ठक्कर, अध्यक्ष, ईईएसएल	10.12.2013 से 12.10.2015 तक
श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष, ईईएसएल	21.10.2015 से
श्री अनिल कुमार गुप्ता, निदेशक, (वित्त)	05.02.2016 से
श्री एस. एन. गायकवाड़ निदेशक (परियोजनाएं)	05.02.2016 से

[(i)] 13.09.2013 से पीएफसीसीएल, पीएफसीजीईएल और पीएफसी सीएएस में अध्यक्ष भी हैं।

[(ii)] पीएफसीसीएल (21.10.2008 से) पीएफसीजीएल (30.03.2011 से) और पीएफसीसीएएस (18.07.2011 से) में निदेशक भी हैं।

[(iii)] पीएफसीसीएल (23.09.2013 से) पीएफसीजीईएल (03.08.2012 से) और पीएफसी सीएएस (19.09.2013 से) में निदेशक भी हैं।

[(iv)] पीएफसीसीएल (01.12.2015 से) पीईसीएपी (29.03.2010 से) में निदेशक, और पीएफसीजीईएल (01.12.2015 से) में अपर निदेशक भी हैं।

*16.11.2015 तक निदेशक वाणिज्य का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला।

(ख) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक के साथ लेन–देन :

महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक का प्रबंधकीय पारिश्रमिक 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 3.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.74 करोड़) रहा।

8. (क) ऋणों के रूप में ऋण एवं अग्रिम:

(I) संबद्ध सहायक कंपनियों से वसूली योग्य राशि (उस पर ब्याज सहित) का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनियों के नाम	31.03.2016* को	31.03.2015* को	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	9.99	8.99	10.14	9.10
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	89.04	105.21	132.11	111.77
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	4.35	3.81	4.35	3.81
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	96.85	70.13	96.85	70.13
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	82.13	75.23	82.13	75.23
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	6.41	5.54	6.58	5.54
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	5.46	4.79	5.72	4.67
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	9.26	8.37	9.26	11.65
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	8.70	6.12	8.70	6.12
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	0.02	0.01	0.02	0.01
ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.16	0.11	0.16	0.11
बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.01	0.00	0.01	0.00
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.95	0.00	0.95	0.00
देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.01	0.00	0.01	0.00
झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.68	2.34	5.44	2.79
कुल	**317.02**	**290.73**	**362.43**	**300.93**

*यह राशि अग्रिमों के रूप में है, इसमें कोई ऋण शामिल नहीं है।

(II) बिजली दलालों और अन्य भुगतान योग्य राशि के रूप में सहायक कंपनियों को भुगतान की जाने वाली राशि (ब्याज सहित) की विस्तृत जानकारी निम्न अनुसार है :

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनियों के नाम	31.03.2016* को	31.03.2015* को	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	62.81	59.79	62.81	59.79
उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	83.06	72.57	83.06	72.57
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	73.56	68.72	73.56	68.72
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	71.00	66.17	71.00	66.17
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	25.05	23.69	25.05	23.69
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	23.71	22.44	23.71	22.44
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	25.73	24.91	25.73	27.48
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	16.20	0.00	16.20	0.00
कुल	**381.12**	**338.29**	**381.12**	**340.86**

(ख) कंपनी और/या इसकी सहायक कंपनियों के शेयरों में ऋणकर्ताओं द्वारा निवेश (वर्ष के अंत में राशि और वर्ष के दौरान अधिकतम राशि) : शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

9. वर्ष के दौरान प्रमुख निवेश :

कंपनी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के ₹ 10 लाख प्रति बॉण्ड अंकित मूल्य वाले 18,000 अप्रतिभूत, अतिरिक्त टियर–1, बेसल–3 कम्प्लीएंट, अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड (कूपन रेट 10.95 प्रतिशत) खरीदे, जिनमें कुल निवेश ₹ 1800 करोड़ रहा।

10. इंटरेस्ट डिफरेंशियल फंड (आईडीएफ)– केएफडब्ल्यू

केएफडब्ल्यू और पीएफसी के बीच समझौते के मुताबिक आईडीएफ केवल ऋणकर्ताओं को ही उपलब्ध कराया जाता है और इसका उपयोग ऋण के अंतर्गत विनिमय में उतार–चढ़ाव के जोखिम की भरपाई के लिए किया जाएगा तथा अतिरिक्त राशि का उपयोग समझौते के अनुसार किया जाएगा। आईडीएफ फंड में बकाया राशि को एक अलग कोष के अंतर्गत रखा गया है, जिसका नाम है– इंटरेस्ट डिफरेंशियल फंड– केएफडब्ल्यू और इसे देयता के रूप में दिखाया गया है। ₹ 13.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 14.11 करोड़) के विनिमय अंतर हस्तांतरण के बाद 31.03.2016 को ₹ 60.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 58.38 करोड़) की कुल राशि जमा हुई।

11. लेखांकन मानक एएस–19 के अंतर्गत विभिन्न लीजों (पट्टों) के संबंध में अपेक्षित प्रकटीकरण नीचे किया गया है:

(क) 01.04.2001 के बाद वित्तीय लीज के तहत परिसंपत्ति :

i) लीज परिसंपत्तियों में सकल निवेश और तुलन–पत्र की तारीख को न्यूनतम प्राप्य मौजूदा मूल्य और अन–अर्जित वित्तीय आय का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
भविष्य में वसूले जा सकने वाले न्यूनतम लीज भुगतान (सकल निवेश)	364.78	392.95
वसूले जा सकने वाले लीज भुगतान का वर्तमान मूल्य	204.09	212.27
अन–अर्जित वित्तीय आय	**160.69**	**180.68**
भविष्य में वसूले जा सकने वाले कुल न्यूनतम लीज भुगतानों (सकल निवेश) का परिपक्वता स्वरूप		
एक वर्ष तक	27.11	30.06
एक वर्ष के बाद, परंतु पांच वर्ष तक	107.54	107.98
पांच वर्ष के बाद	230.13	254.91
कुल	**364.78**	**392.95**
वसूले जा सकने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य का वर्गीकरण		
एक वर्ष तक	7.89	10.06
एक वर्ष के बाद, परंतु पांच वर्ष तक	39.52	36.18
पांच वर्ष के बाद	156.68	166.03
कुल	**204.09**	**212.27**

ii) कंपनी ने वायु टरबाइन जनरेटर (19.07.2004 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में वित्तीय लीज के रूप में ₹ 88.90 करोड़ मंजूर किए। दिसंबर 2006 में यह राशि घटाकर ₹ 88.85 करोड़ कर दी गई थी। 31.03.2016 को कुल निवेश ₹ 1.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.78 करोड़) का रहा। लीज का किराया 15 वर्ष की समयावधि में लिया जाना है। 19.07.2004 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और पांच वर्ष द्वितीयक समयावधि के हैं। द्वितीयक समयावधि 19.07.2014 से प्रारंभ हुई है।

iii) कंपनी ने वायु टरबाइन जनरेटर (18.05.2004 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में वित्तीय लीज के रूप में ₹ 98.44 करोड़ मंजूर किए थे। 31.03.2016 को कुल निवेश ₹ 3.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.43 करोड़) रहा। लीज का किराया 20 वर्ष की समयावधि में लिया जाना है। 18.05.2004 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अगले 10 वर्ष द्वितीयक समयावधि के हैं। द्वितीयक समयावधि 01.04.2014 से प्रारंभ हुई है।

iv) कंपनी ने वायु टरबाइन जनरेटर (09.06.2005 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में वित्तीय लीज के रूप में ₹ 93.51 करोड़ मंजूर किए थे। 31.03.2016 को कुल निवेश ₹ 4.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.62 करोड़) रहा। 19 वर्ष 11 महीने की समयावधि में लीज का किराया लिया जाना है। 09.06.2005 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अधिकतम 9 वर्ष 11 महीने द्वितीयक समयावधि के हैं। द्वितीयक अवधि 01.04.2015 से प्रभावी है।

(v) वायु टरबाइन जनरेटर (18.05.2011 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2008 में कंपनी ने वित्तीय लीज के रूप में ₹ 228.94 करोड़ मंजूर किए थे। 31.03.2016 को कुल निवेश ₹ 355.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 379.12 करोड़) रहा। 25 वर्ष की समयावधि में लीज का किराया

लिया जाना है। 01.01.2012 से शुरू इस समयावधि में 18 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अधिकतम सात वर्ष द्वितीयक समयावधि के हैं।

(ख) कंपनी के प्रचालन लीजों में निम्नलिखित शामिल हैं :

कार्मिकों को कार्यालय और आवास उपलब्ध कराने के लिए भवनों की लीज का प्रबंध किया गया है। सेवा और शर्तों पर आपसी सहमति के आधार पर इनका नवीनीकरण और निरस्तीकरण किया जा सकता है। कार्मिकों के आवास के लिए की गई लीज किराये के रूप में ₹ 5.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.11 करोड़) का भुगतान होना है। कार्मिकों के आवासों एवं उनके हित में होने वाले व्यय के संबंध में लीज भुगतान को ''टिप्पणी भाग–क 16–कार्मिक लाभ व्यय'' के अंतर्गत आवासीय भवनों के किराए के रूप में और कार्यालय भवनों के संबंध में लीज भुगतान को ''टिप्पणी भाग–क 17 अन्य व्यय'' के अंतर्गत कार्यालय किराया भुगतान के रूप में नीचे दर्शाया गया है। इन लीज समझौतों के संदर्भ में भावी लीज भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

भावी न्यूनतम लीज किराया भुगतान	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष
एक वर्ष तक	3.69	2.80
एक वर्ष के बाद, परंतु पांच वर्ष तक	3.11	2.31
पांच वर्ष के बाद	4.03	4.53
कुल	**10.83**	**9.64**

12 भारत सरकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

क) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम के तहत सब्सिडी (एजी एंड एसपी):

(i) कंपनी ने भारत सरकार के पत्र अ.शा. सं. 32024/17/97–पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001–पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अनुसार वास्तविक भुगतान कार्यक्रम, अधिस्थगन अवधि तथा पुनर्भुगतान की अवधि पर विचार किए बिना, निर्दिष्ट ब्याज दरों पर गणना के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा किया। प्राप्त और ऋणकर्ता को अंतरित की जाने वाली राशि ब्याज सब्सिडी निधि लेखे में रखी गई है। निर्दिष्ट दर तथा दावे के समय और वास्तविक संवितरण के समय विचार की गई अवधि के बीच अंतर के प्रभाव का आकलन संबंधित योजनाओं की समाप्ति के पश्चात ही किया जा सकता है। परंतु, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए आकलनों के आधार पर (कुछ ऐसी धारणाओं के आधार पर कि वे प्रत्येक ऋण/परियोजना की अनुमत अवधि में उतनी ही रहेगी), कंपनी ने एजी एंड एसपी स्कीम के अंतर्गत 11वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 31.03.2016 को क्रमशः ₹ 7.80 करोड़ और ₹ 87.47 करोड़ की निवल अतिरिक्त राशि (पिछले वर्ष क्रमशः ₹ 7.02 करोड़ और ₹ 61.32 करोड़) अनुमानित की है और इसमें कोई कमी नहीं है। यह निवल अतिरिक्त राशि अलग–अलग आधार पर नहीं बल्कि समग्र आधार पर परिकलित की गई है और यदि अनुमानित अवधि में इन धारणाओं में परिवर्तन के कारण कोई परिवर्तन होता है, जैसे परिशोधन अवधि में, चुकौती अवधि, ऋण पुनर्गठन, पूर्व भुगतान, ब्याज दर के पुनर्निधारण आदि में कोई परिवर्तन होता है तो इस राशि में परिवर्तन हो सकता है। ब्याज सब्सिडी निधि में यदि कोई अधिकता/कमी होगी तो वह संबद्ध स्कीम के पूरी हो जाने पर समायोजित/प्रभारित कर दी जाएगी।

(ii) ब्याज सब्सिडी निधि शीर्ष के अंतर्गत देयता के रूप में दर्शाया गया शेष, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सब्सिडी की राशि को दर्शाता है, जो त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत भविष्य में प्रोद्भूत ब्याज देयता के लिए ऋणकर्ताओं को अंतरित की जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को
प्रारंभिक शेष	111.35	123.87
जोड़ – अवधि के दौरान प्राप्ति	–	–
– अवधि के दौरान प्राप्त ब्याज	8.87	9.42
– परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण–ऋणकर्ताओं द्वारा वापसी	–	–
घटाएं – ऋणकर्ताओं को अंतरित की गई, विद्युत मंत्रालय को लौटाई गई ब्याज सब्सिडी	12.75	21.94
(क) 11वीं योजना की अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	–	–
(ख) परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण	–	–
(ग) 10वीं योजना की अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	–	–
अंतिम शेष	**107.47**	**111.35**

(ख) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी)

(i) कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन के अधीन पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) के प्रचालन एवं संबंधित सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए ''नोडल एजेंसी'' है।

आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त की जाती है ताकि उसका इस्तेमाल कंपनी को बिना किसी प्रकार के लाभ–हानि के साथ 'एक के बाद एक' (बैक टू बैक) व्यवस्था के अंतर्गत पात्र विद्युत संस्थानों को ऋण देने के लिए किया जा सके। इस प्रकार संवितरित की गई राशि, लेकिन आर–एपीडीआरपी दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुदान में परिवर्तित न की गई राशि, ऋणकर्त्ताओं से प्राप्त होने पर ब्याज सहित भारत सरकार को अदा की जाएगी।

विवरण नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणकर्ताओं से वसूली जाने वाली धनराशि और भारत सरकार को देय		आर–एपीडीआरपी निधि		ऋणकर्ताओं से वसूली जाने वाली धनराशि और भारत सरकार को देय	
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
क. आर–एपीडीआरपी के तहत भारत सरकार का ऋण (मूलधन)						
प्रारंभिक शेष	7,687.84	7,315.85	–	–	–	–
वर्ष के दौरान वृद्धि	667.82	578.47	667.82	578.47	–	–
–वसूली/धन वापसी/वर्ष के दौरान बदलाव	(125.21)	(206.48)	(667.82)	(578.47)	–	–
अंतिम शेष (क)	**8,230.45**	**7,687.84**	**–**	**–**	**–**	**–**
ख. प्रोद्भूत ब्याज, लेकिन देय नहीं (एफडी पर अर्जित ब्याज)	**लागू नहीं**					
ग. आर–एपीडीआरपी के तहत ऋण पर ब्याज			**लागू नहीं**			
(i) प्रोद्भूत, लेकिन देय नहीं						
प्रारंभिक शेष	2,563.89	1,605.09				
वर्ष के दौरान वृद्धि	650.36	673.90				
संचयी अधिस्थगित ब्याज से/में अंतरित	(986.16)	298.41				
प्रोद्भूत और देय ब्याज में अंतरित	(91.26)	(13.51)				
अंतिम शेष (i)	2,136.83	2,563.89				
(ii) प्रोद्भूत एवं देय						
प्रारंभिक शेष	3.68	3.69				
वर्ष के दौरान वृद्धि	182.27	16.59				
वसूली एवं भारत सरकार को वापसी/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन	(43.90)	(16.60)				
अंतिम शेष (ii)	142.05	3.68				
आर–एपीडीआरपी के तहत ऋण पर ब्याज (ग) = (i+ii)	**2,278.88**	**2,567.57**				
घ. संचयी अधिस्थगित ब्याज			**लागू नहीं**			
प्रारंभिक शेष	38.85	338.92				
अवधि के दौरान वृद्धि	994.90	(301.58)				
वसूली एवं भारत सरकार को वापसी/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन	(34.07)	1.51				
अंतिम शेष (घ)	**999.68**	**38.85**				

विवरण	ऋणकर्ताओं से वसूली जाने वाली धनराशि और भारत सरकार को देय		आर–एपीडीआरपी निधि		ऋणकर्ताओं से वसूली जाने वाली धनराशि और भारत सरकार को देय	
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
ङ संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज			**लागू नहीं**			
(i) प्रोद्भूत, लेकिन देय नहीं						
प्रारंभिक शेष	0.15	1.42				
अवधि के दौरान वृद्धि	34.99	(0.92)				
प्रोद्भूत और देय में अंतरित	(27.88)	(0.35)				
अंतिम शेष (i)	7.26	0.15				
(ii) जमा एवं देय						
प्रारंभिक शेष	1.18	2.21				
अवधि के दौरान वृद्धि	71.92	(1.88)				
वसूली एवं भारत सरकार को वापसी/ परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन	(17.88)	0.85				
अंतिम शेष (ii)	55.22	1.18				
संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज (ङ) = (i+ii)	**62.48**	**1.33**				
च. ब्याज पर ब्याज, ''संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज'' पर ब्याज और दंड ब्याज			**लागू नहीं**			
(i) ब्याज पर ब्याज						
प्रारंभिक शेष	0.05	0.00				
अवधि के दौरान वृद्धि	4.64	0.11				
वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परिवर्तन	(0.06)	(0.06)				
अंतिम शेष (i)	4.63	0.05				
(ii) 'संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज' पर ब्याज						
प्रारंभिक शेष	0.02	0.00				
अवधि के दौरान वृद्धि	1.80	0.02				
वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन	(0.02)	0.00				
अंतिम शेष (ii)	1.80	0.02				
(iii) दंड ब्याज						
प्रारंभिक शेष	0.05	0.00				
अवधि के दौरान वृद्धि	5.21	0.15				
वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परियोजना पूर्ण होने की अवधि के विस्तार के कारण परिवर्तन	(0.08)	(0.10)				
अंतिम शेष (iii)	5.18	0.05				
ब्याज पर ब्याज, ''संचयी अधिस्थगित ब्याज पर ब्याज'' पर ब्याज और दंड ब्याज (च) = (i+ii+iii)	11.61	0.12				
अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च)	11,583.10[(1)]	10,295.71				

[(1)] इसमें ₹ 13.00 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो 31.03.2016 तक ऋणकर्त्ता ओं से प्राप्त हुई और 02.04.2016 को विद्युत मंत्रालय को अदा की गई। तदनुरूप, 31.03.2016 को यह राशि आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार को देय के रूप में दिखाई गई है (नोट भाग–क 4)

(ii) आर–एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नोडल एजेंसी की फीस स्वीकृत परियोजना के लिए एक प्रतिशत की दर से तय की गई। यह शुल्क तीन अलग–अलग चरणों में लिया जाता है–0.40 प्रतिशत परियोजना की मंजूरी पर, 0.30 प्रतिशत निधि संवित्तरण पर और शेष 0.30 प्रतिशत मंजूर परियोजना के पूर्ण होने पर (भाग–क के लिए) और परियोजना क्षेत्रों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों की जांच (भाग–ख के लिए) पूरी होने पर। इसके अतिरिक्त आर–एपीडीआरपी के प्रचालन के लिए किया गया वास्तविक व्यय, पीएफसी कार्मिकों पर आबंटन योग्य व्यय सहित, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा अदा किया जाने योग्य है। शुल्क और व्यय की अदायगी की संचयी राशि का दावा ₹ 850 करोड़ अथवा आर–एपीडीआरपी के भाग–क और ख के अंतर्गत संभावित्त परिव्यय का 1.7 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम होगा, उससे अधिक नहीं होगा।

विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.03.2015 के पत्र के माध्यम से अनुमोदित और और दिनांक 20.05.2015 के पत्र के माध्यम से जारी परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना से कंपनी अपना दावा पीएफसी कार्मिकों पर व्यय और प्रशासनिक खर्च को छोड़ कर केवल वास्तविक व्यय तक सीमित रखेगी।

31.03.2016 को नोडल एजेंसी शुल्क की कुल राशि और पीएफसी द्वारा प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य खर्च की अदायगी की कुल धनराशि इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वित्तत वर्ष के दौरान	31.03.2015 को समाप्त हुए वित्तत वर्ष के दौरान	निम्नांकित अवधि तक संचयी	
			31.03.2016	31.03.2015
नोडल एजेंसी शुल्क [1]	0.66	(36.38)	128.07	127.41
व्यय की अदायगी	22.99	41.20	127.67	104.68
कुल	**23.65**	**4.82**	**255.74**	**232.09**

[1] सेवा कर को छोड़कर।

(ग) समेकित विद्युत विकास कार्यक्रम (आईपीडीएस)

भारत सरकार ने 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर–एपीडीआरपी के निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के लिए आईपीडीएस कार्यक्रम शुरू किया है और आर–एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित व्यय को आईपीडीएस हेतु अग्रसारित किया है।

कंपनी को विद्युत मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन के तहत कार्यक्रम के प्रचालन एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। नोडल एजेंसी की भूमिका आईपीडीएस कार्यक्रम में वर्णित की गई है, जिसमें अन्य बातों के अलावा पात्र संस्थाओं को भारत सरकार का अनुदान पहुंचाना शामिल है, जिसे आईपीडीएस दिशा–निर्देशों में वर्णित विभिन्न शर्तो के अधीन वापस लिया जा सकता है/समयपूर्व बंद किया जा सकता है।

कंपनी नोडल एजेंसी शुल्क के रूप में निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत अथवा अवार्ड लागत, इनमें जो भी कम हो, का 0.5 प्रतिशत प्राप्त करने की पात्र होगी, जिसका दावा/प्रोदभवन निम्नांकित अनुसार होगा :–

i) प्रथम किश्त : आईपीडीएस के अंतर्गत निगरानी समिति द्वारा परियोजनाएं अनुमोदित किए जाने के वित्तीय वर्ष के दौरान नोडल एजेंसी शुल्क का 40 प्रतिशत।

ii) दूसरी किश्त : अनुमोदित परियोजनाओं का ठेका दिए जाने पर नोडल एजेंसी शुल्क का 30 प्रतिशत।

iii) तीसरी किश्त : दूसरी किश्त का दावा करने के एक वर्ष बाद नोडल एजेंसी शुल्क का 20 प्रतिशत।

iv) चौथी किश्त : निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नोडल एजेंसी शुल्क का 10 प्रतिशत।

ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

विवरण	पात्र विद्युत संस्थाओं को दी जाने वाली भारत सरकार की अनुदान राशि		आईपीडीएस अनुदान		भारत सरकार को देय धनराशि (निक्षेप पर अर्जित ब्याज)	
	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	–	–	50.00	–	0.01	0.00
वर्ष के दौरान संवर्धन	358.70	–	308.70	50.00	2.14	0.01
वर्ष के दौरान वसूलियां/रिफंड/परिवर्तन	–	–	358.70	–	(2.15)	–
अंतिम शेष	**358.70**	**–**	**–**	**50.00**	**–**	**0.01**

13. संपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान :

(क) कंपनी एक सरकारी गैर–बैंकिग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, इसलिए यह रिजर्व बैंक के विवेक सम्मत मानदंड से संबंधित निर्देशों से मुक्त है। रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 25.07.2013 के पत्र के तहत कंपनी को निर्देश दिया था कि वह ऋण संकेंद्रण मानदंड, ऋणों के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण/पुनर्विचार–विमर्श (आर/आर/आर) से संबंधित मानदंड और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड, जिनके लिए अलग से दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, को छोड़कर, 31.03.2016 तक रिजर्व बैंक के विवेक सम्मत मानदंड का अनुपालन करे।

(ख) परिसंपत्ति वर्गीकरण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 10.11.2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 002/03.10.001/2014–15, और बैंक द्वारा उसके बाद दिनांक 30.06.2015 और 10.12.2015 को जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी के विवेक सम्मत मानदंडों में उपयुक्त संशोधन किए गए। इन निर्देशों को परिचालित करने के लिए, कंपनी ने अपनी सहमति की जानकारी रिजर्व बैंक को दिनांक 13.08.2015 और 13.01.2016 के अपने पत्रों के माध्यम से प्रदान की। तदनुरूप, वर्ष के दौरान :–

(i) यदि कोई ऋण परिसंपत्ति (पट्टा परिसंपत्ति को छोड़कर) 6 महीने या अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है, तो उसे एनपीए (गैर–उत्पादक परिसंपत्ति) समझा जाता है, परंतु 31.03.2016 को यदि कोई परिसंपत्ति 5 महीनं या उससे अधिक समय के लिए अतिदेय रही है, तो उसे एनपीए (गैर–उत्पादक परिसंपत्ति) समझा गया है।

(ii) यदि कोई ऋण परिसंपत्ति (पट्टा परिसंपत्ति सहित) 18 महीने तक एनपीए (गैर–उत्पादक परिसंपत्ति) रहती है, तो उसे अव–मानक के रूप में उप–वर्गीकृत किया जाता है, परंतु 31.03.2016 को यदि कोई परिसंपत्ति 16 महीने तक एनपीए (गैर–उत्पादक परिसंपत्ति) रही है, तो उसे अव–मानक के रूप में उप–वर्गीकृत किया गया है, और

(iii) यदि कोई ऋण परिसंपत्ति (पट्टा परिसंपत्ति सहित) 18 महीने से अधिक परंतु 36 महीने तक एनपीए (गैर–उत्पादक परिसंपत्ति) रहती है, तो उसे संदिग्ध के रूप में उप–वर्गीकृत किया जाता है, परंतु 31.03.2016 को यदि कोई परिसंपत्ति 16 महीने से अधिक परंतु 36 तक एनपीए (गैर–उत्पादक परिसंपत्ति) रही है, तो उसे संदिग्ध के रूप में उप–वर्गीकृत किया गया है।

इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए, परिसंपत्ति वर्गीकरण में किसी संपत्ति के स्वरूप में बदलाव के महीनों की संख्या को आधार बनाया जाएगा और एनपीए का उप–वर्गीकरण संबद्ध वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को किया जाएगा।

(iv) वर्ष के दौरान, यदि कोई लीज परिसंपत्ति, जिसके संदर्भ में ब्याज, मूलधन किश्त और/या अन्य प्रभार छह महीने या उससे अधिक अवधि के लिए देय रहते हैं, परंतु अदा नहीं किए जाते, तो ऐसी परिसंपत्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परंतु 31.03.2018 से, ऐसी परिसंपत्ति को एनपीए समझा जाएगा, जो 3 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

(ग) रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार कंपनी को मानक परिसंपत्तियों के बारे में प्रावधान में चरणबद्ध रूप से वृद्धि करनी है, जो 31.03.2015 के 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 31.03.2018 तक 0.40 प्रतिशत किया जाएगा।

इस प्रावधान में वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के संदर्भ में प्रयोज्य वर्धन के अंतर्गत 30.09.2015 को समाप्त तिमाही और छमाही में 0.10 प्रतिशत की वृद्धि की गई, परंतु इसकी फिर से समीक्षा की गई और 31.03.2016 को इसे रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार, अर्थात् 0.30 प्रतिशत कर दिया गया।

14. ऋण संकेंद्रण मानदंड के लिए, रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 03.04.2014 के पत्र के तहत केंद्रीय/राज्य सरकारों की संस्थाओं को प्रकटीकरण के संदर्भ में 31.03.2016 तक छूट दे दी है। कंपनी ने अपने दिनांक 22.01.2016 के पत्र के तहत रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि यह छूट 31.03.2020 बढ़ा दी जाए और अन्य बातों के अलावा यह सूचित किया है कि कंपनी रिजर्व बैंक से आगे के लिए कोई निर्देश प्राप्त होने तक केंद्रीय/राज्य सरकारों की संस्थाओं के संदर्भ में स्वयं के ऋण संकेंद्रण मानदंड का अनुपालन करती रहेगी।

इस बारे में, रिजर्व बैंक ने, अपने पत्र दिनांक 22.04.2016 के तहत, जो 28.04.2016 को प्राप्त हुआ, कंपनी को निर्देश दिया है कि :–

(i) रिजर्व बैंक के ऋण संकेंद्रण मानदंड के अंतर्गत वर्तमान में अनुमत स्तरों से अधिक प्रकटीकरण केवल पहले से अनुबंधित/मंजूर सीमाओं के संदर्भ में जारी रखा जा सकता है,

(ii) ऐसे प्रकटीकरण के संदर्भ में कोई ऐसी नयी स्थिति स्वीकार न करें अथवा अनुबंध न करें, जो रिजर्व बैंक के प्रकटीकरण मानदंड के अनुरूप न हो, और

(iii) वर्तमान ऋणकर्ताओं को नए ऋणों में या नए ऋणकर्ताओं को, रिजर्व बैंक के ऋण संकेंद्रण मानदंड से अधिक ऋण की मंजूरी दी जा सकती है, परंतु इसके लिए केंद्र सरकार/संबद्ध राज्य सरकार की गारंटी अपेक्षित होगी और ऐसे ऋण संबद्ध सरकार के ऋण कार्यक्रम का हिस्सा भी होने चाहिए। परंतु, कंपनी ने दिनांक 17.05.2016 के अपने पत्र के माध्यम से यह मामला रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया है ताकि कंपनी पर रिजर्व बैंक के ऋण संकेंद्रण मानदंड लागू करने से छूट की अवधि का विस्तार 31.03.2022 तक किया जा सके।

15. आर/आर/आर मानदंड के कार्यान्वयन के लिए, रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 11.06.2014 के तहत (i) कंपनी को पारेषण और वित्तरण, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं तथा हिमालयी क्षेत्र की परियोजनाओं या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित्त परियोजनाओं के मामले में तीन वर्ष की अवधि यानी 31.03.2017 तक के लिए छूट प्रदान की है, और (ii) निर्देश दिया है कि 01.04.2015 से पुनर्गठित उत्पादन कंपनियों को नए परियोजना ऋणों के मामलों में 5 प्रतिशत प्रावधान की आवश्यकता होगी और सभी उत्पादन कंपनियों की ओर 31.03.2015 को बकाया ऋणों के स्टॉक के लिए 31.03.2015 से 2.75 का प्रावधान प्रारंभ होगा और यह 31.03.2018 तक 5 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा (यह प्रावधान उचित मूल्य में कमी संबंधी प्रावधान के अतिरिक्ति होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 11.06.2014 के मानदंड के कार्यान्वयन के लिए, कंपनी ने अपने पत्र संख्या दिनांक 03.07.2014 के पत्र के तहत अपनी कार्यान्वयन नीति की जानकारी रिजर्व बैंक को दे दी है, जिसे कंपनी के दिनांक 27.11.2014 के पत्र के माध्यम से फिर से दोहराया गया, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नांकित बातें शामिल हैं :–

(i) उत्पादन कंपनियों को 01/04/2015 से मंजूर किए गए सभी नए परियोजना ऋण आर/आर/आर के बारे में रिजर्व बैंक के मानदंड द्वारा नियमित किए जाएंगे।

(ii) उत्पादन कंपनियों को 31.03.2015 तक पहले से मंजूर किए गए परियोजना ऋण विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आर/आर/आर मानदंड द्वारा अधिशासित होंगे, और

(iii) 01.04.2015 से गैर–परियोजना ऋण रिजर्व बैंक के मानदंड द्वारा अधिशासित होंगे। रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04.02.2015 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि कंपनी के अनुरोध की पड़ताल की जा रही है। कंपनी को इस मामले में रिजर्व बैंक से आगे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है और तदनुरूप, कंपनी ऊपर वर्णित अनुसार रिजर्व बैंक को दी गई जानकारी और उसके साथ ही दिनांक 11.06.2014 के रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप उसके मानदंड का कार्यान्वयन कर रही है।

जहां तक ऐसे आर/आर/आर ऋणों का प्रश्न है, जिनके बारे में रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार प्रावधान अपेक्षित है, कंपनी को चरणबद्ध तरीके से प्रावधान में वृद्धि करनी है, जो 31.03.2015 को 2.75 प्रतिशत से बढ़ाते हुए 31.03.2016, 31.03.2017, 31.03.2018 को क्रमशः 3.50 प्रतिशत, 4.25 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की जानी है।

31.12.2015 को समाप्त हुई तिमाही और इसी तारीख को समाप्त हुए 9 महीनों के दौरान इस प्रावधान में संवर्धन 4.25 प्रतिशत तक किया गया, जिसकी आगे समीक्षा की जा रही है और 31.03.2016 को रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अर्थात् 3.50 प्रतिशत की प्रयोज्य दर से प्रावधान किया जाएगा।

16. ऋण परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां और उन पर प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
		बकाया मूलधन	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान	संचित प्रावधान	बकाया मूलधन	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान	संचित प्रावधान
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उन पर प्रावधान**						
(i)	मानक परिसंपत्तियां	199,483.49	**111.68**	598.48	194,716.30	17.31	486.79
(ii)	पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियां[1]	32,262.98	**564.77**	1,129.20	20,524.91	564.43	564.43
(iii)	अवमानक परिसंपत्तियां	4,877.61	**366.83**	487.76	1,209.37	110.55	120.93
(iv)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	2,393.15	**327.48**	721.99	1,315.02	150.76	394.52
(v)	ऋण परिसंपत्तियां[3]	248.28	**239.36**	248.28	8.92	0.00	8.92
(ख)	**अन्य परिसंपत्तियां और उन पर प्रावधान**						
(i)	अन्य परिसंपत्तियां	1.17	**0.04**	1.01	1.04	0.02	0.97
	कुल योग	**2,39,266.68**	**1,610.16**	**3,186.72**	**2,17,775.56**	**843.07**	**1,576.56**

[1] 31.03.2016 को बकाया आर/आर/आर ऋण, जिन पर रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार पुनर्गठन प्रावधान किया जाना है, ₹ 21,479.20 करोड़ निजी क्षेत्र और ₹ 10,783.78 करोड़ सरकारी क्षेत्र (पिछले वर्ष ₹ 20,524.91. करोड़ निजी क्षेत्र और शून्य सरकारी क्षेत्र)

17. पुनर्गठित खातों का ब्यौरा, जिन पर रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार पुनर्गठन प्रावधान लागू है, और उनके लिए किए गए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई व्यवस्था के अंतर्गत					अन्य					कुल				
		परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्यौरा	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1.	01 अप्रैल, 2015 को पुनर्गठित लेखे	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य					14	1	3	–	18	14	1	3	–	18
		बकाया राशि						20524.91	76.63	1145.34	–	21746.88	20524.91	76.63	1145.34	–	21746.88
		(पुनर्गठित सुविधा)						–	–	169.78	–	169.78	–	–	169.78	–	169.78
		बकाया राशि						564.44	7.66	394.53	–	966.63	564.44	7.66	394.53	–	966.63
2.	प्रारंभिक शेष में प्रदर्शित खाते की शेष संबंधी गतिविधियां	(अन्य सुविधा)	शून्य					10	–	2	–	12	10	–	2	–	12
		तत्संबंधी प्रावधान						2,113.48	–	192.70	–	2,306.18	2,113.48	–	192.70	–	2,306.18
		(पुनर्गठित सुविधा)						–	–	62.33	–	62.33	–	–	62.33	–	62.33
		बकाया राशि						73.97	–	110.7	–	184.67	73.97	–	110.7	–	184.67
3.	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन	(अन्य सुविधा)	शून्य					5	–	–	–	5	5	–	–	–	5
		तत्संबंधी प्रावधान						14,192.68	–	–	–	14,192.68	14,192.68	–	–	–	14,192.68
		(पुनर्गठित सुविधा)						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		बकाया राशि						496.74	–	–	–	496.74	496.74	–	–	–	496.74
4.	वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	(अन्य सुविधा)	शून्य					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		तत्संबंधी प्रावधान						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		(पुनर्गठित सुविधा)						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		बकाया राशि						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान/ या अतिरिक्त जोखिम भार की अपेक्षा नहीं रखते हैं और इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।	(अन्य सुविधा)	शून्य					–1	–	–	–	–1	–1	–	–	–	–1
		तत्संबंधी प्रावधान						–1,457.04	–	–	–	–1,457.04	–1,457.04	–	–	–	–1,457.04
		(पुनर्गठित सुविधा)						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		बकाया राशि						–40.07	–	–	–	–40.07	–40.07	–	–	–	–40.07
6.	वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का दर्जा कम करना	(अन्य सुविधा)	शून्य					–3	2	1	–	–	–3	2	1	–	–
		तत्संबंधी प्रावधान						–3111.05	3034.42	76.63	–	–	–3111.05	3034.42	76.63	–	–
		(पुनर्गठित सुविधा)						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		बकाया राशि						–85.55	303.44	15.33	–	233.22	–85.55	303.44	15.33	–	233.22
7.	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्गठित खाते	(अन्य सुविधा)	शून्य					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		तत्संबंधी प्रावधान						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातें						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातें						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	31 मार्च, 2015 को पुनर्गठित खाते	वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातें	शून्य					15	3	4	–	22	15	3	4	–	22
		वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातें						32262.98	3111.05	1,414.67	–	36788.70	32262.98	3111.05	1,414.67	–	36788.70
		वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातें						–	–	232.11	–	232.11	–	–	232.11	–	232.11
		वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातें						1,129.20	311.11	520.57	–	1,960.88	1,129.20	311.11	520.57	–	1,960.88

18. कंपनी द्वारा 15.04.2015 को अवमानक घोषित एक पुनर्गठित ऋण परिसंपत्ति के मामले में, ऋणकर्ता ने मद्रास हाई कोर्ट के दिनांक 17.06.2015 के आदेश के तहत आगे सुनवाई से अंतरिम रोक लगवा दी है। कंपनी ने इस परिसंपत्ति के परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में कानूनी राय मांगी थी, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित अव–मानक के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है, और वर्ष के दौरान लेखों मे किए गए ₹ 339.99 करोड़ के एनपीए प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। यह मामला न्यायालयाधीन है, और इसकी पिछली सुनवाई जनवरी, 2016 में हुई थी, जो पुनः स्थगित कर दी गई, और तदनुरूप स्थगन जारी है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 15.10.2015 और 15.01.2016 को अतिदेय राशि के बारे में कंपनी द्वारा प्राप्त की गई परवर्ती कानूनी राय के आधार पर, कंपनी इस परिसंपत्ति का वर्गीकरण मानक के रूप में जारी रखे हुए है।

19. लेखांकन मानक–15 के अनुसार प्रकटीकरण :–

क. भविष्यनिधि :

कंपनी निर्धारित दर पर अंशदान का भुगतान एक पृथक ट्रस्ट में करती है, जो निधियों का निवेश अनुमति प्रदान की गई प्रतिभूतियों में करता है। इस अवधि में निधि में अंशदान को व्यय माना गया है और लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया गया है। इस प्रकार कंपनी का दायित्व निर्धारित अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिलाभ की न्यूनतम दर सुनिश्चित करना है। प्रतिलाभ की निर्दिष्ट दर के अनुसार, सदस्यों को ब्याज के भुगतान में कोई कमी होने पर उसकी भरपाई कंपनी द्वारा की जाती है। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता नहीं होगी और इसीलिए कोई और प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

ख. उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की परिभाषित ग्रेच्युटी स्कीम है और उसका प्रबंध पृथक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। उसके लिए प्रावधान कार्मिकों द्वारा दी गई सेवा के कुल वर्षों की संख्या के आधार पर बीमांकन मूल्य निर्धारण के अनुसार परंतु अधिकतम ₹ 10 लाख की राशि तक किया गया है।

ग. पेंशन

कंपनी की एक निश्चित भागीदारी पेंशन योजना है, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों के आधार पर होती है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। हर महीने नियोक्ता का हिस्सा कोष में जमा कराया जाता है। कॉर्पोरेशन के कार्मिक को योजना के अनुसार पेंशन दी जाती है।

घ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएस)

कंपनी की सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएस) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा तक बहिरंग रोगी उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं।

ङ. सेवांत लाभ

सेवांत लाभ में कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के लिए गृह नगर में बसना शामिल है।

च. अवकाश

कंपनी अपने कार्मिकों को अर्जित अवकाश सुविधा और अर्द्धवेतन अवकाश की सुविधा प्रदान करती है जो छमाही आधार पर क्रमशः 15 दिन एवं 10 दिन के हिसाब से अर्जित होती है। सेवा के दौरान अधिकतम 300 दिन की छुट्टी या उसका नकद भुगतान किया जाता है। सेवा के दौरान अर्द्धवेतन अवकाश जमा करने की कोई सीमा नहीं है। सेवा काल के दौरान किसी भी समय अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। किंतु, सेवा काल के दौरान या 10 वर्ष से पहले कंपनी से विलग/सेवा–निवृत्त होने की स्थिति में, अर्द्धवेतन अवकाश के नकदीकरण की अनुमति नहीं है। 10 वर्ष की सेवा के बाद कंपनी से विलग/सेवा–निवृत्त होने की स्थिति में, अर्जित अवकाश + अर्द्धवेतन अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 300 दिन तक कराया जा सकता है। परंतु, सेवा से विलग होने की स्थिति में अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए वर्षों की संख्या की कोई शर्त नहीं है।

छ. उपर्युक्त स्कीमें (घ, ङ और च) अनिधिक हैं और उनका निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ज. 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता और तुलन–पत्र में मान्य विभिन्न परिभाषित सुविधाओं की स्थिति का सार इस प्रकार हैः– (कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष की स्थिति दर्शाते हैं) :

झ. लाभ एवं हानि खाता

(i) लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्ययः

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
वर्तमान सेवा मूल्य	1.55 (1.43)	0.62 (0.52)	2.34 (2.14)
लाभ देयता पर ब्याज लागत	1.55 (1.53)	1.17 (1.00)	1.87 (1.76)
नियोजित परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	–1.72 (–1.54)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
वर्ष में मान्य कुल बीमांकित (लाभ)/हानि	–1.11 (–1.21)	2.36 (2.11)	2.18 (1.16)
लाभ और हानि के खाते में मान्य खर्च*	0.27 (0.21)	4.15 (3.63)	6.39 (5.06)

*वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी, अवकाश और पीआरएमएस के लिए सहायक कंपनियों को दी गई राशि में क्रमश ₹0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.02 करोड़), ₹0.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.42 करोड़) और ₹0.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.34 करोड़) शामिल हैं।

(ii) तुलन–पत्र में मान्य राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
31.3.2016 को देयता का वर्तमान मूल्य (i)	20.74 (19.36)	17.83 (14.58)	26.89 (23.42)
31.03.2016 को नियोजित परिसंपत्तियों का न्याय संगत मूल्य (ii)	20.47 (19.15)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
अंतर (ii)–(i)	–0.27 (–0.21)	–17.83 (–14.58)	–26.89 (–23.42)
तुलन–पत्र में मान्य निवल परिसंपत्ति/(देयता)	–0.27 (–0.21)	–17.83 (–14.58)	–26.89 (–23.42)

(iii) परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
01.04.2015 को देयता का वर्तमान मूल्य	19.36 (17.98)	14.58 (11.75)	23.42 (20.66)
ब्याज लागत	1.55 (1.53)	1.17 (1.00)	1.87 (1.76)
वर्तमान सेवा लागत	1.55 (1.43)	0.62 (0.52)	2.34 (2.14)
लाभों का भुगतान	–0.63 (–0.47)	–0.90 (–0.80)	–2.93 (–2.30)
देयता पर कुल बीमांकित (लाभ)/हानि	–1.09 (–1.11)	2.36 (2.11)	2.18 (1.16)
31.03.2016 को मान्य देयता लाभ का वर्तमान मूल्य	20.74 (19.36)	17.83 (14.58)	26.89 (23.42)

(iv) नियोजित परिसंपत्ति के न्यायसंगत मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
1.04.2015 को नियोजित परिसंपत्ति का न्यायसंगत मूल्य	19.14 (17.12)	– (–)	– (–)
नियोजित परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	1.72 (1.54)	– (–)	– (–)
नियोक्ता द्वारा योगदान	0.21 (0.86)	– (–)	– (–)
लाभों का भुगतान	–0.63 (–0.47)	– (–)	– (–)
बीमांकित लाभ/(हानि)	0.02 (0.09)	– (–)	– (–)
31.03.2016 को नियोजित परिसंपत्ति का न्यायसंगत मूल्य	20.47 (19.14)	– (–)	– (–)

(v) पीआरएमएस चिकित्सा सुविधा लागत की देयता पर मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशत वृद्धि/कमी का प्रभाव निम्न प्रकार से होगा :

लागत में 1 प्रतिशत वृद्धि ₹ 3.00 करोड़

लागत में 1 प्रतिशत कमी ₹ (2.34) करोड़

(vi) वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्रेच्युटी ट्रस्ट के लिए ₹ 0.27 करोड़, पीआरएमएस के लिए ₹ 4.15 करोड़, अवकाश पर ₹ 6.40 करोड़ और पेंशन के लिए शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ग्रेच्यूटी ट्रस्ट में ₹ 0.21 करोड़, पीआरएमएस में ₹ 3.63 करोड़, अवकाश के लिए ₹ 5.06 करोड़ और पेंशन के लिए शून्य करोड़ रुपए) की देयता का प्रावधान किया। उपर्युक्त राशि में सहायक कंपनियों को ग्रेच्युटी, अवकाश और पीएमआरएस के लिए क्रमशः ₹ 0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.02 करोड़), ₹ 0.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.42 करोड़), और ₹ 0.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.34 करोड़) की राशि शामिल है।

छ. अन्य कार्मिक हितलाभ :

वर्ष के दौरान कार्मिक आर्थिक पुनर्वास स्कीम के लिए ₹ 0.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़) का प्रावधान और कार्मिक दीर्घ सेवा पुरस्कार के लिए ₹ 0.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.92 करोड़) का प्रावधान वर्ष की समाप्ति पर बीमांकित मूल्य निर्धारण के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित/क्रेडिट किया गया है।

ज. नियोजित परिसंपत्ति की विस्तृत जानकारी :– ग्रेच्युटी

31.03.2016 को लागत के अनुसार नियोजित परिसंपत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	11.75	11.01
ii)	कॉर्पोरेट बॉण्ड्स/ऋण पत्र (1)	8.07	7.64
iii)	म्यूचुअल फंड	0.15	–
	कुल	**19.97**	**18.65**

(1) दिनांक 31.03.2016 को कंपनी के ₹ 0.50 करोड़ के बॉण्ड्स (पिछले वर्ष ₹ 0.50 करोड़) पीएफसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट द्वारा रखे गए थे।

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य धारणाएं इस प्रकार हैं :

पद्धति प्रयुक्त	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति
डिस्काउंट रेट	8.00 प्रतिशत
ग्रेच्युटी–परिसंपत्तियों पर लाभ की संभावित दर	9.00 प्रतिशत
भावी वेतनवृद्धि*	6.00 प्रतिशत

*महंगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबद्ध घटकों, जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग के कारण बीमांकित मूल्यांकन में भावी वेतनवृद्धि के अनुमानों में काफी बढ़ोतरी समझी गई है।

झ. पीएफसीसीएस, पीएफसीजीईएल और पीएफसीसीएल (कंपनी की सहायक कंपनियों) में प्रतिनियुक्ति/सेकेंडमेंट आधार पर कार्यरत कंपनी के कार्मिकों के संदर्भ में कार्मिक लाभ (जैसे ग्रेच्युटी, पीआरएमएस, टर्मिनल लाभ, अवकाश नकदीकरण और अन्य कार्मिक लाभ) कार्मिक लागत के नियत प्रतिशत के आधार पर आबंटित किए जाते हैं।

ञ. अन्य प्रकटीकरणम

(₹ करोड़ में)

ग्रेज्युइटी*	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
निर्दिष्ट तारीख को देयता का वर्तमान मूल्य	20.74	19.36	17.98	16.16	14.03
निर्दिष्ट तारीख को नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	20.47	19.14	17.12	14.67	12.95
अधिशेष/(घाटा)	(0.27)	(0.21)	(0.86)	(1.48)	(1.08)
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	1.09	1.10	0.31	0.31	0.23
नियोजित परिसंपत्तियों के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	0.02	0.09	0.26	0.02	0.17

*कंपनी के सर्वोत्कृष्ट अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ग्रेच्युटी में अंशदान ₹ 0.74 करोड़ है। 31.03.2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान नियोजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ ₹ 1.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.64 करोड़) रहा है। इसके अतिरिक्त नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ का निर्धारण कई प्रयोज्य घटकों पर विचार करके निर्धारित किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से धारित नियोजित परिसंपत्तियों का संघटन, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकित जोखिम और नियोजित परिसंपत्तियों से ऐतिहासिक लाभ शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

पीआरएमएस	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
निर्दिष्ट तारीख को देयता का वर्तमान मूल्य	17.83	14.58	11.75	9.50	8.33
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	(2.36)	(2.11)	(1.54)	(0.16)	(0.78)

(₹ करोड़ में)

अवकाश	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
निर्दिष्ट तारीख को देयता का वर्तमान मूल्य	26.89	23.42	20.66	20.39	17.74
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	(2.18)	(1.18)	(2.63)	(1.50)	(0.58)

(₹ करोड़ में)

एलएसए	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
निर्दिष्ट तारीख को देयता का वर्तमान मूल्य	4.74	4.49	4.04	3.71	3.33
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	1.10	0.67	0.46	0.80	–

(₹ करोड़ में)

ईआरएस	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
निर्दिष्ट तारीख को देयता का वर्तमान मूल्य	1.50	1.24	1.24	1.31	1.24
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	0.02	0.38	0.46	0.43	–

(₹ करोड़ में)

सामान भत्ता	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
निर्दिष्ट तारीख को देयता का वर्तमान मूल्य	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07
नियोजित देयता के बारे में समायोजित अनुभव (हानि)/लाभ	0.02	0.02	0.01	0.01	–

20. लेखांकन मानक–29 में यथा अपेक्षित प्रावधान का विवरण, {कोष्ठकों () में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की स्थिति को प्रकट करते हैं}, इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

निम्नांकित के लिए प्रावधान	प्रारंभिक शेष (1)	वर्ष के दौरान सवर्धन (2)	वर्ष के दौरान प्रयुक्त (3)	प्रत्यावर्तित (4)	अंतिम शेष 5 = (1+2–3–4)
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना	14.58 (11.75)	4.15 (3.63)	0.90 (0.80)	– (–)	17.83 (14.58)
उपदान	0.08 (0.88)	0.35 (0.21)	0.22 (1.01)	– (–)	0.21 (0.08)
अधिवर्षिता लाभ के लिए प्रावधान(पेंशन)	0.07 (0.08)	– (–)	– (0.01)	– (–)	0.07 (0.07)
अवकाश नकदीकरण	23.56 (20.73)	6.46 (5.20)	2.93 (2.37)	– (–)	27.09 (23.56)
कार्मिकों के लिए आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम	1.24 (1.24)	0.33 (0.01)	0.07 (0.01)	– (–)	1.50 (1.24)
बोनस/प्रोत्साहन	12.45 (20.19)	10.49 (12.09)	10.91 (19.83)	–0.89 (0.00)	11.14 (12.45)
सामान भत्ता	0.10 (0.09)	0.01 (0.01)	0.00 (0.00)	– (–)	0.11 (0.10)
सेवा पुरस्कार	4.49 (4.04)	0.48 (0.92)	0.23 (0.47)	– (–)	4.74 (4.49)
ऋण परिसंपत्तियों आदि के लिए प्रावधान[(1)]	1,576.56 (733.49)	1,610.16 (843.07)	0.00 (0.00)	– (–)	3,186.72 (1,576.56)
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	1.06 (0.00)	96.26 (1.06)	0.00 (0.00)	– (–)	97.32 (1.06)
सीएसआर	114.46 (32.33)	146.81 (118.50)	158.29 (36.37)	– (–)	102.98 (114.46)
आय कर	6,222.89 (4,639.16)	2,857.89 (2,525.38)	1,550.52 (941.65)	0.49 (–)	7,530.75 (6,222.89)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	79.20 (26.40)	79.20 (79.20)	79.20 (26.40)	– (–)	79.20 (79.20)
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर	16.12 (4.49)	16.12 (16.12)	16.12 (4.49)	– (–)	16.12 (16.12)

[(1)] इसका ब्यौरा टिप्पणी भाग–ग 16 में दिया गया है।

21. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15
तीन तात्कालिक पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित निवल कर–पूर्व लाभ के औसत 2 प्रतिशत की दर से किया गया सीएसआर प्रावधान	146.81	118.50
पिछले वर्ष से अग्रसारित	114.46	32.33
खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित सकल राशि	261.27	150.83

(ख) वर्ष के दौरान निम्नांकित पर खर्च की गई राशि :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2015–16			वित्त वर्ष 2014–15		
		अदा या निपटान किया गया	अभी अदा किया जाना है	कुल	अदा या निपटान किया गया	अभी अदा किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/खरीद	–	–	–	–	–	–
(ii)	उपरोक्त (i) से भिन्न प्रयोजनों पर						
	सफाई/कचरा प्रबंधन/पेयजल	133.85	–	133.85	2.57	–	2.57
	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	16.06	–	16.06	15.97	0.40	16.37
	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वृक्षारोपण/ऊर्जा सक्षम एलईडी लाइटिंग)	4.10	0.50	4.60	14.05	–	14.05
	अन्य	–	–	–	0.71	–	0.71
	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक व्यय। सीएसआर पर खर्च की जाने वाली कुल राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित	3.16	0.26	3.42	1.63	0.19	1.82
(iii)	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा व्यय की गई राशि	0.36	–	0.36	0.85	–	0.85
	कुल (ii)	**157.53**	**0.76**	**158.29**	**35.78**	**0.59**	**36.37**
	कुल योग (i) और (ii)			**158.29**			**36.37**

(ग) लेखांकन मानक (एएस)–18, के अनुसार संबंधित पक्ष का ब्यौरा, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण–शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(घ) लेखांकन मानक (एएस)–29, के अनुसार वर्ष के दौरान प्रावधान के अंतर्गत गतिविधियां उपरोक्त टिप्पणी संख्या 20 में अलग से दर्शायी गई हैं।

(ङ) 1.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹ 192.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 50.75 करोड़) संवितरित किए गए।

22. 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान भाग–ख महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निम्नांकित संशोधन किए गए :

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति		संशोधन
	संख्या	शीर्षक	
1.	2.1.1	आय को मान्यता देना	लेखांकन नीति संख्या 7 में किए गए परिवर्तनों के अनुरूप संशोधित किए गए।
2.	2.5	लाभांश से आय	अधिक स्पष्टता लाने के लिए संशोधित किया गया।
3.	4.1, 4.2 और 4.4	मूर्त परिसंपत्तियां/मूल्यह्रास	''अचल परिसंपत्तियां'' शब्दों के स्थान पर ''मूर्त परिसंपत्तियां'' शब्दों का प्रयोग किया गया ताकि उन्हें नीति में वर्णित ''मूर्त परिसंपत्तियों'' के अनुरूप परिसंपत्तियां समझा जा सके।
4.	4.3	मूर्त परिसंपत्तियां/मूल्यह्रास	संवर्धित की गई ताकि इस्तेमाल की जा रही ऐसी परिसंपत्तियों को प्रकट किया जा सके, जो अधिनियम में वर्णित उपयोगी जीवन संबंधी परिसंपत्तियों से भिन्न हैं।
5.	5.1	अमूर्त परिसंपत्तियां	संवर्धित की गई ताकि कंपनी द्वारा आकलित उपयोगी जीवन परिसंपत्तियों को प्रकट किया जा सके।
6.	7	परिसंपत्तियां वर्गीकरण और प्रावधान	प्रयोज्य परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान की अपेक्षा रखने वाली परिसंपत्तियों से संबंधित नीति में उपयुक्त शाब्दिक संशोधन किया गया। तदनुरूप, शीर्षक–''प्रावधान/ऋणों और अग्रिमों के प्रति बट्टे खाते डालना'' को भी उपयुक्त संशोधित किया गया।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति		संशोधन
	संख्या	शीर्षक	
7.	8	विदेशी मुद्रा लेन–देन	शीर्षक–''विदेशी विनिमय लेन–देन'' के स्थान पर ''विदेशी मुद्रा लेन–देन'' शीर्षक रखा गया, ताकि स्पष्टता लायी जा सके।
8.	10	भारत सरकार के कार्यक्रमों का लेखांकन	अतिरिक्तता समाप्त करने के लिए पैरा 10.2 निरस्त कर दिया गया।
9.	13.1 और 13.2	कार्मिक लाभ	अतिरिक्तता समाप्त करने के लिए उप–पैराग्राफों के बाद प्रयुक्त शब्द ''(संशोधित)'' निरस्त कर दिया गया है।

उपरोक्त संशोधनों के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा

23. क. परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन अथवा कंपनी द्वारा अनुमानित अल्पतर उपयोगी जीवन के लिए प्रदान किया जाता है। तत्संसबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	उपयोगी जीवन वर्षों में	मूल लागत के % के रूप में शेष मूल्य
1.	भवन	60	5%
2.	ईडीपी उपकरण		
2. ए	सर्वर्स एंड नेटवर्क्स	6	5%
2. बी	अंतिम प्रयोक्ता डिवाइस यानी डेस्कटाॅस, लैटाॅस आदि[1]	3	5%
3.	कार्यालय एवं अन्य उपकरण[1]	5	5%
3. ए	सेल फोन[2]	2	5%
4.	फर्नीचर और फिक्सचर्स[1]	10	5%
5.	वाहन (कार)	8	5%
6.	अमूर्त परिसंपत्तियां	5	0%
7.	ईएससीओ परियोजनाएं[3]	परियोजना अवधि	–
8.	लीजहोल्ड में सुधार[3]	लीज अवधि	–

[1]कंपनी और पीएफसीजीईएल (कंपनी की एक सहायक कंपनी) द्वारा तय किया गया उपयोगी जीवन।

[2]कंपनी, पीएफसीजीईएल और ईईएसएल (कंपनी की एक संयुक्त उद्यम) द्वारा तय किया गया उपयोगी जीवन।

[3]ईईएसएल द्वारा प्रकटीकृत।

ऊपर वर्णित सभी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास लिखित मूल्य पद्धति का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, जबकि अमूर्त परिसंपत्तियां सीधे–पंक्ति आधार पर संशोधित की जाती है। इसके अतिरिक्त सभी वस्तुओं के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जबकि अमूर्त परिसंपत्तियों और सेल फोन के मामले में यह मूल्य कंपनी के स्वयं के अनुमान के आधार पर निर्धारित होता है।

ख. ईईएसएल, कंपनी का एक संयुक्त उद्यम, मूल्यह्रास के बारे में भिन्न लेखांकन नीति का अनुपालन करता है। ईईएसएल द्वारा मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की द्वितीय अनुससूची के अनुसार सीधे पंक्ति के आधार पर प्रभारित किया जाता है, जबकि पीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान करती है। कंपनी के लिए यह व्यवहार्य नहीं है कि वह समानुपातिक समेकन पद्धति लागू करने के प्रयोजन के लिए समायोजन करे। 31.03.2016 को ईईएसएल, जहां भिन्न लेखांकन नीति लागू की जाती है, से संबंधित अचल परिसंपत्तियों के निवल ब्लॉक का अनुपात अचल परिसंपत्तियों के समेकित निवल ब्लॉक का 73.66 प्रतिशत (31.03.2015 को 36.36 प्रतिशत) था।

24. कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (एक सहायक कंपनी, पीएफसी कंसल्टिंग लिमि. को छोड़कर, जिसकी मूलधन देयता ₹ 0.001 करोड़ (31.03.2015 को ₹ 0.002 करोड़) है) की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति कोई देयता नहीं है।

25. पट्टे पर धारित भूमि को संशोधित नहीं किया जाता है, चूंकि यह सतत लीज है।

26. कंपनी ने अप्रैल, 2012 में सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) के साथ पंजीकरण किया ताकि अपने पक्ष में सृजित किए जाने वाले इक्विटेबल मार्टगेजों के रिकॉर्ड सीईआरएसएआई वेब पोर्टल पर फाइल एवं पंजीकृत किए जा सकें। व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करने पर, कंपनी अब सीईआरएसएआई और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निरंतर इस मामले को उठा रही है।

कंपनी ने अपने दिनांक 24.12.2014 के पत्र के माध्यम से वित्तीय सेवाएं विभाग से अनुरोध किया है कि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 23 के अंतर्गत विचारित इक्विटेबल बंधक लेन–देन की रिपोर्टिंग से कंपनी को छूट प्रदान की जाए। कंपनी ने अपने 05.01.2015 के पत्र के माध्यम से इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से भी हस्तक्षेप की मांग की है। इस बीच, कंपनी ने अपने दिनांक 15.03.2016 के पत्र के माध्यम से सीईआरएसएआई से पुनः अनुरोध किया है कि वह सीईआरएसएआई वेब पोर्टल पर डेटा प्रविष्ट करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करे। इस बारे में उत्तर की प्रतीक्षा है।

27. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार 31.03.2016 को समापत हुए वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और प्रोत्साहन निधि के लिए ₹ 0.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.21 करोड) देय हुए और इस निधि में अंतरित किए गए। परंतु, दावेदारों द्वारा अंतरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण ₹ 0.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.56 करोड़) अप्रदत्त के रूप में बकाया रहे।

28. कंपनी ने 31 दिसंबर, 2015 तक बकाया धनराशि की पुष्टि के लिए ऋणकर्त्ताओं को पत्र भेजे। जिनके जवाब कुछ कर्जदारों को छोड़कर, सभी ऋणकर्त्ताओं से प्रापत किए जा चुके हैं।

29. लेखांकन मानक–22 के अनुसार कंपनी की निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं नीचे दी गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
(क) आस्थगित कर देयता (+)		
(i) ऐसे खर्चों के लिए प्रावधान जो आय कर अधिनियम के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं हैं।	18.84	11.34
(ii) प्रारंभिक व्यय	0.16	0.31
(iii) कार्मिक संबंधित प्रावधान	0.13	0.65
(ख) आस्थगित कर देयता (–)		
(i) मूल्यह्रास	(0.83)	(0.32)
(ii) पट्टा आय	(68.73)	(72.19)
(iii) परिशोधन	(0.47)	(0.60)
(iv) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(251.08)	(127.46)
निवल आस्थगित कर देयताएं (–) परिसंपत्तियां (+)	**(301.96)**	**(188.27)**

30. लेखांकन मानक–20 के अनुपालन में प्रति शेयर अर्जन : प्रति शेयर अर्जन की गणना (बुनियादी और डाइल्यूटिड) नीचे दी गई है :–

विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
गणक के रूप में प्रयुक्त निवल कर उपरांत (₹ करोड़ में)	6,184.00	6,004.40
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (बुनियादी)	132,00,40,704	132,00,40,704
बकाया स्टॉक विकल्पों का तनुकृत प्रभाव	–	153
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (डाइल्यूटिड)	132,00,40,704	132,00,40,857
अंकित मूल्य ₹ 10/–के प्रति इक्विटी शेयर पर अर्जन (बुनियादी) (₹)	46.85	45.49
बकाया स्टॉक विकल्पों का प्रभाव (₹)	–	–
अंकित मूल्य ₹ 10/–के प्रति इक्विटी शेयर पर अर्जन (डाइल्यूटिड) (₹)	46.85	45.49

31. (क) 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकित मूल्य ₹ 10/–के प्रति इक्विटी शेयर पर प्रदत्त एवं प्रस्तावित्त लाभांश की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष			31.03.2015 को समाप्त वर्ष		
	शेयर पूंजी %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड में)	शेयर पूंजी %	प्रति इक्विटी शेयर (रु.)	राशि (₹ करोड में)
प्रथम अंतरिम लाभांश	88%[1]	8.80	1,161.64	85%	8.50	1,122.04
द्वितीय अंतरिम लाभांश	45%[2]	4.50	594.02	–	–	–
प्रस्तावित्त अंतिम लाभांश	6%	0.60	79.20	6%	0.60	79.20
कुल लाभांश	139%	13.90	1,834.86	91%	9.10	1,201.24

[1] निदेशक मंडल द्वारा 16.12.2015 को 341वीं बैठक में घोषित और 04.01.2016 को अदा किया गया।

[2] निदेशक मंडल द्वारा 09.02.2016 को 343वीं बैठक में घोषित और 24.02.2016 को अदा किया गया।

(ख) अनिवासी शेयरधारकों को देय लाभांश

कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा में कोई रकम प्रेषित नहीं की है और कंपनी के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अनिवासी शेयरधारकों द्वारा/की ओर से लाभांशों के रूप में कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा में रकम प्रेषित की गई, यदि कोई की गई हो। अनिवासी शेयरधारकों (विदेशी संस्थागत निवेशकों सहित) को अदा की गई/देय लाभांश राशियों का विवरण नीचे दिया गया है :–

विवरण	प्रथम अंतरिम लाभांश		द्वितीय अंतरिम लाभांश		अंतिम लाभांश	
वर्ष जिससे लाभांश संबद्ध है	2015.16	2014.15	2015.16	2014.15	2015.16	2014.15
अनिवासी शेयरधारकों की संख्या	2,075	2,343	2,220	लागू नहीं	लागू नहीं	2,521
उनके द्वारा धारित ₹ 10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले शेयरों की संख्या	12,23,179	15,39,39,090	14,88,557	लागू नहीं	लागू नहीं	17,61,95,776
लाभांश की सकल राशि (करोड़ ₹ में)	1.07	0.61	0.67	लागू नहीं	लागू नहीं	0.05

32. अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंड :

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
ऋण इक्विटी अनुपात	5.57	5.79
निवल मालियत (₹ करोड़ में)	36,028.30	32,411.35

33. कंपनी की पूंजी निधि, जोखिम भारित परिसंपत्तियां और पूंजी जोखिम समायोजित अनुपात (सीआरएआर) निम्नलिखित हैं–

मद		31.03.2016 को	31.03.2015 को
(I)	पूंजी निधि –क. टियर–1 (₹ करोड़ में)	33,569.76	30,429.15
	–ख. टियर–2 (₹ करोड़ में)	6,225.97	6,011.30
(ii)	तुलन–पत्र मदों के समायोजित मूल्य के साथ जोखिम भारित परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	194,945.24	177,656.78
(iii)	सीआरएआर	20.41%	20.51%
(iv)	सीआरएआर–टियर–1 पूंजी	17.22%	17.13%
(v)	सीआरएआर–टियर–2 पूंजी	3.19%	3.38%
		31.03.2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान	**31.03.2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान**
(vi)	सतत ऋण लिखतों के इश्यू से उगाही गई राशि (₹ करोड़ में)	–	–
(vii)	सतत ऋण लिखतों के इश्यू से उगाही गई राशि (₹ करोड़ में)	–	–

34. प्रबंधन की राय में सामान्य व्यापार प्रक्रिया के चलते वसूली पर, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य 31 मार्च, 2016 को तुलन–पत्र में वर्णित उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

35. संविदा करार के निष्पादन/अवॉर्ड पत्र जारी होने के अनुसार वसूले गए चालानों के मूल्य, जिसके संदर्भ में कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार कोई आय मान्य नहीं की गई है, और ग्राहक से कोई राशि वसूल भी नहीं की गई है, अर्थात् उपचित न की गई आय (देयता), ₹ 3.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.09 करोड़) ग्राहकों (परिसंपत्ति) से प्राप्त राशि ₹ 3.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.50 करोड़) में से सेट ऑफ किया गया है।

36. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण की अपेक्षा के अंतर्गत उनके लेखापरीक्षित लेखों की सीमा तक प्रकटीकरण किया गया है, परंतु कंपनी के एक संयुक्त उद्यम (ईईएसएल) के संबंध में प्रकटीकरण अपरीक्षित लेखों के अनुसार किया गया है।

37. **भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी अतिरिक्त प्रकटीकरण**

(क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लिए टिप्पणी भाग–ख के संदर्भ में

(ख) पूंजी

सीआरएआर के लिए टिप्पणी भाग ग–33 के संदर्भ में

(ग) निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.			विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
(1)	निवेशों का मूल्य				
	(i)	निवेशों का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में	2,774.79	852.38
		(ख)	भारत से बाहर	–	–
	(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान			
		(क)	भारत में	97.32	1.06
		(ख)	भारत से बाहर	–	–
	(iii)	निवेशों का निवल मूल्य			
		(क)	भारत में	2,677.47	851.32
		(ख)	भारत से बाहर	–	–
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों संबंधी जानकारी				
	(i)	प्रारंभिक शेष		1.06	0.00
	(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		96.26	1.06
	(iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए/पश्चलिखित प्रावधान		–	–
	(iv)	अंतिम शेष		97.32	1.06

घ) डेरिवेटिव्स

I. ऋण देयताओं के संदर्भ में फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट/ब्याज दर विनिमय (स्वैप) :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
(i)	स्वैप समझौतों का धारणात्मक सिद्धांत	7,164.60	9,541.10
(ii)	समझौतों के अंतर्गत प्रतिपक्षियों द्वारा दायित्व पूरे करने में विफल रहने पर होने वाली हानियां	121.72	74.47
(iii)	एनबीएफसी द्वारा स्वैपस में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित कलैटरल	–	–
(iv)	स्वैप जनित ऋण जोखिम का संकेंद्रण	–	–
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	121.72	42.13

II. कंपनी की कोई विनिमय व्यापार ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्स नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

III. डेरिवेटिव्स में जोखिम उजागर होने के बारे में गुणात्मक प्रकटीकरण :

क. कंपनी ने मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति अपनाई है ताकि विदेशी मुद्रा में ऋण लेने से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन और बचाव किया जा सके। उक्त नीति संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए ढांचा और संगठन निर्धारित करती है।

ख. कंपनी रुपए और विदेशी मुद्रा देयताओं में ब्याज/विनिमय दर जोखिम के बचाव के लिए केवल मूलधन स्वैपस, ब्याज दर स्वैपस और वायदा अनुबंधों से संबंधित डेरिवेटिव्स कारोबार करती है। सीआरएम नीति के अनुसार जोखिमों की रिपोर्टिंग और निगरानी की एक प्रणाली अपनाई गई है जिसमें जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है, जिसमें वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं और जो विभिन्न डेरिवेटिव लिखतों के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर और ब्याज दर जोखिमों पर निगरानी रखती है।

ग. ये डेरिवेटिव लेन–देन बचाव प्रयोजन के लिए किए जाते हैं और व्यापार या सट्टेबाजी के प्रयोजन से नहीं किए जाते हैं। इन्हें बीमांकित आधार पर हिसाब में लिया जाता है और लेखांकन नीति के अनुसार बाजार पर चिन्हित नहीं किया जाता है। उल्लिखित बाजार पर चिन्हित स्थितियां वे हैं, जो प्रतिपक्षियों द्वारा सूचित की गई हैं।

घ. डेरिवेटिव लेन–देन के बारे में संबद्ध लेखांकन नीति के लिए उल्लेख टिप्पणी भाग ख–8 में किया गया है।

IV. ऋण देयताओं के संदर्भ में डेरिवेटिव्स में प्रकट जोखिम के बारे में मात्रात्मक जानकारी इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवरण		31.03.2016 को		31.03.2015 को	
			मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (धारणात्मक मूलधन राशि)					
	बचाव के लिए [(1)]		939.65	7,164.60	1,595.42	9,541.10
(ii)	बाजार स्थितियों पर चिन्हित (एमटीएम)					
	क)	परिसम्पत्तियां (एमटीएम)	6.54	125.42	12.86	86.05
	ख)	देयता (एमटीएम)	181.39	3.70	294.66	43.92
(iii)	ऋण प्रकटीकरण		–	–	–	–
(iv)	बचाव न किए गए प्रकटीकरण [(2)]		10,070.22	8,587.86	8,514.73	6,292.68

[(1)] ब्याज दर डेरिवेटिव्स में ₹ 7,164.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,964.60 करोड़) शामिल हैं।

[(2)] इसमें एक चरण (अमरीकी डॉलर/जेपीवाई) के लिए किए गए वायदा दर अनुबंध के माध्यम से आंशिक रूप से बचाव की गई ₹ 701.09 करोड़ की जापानी येन ऋण देयता (पिछले वर्ष ₹ 1,008.96 करोड़) शामिल हैं।

(ङ) प्रतिभूतिकरण संबंधी प्रकटीकरण

I. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूतिकरण लेन–देन नहीं किया और 31.03.2016 को प्रतिभूतिकरण के कारण कोई प्रकटीकरण नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

II. कंपनी ने 31.03.2016 को समापत हुए वर्ष के दौरान परिसंपत्ति निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को किसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियां नहीं बेचीं (पिछले वर्ष शून्य)।

III. कंपनी ने 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कोई असाइनमेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया (पिछले वर्ष शून्य)।

IV. कंपनी ने 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान किंही गैर–निष्पादक वित्ततीय परिसंपत्तियों की खरीद–फरोख्त नहीं की (पिछले वर्ष शून्य)।

(च) **परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ मदों से संबंधित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पद्धति :**

विवरण	30 दिन तक	1 महीने से अधिक और 2 महीने तक	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अग्रिम(1)	3,126.76	396.04	1,069.45	20,869.00	8,603.18	36,454.82	41,309.40	127,148.85	238,977.50
निवेश(2)	–	–	–	–	410.74	–	–	2,266.73	2,677.47
ऋण(3)	9,366.68	9,350.00	3,393.00	4,818.60	7,289.41	55,701.03	36,312.50	63,859.11	190,090.33
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	5.14	–	–	12.23	17.37	5.14	144.41	115.31	299.60
विदेशी मुद्रा देयताएं	4.78	–	5.56	420.24	1,647.69	1,243.22	4,581.83	2,872.27	10,775.59

(1) रुपया ऋण परिसंपत्तियां

(2) प्रावधान का निवल

(3) रुपया ऋण

(छ) **प्रकटीकरण**

I. कंपनी भू–संपदा क्षेत्र में कोई कारोबार नहीं करती है।

II. पूंजी बाजार प्रकटीकरण :

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी–ओरिएंटिड म्यूचुअल फंड्स की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जो कॉर्पोरेट ऋण में विशेष रूप से निवेशित न हों (पूर्ण परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश सहित;	869.64	844.70
(ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओज़/ईएसपीओज़ सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, और इक्विटी–ओरिएंटिड म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को स्पष्ट आधार पर निवेश करने के लिए दिए गए अग्रिमय	शून्य	शून्य
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी ओरिएंटिड म्यूचुअल फंड्स की यूनिटें प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में रखी जाती हैं;	शून्य	1,076.71
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी ओरिएंटिड म्यूचुअल फंड्स की यूनिटों की कॉलेट्रल प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किए जाते हैं, यानी जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनी डिबेंचरों/इक्विटी ओरिएंटिड म्यूचुअल फंड्स की यूनिटों से अग्रिमों की राशि पूरी तरह कवर न होती हो (ऐसे ऋणों को छोड़कर, जिनमें प्रतिभूति निर्माण प्रक्रियाधीन हो;	शून्य	शून्य
(v)	शेयर दलालों को दिए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	शून्य	शून्य
(vi)	कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण, जो शेयरों/बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर मंजूर किए गए हों, अथवा जो संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रोन्नतकर्ता का योगदान पूरा करने के लिए स्पष्ट आधार पर दिए गए हों;	1,744.13	2,097.82
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी फ्लोज़/इश्यूज़ के प्रति कंपनियों को दिए गए ब्रिज ऋण;	शून्य	शून्य
(viii)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत और गैर–पंजीकृत दोनों) से संबंधित सभी जोखिम	6.15	7.68
	पूंजी बाजार में कुल भागीदारी	**2,619.92**	**4,026.91**

III. मूल कंपनी उत्पादों के वित्त पोषण का ब्यौरा :

कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है।

IV. गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा पार की गई एकल ऋणकर्त्ता सीमा (एसजीएल)/समूह ऋणकर्त्ता सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 और वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान अपनी एकल ऋणकर्त्ता/समूह ऋणकर्त्ता संबंधी विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है।

V. अप्रतिभूत अग्रिम

31.03.2016 (पिछले वर्ष शून्य) को ऐसे अग्रिमों की कुल राशि शून्य रही है, जिनके लिए राइट्स, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि पर प्रभार सृजित किया गया हो।

(ज) अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों से प्राप्त पंजीकरण

शून्य

(झ) रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों द्वारा दी गई सजाओं का ब्यौरा

31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान कंपनी को रिजर्व बैंक और अन्य नियामों द्वारा कोई दंड नहीं दिया गया। परंतु, कंपनी को एनएसई और बीएसई से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें निदेशक मंडल ने किसी महिला निदेशक की नियुक्ति न होने के लिए दंडित करने की बात कही गई थी। कंपनी ने शेयर बाजारों से अनुरोध किया है कि वे दंडित करने का अपना निर्णय वापस ले लें, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

(ञ) क्रेडिट रेटिंग

क वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग और रेटिंग दरों का माइग्रेशन :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	क्रेसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	इकरा	इकरा एएए	इकरा ए1+
3.	केयर	केयर एएए	केयर ए1+

वर्ष के दौरान कोई रेटिंग माइग्रेशन नहीं हुआ।

ख 31.03.2016 को कंपनी को प्रदत्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
1.	फिच रेटिंग्स	बीबीबी–	स्टेबल (स्थिर)
2.	स्टेंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी)	बीबीबी–	स्टेबल (स्थिर)
3.	मूडीज़	बीएए3	पॉजीटिव (आउटलुक में अप्रैल 2015 में कंपनी की रेटिंग को स्टेबल से संशोधित करते हुए पॉजीटिव घोषित किया)

(ट) अवधि, पूर्व अवधि मदों के लिए निवल लाभ या हानि और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

पूर्व अवधि मदों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के बारे में लेखों संबंधी टिप्पणियों के अंतर्गत क्रमशः भाग क–18 और ग–22 को देखा जा सकता है।

(ठ) ऐसी परिस्थितियां, जिनमें महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं का समाधान लंबित रहते राजस्व मान्यता स्थगित की गई।

शून्य

(ड) कंपनी लेखांकन मानक 21 और 27 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है। इस बारे में लेखा संबंधी टिप्पणियों के अंतर्गत भाग ग–7 (क) को देखा जा सकता है।

(ढ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं के लिए टिप्पणी भाग ग–20 को देखा जा सकता है।

(ण) आरक्षी निधियों से ड्रा डाउन

शून्य (पिछले वर्ष टिप्पणी भाग क–2 देखें)

(त) जम राशियों, अग्रिमों, जोखिमों और गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

क जमा राशियों का संकेंद्रण (जमा राशियां स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए) – कंपनी एक जमा राशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी है।

ख अग्रिमों का संकेंद्रण:

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल अग्रिम	149,982.23	134,557.86
कंपनी के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	62.53%	61.75%

ग ऋण जोखिमों का संकेंद्रण :

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
कंपनी के 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के मामले में कुल ऋण जोखिम	2,12,005.09	2,02,894.98
कंपनी के कुल ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के कुल ऋण जोखिम में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण जोखिम का प्रतिशत	56.47%	55.86%

घ गैर–निष्पादक ऋण परिसंपत्तियों का संकेंद्रण :

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
चार प्रमुख गैर–निष्पादक खातों में कुल बकाया राशि	4,461.48	2,228.64

ङ गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां क्षेत्रवार

कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी है। 31.03.2016 को कुल ऋण परिसंपत्तियों में सकल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का प्रतिशत 3.15 था। (पिछले वर्ष 1.16 प्रतिशत)

(थ) ऋण परिसंपत्तियों के संदर्भ में गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का मूवमेंट

क्र. सं.	विवरण		31.03.2016 को	31.03.2015 को
(i)	निवल अग्रिमों के प्रति निवल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां (:)		2.54	0.92
(ii)	गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का मूवमेंट (सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	2,533.31	1,331.54
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	8,385.58	2,548.77
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	(3,399.85)*	(1,347.00)
	(घ)	अंतिम शेष	7,519.04	2,533.31
(iii)	गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का मूवमेंट (निवल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	2,008.96	1,068.48
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	7,111.93	2,265.41
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	(3,059.87)*	(1,324.93)
	(घ)	अंतिम शेष	6,061.02	2,008.96
(iv)	गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों का मूवमेंट (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़ कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	524.35	263.06
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	1,273.66	283.36
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	(339.99)*	(22.07)
	(घ)	अंतिम शेष	1,458.02	524.35

*टिप्पणी भाग ग–18 देखें।

(द) संयुक्त उद्यमों अथवा अनुषंगियों के रूप में कंपनी की विदेशों में कोई परिसंपत्तियां नहीं हैं।

(ध) कंपनी द्वारा प्रायोजित विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) के तुलन–पत्र की सूची के लिए लेखों संबंधी टिप्पणियों का भाग ग–7 (क) (ख) देखें।

(न) वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ग्राहकों की शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
(क)	वर्ष के प्रारंभ में बकाया शिकायतों की संख्या	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
(ग)	वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
(घ)	वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	शून्य

38. व्यापार खंड की पहचान निदेशक मंडल और प्रबंधन ढांचे के बारे में अपनाई गई आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार की जाती है। कंपनी का प्राथमिक व्यापार विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त–पोषण करना है, जिसे लेखांकन मानक 17 के संदर्भ में एकमात्र प्राथमिक व्यापार अनुभाग समझा गया है। अतः खंडात्मक रिपोर्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।

39. आंकड़ों को निकटतम करोड़ रुपए के दशमलव के दो स्थानों तक राउंडऑफ किया गया है।

40. पिछली अवधियों के लिए आंकड़ों को आवश्यकता अनुसार पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है ताकि वर्तमान अवधि वर्गीकरण की पुष्टि की जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता./–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00701892

हस्ता./–
एम. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता./–
(अतुल अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–00862एन

हस्ता./–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.05.2016

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन एल65910डीएल1986GOI024862
31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
I.	**प्रचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	**9,167.10**		**8,445.87**	
	जोड़ें : निम्नांकित के लिए समायोजन				
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (निवल)	0.14		(0.03)	
	निवेश की बिक्री पर लाभ	(0.49)		(1.31)	
	मूल्यह्रास/परिशोधन	20.08		7.93	
	जीरो कूपन बॉण्डों और कमर्शियल पेपर्स का परिशोधन	(11.55)		47.50	
	विदेशी मुद्रा अंतरण हानि	306.16		222.64	
	निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान	96.26		1.06	
	प्रावधान	1,610.17		843.07	
	लाभांश/निवेश पर ब्याज	(70.66)		(31.46)	
	सीएसआर व्यय	145.79		117.49	
	ब्याज सब्सिडी निधि	(3.88)		(12.52)	
	आय कर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान	0.00		4.32	
	अधिशेष देयताएं पश्चलिखित	(0.30)		(2.45)	
	सेवा निवृत्ति लाभों/अन्य कल्याण व्ययों/मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान	20.97		21.99	
	प्राप्त ब्याज	(15.43)		(14.26)	
	प्रदत्त ब्याज	3.58		0.12	
	स्थगित किराया व्यय	0.05		0.00	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनगत लाभ	**11,267.99**		**9,649.96**	
	वृद्धि/कमी				
	ऋण परिसंपत्तियां (निवल)	(21,508.66)		(28,634.77)	
	अन्य परिसंपत्तियां	(615.07)		(706.77)	
	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता	(359.18)		328.65	
	देयताएं और प्रावधान	972.04		377.16	
	असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह	**(10,242.88)**		**(18,985.77)**	
	असाधारण मदें	0.00		0.00	
	प्रचालनों से कर पूर्व नकदी अंतर प्रवाह/बाह्य प्रवाह	**(10,242.88)**		**(18,985.77)**	
	प्रदत्त आय कर	(3,092.64)		(2,475.24)	
	रिफंड किया गया आय कर	37.82		5.74	
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		(13,297.70)		(21,455.27)
II.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	मूर्त/अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री/समायोजन	0.15		0.19	
	मूर्त/अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(111.46)		(40.90)	
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी में वृद्धि/कमी	(44.23)		(1.60)	
	सहायक कंपनियों में निवेश	(0.33)		(0.20)	
	प्राप्त ब्याज	15.38		14.25	
	निवेश पर लाभांश	70.66		31.46	
	अन्य निवेशों की खरीद/बिक्री	(1,900.34)		(493.80)	
	पूंजी अग्रिम	(3.13)		0.00	
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		(1,973.30)		(490.60)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
III. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
इक्विटी शेयरों का निर्गम	21.59		0.00	
शेयर आवेदन निधि	0.00		0.00	
बॉण्डों का निर्गम (प्रीमियम सहित) (निवल)	11,711.11		32,857.60	
दीर्घावधि ऋणों की उगाही (निवल)	(3,434.58)		(7,863.06)	
विदेशी मुद्रा ऋण (निवल)	732.75		566.33	
अदा किया गया ब्याज	(3.58)		(0.12)	
कमर्शियल पेपर (निवल)	3,195.00		805.00	
सावधि जमा राशियों के प्रति ऋण/कार्य शील पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट (निवल)	368.62		1,928.17	
अदावित बॉण्ड (निवल)	(0.13)		(0.57)	
अदावित लाभांश (निवल)	0.40		(0.13)	
पिछले वर्ष के अंतिम लाभांश का भुगतान	(79.20)		(26.40)	
चालू वर्ष के अंतरिम लाभांश का भुगतान	(1,755.66)		(1,122.04)	
कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान	(372.86)		(228.59)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**10,383.46**		**26,916.19**
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/कमी		**(4,887.54)**		**4,970.32**
जोड़ें : वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		5,033.20		62.88
वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य #		**145.65**		**5,033.20**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यों का ब्यौरा				
i) चालू खाते में शेष				
क) भारतीय रिजर्व बैंक	0.05		0.05	
ख) अनुसूचित बैंकों में	141.87	141.92	138.25	138.30
ii) हस्तगत चेक		0.00		0.01
iii) डाक प्राधिकारियों के साथ अग्रदाय		0.00		0.00
iv) अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा राशि (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने)		3.73		4894.89
उप–जोड़ (I)		**145.65**		**5033.20**
वर्ष के अंत में निर्धारित रोकड़ और बैंक शेष का ब्यौरा				
i) निर्धारित शेष				
क बॉण्डों, लाभांश आदि पर ब्याज भुगतान के लिए अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में शेष	6.41		1.36	
ख आईपीडीएस/आर–एपीडीआरपी				
अनुसूचित बैंकों में चालू खाते में शेष	13.01		5.00	
बैंकों में सावधि जमा राशि (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने)	0.00		45.00	
ii) बैंकों में नियतकालिक जमा राशि – डिबेंचरों के विमोचन के लिए (मूल परिक्वता अवधि 3 महीने)	30.97	50.39	0.00	51.36
iii) अनुसूचित बैंकों में नियतकालिक जमा राशि (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक से लेकर 12 महीने तक)		105.51		282.80
उप–जोड़ (II)		**155.90**		**334.16**
वर्ष के अंत में कुल नकदी और बैंक शेष (I+II)		**301.55**		**5367.36**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के शेयर के रूप में 113.81 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 11.03 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता./–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00701892

हस्ता./–
एम. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता./–
(अतुल अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–00862एन

हस्ता./–
(संजीव चांदना)
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.05.2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में रिपोर्ट

हमने **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (जिसे यहां बाद में ''होल्डिंग कंपनी'' कहा जाएगा) और उसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ ''ग्रुप'' कहा जाएगा) और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलन–पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे यहां बाद में ''समेकित वित्तीय विवरण'' कहा जाएगा) का सारांश शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व :

कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे यहां बाद में ''अधिनियम''कहा जाएगा) की धारा 134(5) के अनुसार होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में वर्णित लेखांकन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार ऐसे वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, जिनसे ग्रुप और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य निष्पादन और उसके समेकित रोकड़ प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। ग्रुप में शामिल कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के निदेशक मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रुप और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और किसी प्रकार की धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम के लिए समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखने के प्रति जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना(तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, इस्तेमाल उपरोक्त अनुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा, समेकित विवरण तैयार करने में लेखा रिकॉर्डो की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने तथा ऐसे वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर ढंग से परिचालित करने में किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय जाहिर करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षण मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा में निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं ताकि समेकित वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। जोखिम के ऐसे मूल्यांकनों को अंजाम देते समय लेखापरीक्षक होल्डिंग कंपनी की तैयारी और संबद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार करता है ताकि समेकित वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा की उचित प्रक्रिया अपनाई जा सके। लेखापरीक्षा के अंतर्गत इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता तथा समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें लेखापरीक्षा संबंधी जो साक्ष्य प्राप्त हुए, और अन्य लेखा परीक्षकों को नीचे 'अन्य मामले' संबंधी पैराग्राफ के उप–पैरा (क) में वर्णित उनकी रिपोर्टो के संदर्भ में जो साक्ष्य प्राप्त हुए, वे हमारी समेकित लेखापरीक्षा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

हमारी राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप 31 मार्च, 2016 को ग्रुप और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की स्थिति और उनके समेकित लाभ तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए के समेकित नकदी प्रवाह के बारे में एक सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय

हम वित्तीय विवरणों के अंतर्गत टिप्पणियों में निम्नांकित विषयों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं :

(क) भाग–ग 'अन्य समेकित लेखा टिप्पणियों' के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 13 (ग) की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। यह टिप्पणी 31.03.2016 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है।

(ख) भाग–ग 'अन्य समेकित लेखा टिप्पणियों' के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 15 की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। यह टिप्पणी 31.03.2016 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (आर/आर/आर) यानी पुनर्गठन/पुनः समय निर्धारण/पुनः मोल–भाव के लिए निर्धारित विवेक सम्मत मानदंडों और पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के बारे में किए गए प्रावधानों में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार संशोधन से संबंधित है।

उपरोक्त मामलों में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य मामले :

(क) हमने 4 सहायक कंपनियों और एक संयुक्त नियंत्रित संस्था के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय जानकारी में 31 मार्च, 2016 को कुल परिसंपत्तियां ₹566.32 करोड़, कुल राजस्व ₹116.18 करोड़ और निवल नकदी प्रवाह ₹0.07 करोड़ उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जिसे समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें सौंपी थी और समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संदर्भ में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) और (11) के अंतर्गत उक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंध में हमारी राय पूरी तरह अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(ख) हमने एक संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के लेखापरीक्षा न किए गए वित्तीय विवरणों पर भी विचार किया है, जिसकी वित्तीय जानकारी में 31 मार्च, 2016 को कुल परिसंपत्तियां ₹476.50 करोड़, कुल राजस्व ₹205.87 करोड़ और निवल नकदी प्रवाह ₹61.90 करोड़ उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जिसे समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। ये वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा हमें सौंपे गए थे और इस संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरण में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों के बारे में जहां तक हमारी राय का संबंध है, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धाराओं (3) और (11) के संदर्भ में उक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंध में हमारी रिपोर्ट पूरी तरह हमें सौंपे गए बिना लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय, और अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं के बारे में नीचे दी गई हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संदर्भ में, जहां तक अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता का प्रश्न है, इनके बारे में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

   (ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखापरीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों/प्रबंधन द्वारा दी गई रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि कंपनी ने उक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबद्ध समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजन के लिए रखी गई संबद्ध लेखा बहियों के अनुरुप है।

(घ) हमारी राय में उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और कंपनियां (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप है।

(ङ) 31 मार्च, 2016 को होल्डिंग कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा लिखित रूप में दी गई सूचना भारत में इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के सांविधिक लेखापरीक्षकों/प्रबंधन की रिपोर्टों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में ग्रुप कंपनियों का कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2016 को निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) ग्रुप और इसके द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन सक्षमता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक 'क'** में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनियां (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

(I) समेकित वित्तीय विवरण लंबित अदालती मामलों के ग्रुप और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति पर प्रभाव को प्रकट करता है – समेकित वित्तीय विवरणों में भाग–ग की टिप्पणी संख्या 3(ख) और टिप्पणी संख्या 4, 'समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां' देखें;

(II) तुलन–पत्र की तारीख को डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घावधि अनुबंध नहीं है, जिसके लिए प्रयोज्य कानून अथवा लेखांकन मानकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानियों के लिए प्रावधान अपेक्षित हो;

(III) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित निधि के अंतरण में होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों और भारत में अधिनिगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं ने कोई देरी नहीं की है।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता/–
सीए अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–000862एन

हस्ता/–
सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

दिनांक : 25.05.2016
स्थान : नई दिल्ली

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–'क'

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (जिसे यहां बाद में ''होल्डिंग कंपनी'' कहा जाएगा), उसकी सहायक कंपनियों और उक्त तारीख को भारत में कंपनियों के रूप में अधिनियमित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं, जो भारत में अधिनियमित कंपनियां हैं, के संबद्ध निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट' के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा की गई आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उसे बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है, जो इसके व्यापार के सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा सकें। इनमें संबद्ध कंपनियों की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखा–धड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और निवारण, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय जाहिर करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखापरीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'गाइडेंस नोट' (''गाइडेंस नोट'') और लेखांकन मानकों के अनुसार की है, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षक की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षक करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम किए गए और उन्हें बनाए रखा गया तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में ऐसे नियंत्रण संचालित किए गए।

हमारी लेखापरीक्षा में ऐसी निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी विद्यमान महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन करना, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन तैयार करना और उसकी प्रचालनगत सक्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के बारे में महत्वपूर्ण गलत बयानी, चाहे वह धोखा–धड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें लेखापरीक्षा संबंधी जो साक्ष्य प्राप्त हुए, और अन्य लेखा परीक्षकों को नीचे 'अन्य मामले' संबंधी पैराग्राफ में वर्णित उनकी रिपोर्टो के संदर्भ में जो साक्ष्य प्राप्त हुए, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की जाती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से संबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही–सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेन–देन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति की अपेक्षा के अनुसार रखा गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

आंतरिक नियंत्रणों के विफल होने या अनुचित प्रबंधन और उल्लंघन होने की आशंका सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित होने के कारण से त्रुटिया धोखाधड़ी के कारण ऐसी महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है, जिसका पता न चल पाए। इसके अतिरिक्त भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

हमारी राय

हमारी राय में होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं, जो भारत में अधिनियमित कंपनियां हैं, ने, सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2016 को कारगर ढंग से प्रचालित थे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंड पर आधारित थे।

अन्य मामले

अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, 4 सहायक कंपनियों, जो भारत में अधिनियमित कंपनियां हैं, के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनगत सक्षमता के बारे में हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, भारत में अधिनियमित कंपनियों और दो संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखा परीक्षकों की समनुरुप रिपोर्टों पर आधारित है। ऐसी संस्थाओं की आईएफसी रिपोर्टों के अभाव में हम होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर निर्भर रहे हैं। हमारी राय में ग्रुप और इसके द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरण के लिए आईएफसी रिपोर्टों को महत्वपूर्ण नहीं समझा गया है।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–01411एन

हस्ता/–
सीए अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या–099374

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. संख्या–000862एन

हस्ता/–
सीए संजीव चांदना
भागीदार
सदस्यता संख्या–087354

दिनांक : 25.05.2016
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)बी के अधीन भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की टिप्पणी और उसके बारे में प्रबंधन का उत्तर

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) और साथ में पठित धारा 129(4) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वह कंपनी अधिनियम की धारा 143 और साथ में पठित धारा 129(4)के तहत वित्तीय ब्यौरों के बारे में अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के आधार पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा करें। यह कार्य लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25 मई, 2016 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पूरा किया गया। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ए) और साथ में पठित धारा 129(4) के अधीन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। परंतु, हमने अनुबंध में वर्णित सहायक, एसोशिएट कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणो की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। कंपनी के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के औपचारिक दस्तावेज देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकॉर्डो की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके लिए सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई पूरक टिप्पणी करना अपेक्षित हो। मैं कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(बी) और साथ में पठित धारा 129(4) के अधीन निम्नांकित महत्वपूर्ण मामले की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे ध्यान में आया है और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनिवार्य है।	
1. **सामान्य** **समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां (भाग–ग)–टिप्पणी** 18	
उपरोक्त टिप्पणी इस तथ्य को उजागर करती है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कंपनी ने एक ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित अवमानक के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुनःवर्गीकृत किया गया है, नतीजतन वर्ष 2015–16 में किए गए ₹ 339.99 करोड़ के एनपीए प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है परंतु, टिप्पणी में उक्त ऋण खाते के संदर्भ में घोषित लेखांकन नीति से विचलन के कारण पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को प्रकट नहीं किया गया है, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं :	कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर कानूनी राय प्राप्त करने के बाद इस ऋण परिसंपत्ति को मानक परिसंपत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
(i) यदि परिसंपत्ति को 'पुनर्गठित अवमानक समझा गया होता, तो ₹ 328.78 करोड़ की ब्याज आय (अर्थात् ब्याज के रूप में नकद प्राप्त न हुए ₹ 201.26 करोड़ और ब्याज उपचित परंतु देय नहीं के रूप में ₹ 127.52 करोड़) वर्ष के दौरान मान्य नहीं हुई होती; और	कंपनी द्वारा वास्तविक आधार पर की गई ₹ 328.78 करोड़ की ब्याज गणना, मानक परिसंपत्तियों पर आय मान्य करने संबंधी विवेक सम्मत मानदंड के अनुसार है। नकदी आधार पर ब्याज आय मान्य करने संबंधी मानदंड गैर–निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) के संबंध में लागू होते हैं, जबकि संदर्भ के अंतर्गत ऋण खाता 31.03.2016 को एक मानक परिसंपत्ति था। अतः कंपनी द्वारा वास्तविक आधार पर की गई ₹ 328.78 करोड़ की ब्याज गणना कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या ग–2.1 के अनुरूप है।
(ii) यदि परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के संदर्भ में परिसंपत्ति को 'पुनर्गठित अवमानक' समझा गया होता, तो 'पुनर्गठित मानक' ऋण परिसंपत्ति समझे जाने के कारण लेखों में किए गए ₹ 148.82 करोड़ के प्रावधान के अतिरिक्त ₹ 276.37 करोड़ का प्रावधान आवश्यक होता।	कंपनी द्वारा 3.5 प्रतिशत की दर से किया गया ₹ 148.82 करोड़ का प्रावधान पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में परिसंपत्ति वर्गीकरण पर आधारित है, जो महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या ग–7.3.2 (ख) के अनुरूप है। 10 प्रतिशत की दर से प्रावधान अवमानक परिसंपत्ति पर लागू होता है। ऋण परिसंपत्ति पुनर्गठित श्रेणी में एक मानक परिसंपत्ति है, अतः उस पर 10 प्रतिशत की दर से प्रावधान लागू नहीं होता है। अतः ₹ 276.37 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान (10 प्रतिशत के आधार पर प्रावधान में से 3.5 प्रतिशत का प्रावधान घटाने पर) आवश्यक नहीं है। इस प्रकार कंपनी ने घोषित लेखांकन नीतियों के अनुसार आय को मान्यता दी है और प्रावधान किया है, अतः कोई विचलन नहीं किया गया है। इस मामले में चूंकि किसी घोषित लेखांकन नीति से कोई विचलन नहीं हुआ है, अतः किसी प्रकार का नतीजतन वित्तीय प्रभाव प्रकट करना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार, आय मान्यता, प्रावधान और प्रकटीकरण नियमानुसार किए गए हैं।
कृते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनकी ओर से **हस्ता./–** **(ऋतिका भाटिया)** **प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और** **पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–तृतीय, नई दिल्ली** **स्थान: नई दिल्ली** **दिनांक 26 जुलाई, 2016**	**कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से** **हस्ता./–** **(एम. के. गोयल)** **अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक** **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** **स्थान: नई दिल्ली** **दिनांक 26 जुलाई, 2016**
अनुबंध **सहायक कंपनियों, संबंधित कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सूची जिनके वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नहीं किए गए हैं** **क. भारत में निगमित सहायक कंपनियां** 1. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड 2. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 3. पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड 4. पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड **क. भारत में निगमित संयुक्त उद्यम** 1. नैशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड 2. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजी. कार्यालयः "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
दूरभाष सं.: 011-23456000, फैक्सः 011-23412545, वेबसाइटः www.pfcindia.com

Designed by : National Advertising Agency | Printed by : Aravali Printers